Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राचीन काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन

(वैदिक काल से वर्द्धन काल तक)

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

में

पी-एच०डी० उपाधि

हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक
प्रो० प्रभात कुमार

शोधार्थिनी
अनीता देवी

प्राच्य विद्या संकाय
गुरुकुल काँगड़ी समविश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)-249404
2022

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राचीन काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन

(वैदिक काल से वर्द्धन काल तक)

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

में

पी-एच०डी० उपाधि

हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक
प्रो० प्रभात कुमार

शोधार्थिनी
अनीता देवी

प्राच्य विद्या संकाय
गुरुकुल काँगड़ी समविश्वविद्यालय
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)-249404

2022

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राचीन काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन

(वैदिक काल से वर्द्धन काल तक)

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग

में

पी–एच0डी0 उपाधि

हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

निर्देशक

प्रो. प्रभात कुमार

शोधार्थिनी

अनीता देवी

प्राच्य विद्या संकाय

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय

हरिद्वार (उत्तराखण्ड)– 249404

2022

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Annexure – I

CANDIDATE'S DECLARATION

I hereby declare that the work which is being presented in the thesis entitled "प्राचीन काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन (वैदिक काल से वर्द्धन काल तक)", in fulfillment of requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Ancient Indian History, Culture and Archaeology of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar is an original work carried out by during a period from 02/05/016 to 18/08/022 under the supervision of Prof. Prabhat Kumar (Professor), Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar.

The matter presented in the thesis has not been submitted by me for the award of any degree/diploma of this vishwavidyalaya or any other University/Institute. I have properly acknowledged the material collected from the secondary sources wherever required. I solely own the responsibility of Ph. D. thesis as per prescribed norms in the research rules & regulation of the Vishwavidyalaya/UGC.

Date : 18/08/022

(ANITA DEVI)

Research Scholar

Enrolment No 15052

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Annexure – II

SUPERVISOR'S DECLARATION

This is to certify that Mrs. **Anita Devi** has worked under my supervision on "प्राचीन काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन (वैदिक काल से वर्द्धन काल तक)", for his Degree of Doctor of Philosophy in Ancient Indian History, Culture and Archaeology of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar. She fulfills the eligibility criteria for submission of Ph.D. thesis as per research rules & regulation of the Vishwavidyalaya/UGC. It is also certified that the candidate has incorporated the suggestions given in the pre-submission presentation before DRC.

The candidate has fulfilled the necessary residency requirements for full time/part time Ph.D. Programme as per rules of the Vishwavidyalaya.

I recommend the thesis for evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar.

Date : 18-8-22

(Prof. Prabhat Kumar)

Supervisor

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Annexure – IV

H.O.D.'S DECLARATION

The Ph.D. thesis submitted by Mrs. **Anita Devi** in the subject of Ancient Indian History, Culture and Archaeology under the supervision of **Prof. Prabhat Kumar** is hereby forwarded for evaluation for the award of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar.

It is also certified that the candidate has made pre-submission presentation before DRC and fulfills necessary residency requirement of full time/part time Ph. D. Programme as per the rules of the Vishwavidyalaya.

Date : 18/08/2022

(Prof. Rakesh Kumar Sharma)

Head of Department

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल काँगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार, उत्तराखण्ड
Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar, Uttarakhand

CERTIFICATE OF PLAGRISM CHECK

1.	Name of the Research Scholar	:	Anita Devi
2.	Course of Study	:	Ph. D.
3.	Title of thesis	:	"प्राचीन काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन (वैदिक काल से वर्द्धन काल तक)"
4.	Name of the Supervisor	:	Prof. Prabhat Kumar, Professor
5.	Department / Subject	:	Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology
6.	Acceptable Maximum Limit	:	10%
7.	Percentage of similarity of Contents Identified	:	6%
8.	Software Used	:	URKUND
9.	Date of verification	:	23-06-2022

18-8-22
Signature of the supervisor

Signature of the Scholar

18/08/2022
Head of the Department
(Seal)
Head
Department of Ancient Indian History,
Culture and Archaeology
Gurukul Kangri Vishwvidhyalaya, Haridwar

18/8/22
University Coordinator
Shodhganga
Coordinator Shodhganga
G K (Deemed to be University)
Haridwar- 249 404 (Uttarakhand)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

iginal

cument Information

Analyzed document	अनीता देवी - प्र��चीन काल में दास � त्री एक विवेच त्मक अध्ययन (व� �दिक काल से वर्ध��काल तक).docx (D141051845)
Submitted	6/23/2022 6:51:00 AM
Submitted by	Sachin Kaushik
Submitter email	9927884477sk@gmail.com
Similarity	6%
Analysis address	9927884477sk.gkv@analysis.urkund.com

urces included in the report

URL: https://omprakashkashyap.wordpress.com/tag/%E0%A4%B6%E0%A5%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0/
Fetched: 6/23/2022 6:51:27 AM

URL: https://www.prabha001.com/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0
Fetched: 12/2/2021 10:47:51 AM

URL: https://dramitdubey.wordpress.com/2020/04/12/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E
Fetched: 3/10/2021 10:39:58 AM

URL: https://www.hmoob.in/wiki/Slave
Fetched: 6/23/2022 6:52:24 AM

URL: https://m.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_
Fetched: 7/3/2021 10:30:02 AM

URL: https://www.scotbuzz.org/2018/12/roman-sabhyata.html
Fetched: 3/12/2021 6:17:29 AM

URL: https://www.sookshmas.com/enote/5685-605/public/%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A
Fetched: 3/12/2021 6:17:21 AM

URL: https://www.pustak.org/index.php/dictionary/word_meaning/%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8
Fetched: 6/23/2022 6:51:27 AM

URL: https://www.nayadost.in/2019/12/das-pratha-kya-thi.html
Fetched: 3/16/2021 7:28:25 AM

URL: https://www.hindikunj.com/2018/02/dasi-jaishankar-prasad.html
Fetched: 4/6/2021 11:29:58 AM

URL: https://www.hmoob.in/wiki/Slavery_in_ancient_Rome
Fetched: 10/20/2021 8:34:28 AM

URL: https://m.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6_%E0%A4%94%E0%A4%B0_%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B
Fetched: 10/22/2021 9:13:47 AM

URL: https://halba-halbi-samaj.blogspot.com/2020/07/das-prtha.html
Fetched: 3/12/2021 6:18:31 AM

URL: https://www.newstrend.news/572593/what-tasks-were-performed-by-the-maids-know-full-story/
Fetched: 6/23/2022 6:51:51 AM

URL: https://www.bhaskar.com/news/INT-MES-70-million-mummified-animals-in-ancient-egypt-5001678-PHO.html
Fetched: 6/23/2022 6:51:56 AM

URL: https://hi.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8
Fetched: 3/12/2021 6:17:43 AM

URL: https://books.google.fr/books?id=jnAQEAAAQBAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8+%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4
Fetched: 6/23/2022 6.51:52 AM

URL: https://www.biblegateway.com/passage/?search=%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8%2021&version=ERV-HI
Fetched: 10/20/2021 8:34:31 AM

ire Document

न काल में दास स्त्री एक विवेचनात्मक अध्ययन (वैदिक काल से वर्धनकाल तक) प्रस्तावना प्राचीन
त्व का बोध होता है। दासों पर अनेकों शोध एवं सर्वेक्षण होने के बावजद दासता की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। एक तरफ जहाँ विश्व की अनेकानेक सभ्यताओं में दासता की अलग-अलग अवधारणाअ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आभार

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग आवश्यक होता है। बिना उचित मार्गदर्शन और सहयोग के कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। शोध जैसे कार्य में तो मार्गदर्शन महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बिना सहयोग के भी शोध पूर्ण करना असम्भव है। मेरे शोध प्रबन्ध को भी अनेक लोगों की सहायता एवं निर्देशन के कारण पूर्णता प्राप्त हुई है। अतः मैं उन सभी बुद्धिजीवियों के प्रति आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ जिन्होंने मुझे शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में अपना सहयोग, प्रेरणा एवं निर्देशन प्रदान किया।

मैं सबसे पहले अपने शोध विषय के निर्देशन के लिए अपनी परमश्रद्धेय गुरु एवं शोध–निर्देशक प्रोफेसर प्रभात कुमार जी की हृदय से आभारी हूँ जिनके कुशल मार्गदर्शन से मेरा शोधकार्य सम्पन्न हुआ है।

मैं अपने विभाग के अन्य गुरुजनों प्रो. राकेश कुमार शर्मा जी (विभागाध्यक्ष), प्रो. देवेन्द्र कुमार गुप्ता जी, डॉ. दिलीप कुशवाहा जी एवं डॉ. हिमांशू पंडित जी, इन सभी के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने मुझे शोध कार्य में समय–समय पर सहायता प्रदान की तथा मेरा मार्गदर्शन किया।

इसके अतिरिक्त मैं अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों श्री मनोज कुमार जी (क्यूरेटर), डॉ. दीपक घोष जी, डॉ. सत्येन्द्र जी, राजेन्द्र कुमार, दिलीप कुमार श्रीवास्तव आदि सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य के दौरान मेरी सहायता करने का कार्य किया है।

मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य हेतु मुझे पुस्तकें यथासमय उपलब्ध कराने का कार्य किया।

इस शोध कार्य के प्रति न केवल सजग एवं सक्रिय बनाने में अपितु अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा इस योग्य बनाने में कि मैं कुछ उत्पादक और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रचनात्मक कर सकूं, इसके लिए मैं अपने परिवार जन को कदापि विस्मृत नहीं कर सकती। जिनका स्नेह आशीर्वाद, अपनत्व और प्यार भरा सम्बल मिला। इनसे मैंने इस शोध कार्य में ही नहीं, अपितु अब तक के समूचे जीवनपथ में अनेक चुनौतियों और विषमताओं में भी सफलता पायी है। ये मेरे पूज्य पिताजी श्री भौरी सिंह एवं पूज्य माताजी श्रीमती शर्मीला देवी, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाने में जीवनभर साधना की। आज मैं अपने जीवन में जहाँ पहुंच पायी हूं तथा जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वह मेरी श्रद्धेय माता जी की मेहनत तथा उनके दिशा–निर्देश का परिणाम है। मेरी माता जी पढ़ी लिखी न होने के बाद भी मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। और मुझे इस योग्य बनाया। मेरे पिताजी ने कुछ वर्ष पूर्व हमारा साथ छोड़ दिया था लेकिन मेरी माता जी हमेशा मेरे साथ तत्पर रहीं। उनके जीवन जीने के सिद्धान्त और उनसे प्राप्त शिक्षा ही है, जो समय–समय पर मुझे सम्बल प्रदान करती रही तथा प्रत्येक परिस्थिति में भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती रही है। जिसका प्रतिफल है कि मैं अपना शोधकार्य पूर्ण करने में सफल रही। इस शोध कार्य को मैं अपनी माताजी के चरणों में सादर समर्पित करती हूँ।

इस कड़ी में मैं अपने भाई–बहन के धैर्य एवं सहयोग का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बड़े भाई श्री सतीश कुमार और छोटे भाई श्री योगेन्द्र सिंह और बहन सुनीता देवी के स्नेह, प्रेरणा एवं सहयोग ने सदा मुझे रचनात्मक बने रहने को प्रेरित किया। मेरे दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत और सहयोग से हमेशा मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो जिम्मेदारी मेरे पिताजी की थी उसे मेरे दोनों भाइयों ने पूरा किया और मेरे जीवन को सफल बनाया। इसके साथ ही बहन ने अपना समय एवं सहयोग मुझे दकर मेरे पठन–पाठन के कार्य को और अधिक आसाना में बड़ी भूमिका निभाई है।

इन सभी के साथ मैं अपने जीवन साथी श्री मुकेश कुमार, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया एवं मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण देते रहे, का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके द्वारा प्राप्त हर कदम पर सहयोग, प्रेरणा एवं प्रेम के कारण ही मेरा यह शोध प्रबन्ध पूरा हो सका है। इस कड़ी में मेरे सास श्रीमती किशन देई एवं श्वसुर श्री यादराम सिंह जी का भी मैं हृदय से आभार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यक्त करती हूं, जिनके सहयोगात्मक व्यवहार एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व ने सदैव मुझे सकारात्मक बनाये रखा। इनके साथ ही एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मेरे मामा जी श्री तेजपाल सिंह और उनके बेटे श्री रविन्द्र कुमार का भी काफी सहयोग रहा मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के प्रेरित किया।

इनके अतिरिक्त मैं अपने सहयोगी श्री अजीत कुमार, श्री महेश कुमार, श्री संदीप कुमार और इनके साथ अन्य सभी के प्रति भी हृदय से अपना आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे इस कार्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान कर मुझे प्रोत्साहित किया।

अंततः इष्ट आराध्य सत्ता परमपूज्य ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करते हुए विद्वत जन के समक्ष इस शोध प्रबन्ध को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करती हूं।

दिनांक 18/08/022

अनीता देवी
शोध छात्रा
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति
एवं पुरातत्त्व विभाग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषयानुक्रमणिका

अध्याय		विषय	पृष्ठ संख्या
		प्रस्तावना	01–08
प्रथम अध्याय	:	वैदिक काल में स्त्री दासों का स्वरूप	09–32
द्वितीय अध्याय	:	महाजनपद काल में स्त्री दासों का स्वरूप	33–114
तृतीय अध्याय	:	मौर्य काल में स्त्री दासों का स्वरूप	115–146
चतुर्थ अध्याय	:	शुंग काल से वर्द्धन काल तक स्त्री दासों का स्वरूप	147–188
पंचम अध्याय	:	उपसंहार	189–200
		संदर्भ ग्रन्थ सूची	201–209

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रस्तावना

प्राचीन काल से भारतीय समाज में दास प्रथा के अस्तित्व का बोध होता है। दासों पर अनेकों शोध एवं सर्वेक्षण होने के बावजूद दासता की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। एक तरफ जहाँ विश्व की अनेकानेक सभ्यताओं में दासता की अलग–अलग अवधारणाओं का बोध होता है वहीं भारतीय दासता सम्बन्धी अवधारणा की सैद्धान्तिक विवेचना कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद जैसे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने भी नहीं की। अतएव दासता को भारतीय अवधारणा को समझने के लिए मौलिक ग्रन्थों में प्राप्त भारतीय दासों से सम्बन्धित अनेक नियमों के अनुशीलन के साथ–साथ प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं में उपलब्ध दासता की उपर्युक्त अनेक अवधारणाओं से उसे सन्दर्भित भी करना होगा तभी दासता को भारतीय अवधारणा स्पष्ट हो सकती है।

भारत में दास प्रथा पर सर्वप्रथम 'दास कल्प' नामक अलग से एक अध्याय लिखने वाले व्यवस्थाकार के रूप में आचार्य कौटिल्य का नाम लिया जा सकता है यद्यपि इसके पहले बौद्ध ग्रन्थों में दासता के अस्तित्व के प्रभूत प्रमाण उपलब्ध है लेकिन उनसे इसका क्रमबद्ध विवरण नहीं उपलब्ध होता। कौटिल्य ने दासों की 9 कोटियों की चर्चा की है जिनमें ध्वजाहृत, उदरदास गृहजात, क्रीतदास, लब्ध दायागत, दण्डप्रणीत, आहितक तथा आत्मविक्रयी कोटियाँ है। लेकिन कौटिल्य उदरदास को छोड़कर अन्य प्रकार के दासों के क्रय–विक्रय पर राज्य द्वारा कठोर दण्ड का विधान किया है। वह दासों को सम्पत्ति रखने का अधिकार प्रदान करता है। दास अपने मालिक की सहमति से निजी सम्पत्ति भी रख सकते हैं। दासों को राज्य द्वारा विष्टि, कर्मकारों तथा दण्ड प्रकृतियों के साथ कृषि कार्य में लगाने के उल्लेख भी वह करता है किन्तु अर्थशास्त्र में स्पार्टा के हेलोटो की तरह राज्य द्वारा सामूहिक रूप से रखे गये दासों को एकाधिकारिक अवधारणा नहीं मिलती। अर्थशास्त्र में राजकीय दासों के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से रखे गये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न प्रकार के दासों के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। उस समय राज्य न केवल दास श्रम का नियोजन विभिन्न कार्यों के लिये करता था बल्कि उनके साथ कर्मकार एवं दण्ड प्रकृतियों के श्रम का भी उपयोग करता था। अर्थशास्त्र दासों को न केवल वेतन देने की बात करता है अपितु दासता से मुक्ति प्राप्त करने के अनेकों रास्ते भी बताता है। भारतीय दार्शनिक एवं सामाजिक चिन्तन में जो दास जिन विशिष्ट परिस्थितियों में पड़कर दासता में आबद्ध होता था उन परिस्थितियों को दूर कर देने से उसे दास जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास को जन्मना एक हीन कोटि का मनुष्य नहीं बताया गया है और इस प्रकार का मनुष्य–मनुष्य के बीच कोई विभेद कौटिल्य नहीं करता। कौटिलीय अर्थशास्त्र में विवृत्त दासता विषयक प्रमाणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में दासता किसी नैसर्गिक गुण के अभाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों का परिणामात्र थी। चाहे वह युद्ध की विभीषिका रही हो अथवा किसी दण्ड को भोगने की स्थिति रही हो, भोजन की समस्या रही हो अथवा दान की अवस्था, चाहे आत्म विक्रयी की अवस्था हो, प्रत्येक अवस्थाओं में कोई न कोई विशिष्ट परिस्थिति का ही दर्शन मिलता है। इस प्रकार कौटिल्य की दासता की अवधारणा का अलग स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। कौटिल्य के राज्य की अवधारणा राज्य को मनुष्य को चरण उपलब्धि नहीं मानती जिसके लिए इस उपलब्धि को अर्हता न रहने वाले व्यक्ति अर्थात् दास को उस उपलब्धि का अनिवार्यता एक साधन बनाया जा सके। राज्य तो कौटिल्य की दृष्टि में मनुष्यवती भूमि एवं लाभ एवं पालन के माध्यम से मनुष्य की जीविका उपलब्ध कराने का साधन मात्र है। उसकी अनिवार्यता उसके साध्य, जीविका की अनिवार्यता, से जुड़ी हुयी है। मनुष्यवती भूमि के लाभ में बल प्रयोग की अनुमति देते हुये कौटिल्य युद्ध का अनुमोदन करता है और राज्य के गठन एवं संचालन में शक्ति और शक्तिशाली की भूमिका को अनिवार्य समझता है। शासकत्व की अर्हता, कौटिल्य की दृष्टि में, इस प्रकार बाहुबल और बुद्धिबल से उपार्जित शक्ति और संगठन की क्षमता है न कि ऐसी कोई नैसर्गिक विशिष्टता जो स्वतन्त्र नागरिक में तो प्राप्त होती है परन्तु दास में नहीं। यह बात दूसरी है कि दास भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उस विशिष्टता का विकास कर लेने के पश्चात् नागरिक हो सकता है। इस प्रकार कौटिल्य की दृष्टि में दासता राज्य का संयोजक तत्व नहीं है और राज्य के विकास के लिए दासता को आधारशिला होना कदापि आवश्यक नहीं है। कौटिल्य के बाद भारतीय व्यवस्थाकारों एवं विचारकों में मनु का नाम आता है। कौटिल्य की उपर्युक्त दासता विषयक अवधारणा बाद के इन विचारकों में भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ दिखायी पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपलब्ध दासता की भारतीय अवधारणा भारतीय चिन्तन की प्रतिनिधि अवधारणा की आधार भूमि है।

कौटिल्य के पश्चात् मनु ने कोई दासकल्प जैसा अलग अध्याय तो नहीं लिखा किन्तु छिट–पुट उल्लेखों के रूप में दासता की चर्चा कई स्थलों पर की है लेकिन मनु के विवरणों में दासता सम्बन्धी विधियाँ अदृष्टार्थक उद्देश्यों से अनुप्राणित थी जबकि अर्थशास्त्र के पीछे दृष्टार्थक उद्देश्य शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार उपस्थित थे। धर्मशास्त्रीय विधियों के अतिरिक्त मनु में बहुत कुछ सामग्री ऐसी है जो विधि की कोटि में न आकर अर्थवाद की कोटि में आती है। यही कारण है कि मनु के दासता सम्बन्धी विवरणों में अति व्याप्ति, एकांगी दृष्टिकोण एवं अस्पष्टता सी दिखायी पड़ती है। मनु ने दासों की 7 कोटियों की चर्चा की है, जिनमें ध्वजाहृत, भक्तदास, गृहजात, क्रीत, दत्रिम, पैतृक एवं दण्डदास शामिल हैं लेकिन मनु के दासता विषयक विवरण अधिकांशतः शूद्र वर्ण के सन्दर्भ में मिलते हैं जिससे यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि मनु ने दासता को शूद्रों के लिए प्राकृतिक, नैसर्गिक एवं सहज मान लिया है। वस्तुतः मनु के विवरण ही स्वयमेव कुछ ऐसी भ्रान्तियों के जनक हैं। इन समस्याओं का निराकरण करने का कतिपय इतिहासकारों ने मनुस्मृति पर लिखी गई टीकाओं के आलोक में यथासम्भव प्रयास किया है। मनु दासों को सम्पत्ति रखने के अधिकार के सम्बन्ध में दुहरा मानदण्ड अपनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो उनका कथन है कि दास पुत्र को उसके वास्तविक पिता की अनुमति से पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त हो सकता है और दूसरी तरफ वे स्त्री, पुत्र तथा दास के किसी भी प्रकार की सम्पत्ति रखने का पूर्ण निषेध करते हैं। इसी प्रकार दासता में आबद्ध होने और दास जीवन में न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फँसने की व्यवस्थाएँ भी मनु देते हैं। एक स्थल पर तो मनु का यह कथन है कि आर्य माँ बाप से उत्पन्न शूद्र पुत्र भी दास नहीं बनाया जा सकता और दूसरे स्थान पर वे स्वयं कहते हैं कि कोई भी द्विज दास नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दासता की शूद्रों के जीवन में सहज बताकर उपर्युक्त तथ्य का निषेध प्रस्तुत करते हुए दिखायी पड़ते हैं। इसी प्रकार एक ओर तो मनु दासों को मालिक की प्रतिछाया बताते हुये दास द्वारा अनादर कर देने पर भी उसको तिरस्कृत न करने की सलाह देकर एक उदार दृष्टिकोण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं और दूसरी ओर शूद्रों की दासता को ईश्वर प्रदत्त करार देते हुए उन्हें दासता से मुक्त कर देने के बाद भी मनु शूद्रों को स्वभावगत या नैसर्गिक दासत्व के बाहर न निकल पाने की स्थिति पर बल देते हैं।

मनु दासों को शारीरिक दण्ड देते समय उन्हें पुत्रों की कोटि में खड़ा करते हैं। यही नहीं, वे दासों की गवाही जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकार देने के साथ ही साथ विशिष्ट परिस्थितियों में दासों को लेन–देन का अधिकार भी देते हुए दिखायी पड़ते हैं। मनु ने एक स्थान पर लिखा है कि जब दास का मालिक विदेश चला गया हो तो मालिक की अनुपस्थिति में वह दास उसके कारोबार सम्बन्धी लेन–देन में पारिवारिक प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी निभा सकता था जिसे विदेश से वापस लौटकर आने पर वह मालिक रद्द घोषित नहीं कर सकता। लेकिन अन्यत्र एक स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकृत करते हुए लिखा है कि वास्तविक स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गयी बिक्री अमान्य घोषित कर दी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मनु ने दासों की मुक्ति की भी बात की होगी क्योंकि वह शूद्रों को दासता से मुक्ति प्राप्ति के पश्चात् भी दासता में ही पड़े रहने की बात करता है। यद्यपि अलग से मनु ने दास मुक्ति के विधान नहीं बनाये हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ यह भी कहता है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज को लोभवश दास बना ले तो उसे तत्काल मुक्त कर देना चाहिए अन्यथा राज्य की ओर से उसे 600 पण का दण्ड का भागी बनना पड़ेगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनु के काल में भी दासता से मुक्ति की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य रही होगी। इस प्रकार दासों को सम्पत्ति का अधिकार, उनको मुक्ति की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्था, गवाही जैसे विधिक कृत्य, दण्ड में पुत्रों की तरह की दण्ड विधान यदि एक ओर दास के प्रति उदार दृष्टिकोण का परिचायक है, तो दूसरी ओर शूद्र दासता के प्रति मनु का दृष्टिकोण अत्यन्त कठोर एवं एकांगी दिखायी पड़ता है।

वस्तुतः मनु के उपर्युक्त दासता विषयक कोई ठोस निष्कर्ष तो नहीं प्रदान करते लेकिन जो भी अवधारणाएँ इससे निकाली जा सकती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनु के न चाहते हुए भी तत्कालीन सामाजार्थिक परिस्थितियों का ऐसा दबाव उनके ऊपर था जिनसे वे छुटकारा नहीं पा सकते थे। सम्भवतः यही कारण है कि एक तरफ तो वे दासों की मुक्ति को अलग से कोई व्यवस्था नहीं देते और दूसरी ओर द्विजों को दास बनाने के वे घोर विरोधी है। मनु के पूर्व कौटिल्य ने दासों को मुक्ति को अनेक व्यवस्था दी है लेकिन मनु ने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है कि कौटिल्य द्वारा दासों की मुक्ति का विधान प्रस्तुत कर देने के कारण दास मुक्ति एक प्रचलित रिवाज बन गयी होगी। प्रचलित रिवाजों के समक्ष धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाएं, यदि वे उनके विरुद्ध जाता है। तो, स्वतः निरस्त समझी जाती है। अतः मनु ने यदि इस प्रचलित रिवाज के विरुद्ध नियम प्रदान किये होते तो उनका अनुपालन नहीं होता और यदि उनका मनु अनुमोदन करते तो वह अनावश्यक था और सम्भवतः वह मनुसुलभ वैदिक कट्टरता के विपरीत भी होती। दास मुक्ति पर मनु के मौन का शायद यही कारण रहा होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनु की दासता विषयक उपर्युक्त अवधारणा देश एवं काल की सापेक्षता में बदलती रही, तभी तो वे किसी को दासता की नैसर्गिकता की चादर से ढंकने की कोशिश करते हैं, और किसी को न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग बनाकर उससे लेन–देन जैसे आर्थिक कृत्यों के सम्पादन की भी बात दबे मन से स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। इससे ऐसा लगता है कि मनुकालीन भारतीय दासता कौटिल्ययुग दासता की अवधारणा के ही अनुरूप थी। मनु की परिस्थिति जन्य विवशता तथा दृष्टितार्थक एवं अदृष्टतार्थक के विभेद आदि ने उसे उस रूप में मुखरित नहीं होने दिया। मनु के काल में प्राप्त दासता राज्य एवं समाज का कोई आवश्यक अंग नहीं प्रतीत होती जैसा कि इसके पूर्व कौटिल्य की दासता विषयक अवधारणा में भी स्पष्टतया परिलक्षित होती है। मनु

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहे जितना अधिक वैदिक कट्टरता से युक्त क्यों न दिखायी पड़ते हो लेकिन वे दासता के औचित्य का अनुमोदन करते हुए भी नहीं प्रतीत होते।

मनु के बाद भारतीय विचारकों में याज्ञवल्क्य एवं नारद का नामोल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने अपनी कृतियों में दासता विषयक विवरण भी प्रस्तुत किया है। याज्ञवल्क्य ने आधारकाण्ड में दासों के साथ विवाद न करके किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को तीनों लोकों को प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया है। यहीं पर याज्ञवल्क्य दासों के साथ–साथ माता, पिता, अतिथि, भाई, सुहागिन स्त्री, सम्बन्धी मामा, वृद्ध बालक, रोगी, आचार्य, वैद्य, आश्रित जन, बान्धव, ऋत्विज, पुरोहित, पुत्रवध और सहोदर भाईयों का उल्लेख करते हैं। यही नहीं, याज्ञवल्क्य ने दासों यहाँ तक कि शूद्र दासों के अन्न को भोज्यान्न के रूप में मान्यता प्रदान की है। दास उस समय पारिवारिक सदस्य की तरह होता था। यद्यपि एकाध स्थलों पर याज्ञवल्क्य ने भी मनु का अनुकरण करते हुये श्राद्ध में भूमि पर गिरे हुये अन्न को दासों के खाने योग्य बताया है लेकिन सामान्यतया दासों के प्रति याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण अमानवीय नहीं था बल्कि एक उदार दृष्टिकोण ही परिलक्षित होता है।

याज्ञवल्क्य ने वर्णानुक्रम के अनुरुप ही दासता को स्वीकृति प्रदान की है अर्थात् कोई भी ब्राह्मण दास नहीं बनाया जा सकता। क्षत्रिय केवल ब्राह्मण का ही दास हो सकता है। वैश्य केवल क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों की दासता में आबद्ध किया जा सकता है और शूद्रों के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था। दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य ने सम्भवतः पहली बार ब्राह्मण को दासता में आबद्ध करने की बात भी एक स्थल पर किया है। उनके अनुसार संयास पतित ब्राह्मण को राजा के दास के रूप में डाल देना चाहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य दासों के प्रति अधिक उदार दिखायी पड़ते हैं। याज्ञवल्क्य ने दासों के मुक्ति का भी विधान किया है। जब कोई दास अपने मालिक के प्राण किसी घोर विपत्ति अथवा आसन्न हमले से बचा लेता था तो उसे मुक्ति प्राप्त कर देने की बात याज्ञवल्क्य ने की है।

याज्ञवल्क्य की ही तरह नारद ने भी दासों की मुक्ति की बात की है जबकि यह वह मालिक था जब दासों की कोटियाँ 15 तक पहुँच गयी थी। नारद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्मृति में 15 प्रकार के दासों की चर्चा है जिसमें युद्ध प्राप्त, भक्तदास, ग्रहजात, क्रीत, लब्ध, दायाद्रुपागत, ऋणदास, आहितक, आत्मविक्रेता पणजित, प्रवज्यावसित, अनाकालभृत, वडवाहृत तथा कृतदास सम्मिलित हैं। जहाँ याज्ञवल्क्य जोर जबरदस्ती से दासता में ढकेलने को एक ऐसा गम्भीर अपराध मानते हैं कि यह अपराध सोने की चोरी के समान है वहीं नारद दासों के अपहरण पर उस व्यक्ति के आधे पैर कट लेने की बात करते हैं।

इस प्रकार इन स्मृतियों दासियों को सुरक्षा प्रदान करने की भावना अत्यन्त प्रबल थी। याज्ञवल्क्य किसी दासी के गर्भ में पलने वाले भ्रूण की हत्या पर उस व्यक्ति को 100 पण के दण्ड का भागी बताते हैं और ऐसी स्त्रियों पर अतिक्रमण करने पर कतिपय अन्य दण्डों की भी व्यवस्था याज्ञवल्क्य ने दी है, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने दासों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर नारद के लिए उसे सहज बना दिया तभी तो इतनी अधिक दास–कोटियों के बावजूद दासों के मुक्ति को परम्परागत चली आ रही व्यवस्था में कोई अवरोध नहीं खड़ा करता बल्कि उनका अनुमोदन ही करता है।

याज्ञवल्क्य एवं नारद की उपर्युक्त व्यवस्था में कात्यायन ने एक छूट का समावेश और कर दिया कि यदि कोई ब्राह्मण किसी का दास होना चाहता है तो यह केवल ब्राह्मण का ही दास हो सकता है और उस पर भी किसी चरित्रवान एवं वैदिक ब्राह्मण का हो तथा किसी पवित्र कार्य के लिए ही दास बन सकता है। कात्यायन का यह विवरण निश्चितया मनु के उस विवरण से पूर्णतया अलग एवं उसके विपरीत है जिसमें मनु ने किसी भी ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में दासत्व में न डालने की व्यवस्था दी है। यही नहीं, सम्भवतः याज्ञवल्क्य की उस व्यवस्था में, जिसमें संन्यासपतित ब्राह्मण को राजा का दास बना देना चाहिए, कात्यायन ने सम्भवतः यह छूट प्रदान कर दी होगी। अथवा एक कदम और आगे बढ़ गये होंगे। ये स्थितियाँ एक सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत देती है क्योंकि जो द्विज किसी भी दशा में पहले दास नहीं बनाया जा सकता था उसे अब दास बनाने की बात मिलने लगी। ऐसा लगता है कि कात्यायन के काल तक आते–आते दासता से मुक्ति का विधान ज्यादा प्रचलित हो गया था तभी तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्राह्मणों को भी दासता में फंस् जाने से कोई विशेष खतरा नहीं दिखायी पड़ रहा था क्योंकि दास जीवन से मुक्ति तो मिल ही जाती थी। अर्थात् भारतीय सन्दर्भ में किसी नैसर्गिक दासता का यह पूर्ण निषेध प्रस्तुत करती है।

कात्यायन के पश्चात् दासता को अवधारणा देवण्णभट्ट की स्मृति चन्द्रिका में और अधिक स्पष्ट होती दिखायी पड़ती है। स्मृति चन्द्रिका के व्यवहार काण्ड में दास निरूपण पर बहुत अधिक विस्तार से लिखा गया है। किसी विप्र को दास न बनाने की सलाह स्मृतिकार ने दी है, और उत्तम वर्ण के व्यक्ति को दास बनाने पर उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था भी की गयी है। स्मृति चन्द्रिका दास जीवन से मुक्ति का विधान भी प्रस्तुत करती है जिसमें दास एवं दासी दोनों के लिए तरह–तरह के विधान बताए गए हैं। यदि कोई दास अपने स्वामी की जान किसी घोर संकट से बचा लेता है तो ऐसे दास को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यदि स्वामी ने किसी दासी के गर्भ से सन्तान उत्पन्न कर दी तो दासी समेत उस सन्तान को मुक्त कर देने की व्यवस्था भी दी गयी। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि स्मृतियों में ऐसी व्यवस्थाएं एक ऐसे युग में दी जा रही थीं जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में युद्धों की बहुलता एवं भयावहता से दासों को संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही थी। यही नहीं भारत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दासों का व्यापार भी किया जा रहा था जिससे दासों की संख्या में अभिवृद्धि हो रही थी। यह स्थिति कात्यायन के बाद बहुत अधिक दिखायी पड़ती है क्योंकि समराइच्छकहा, कथासरितसागर उपमितिभव प्रपंचाकथा, लेखपद्धति तथा लिखनावली आदि अनेक ग्रन्थों में दासों के व्यापार के प्रमाण उपलब्ध हैं। अतः भारत में एक ओर तो दास मुक्ति के लिए तरह–तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही थीं और दूसरी तरफ दास व्यापार में अतिशय वृद्धि हो रही थी। ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र के काल से लेकर गुप्तकाल तक दासों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही लक्षण दिखायी पड़ते हैं कि, एक तरफ तो दासता समाज एवं राज्य का आवश्यक अंग कभी भी नहीं बनी लेकिन दूसरी तरफ परिस्थिति जन्य दासता सदैव वृद्धि की ओर अग्रसर रही।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रथम अध्याय

वैदिक काल में स्त्री दासों का स्वरूप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रथम अध्याय

वैदिक काल में स्त्री दासों का स्वरूप

विश्व वांगमय में प्राचीनतम साहित्य होने का गौरव वेदों को ही प्राप्त है, इस विचार पर सभी विद्वान् एकमत हैं। आर्यों ने सर्वाधिक श्रद्धेय, प्रामाणिक, प्रमुख धर्मग्रन्थ वेदों को ही माना जाता है। यह कहना चाहिये कि भारतीय धर्म, भाषा, संस्कृति–सभ्यता तथा समाज का भव्य प्रासाद वेदों पर ही विनिर्मित हुआ है। वेदों के प्रति आर्यों हिन्दुओं की आस्था एवं श्रद्धा आदिकाल से अक्षुण्ण रूप में चली आ रही है। प्राचीन भारतीय साहित्य–संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, दर्शनों, वेदांगों, स्मृतियों, काव्यों आदि में वेदों की महिमा का वर्णन, उनके गौरव का गुणगान अवश्य ही मिलता है। यद्यपि भारतवर्ष में पर्याप्त काल से धर्म, दर्शन, आचार, ईश्वरोपासना आदि के सम्बन्ध में विभिन्न मत–मतान्तर प्रचलित रहते रहे, किन्तु उन सभी ने अपने मत का आधार वेदों को ही घोषित किया और अपने मत या सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये वेद मन्त्रों को आधार बनाया। आज भी वेदों के प्रति यही आस्था, श्रद्धा गावना विद्यमान है। धार्मिक पर्वो, सामाजिक समारोहों, मांगलिक अवसरों पर आज भी आर्यों हिन्दुओं के घरों में वेद मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है।

मानव मात्र, चार आश्रमों की अवधि को पूर्ण करता हुआ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरूषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति के द्वारा किस प्रकार जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इसके साथक–नियमों का स्रोत वेद ही हैं वेदों में अभ्युदय का जैसा अनूठा राजमार्ग बताया गया है, ऐसा संसार के किसी साहित्य में नहीं। यदि आत्म–संस्कृति मनुष्य जीवन का आवश्यकतम् ध्येय है, तो यह भी निश्चित है कि वेदों में प्रतिपादित ज्ञान की मनुष्य को सदा–सर्वदा आवश्यकयता रहेगी। समाज और राष्ट्र स्वधर्म में स्थित रहकर किस प्रकार सामूहिक लोक कल्याण की सिद्धि कर सकते हैं, जिससे स्वहित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और परहित, दोनों का अविरोध समन्वय किया जा सके, इस शिक्षा के लिये वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। आर्य संस्कृति के दृष्टिकोण के अनुसार वेद किसी युगविशेष का जड़ीभूत साहित्य नहीं है, अपितु मनुष्य के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से नित्यप्रति सम्बन्ध रखने वाला, सदा प्रवाही स्रोत है उसकी निर्मलधारा हमारे विचार व्यवहार के क्षेत्र को अद्यावधि सिंचित करती रही है।

समस्त वैदिक साहित्य वेदों पर ही आधारित है। उसमें वेदमन्त्रों के व्याख्यान के साथ–साथ मौलिक ज्ञान का भी समावेश है। वेदों में वर्णित अध्यात्म तथा दार्शनिक तत्वों के आधार पर विभिन्न उपनिषदों एवं दर्शनों की सृष्टि हुई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि सभी विद्याएं वेदों को समझने और उनके रहस्यों को सुलझाने के दृष्टिकोण से आविष्कृत हुई। महाभाष्यकार पतंजलि ने तो व्याकरण अध्ययन के प्रयोजनों की गणना करते हुये स्पष्ट ही कहा है कि "रक्षार्थ वेदानामध्येय व्याकरणम्" अर्थात् वेदों की रक्षा करने के लिये व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिये। चाहे वह अध्यात्म ज्ञान है अथवा दार्शनिक ज्ञान, राजनीतिशास्त्र है अथवा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र है अथवा नाट्यशास्त्र, आयुर्वेद है अथवा गणित का व्यावहारिक ज्ञान है। भाष्यकारों का मत है। इसी कारण मनु ने अपनी स्मृति में कहा है – "सर्वज्ञानमयो हि सः' अखिल वेद समस्त ज्ञान से युक्त हैं[1] एवं अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रामिति स्थितिः।[2]

वेद शास्त्र पुरुषों द्वारा रचना करने के सामर्थ्य से बाहर एवं अनन्त ज्ञान से युक्त है, ऐसी निश्चित मान्यता है। यही कारण है कि भारत में चाहे किसी भी ज्ञान–विज्ञान का कोई ग्रन्थ निर्मित हुआ, प्रत्येक ऋषि ने अपने ज्ञान का स्रोत वेद को घोषित किया। विमान विद्या के वैज्ञानिक ग्रन्थ वृहद विमान शास्त्र के प्रारम्भ में कहा है कि महर्षि भारद्वाज ने वेदरूपी ज्ञान–समुद्र का मन्थन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करके–. इस यन्त्रसर्वस्व नामक ग्रन्थ की रचना की है, जो वेदों से प्राप्त नवनीत के समान है।

वैदिक साहित्य के अनुसार, अर्थज्ञान का गाम्भीर्य होने के कारण, वेद ज्ञान के भण्डार हैं, चिन्तन से निःस्यूत ज्ञान के अनन्त स्रोत हैं, इसी कारण ब्राह्मण ग्रन्थों ने यह घोषणा की श्री अनन्ता वे वेदाः वेदों में निहित ज्ञान अनन्त है और उपनिषदों ने उसका समर्थन करते हुये उस ज्ञान को सत्यज्ञान घोषित किया था यद्वेदेष्वभिहितं तत्सत्यम् जो वेदों में उक्त है, वह सब सत्य है। वैदिक अर्थगाम्भीर्य के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालने वाली एक कथा तैतिरीय ब्राह्मण में आती है। ऋषि भरद्वाज ने तीन आयुपर्यन्त ब्रह्मचर्य पालनपूर्वक तप किया। तपस्या करते करते मरद्वाज वृद्ध और जीर्णवस्था को प्राप्त हो चुका था। एक दिन इन्द्र ने उसके सम्मुख उपस्थित होकर कहा भरदाज यदि तुम्हे मैं चौथी आयु भी प्रदान कर दूं तो तुम उसमें क्या करोगे? भरद्वाज से उत्तर दिया उस आयु में भी में तप करता हुआ वेदों का स्वाध्याय करूंगा।

ऋषियों ने वेदों को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान मानकर उसे आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण के अन्तर्गत स्वीकार किया है। वेदों का ज्ञान स्वतः प्रमाण हैं जैसे सूर्य स्वतः प्रकाशक है, उसी प्रकार वेदज्ञान को प्रमाण के लिये किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान आदि प्रमाणों के आधार पर जिन मोक्ष आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म आदि गम्भीर बातों का ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं, उनका ज्ञान और निश्चय वेदों के द्वारा प्राप्त किया जाता है निम्न श्लोक में यही मान्यता है।

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ।।

लौकिक संस्कृत साहित्य में वेदों को सभी विद्याओं का आदि स्रोत और प्रकाशक घोषित किया और उनको ईश्वरकृत एवं अपौरूषेय ज्ञान की गरिमा से मण्डित किया। प्रमुख स्मृतिकार एवं धर्मोपदेष्टा महर्षि मनु ने अपनी स्मृति में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वेदों के प्रति अपार श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए वेदों को अपौरुषेय, अचिन्त्य, मोक्षदायक, धर्म का मूल स्रोत, धर्माधर्म का निर्णायक माना गया है।

वैदिक धर्म विशेष रूप से प्रकृति आधारित धर्म रहा था, जिनकी उपासना वैदिक लोग मंत्र और यज्ञ के माध्यम से करते थे। प्रारम्भ में वैदिक उपासना की विधि सरल और सभी लोगों के लिए सुगम थी अर्थात सभी लोग स्वयं से उपासना कर सकते थे। किन्तु वर्ण व्यवस्था के पश्चात् यज्ञ और उपासना करवाने का एकाधिकार ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त हो गया। फिर उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और उपासना की विधि काफी जटिल हो गई जिसमें समय के साथ और जटिलता आती गई जिसके कारण छवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक यज्ञ पूरी तरह कर्मकाण्डी और व्ययसाध्य हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा या धनी लोग ही वैदिक यज्ञ करवाने में सक्षम थे। इन कर्मकाण्ड युक्त यज्ञ और बलि की गौतम बुद्ध ने निन्दा की तथा जीओ और जीने दो का मूल मंत्र दिया। वैदिक साहित्य में मूर्तिपूजा का परिचय नहीं मिलता है जबकि वैदिक सभ्यता के पूर्व विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिपूजा का आभास मिलता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हवनकुण्ड, पशुपति मूर्ति एवं अन्य मृण्मूर्तियों को देखा जा सकता है। वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जाता है – पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का आधार ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य तीन वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद् आदि को माना जाता हैं। ऋग्वैदिक धर्म में प्रकृति को विशेष महत्व प्राप्त था। इस समय के सभी देवी–देवताओं का सम्बन्ध किसी न किसी प्राकृतिक क्रिया से किया जाता था। ऋग्वैदिक देवी–देवता को प्राकृतिक क्रियाओं का संचालक मानकर ऋग्वैदिक लोग उनकी पूजा एवं उपासना करते थे। ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से पशपालन एवं कृषि आधारित समाज था और इस समय की कृषि पूर्णरूपेण प्रकृति पर निर्भर थी। ऋग्वैदिक लोग अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा उसे प्राकृतिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विपदाओं से बचाने के लिए ऋग्वैदिक देवताओं की आराधना मंत्रोच्चारण एवं यज्ञ के माध्यम से किया करते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में यज्ञ आधारित धार्मिक क्रिया कलापों को और अधिक महत्व प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ को सर्वोच्च लौकिक शक्ति मानते थे जिसके माध्यम से सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती थी। इस काल में यज्ञ धार्मिक क्रिया के साथ ही साथ राजनैतिक सर्वोच्चता को भी प्रमाणित करने का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया था। सर्वोच्चता प्राप्ति हेतु राजा अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञ जैसे यज्ञ करवाने लगे। इन यज्ञों में बड़ी संख्या में पषुओं की बलि दी जाती थी जिसका आगे गौतम बुद्ध ने तीव्र विरोध किया। उत्तर वैदिक युग में यज्ञ क्रियाओं में एक तरफ जटिलता बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ स्वतंत्र चिन्तन–मनन की एक परम्परा प्रारम्भ हो जाती है। इस स्वतंत्र चिन्तन–मनन की परम्परा का आभास हमें आरण्यक एवं उपनिषद् ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। आरण्यक एवं उपनिषद् ग्रंथों की रचना वन में रहने वाले ऋषि–मुनियों ने किया था जैसा कि इनके नामों से आभास होता है। आरण्यक अर्थात जंगल तथा उपनिषद् अर्थात किसी के पास बैठना। उपनिषद अर्थात वह ज्ञान जो किसी विश्वसनीय व्यक्ति (गुरु) के सान्निध्य से प्राप्त किया जाता था। उपनिषद को ही वेदान्त अर्थात वेदों का अन्तिम भाग भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में ऋषि–मुनियों को माना गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त जंगल/वन में रहकर साधना करते थे। ये प्रकृति, जीव, ईश्वर, मानव जीवन आदि जैसे विषयों के दार्शनिक और व्यावहारिक पक्षों पर लगातार चिन्तन–मनन कर रहे थे। उनके विचारों का उपनिषदों में काफी विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। उपनषिदकालीन कुछ ऋषि–मुनियों ने यज्ञ सम्बन्धीय कर्मकाण्ड और पशुबलि की आलोचना की है। उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान मार्गों का है, जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बताता है। मोक्ष के लिए पहला साधन ज्ञान अर्थात विद्या को माना गया है। विद्या दो प्रकार की होती है, परा और अपरा। परा विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। इसी परा विद्या का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिपादन उपनिषद् ग्रंथों में मिलता है। परा विद्या को जानने वाला व्यक्ति प्रकृति, ईश्वर, जीवन, परमात्मा और जगत के अन्तःसम्बन्धों को सुगमतापूर्वक समझ जाता है और स्वयं को राग, द्वेष से मुक्त रखकर मोक्ष प्राप्त कर सकता था। लेकिन उपनिषदों का यह ज्ञानमार्गी वर्ग समाज में कर्मकाण्डी वर्ग की तुलना में नगण्य था जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक कर्मकाण्ड, अन्धविश्वास और असमानता बढ़ती ही गई। इन्हीं सबका का विरोध गौतम बुद्ध सहित छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व किया था जिनमें कुछ प्रमुख आचार्यों के दर्शन का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। इन सभी आचार्यों के विचार तत्कालीन भारतीय समाज की धार्मिक स्थिति को समझने में काफी मदद करते हैं। भारतीय दर्शन परम्परा के अनुसार भारत में दो प्रकार की दार्शनिक परम्परा का प्रचलन था–पहला आस्तिक जो वेद पर विश्वास करता था, दूसरा नास्तिक जो वेदों पर विश्वास नहीं करता था। वेदों को न मानने वालों को श्रमण/परिव्राजक भी कहा जाता था।

वैदिक काल में दास स्त्रियों के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन मिलते है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से सर्वप्रथम हमें दास स्त्रियों के विषय में जानकारियां मिलती है। इसके अनुसार ऋग्वेद काल में दो वर्गों का उल्लेख मिलता है। एक तो आर्य एवं दुसरा दास अथवा दस्यु । सर्व प्रथम दस्यु शब्द का उपयोग आर्यो ने किया था। अर्थात् दस्यु उन आर्योत्तर जातियों के लिए किया गया था जिन पर आर्यो ने युद्ध के परिणाम स्वरूप विजय प्राप्त की थी।

वैदिक ग्रन्थों में दासों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलते हैं। सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से दासों के विषय में सूचना मिलती है। जिसमें दो वर्गों का उल्लेख मिलता है, एक आर्य और दूसरा दास अथवा दस्यु। दस्यु का प्रयोग उन आर्येत्तर जातियों के लिए किया गया जिन पर आर्यों ने युद्ध के परिणामस्वरूप विजय प्राप्त की। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र द्वारा दासों के उन्मूलन के उल्लेख मिलता है।'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

षतं मे गर्दभानां षातमूर्णावतीनाम्। षतं दासा अति स्त्रजः।[3]

स षर्धदर्यो विष्णुस्य जन्तोर्मा षिष्नदेवा गुर्त्रृतं नः।[4]

स वाजं दातापदुष्पदा यन्तस्वर्षाता परिपदसष्नियन्।

अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो ध्वञ्छिनदेवां अभिवर्पसां भूत।।[5]

इस प्रकार युद्ध के परिणामस्वरूप दास–प्रथा का उद्भव हुआ। ये दास अथवा दस्यु त्वचा के रंग, पूजाविधि, भाषा तथा शारीरिक लक्षणों आदि सभी दृष्टियों से आर्यों से पूर्णतः भिन्न थे। यही कारण है कि ऋग्वेद में इनको मुधवाचः (उग्र या कटु वाणी बोलने वाले), अकर्मन (कर्महीन), अन्यव्रत (अवैदिक धर्म और व्रत को मानने वाले), अदेवयु (देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले), अब्रह्मन (वेदों को न मानने वाले), अयज्वन (यज्ञ न करने वाले), अव्रत (वैदिक व्रतों को न मानने वाले), देवपीयु (वैदिक देवताओं के निन्दक), शिश्नेदेवाः (लिंग पूजक), अनासः (चपटी नाक वाले), वृशसिप्र (मोटे होठ वाले), कृष्णयोनि (श्याम वर्ण), अमन्तु और अमानुष आदि कहा गया है। यह उल्लेख आर्यों से न केवल वर्ण के आधार पर ही पृथक करता है अपितु उन्हें रंग, कर्म, पूजा–पद्धति आदि के आधार पर भी पृथक करता है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि लौह, दुर्ग में सुरक्षित हरने वाले अनार्यों को आर्यों ने पराजित करके वनों, पहाड़ों और दुर्गम स्थानों में खदेड़ दिया। उनमें से सैकड़ों युद्ध में बन्दी बनाये गये थे तथा जिन अनार्यों ने आर्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे दास के रूप में आर्यों की सेवा करने लगे। ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि इन्द्र ने दासों को नीचे गुहा में स्थापित किया।[6] इस प्रकार का वर्णन अथर्ववेद में भी प्राप्त होता है–

येनेमा विश्वाच्चवना कृतानि यो दासं वर्ण मधुरं गुहाकः।[7]

दास को कृष्ण वर्ण का भी कहा गया है। ऋग्वेद में ही वर्णित है कि सोमदेव ने कृष्ण वर्ण का हनन किया है।[8] आर्य लोग अनार्य दासों को असुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ण का मानते थे।[9] आर्यों की ओर से अनार्यों अथवा दासों को पराजित करने वाले नायक का नाम इन्द्र था जिसने दस्युओं को मारकर आर्य वर्ण की रक्षा की थी। इन्द्र ने पुरन्दर के रूप में कृष्ण योनि दासों की सेनाओं का नाश किया था तथा युद्ध में उनका विनाश कर उनके पुरों को विनष्ट किया।[10] ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है कि 30 सहस्त्र दास माया से मूर्छित कर दिए गए।[11] एक मंत्र से ज्ञात होता है कि आयो और अनार्यों का भीषण संघर्ष हुआ था जिसमें आर्यों ने इन्द्र की स्तुति करते हुए अनार्यो के विनाश के लिए उनसे प्रार्थना की थी।[12] उपर्युक्त उद्धरण से विदित होता है कि आर्यों से अनार्य पूर्णतः पृथक थे। उनकं संस्कार भी भिन्न थे। ऐसी स्थिति में आर्यों का अनार्यों से भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अनार्यों की पराजय हुई। यही पराजित और बन्दी अनार्य तत्कालीन समाज में दास के रूप में स्वीकार किए गए ऋग्वेद में ही एक स्थल पर पुरुकुत्स के पुत्र के त्रसदस्यु के द्वारा ऋषि को पचास युवतियाँ प्रदान किये जाने का उल्लेख है–?

अदान्मे पौरुकुत्स्यः पंचारातं त्रसदस्युर्वधूनाम् महिष्ठो अर्थ्यः सत्पति।[13]

यह उल्लेख सम्भवतः दास–दासियों को उपहार स्वरूप भेंट करने की प्रथा का ही द्योतक है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं के रचयिता ऋषि कक्शिवन का जन्म दासी से हुआ था। कवश–ऐलूष ऋषि भी दासी पुत्र थे, जिन्होंने अनेक ऋचाएं प्रणीत की थीं।[14]

आर्यों व उनके विजित शत्रुओं के रूप–रंग के साथ ही उनकी संस्कृतियों में स्वीकृत भेदों के कारण आर्यों ने इस सम्पूर्ण जाति को अपने से हीनतर मानते हुए सहजता से दासों के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से दास शब्द गुलाम के अर्थ का वाचक बन गया और आज भी इसी अर्थ को अभिव्यक्त करता है।" इस वर्ग में विजेताओं ने दासों के साथ–साथ उनकी स्त्रियों को भी दासी बना लिया क्योंकि युद्ध में उनके पतियों का वध हो जाने के कारण उन्हें स्वभावतः सेविकाओं के रूप में रख लिया जाता था। यही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कारण है कि ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं में उपकृत होने के कारण ऋषियों को राजाओं द्वारा बडी संख्या में दास एवं दासियों को दान देने का उल्लेख मिलता है। वास्तव में इन दास–दासियों पर उनके स्वामियों का पूर्ण स्वामित्व होता था, वे उन्हें बेच सकते थे, दान में दे सकते थे अथवा मुक्त कर सकते थे। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर इन्द्र द्वारा के उन्मूलन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से युद्ध के पश्चात् विजित एवं जीवित दास, दासियों का उद्भव हुआ। दास अथवा दस्यु का रंग रूप चहेरे की बनावट कद काठी आर्यों से भिन्न थी। यही कारण है कि ऋग्वेद में इनको मृधवाच उग्र या कटु वाणी बोलने वाले अकर्मन अर्थात् कर्महीन, अन्यव्रत अवैदिक धर्म और वर्त को मानने वाले, अदेवयु अर्थात् देवताओं में विश्वास नही रखने वाले देवपीयु अर्थात् वैदिक देवताओं के निंदक शिश्नेवा लिंग पूजक अनास अर्थात् चपटी नाक वाले बृशसिप्र मोटे होठ वाले कृष्ण योनि वाले अर्थात् श्याम वर्ण वाले काले मानव अमन्तु एवं अमानुष आदि कहा गया है। इस प्रकार आर्यों और उनके विजित शत्राओं के रूप रंग के साथ ही उनकी संस्कृतियों में स्वीकृतियों में स्वीकृत भेद के कारण आर्यों ने इस सम्पूर्ण जाति को अपने से हीनतर मानते हुए बडी ही सरलता के साथ उन्हे अर्थात् यहां के मूल निवासियों को दासियों के रूप में स्वीकार किया है। और उस समय से ही दास शब्द का शाब्दिक अर्थ गुलाम के अर्थ का वाचक बन गया था एवं वर्तमान में भी इस शब्द की अभिव्यक्ति होती है। एवं इस के अनुसार इस वर्ग ने पुरूषों के साथ–साथ उनकी स्त्रियों एवं बच्चों को भी दासी बना लिया था। क्योकि कुछ के पत्तियों को मार दिया गया एवं कुछ को दास बना लिया गया अर्थात् स्त्रियों को उनहोने अपनी दासियां बना ली उन्हे वे सेविका के नाम से भी संबोधित करते थे। जिसके प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलते है।

ऋग्वेद के अनुसार यत्र–तत्र बिखरी हुई अवस्था में ज्ञात होता है उसमें समाहित ऋचाओं में उपकृत होने कारण ऋषियों को राजाओं द्वारा बड़ी संक्ष्या में दास एवं दासियों को दान में देने के उल्लेख मिलते है। एवं इन दासियों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर इनके स्वामियों अर्थात् राजाओं, एवं अन्य. कुलीन वर्ग के लोगों का पूर्णतः स्वामित्व होता था। वो उनके साथ जो चाहे जैसा चाहे ऐसा व्यवहार करने में स्वतंत्र थे जैसे की वो आगे किसी अन्य व्यक्ति को उन्हे बेच सकते थे, अथवा दान दे सकते थे। या उन्हे मुक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रा भी उनके स्वामियों को थी परन्तु कोई भी दासी अपने मन से किसी प्रकार का भी आचरण करने में स्वतंत्र नही होती थी।[15]

ऋग्वेद में उल्लेख आता है। कि एक स्त्री इन्द्र देव से प्रार्थना करती है कि हे इन्द्र देव जैसे मै अपने घर परिवार में अपने भाईयों पिता एवं अन्य परिवार के समस्त सदस्यों के साथ संपत्ति का अधिकार रखती हू उसी प्रकार से वृद्ध अवस्था में अपनी संपत्ति की स्वमनी बनी रहू। इस साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि स्त्री पुरूषों की भाति सदैव संपत्ति में जीवन भर स्वामनी नही होती थी। इसीलिए वह अपने विवाहित जीवन एवं वृद्धा अवस्था के लिए चिंतित दिखाई प्रतित होती है, एवं यही कारण है कि वह इन्द्र देव से प्रार्थना कर रही है।[16]

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सो चौबिसवें सूक्त के सातवें श्लोक के अनुसार विवाहित कन्या धन प्राप्ति के लिए पृथक–पृथक समय में अपने पितृ के निवास स्थान पर आया करती थी। इस से स्त्रियों की दशा के विषय में आभास होता है कि तत्कालीन समाज में पुरूषों की भांति सदैव स्त्री सम्पत्ति की अधिकारी नहीं होती थी। एवं वह पितृ कुल एवं पति कुल दोनों की दया पर सदैव ही निर्भर एवं लाचर रहती थी। एवं धीरे–धीरे समय के साथ–साथ ही स्त्रियों को उसके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा अतः शनै–शनै स्त्रियों की ऐसी ही दशा के कारण वह आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, एवं सांस्कृतिक रूप से कमजोर होती चली गई। एवं जाने अनजाने में वह समाज एवं दास प्रथा की ओर खीची चली गई और यही कारण है कि स्त्रियों की दशा कमजोर एवं दयनीय होती चली गई।[17] इससे यह ज्ञात होता है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मानव में अन्य किसी व्यक्ति या स्त्री को सदैव ही अपने आधीन रखने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यदि हम संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों का अवलोकन भी करे तो दास प्रथा का प्रचलन सभी स्थानों पर देखने मिलता है कही ज्यादा तो कही कम जिसका उदहारण बेबोलोनिवा, समेरिया, सीरिया, मिश्र में भी दास प्रथा देखने को मिलती है। एवं भारत में भी इस दास प्रथा या दास स्त्री के विषय में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यत्र–तत्र अवस्था में हमें प्राचीन काल से दास प्रथा की जानकारियां मिलती है।

इसी संदर्भ में डा0 अरूण शर्मा लिखती है कि स्त्री समाज का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन भारतीय समाज एवं संस्कृति में नारी को देव रूपा शक्ति रूपा माना जाता रहा है। स्त्री पुत्री के रूप में भग्नी के रूप में पत्नी के रूप में ओर मातृत्व के रूप में सदा मानव का हित चिन्तन और पोषण करती रही है। इसीलिए स्त्री के लिए "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" का उद्घोष करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था थी। एवं वैदिक युग में स्त्री का स्थान अत्यन्त ही प्रतिष्ठित था। एवं सर्व सम्बन्धों में स्त्री सदैव ही पूजनीय रही है। एवं ऋग्वेद में स्त्री अपने पति के साथ सभी प्रकार के यज्ञ एवं धार्मिक कृत्य करने का धार्मिक एवं महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त था। एवं अतः समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त ही गौरवपूर्ण स्थान था।[18] सक्सेना प्रतिभा[19] के अनुसार वैदिक युग में स्त्री सुरक्षित नही बल्कि स्वरक्षित स्वंबलंबनी थी। एवं समाज की संरचयित्री पुरूष वर्ग के समान विविध अधिकारों व अपने गृहस्थ जीवन में अपने अधिकारों में सुसज्जित एवं अलंकृत थी। मंगोत्रा सुजाता[20] के अनुसार वैदिक कालीन स्त्रियां पठन पाठन एवं सामाजिक व्यवस्था आदि में निपूर्ण एवं संलग्न रहती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में धीरे–धीरे अन्तर एवं दयनीय स्थिति होती चली गई एवं सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, एवं सास्कृतिक स्थिति में उनका ह्रास होता चला गया एवं यही वह काल था जिसमें दास स्त्रियों की ही नही वरन समाज में समस्त स्त्रियों के सम्मान में तीव्रता के साथ ह्रास हुआ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी शवश्रवां भव।

ननान्दरी सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ।।

अर्थात् स्त्री के संदर्भ में इस श्लोक के अनुसार स्त्री सवसुर की दृष्टि में मात्र एक सामग्री है। एवं वेसे ही वह अपनी सास की दृष्टि में सामग्री है, एवं ननद एवं देवर की दृष्टि में वह मात्र एक सामग्री ही है। इससे यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल में स्त्री का यह रूप वेसे ही है जैसे की किसी एक सिक्के के दो पहलू की भांति है। एक ओर तो वैदिक युग में स्त्रियों का स्थान उच्च एवं सामाजिक दृष्टिकोण से अंति उत्तम बताया गया वही दुसरी और परिवार में पत्नी को सवसुर, सास, ननद, एवं देवर मात्र उसे एक वस्तु के समान ही मानते है। इस से दास स्त्रियों की दशा के विषय में आभास होता है। कि इस काल में दास स्त्री का स्वरूप घर में एक विवाहित महिला के रूप में था यह कहना अनुचित नही होगा। अतः दास स्त्रियों की दशा में स्पष्ट जानकारियां भले ही नही मिलती हो इस ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पच्चीसवें सूक्त के मंत्र संख्या छयालिस में दास स्त्रियों की उपस्थित की जानकारी अवश्य मिलती है। श्रीवास्तव पूजा[21] के अनुसार वैदिक मान्यताओं के अनुसारं नारी का स्थान आदरणीय था एवं नारी के बिना मानव जीवन अपूर्ण है एवं ऋग्वेद काल में पत्नी को गृहपानी अर्थात् गृहस्वामनी कहा गया है।

. "गृहं पत्नी यथासः"

अर्थात् गृहस्वामनी सम्पूर्ण घर की मालिक अर्थात् अपने अधिकारों के प्रति काफी निकट किन्तु धीरे–धीरे स्त्री की दशा दयनीय होती जा रही थी। जो दास स्त्री के रूप में कालंतर में जाकर परिवर्तित होती गई।[22]

वैदिक साहित्य समाज में स्त्रियों की महिमा तथा उसके लिए गुढ़ एवं साहित्यिक शब्दों से व्याख्या किया गया है। और बताया गया है कि स्त्री पुरूष की सहयोगिनी है। अतः उसे "योष' कहते है।[23] एवं भास्कराचार्य ने कन्या को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कामनीया भवति कहकर संबोधित किया गया है। एवं माता को देवतुल्य माना गया है। और माता को या अन्य स्त्री को अपमानित करने वाले की भर्त्सना की जाती थी।"[24] सत्यकेतु विद्यालंकार[25] के अनुसार स्त्रियों की दशा में वैदिक काल में शिक्षा समान रूप से दी जाती थी। एवं पठन पाठन का कार्य भी संताषजनक रूप से करती थी एवं पुरूषों की भांति ही स्त्रियां कदम से कदम मिलाकर हर कार्यकलाप में बराबर की भागीदारी रखती थी। ऐसी स्त्रियों में जैसे लोपा मुद्रा, विश्ववरा, सिकता, विस्मान, पुत्री, श्रद्धा, कामगोत्रीया, पुलोमा सूर्या, इन्द्राणी, अंगीरा आदि नामों का 'उल्लेख करते हैं।

वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋग्वेद में आर्यों और दासों के बीच संघर्ष का अनेक स्थलों पर उल्लेख है। जो अनार्य युद्ध में हार जाते थे उन्हें बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था। ये दास जीवन–भर आर्यों की सेवा करते थे ऋग्वेद के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि दासों को पशुओं की भाँति भेंट में दिया जाता था। राजा लोग दासियों को भी उपहार के रूप में देते थे। ऋग्वेदेद के पहले तथा दसवें मंडल में दास शब्द का प्रयोग परिचालक के अर्थ में हुआ है। विद्वानों का मत है कि ये दोनों मंडल बाद की रचनाएँ हैं। संभवतः इस काल में दास सभी शिल्पों में आर्यों की सहायता करते थे क्योंकि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय इस समय पशुपालन था और अनार्य पहले से ही शिल्पों में निपुण थे।

ऋग्वेदेद के बाद के वर्णनों से ज्ञात होता है कि इस काल के अंत में आर्यों के समाज में दासों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। संभवतः उन व्यक्तियों को भी दास बना लिया जाता था जो ऋण नहीं चुका पाते थे। आर्य–स्वामी दासों को अपनी संपत्ति समझ कर उन्हें चाहे जिसको दे देते थे। पुरुकुत्स ने 50 दासियों को इसी प्रकार दिया था। ये दासियां अधिकतर घर का काम करती थीं। दास राजाओं के अतिरिक्त संभवतः पुरोहितों और अभिजात–वर्ग के क्षत्रियों की सेवा करते थे। ऋग्वेदेद में कहीं ऐसा वर्णन नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि तत्कालीन अर्थव्यवस्था में दासों का प्रमुख भाग था। वे बड़ी संख्या में कृषि–उत्पादन में या अन्य उद्योगों में लगाए जाते थे इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अथर्ववर्ववेदेद के पूर्वांश से भी ज्ञात होता है कि दासों की अपेक्षा दासियों की संख्या अधिक थी और वे सदा घर का काम करती थी।

ब्राह्मण ग्रंथों में जिन आर्यों को शूद्र कहा गया है वे सभी दास न थे। संभवतः उनमें कुछ स्वतत्रं थे जैसे कि काठक संहिता शूद्र को अग्निहोत्र के लिए दूध दुहने का अधिकार नहीं देती किन्तु शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शूद्र सोमयज्ञ में भाग ले सकते थे। जिन शूद्रों के लिए यज्ञ की स्थापना की जाती थी वे दास नहीं हो सकते। किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में शूद्रों को यथा–काम वध्य अर्थात् इच्छानुसार पीटने योग्य कहा गया है। संभवतः यहां शूद्र से अभिप्राय उन आनार्यों से है जो आर्यों ने दास बना लिए गए थे। छांदोग्य उपनिषद में दासियों की गणना अन्य संपत्ति जैसे कि गाय, बैल, घोड़े, हाथी, सोना, खेत और मकानों आदि के साथ की गई है। वैदिक काल में दास धन देकर दासता से मुक्त हो सकता था। इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि उन्हें चाहे जब निकाला जा सकता था। वे सदा दूसरों की सेवा करते थे। उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार न था। प्रोफेसर कीथ का मत था कि उत्तर वैदिक काल में भूमि के स्वामी अधिकतर दासों से कृषि–कार्य कराते थे। किन्तु उपलब्ध साक्ष्य से उनके इस कथन की पुष्टि नहीं होती। उत्तर वैदिक काल में अधिकतर दास घर के कार्यों जैसे कि धान कूटना, चक्की पीसना, पानी भरना या यज्ञ के समय नौकर का काम करते थे।

ऐतरेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अंग के राजा ने आत्रेय पुरोहित को दस हजार दासियां दी थी। जो अनेक देशों से पकड़कर लाई गई थीं। ये दासियां निश्चय ही उन प्रदेशों के व्यक्तियों की स्त्रियाँ रही होंगी जिन्हें अंग के राजा ने जीता था। ये दासियां घर का काम करती थीं किन्तु कुछ धनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परिवारों में भोग की. वस्तु भी समझी जाती थीं। उत्तर काल के साहित्य में दासी–पुत्रों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दासी पुत्रों को समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार वैदिक काल में अधिक दास युद्ध बंदी थे किन्तु ऋग्वेद के अक्षः शूक्त (पांसा खेलने संबंधी) और बृहदारणयक उपनिषद में जनक के उदाहरण के आधार पर डा. घोषाल का मत है कि इस काल में भी कुछ व्यक्ति ऋण न चुका सकने और कुछ स्वेच्छा से दास हो जाते थे।

उत्तरवैदिक काल में आकर दासों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। यही कारण है कि इस काल के ग्रन्थों में ऋग्वेद की अपेक्षा कहीं बड़ी संख्या में दास–दासियों के दान का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार अंग के राजा ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अपने पुरोहित आत्रेय को दस हजार दासियों का दान दिया था।[26] यद्यपि यह संख्या अतिरंजित है किन्तु इससे इतना स्पष्ट होता है कि एक समय में जब राजा इतनी बड़ी संख्या में दासियों का दान दे सकता था तो यह प्रथा कितनी बलवती रही होगी। उपनिषदों में भी दास–दासियों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के पश्चात अपने आपको सम्पूर्ण प्रजा सहित उनके समक्ष दास के रूप में अर्पित कर दिया था।[27] इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में भी दासों का उल्लेख सुवर्ण, पशु तथा भूमि आदि सम्पदा के साथ किया गया है तथा इन्हें 'महिमा बताया गया है।"[28] इन कथनों से प्रमाणित होता है कि दास–दासियां उच्च वर्गों की सेवा में रत् रहती थी तथा उन्हे सेवा में रखना उच्चता का प्रतीक माना जाता था।

अर्थात् इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में दास स्त्रियों की संख्यां को अति तीव्रता के साथ बढाया गया एवं दास स्त्रियों की दशा में निरंतर गिरावट आती रही। अर्थात उत्तरवैदिक काल में दास स्त्रियों की दशा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और भी अधिक दयनीय होती चली गई। उपनिषदों में दास स्त्रियों के विषय में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलते है। ब्राहदरण्यक उपनिषद के अनुसार राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के उपरान्त अपने स्वयं को प्रजा का दास नियुक्त किया था। एवं छान्दोग्य उपनिषद के अनुसार दास स्त्री या दासों का उल्लेख सुवर्ण, पशु तथा भूमि आदि सम्पदा के साथ किया गया है। अर्थात् दास स्त्रियों की दशा अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में पहुच गई थी क्योंकि दासियां मात्र एक निर्जीव वस्तु की भांति मात्र एक सेविका या खिलौने की भांति मानव की कठपुतली की भांति थी। अर्थात् कुलीन वर्ग की सेवा करने के लिए ही मात्र दासियों का परमकृत्वय माना जाता था इसके अतिरिक्त ओर अन्य कुछ नही।[29]

वैदिक संहिताओं के अनेक स्थानों पर इन्द्र द्वारा दस्युओं और दासों को परास्त किये जाने के वर्णन मिलते है। ये दस्यु और दास सुदृढ़ पुरों अर्थात् नगरों के निवासी थे, एवं वह कुलीन वर्ग में आते थे। यहां यह तत्य उल्लेखनीय है कि वेदों के इन्ही वर्णनों के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को ही दास अथवा दस्यु के नाम जाना जाता था। आर्यों ने इन्हे परास्त कर हड़प्पा निवासियों पर अपना अधिपत्य बनाया था।[30]

अस्वानयद् दभीतये सहस्त्रा त्रिंशतं ।
दासानामिन्द्रो मायया ।।[31]

अर्थात् इस मत्र के अनुसार इन्द्र देव न अपनी माया शक्ति से तीस हजार दासों को मार गिरया था। जिस से यह ज्ञात होता है कि अन्य दासों या दास स्त्रियों में इन्द्र देव का भय और अधिक सुदृढ़ हुआ होगा।

"अहं दस्युभ्यः परिनृम्णा ददे गोत्रा शिक्षन् दधीचे मातरिश्वने।"[32]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थात् दधीचि और मातरिश्वा के लिए इन्द्र ने गोत्र गोव्रज या गोचर भूमि दस्युओं से जीत लिया।

"अरन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून"[33]

अर्थात् अनेक स्थानों पर इन्द्र को दस्योर्हन्ता दस्यु का घातक आदि कहा गया है। एवं दस्यु राजाओं या नेताओं के नामों का उल्लेख भी ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर आये है। एवं इन्द्र द्वारा जिन्हे परास्त करने उल्लेख भी बहुत से मंत्रों द्वारा वर्णन किया गया है। एवं वैदिक युग में दस्यु और दासों के घोर युद्ध हुए है। एवं उन्हे परास्त करके ही आर्य लोग अपने अस्तित्व को स्थापित करने में सक्षम हुए है।[34] दासों की स्थिति इस समय अति दयनीय परिस्थितियों में थी एवं उनके प्रति आर्यो का व्यवहार अत्यन्त ही कठोर था। अर्थात् आर्यों ने यहां के लोगों को अपना गुलाम बना लिया एवं दासों में भी दास स्त्रियों की दशा और भी अधिक चिंताजनक बनी हुई थी। उन पर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के रूप में हर तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता था[35]

वैदिक साहित्य में दासों की आपेक्षा दासियों के विषय में अधिक विवरण प्राप्त होते है। वैदिक शब्दकोश निघंटु में दासों के लिए नौकर शब्द का उपयोग नही हुआ है। अर्थात् नौकर अपने श्रम का महताना कम या ज्यादा रूप से लेता था किन्तु दास या दासियों को अपने द्वारा किये गये श्रम का कम से कम भी कुछ नही मिलता था। वह सदैव ही बेगार ही मात्र करते थे। उनसे कार्य करवाएं जाते थे। एवं अनेक प्रकार के युद्धों में मारे गये व्यक्तियों की महिलाओं या विजित क्षेत्रों की महिलाओं के उपर विजित करने वाले पक्ष का अधिकार होता था अतः वह उन्हे अपनी दासियां बना लेते थे। उन दासियों से वह हर प्रकार के कार्य करवाते थे। घर से लेकर कृषि कार्य तक ये दास स्त्रियां बैगार कार्य किया करती थी।[36]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैदिक साहित्य में भारी मात्रा में दान देने के उल्लेख भी आते है। पुरूकुत्स के पुत्र ने पच्चास हजार दासियां उपहार में थी।[37] एवं अश्वमेघ यज्ञ[38] तथा राज्य अभिषेक यज्ञ[39] में तत्कालीन समाज में उस समय कमशः चार सौ एवं दस हजार दास स्त्रियों को दान में देने के विवरण मिलते है। ऋग्वेदिक काल में दस स्त्रियों को घरेलु कार्यों से लेकर कृषि कम के कार्यो में संलग्न रखते थे जैसे ऋग्वेद के अनुसार वह पशुओं के लालन पालन में चारे की व्यवस्था से लेकर उनके गोबर मल मूत्र के साफ–सफाई का कार्य करती थी। एवं अर्थवेद में दास स्त्रियों को आनाज कुटने वाली एवं गीले हाथों वाली कहा गया है। एवं ऋग्वेद के अनुसार कई मंत्रों के रचियता दासी पुत्र थे।[40] और धन अत्याधिक होने से दास आर्य भी बन सकते थे।[41]

ऋग्वेद में 'वर्ण' शब्द का प्रयोग आर्य और दास के लिए हुआ है किंतु इससे किसी ऐसे श्रम–विभाजन का संकेत नहीं मिलता जो परवर्ती काल में समाज के व्यापक वर्गीकरण का आधार हुआ। आर्य वर्ण और दास वर्ण दो वृहद जनजातीय समूह थे जो सामाजिक वर्गों के रूप में विघटित हो रहे थे। आर्यों के संबंध में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के विस्तार के पहले दौर में बस्तियों और दस्युओं जैसे लोगों का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आर्यों के विलयन हेतु उत्तर–पश्चिमी भारत में बहुत कम ही लोग बचे रहे होंगे, हालाँकि बाद में उनके विस्तार के क्रमों में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी। एक ओर तो बचे हुए लोगों में से अधिकांश लोगों और विशेषतः अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लोगों को दासता स्वीकार करनी पड़ी होगी तथा दूसरी ओर आर्यों के समाज में 'विश्' की सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में विलयन करें। आर्य पुरोहितों और योद्धाओं की प्रवृत्ति प्राचीन समाज के उच्च वर्ग से मिल जाने की रही होगी। दो ऐसे प्रसंग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में आर्य के दुश्मनों को इस नए और मिश्रित समाज में ऊँचा दर्जा दिया गया था। एक स्थल पर कहा गया है कि इंद्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया।[42]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राचीन ग्रंथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नहीं डालते कि सामान्य आर्यजन (विश्) और प्राचीन समाज के अवशिष्ट लोगों का आत्मसातीकरण किस प्रकार हुआ। संभवतः अधिकांश लोग आर्यों के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए। किंतु पुरुष सूक्त को छोड़कर ऋग्वेद में शूद्र वर्ण का कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में दासियों का छोटा–सा आज्ञानुवर्ती समुदाय विद्यमान था। अनुमानतः आर्यों के जो शत्रु थे उनमें पुरुषों के मारे जाने पर उनकी पत्नियाँ दासता की स्थिति में पहुँच गई। कहा गया है कि पुरुकुत्स के बेटे त्रसदस्यु ने उपहार के रूप में पचास दासियाँ दी।[43] अथर्ववेद के आरंभिक अंशों में भी दासियों के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। उसमें दासी का जो चित्र उपस्थित किया गया है उसके अनुसार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल–मूसल कूटती थी तथा गाय के गोबर[44] पर पानी छिड़कती थी। इससे पता चलता है कि वह घरेलू कार्य करती थी। इस संहिता में काली दासी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।[45] संदर्भों से पता चलता है कि आरंभिक वैदिक समाज में दासियों से गृहकार्य कराया जाता था। दासी शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे पराजित दासों की स्त्रियाँ थीं। गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकांशतः ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पाया जाता है। प्रथम मंडल में दो जगह[46], दशम मंडल में एक जगह[47] और अष्टम मंडल में जो अतिरिक्त सूक्त (बालखिल्य) जोड़े गए हैं, उनमें एक जगह[48] इसका प्रसंग आया है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन प्रसंग आठवें मंडल में पाया जाता है[49] ऋग्वेद में कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता जिसका अर्थ दास लगाया जा सकता हो। इससे स्पष्ट है कि आरंभिक ऋग्वेद– काल में शायद ही पुरुष दास रहे होंगे। उत्तर वैदिक काल में दासों की संख्या और स्वरूप के बारे में जो प्रसंग आए हैं उनसे केवल धुँधला–सा चित्र उभरता है। बालखिल्य में सौ दासों की चर्चा आई है जिन्हें गदहे और भेड़ की कोटि में रखा गया है।[50] बाद के एक अन्य प्रसंग में आए 'दासप्रवर्ग' का अर्थ संपत्ति या दासों का समूह किया जा सकता है।[51] इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद– काल के अंत में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दासों की संख्या बढ़ रही थी। किंतु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि उन्हें किसी उत्पादन कार्य में लगाया जाता था। संभवतः उन्हे घरेलू नौकर की तरह रखा जाता था, जिसका मुख्य कार्य अपने मालिक की सेवा करना था, जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे। सामान्यतः ऐसे मालिक दीर्घतमस् के पास दास थे।[52] इन दासों को मुक्त रूप से किसी के हाथ सौंपा जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो उसे दास बना लिया जाता था पर ऋण में पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। वास्तव में 'दास' नाम से ही प्रकट होता है कि वैदिक काल में दासता का सबसे महत्वपूर्ा स्रोत युद्ध था। दास जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुकारे जाते थे, पर इससे उनकी गुलामी का बोध होता था।

ऋग्वेद के उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगा होगा, जिससे न केवल मूल भारोपीय दासों के वंशजों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आर्य पूर्व लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी बोध होता होगा, जो अपने आंतरिक संघर्षो के कारण अकिंचनता या गुलामी की स्थिति में पहुँच गए थे। 'दास' शब्द का उल्लेख ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मणों में हुआ है, किंतु गुलाम के अर्थ में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि निघंटु में चाकर का काम करने वालों (परिचरणकर्माणः) की जो सूची दी गई है, उसमें कहीं भी 'दास' का उल्लेख नहीं है, यद्यपि 'चाकर' शब्द के दस पर्याय दिए गए हैं। संभवतया दासों की संख्या इतनी कम थी कि उस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा। स्वभावतया शूद्रों के बड़े पैमाने पर गुलाम के रूप में नियोजित किए जाने की संभावना नहीं रह जाती। इसलिए कीथ का यह कथन वास्तविक स्थिति का संकेत नहीं देता कि किसान पहले स्वयं अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्मणकाल में उनकी जगह भूस्वामी लोग आ गए, जो गुलाम मजदूरों के सहारे अपनी गृहस्थी सँभालने लगे। ब्राह्मणकाल में कहीं भी इस प्रकार के भूखंडों के होने का प्रमाण नहीं मिलता है जिनकी खेती लोग अपने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घर के सदस्यों की सहायता से न कर पाएँ। अतएव उन्हें दासों अथवा कर्मकरों की आवश्यकता नहीं थी। यह स्थिति वैदिकोत्तर काल में उत्पन्न हुई। खेतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वप्रथम प्रसंग श्रौतसूत्र में आया है, जिसकी रचना वैदिक काल के अंत और बाद में हुई थी। इन सूत्रों में से एक से हमें यह जानकारी मिलती है कि अन्न, हल और पशुओं के साथ दो गुलाम भी दिए जाते थे, जिससे प्रतीत होता है कि गुलामों से हल जुतवाया जाता था और उनके मालिक उन्हे खुलेआम बेच सकते। कहा गया है कि वैदिक काल में शूद्र कृषि दास थे। कृषि दास (कम्मी) शब्द अपने मालिक की भूमि में काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। कृषि दास एक भूखंड का स्वामी होता था जिसके लिए वह अपने मालिक को कर चुकाता था, और उसके खेतों में काम करता था, पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे मालिकों के नाम अंतरित किया जा सकता।

समग्रतः कहा जा सकता है कि वैदिक काल में दास स्त्री का प्रचलन था एवं जिन्हे दान देन, क्रय, एवं विक्रय किया जाता था। एवं दास स्त्रियों को एक से अधिक बार दान देना एवं उसके बाद दान लेना वाला भी आगे किसी अन्य व्यक्ति को दान दे सकता था एवं ठीक इसी प्रकार से दास स्त्रियों को एक से अधिक बार क्रय विक्रय भी किया जाता था। और दास स्त्रियों को एक देश विदेशों में क्रय विक्रय किया जाता था। अतः दास स्त्रियों के संदर्भ में इस तत्कालीन समाज में इन की दशा के विषय में यह भी कहा जा सकता है, कि उनका मुख्य कार्य अपने सेवकों के घरेलु कार्यो, पशु–पालन एवं कृषि कर्यों में भी वह सदैव ही सहयोग करती थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संदर्भ सूची –

1. मनुस्मृति 2/7
2. वही, 12/64
3. ऋग्वेद, 8/56/3
4. वही, 7/21/5
5. वही, 10/99/3
6. वही, 2/12/4
7. अथर्ववेद, 20/34/4
8. ऋग्वेद, 4/16/13
9. वही, 9/71/2
10. वही, 3/34/9
11. वही, 4/30/21
12. वही, 10/22/8
13. वही, 8/19/36
14. वही, 10/3/4
15. मिश्र, श्याम मनोहर, प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन, इलाहाबाद, पूर्वोक्त, पृ० 14
16. ऋग्वेद 2/17/7
17. ऋग्वेद 1/124/7
18. शर्मा, अरुण, शोध पत्र, गुरुकुल शोध पत्रिका, 2007, प्राच्य विद्या संकाय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्याल हरिद्वार, पृ0, 392–393
19. सक्सेना, प्रतिभा, शोध पत्र, गुरूकुल शोध पत्रिका, 2007, प्राच्य विद्या संकाय गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्याल हरिद्वार, पृ0, 295
20. मंगोत्रा, सुजाता, शोध पत्र, गुरूकुल शोध पत्रिका, 2007, प्राच्य विद्या संकाय गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्याल हरिद्वार, पृ0, 296

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

21. श्रीवास्तव, पूजा, अप्रकाशित शोध पत्र, गुरूकुल शोध पत्रिका, 2007, प्राच्य विद्या संकाय गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्याल हरिद्वार, पृ0, 298
22. निरूक्त– 3/51/1
23. निरूक्त– 412
24. छान्दोग्य उपनिषद 7/15/2
25. विद्यालंकार सत्यकेतु, प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग, पृ0, 216
26. ऐतरेय ब्राह्मण, 13/22, 'देशाद्–देशात् समोहलानां सर्वासाम् आद्यदुहितुणाम्, दशाददात् सहस्राणि आत्रेयो निष्कण्ठयः।'
27. बृहदारण्यक उपनिषद, 4/4/23 'सोऽहं भगवते विदेहान् ददामि मां चापि सह दास्येति।
28. छान्दोग्य उपनिषद, 7/24/2
29. विद्यालंकार सत्यकेतु, पूर्वोक्त, पृ0, 14
30. वही, पृ0, 108
31. ऋग्वेद, 2/13/19
32. वही, 10/48/2
33. वही, 6/23/2
34. विद्यालंकार सत्यकेतु, पूर्वोक्त, पृ0, 110
35. वही, पृ0, 111
36. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, पृ0, 18
37. ऋग्वेद, 8/19/36
38. ऐतरेय ब्राह्मण, 8/12
39. वही, 39/8
40. मिश्र, श्याम मनोहर, पूर्वोक्त, पृ0.18
41. ऋग्वेद, 6/22/10
42. ऋग्वेद 6/22/1
43. ऋग्वेद, 8/19/36

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

44. अथर्ववेद, 12/4/9
45. अथर्ववेद, 5/13/8
46. ऋग्वेद, 1/92/8
47. वही 10/62/10
48. वही, 8/56/3
49. वही, 7/86/7
50. वही, 8/56/3, षर्त में गर्दभाआं षतमूर्णावतीनां, शतं दासा अतिस्रज'
51. वही, 1/92/8
52. वही, 1/158/5–6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीय अध्याय

महाजनपद काल में स्त्री दासों का स्वरूप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

द्वितीय अध्याय
महाजनपद काल में स्त्री दासों का स्वरूप

प्राचीन वैदिक समाज में यज्ञ ही वैदिक आर्यों का प्रधान धार्मिक कृत्य था। यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना भी यज्ञीय विधि–विधानों के विवेचन के उद्देश्य से की गई थी किन्तु अपने विषय विवेचन में ये ग्रन्थ इतने अधिक विस्तृत, जटिल तथा व्यय साध्य हो गये कि इनके स्वरूप को संक्षिप्त, व्यवस्थित तथा व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्प वेदांग की रचना हुई। सायण के अनुसार कल्पसूत्र मंत्रों का विनियोग बताकर याज्ञिक अनुष्ठान की विधि का प्रतिपादन करते हैं और यही उनकी उपकृति है।[1] फलतः जिन यज्ञ यागादि तथा विवाह उपनयन आदि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में किया गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले ग्रन्थों का सामान्य अभिधान कल्प है। लेकिन कालान्तर में यों के सम्पादन के लिए कल्पसूत्रों का ज्ञान इतना अनिवार्य हो गया कि यह माना जाने लगा कि कल्पसूत्रों के बिना यज्ञीय विधि–विधानों का सम्पादन करना कठिन ही नहीं, असम्भव है। सम्भवतः इसी कारण कुमारिलभट्ट ने अपने तंत्रवार्तिक ने लिखा है कि याज्ञिक लोग तो केवल कल्प की सहायता से ही वेदों के बिना भी यज्ञ कर लेते हैं।[2]

सूत्र साहित्य में स्त्री दासों का स्वरूप –

चूंकि इन ग्रन्थों की रचना उस युग में प्रचलित सूत्र शैली के अनुरूप हुई थी इसलिए इस साहित्य को सूत्र–साहित्य कहा जाता है। सूत्र का अर्थ है संक्षेप। कम से कम दो शब्दों से अधिक से अधिक भाव प्रकट करना ही सूत्रों की विशेषता है। विष्णु धर्मोत्तर में इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अल्पाक्षर, संदेहरहित, सारयुक्त, ओजस्वी तथा अनिन्दित शब्दावली को सूत्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहते हैं।[3] इस प्रकार उपर्युक्त व्युत्पतियों के आधार पर कहा जा सकता है कि अनेक विधि–विधानों, कर्मानुष्ठानों, न्याय–नियमों, रीति–व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त, सारयुक्त, संदेहरहित, प्रयोक्तव्य, अप्रतिहत और निर्दोष रूप से विवेचन करना ही कल्पससूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। वास्तव में इस शैली की विशिष्टता के कारण ही अधिकांश कल्पसूत्रों की रक्षा हो सकी अन्यथा लेखन के अभाव में इनका सर्वथा लोप ही हो गया होता। विण्टरनित्स के शब्दों में विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में इन सूत्रों की तरह की कोई रचना नहीं है। इस प्रकार की रचनाओं में यथासम्भव थोड़े से शब्दों में सिद्धान्त को व्यक्त करना ही रचयिता का उद्देश्य होता है, भले ही स्पष्टता और बोधगम्यता का बलिदान करना पड़े।[4] वैयाकरण पतंजलि का यह कथन प्रायः उद्धृत किया जाता है कि सूत्रकार आधी मात्रा की बचत पर उतना ही आनन्दित होता है जितना पुत्रजन्म पर। प्रायः अधिकांश विद्वानों की यह धारणा है कि कल्पसूत्र वेदांग साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं और वैदिक साहित्य के अधिक सन्निकट हैं। ये सूत्र इसलिए भी प्राचीनतम माने जाते हैं क्योंकि ये अपने विषय प्रतिपादन में ब्राह्मण तथा आरण्यकों के साक्षात् सम्बद्ध हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा आरण्यकों से साक्षात सम्बद्ध हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में अनेक ऐसे वचनों का अस्तित्व मिलता है जो वस्तुतः सूत्र ही हैं और जो सम्प्रदायानुसार आश्वलायन तथा शौनक के द्वारा रचित माने जाते हैं। रही बात इनके रचनाकाल की तो प्रायः अधिकांश विद्वानों ने कल्पसूत्रों की प्रारम्भिक तिथि 700 ई. पू. और उसके संशोधित एवं परिवर्धित रूप को 200 या 100 ई.पू. के आस–पास माना है। यद्यपि कुछ सूत्र साहित्य ई. सन् तथा उसके बाद का भी माना जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सूत्र साहित्य की प्राचीन रचनाओं में जो ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया है वह शताब्दियों के चिन्तन, मनन और अध्ययन का परिणाम है और उन्हें जो रूप प्राप्त हुआ है, वह भी अनेक शताब्दियों की अनवरत परम्परा का ही परिणाम है। प्रो. मैक्समूलर ने कल्पसूत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है कि कल्पसूत्रों का वैदिक साहित्य में अनेक कारणों से महत्त्व है। वे न केवल साहित्य के एक नये युग के द्योतक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के एक नये प्रयोजन के सूचक हैं अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणों का लोप होने में योगदान दिया जिनका अब केवल नाम ही ज्ञात है। यज्ञ का सम्पादन केवल वेद और कल्पसूत्र द्वारा ही हो सकता था, किन्तु बिना सूत्रों की सहायता से ब्राह्मण या वेद के याज्ञिक विधान का ज्ञान पाना कठिन ही नहीं, असम्भव था।[5] कल्पसूत्र मुख्यतः चार भागों में विभाजित किये गये हैं। ये हैं –

1. श्रौतसूत्र – इसमें ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित विषय वस्तु का प्रतिपादन और श्रौताग्नि में सम्पादित होने वाले यज्ञीय विधि विधानों का वर्णन मिलता है।
2. गृह्यसूत्र – इसमें गृह्याग्नि में होने वाले यज्ञों तथा उपनयन, विवाह एवं श्राद्ध आदि संस्कारों का विस्तृत विवरण मिलता है।
3. धर्मसूत्र – इसमें चारों वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्यों, व्यक्ति के आचरण के नियम, प्रायश्चित, राजा के कर्तव्यों, अपराध एवं दण्ड, दायभाग, स्त्रीधन तथा नियोग आदि का प्रतिपादन है।
4. शुल्वसूत्र – इसमें यज्ञवेदी के निर्माण की विधि तथा माप आदि विषयों का प्रतिपादन है। इसमें आर्यों की प्राचीनतम् ज्यामिति सम्बन्धी कल्पनाओं तथा गणनाओं का प्रतिपादन होने से इसका वैज्ञानिक महत्व है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विषय की उपयोगिता की दृष्टि से धर्मसूत्रों में दिये गये विवरणों की आवश्यकता है। धर्मसूत्रों का मुख्य विषय सामाजिक आचार–विचारों का वर्णन करना है। यद्यपि विषय–प्रतिपादन की दृष्टि से धर्मसूत्र गृह्यसूत्रों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं लेकिन फिर भी इनमें मूलभूत अन्तर यह है कि जहां गृह्यसूत्र नितान्त वैयक्तिक जीवन से सम्बद्ध हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वहां धर्मसूत्र व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बद्ध हैं। गृह्यसूत्रों का सम्बन्ध अधिकांशतः व्यक्ति के घरेलू जीवन की चर्याओं से है। वे मनुष्य के कर्तव्य एवं अधिकार, उनके आचार–विचार, उनका दायित्व और निर्वाह जैसे विषयों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। वहीं ठीक इसके विपरीत धर्मसूत्रों में मनुष्य की विधि–व्यवस्था, उनकी आचार–संहिता, कर्तव्यनिष्ठा, शक्तिसंचयन, नैतिक एवं धार्मिक कृत्यों पर विधिवत चर्चा हुई है। इस प्रकार धर्मसूत्रों का विषय गृह्यसूत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है।

प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुसार मनुष्य का व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण वर्णाश्रम व्यवस्था पर निर्भर है। मनुष्य का हित इस बात में है कि वह अपने वर्णधर्म और आश्रम धर्म का पालन करता रहे। धर्मसूत्रों में इन्हीं वर्णधर्मों तथा आश्रमधर्मों का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है। इसी प्रकार राज्य की व्यवस्था राजा पर निर्भर करती है। अतः धर्मसूत्रों में राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ सम्बन्ध, अपराध एवं दण्ड तथा न्याय एवं कर व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इनमें वर्णसंकर जातियों, नियोग के नियम, स्त्रियों का परतन्त्रय, पाप एवं उसके प्रायश्चित, आशौच, ऋण एवं ब्याज, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी एवं पुत्रादि के कर्तव्य, पुत्र एवं उनके प्रकार, उत्तराधिकार, स्त्रीधन एवं सम्पति का विभाजन, गृहस्थ के नित्य एवं नैमित्तिक कर्म आदि नियमों की भी विस्तृत समीक्षा की गई है। इनमें वैवाहिक सीमाएं, खानपान एवं छुआछूत सम्बन्धी बारीकियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके साथ–साथ धर्मसूत्र कभी–कभी गृह्यसूत्रों द्वारा प्रतिपादित विषयों का भी वर्णन करते हैं जैसे विवाह, उपनयन, अनध्याय, मधुपर्क, स्नातक के नियम, पंचमहायज्ञ एवं श्राद्धकर्म आदि। लेकिन इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि वे यहां पर उनका विस्तृत न कर उनको सामान्य रूप से ही ग्रहण करते हैं। उनके अनुष्ठान सम्बन्धी नियमों की सूक्ष्म विवेचना नहीं करते। वर्तमान समय में जो धर्मसूत्र उपलब्ध हैं उनमें गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशि, वसिष्ठ, वैखानस तथा विष्णु धर्मसूत्र विशेष उल्लेखनीय है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धर्मसूत्रों जिनमें आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन लम्बे सूत्र संग्रह हैं, गौतम तथा वसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह नहीं हैं। कुछ धर्मसूत्र, यथा विष्णु अन्य सूत्र ग्रन्थों के बाद के हैं, कुछ सूत्र ग्रन्थ, यथा शंख–लिखित, पैठीनसि, केवल उद्धरण रूप में विद्यमान है। आरम्भ में बहुत से धर्मसूत्र कल्पसूत्र के अंग थे और उनका अध्ययन स्पष्ट रूप से चरणों में हुआ करता था। कुमारिल के तन्त्रवार्तिक से एक मनोहर बात का पता चलता है। उसका कहना है कि गौतम धर्मसूत्र तथा गोभिल गृह्यसूत्र का अध्ययन छन्दोग या सामवेदी लोग करते थे, वसिष्ठ धर्मसूत्र का ऋग्वेदी लोग, शंख–लिखित धर्मसूत्र का वाजसनेयी संहिता के अनुयायी–गण तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्रों का अध्ययन तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी गण करते थे। जैमिनि की व्याख्या में तंत्रवार्तिक ने एक सिद्धान्त सा मान लिया है कि सभी आर्यों के लिए सभी धर्मसूत्र तथा गृहसूत्र प्रमाण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरम्भ में सभी चरणों में धर्मसूत्र नहीं थे, किन्तु कालान्तर में कुछ चरणों ने कुछ धर्मसूत्रों को अपना लिया। धर्मसूत्रों का सम्बन्ध आर्य जाति के सदस्यों के आचार–नियमों से था, अतः कालान्तर में सभी धर्मसूत्र सभी शाखाओं के लिए प्रमाण स्वरूप मान्य हो गये। विषय वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मसूत्रों एवं गृह्यसूत्रों में गहरा सम्बन्ध है। अधिकतर गृह्यसूत्रों के विषय हैं–पूत गृहाग्नि, गृह्यसूत्र विभाजन, प्रातः सांय की उपासना, अमावस्या और पूर्णमासी की उपासना, पके भोजन का हवन, वार्षिक यज्ञ, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन एवं अन्य संस्कार, छात्रों, स्नातकों एवं छुट्टियों के नियम, श्राद्धकर्म, मधुपर्क। गृह्यसूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश घरेलू जीवन की चर्चाओं से है अर्थात् इन बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न कुछ सा है। इसी प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विषय–वस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं, यथा विवाह संस्कारों, विद्यार्थियों स्नातकों, छुट्टियों, श्राद्ध एवं मधुपर्क के विषय में। धर्मसूत्रों में गृह्यजीवन के क्रिया संस्कारों के विषय में चर्चा कभी–कभी ही पायी जाती है। धर्मसूत्रों का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुख्य ध्येय है आचार, विधि–नियम एवं क्रिया–संस्कारों की विधिवत चर्चा करना। आपस्तम्ब गृहय एवं धर्म के बहुत से सूत्र एक ही हैं।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में यह उदात्त भावना व्यक्त की गई है कि लोगों को चाहिए कि वह अपने को, अपनी पत्नी और बच्चे को भले ही कम खिलाएं किंतु अपने साथ काम करने वाले दास–दासियों के साथ वैसा व्यवहार न करें।[6] लेकिन यह मानना कठिन है कि लोग इस सिद्धान्त का पालन कठोरता से करते रहे होंगे। हां इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कुछ एक संभ्रान्त परिवारों में दासों को भलिभांति खिलाया पिलाया जाता था और उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया जाता होगा। हो सकता है कि भाड़े के मजदूरों को भूखा नहीं रखा जाता रहा होगा, किन्तु सामान्यतया उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह उनके मालिक के भोजन की अपेक्षा अवश्य ही हीन कोटि का रहता था। धर्मसूत्रों से घर के नौकरों जो कि संभवतः दासत्व का जीवन जीते थे, के रहन–सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार फेंके गये जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का प्रयोग करे।[7] गौतम ने यहां तक बताया है कि भोजन का उच्छिष्ट शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था।[8] आपस्तम्ब धर्मसूत्र में छात्रों को उपदेश दिया गया है कि उनकी थाली में जो उच्छिष्ट रह जाये उसे या तो अदीक्षित आर्य के निकट अथवा अपने गुरु के शूद्र नौकर के निकट रख दें।[9] इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि शूद्र नौकर को जूठन खानी पड़ती थी। हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र से भी यह बात सिद्ध होती हैं। उसमें कहा गया है कि छात्रों को अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद तीन दिन तक व्रत रखने की अवधि में अपना जूठन किसी शूद्र सेवक को नहीं खिलाना चाहिए।[10] पाणिनी ने भोजन के अवशेष के लिए जो प्रायः घरेलू नौकरों को दिये जाते थे, विशेष पर्याय निर्देश दिया था।[11] विनयपिटक के एक अनुच्छेद से यह जानकारी मिलती है कि एक सौदागर की बीमार पत्नी ने अपने वमन में निकले हुए घी को संजोकर रखा कि दास या कम्भकार उसे अपने पांव में लेपेंगे या दीप में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जलायेंगे।[12] यह भी वर्णन मिलता है कि बुद्धदेव के नेतृत्व में चला रहे एक साधु समाज के पीछे–पीछे पांच सौ आदमी उनके जूठन खाने के उद्देश्य से जाते थे। इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपने स्वामियों का जूठन खाना सम्भवतः शूद्र सेवकों, दास–दासियों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। एक ब्राह्मण साधु गर्व से कहता है कि उसके दास और नौकर भी भात और मांस खाते हैं तथा काशी के बने वस्त्र एवं लेप का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि आमतौर पर दासों एवं नौक्रों को हीन कोटि का भोजन और कपड़ा दिया जाता था। बुद्धदेव ने भी ऐसी ही बात कही है कि दूसरे के घरों में तो दास–दासियों एवं कम्मकरों को खट्टी दलिया के साथ भात खिलाया जाता था किन्तु पिता के घर में उन्हे भात, मांस और दूध खाने को मिलता था। दास–दासियों को एक खास प्रकार का भोजन दिया जाता था, यह बात दास परिभोग जैसे शब्दों से स्पष्ट होती है।[13] बुद्ध युग से पूर्व के प्राचीनतम साहितय का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि समाज में शूद्रों का महत्व समाज के लिए परमआवश्यक हो गया था। लेकिन उनका स्तर क्रमशः घटता गया। प्रारम्भिक वैदिक युग के सामाजिक संरचना में उनका स्थान निश्चित था। पूर्वोद्धृत है कि शूद्रों की उत्पति विराट पुरुष के चरणों से हुई थी। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग मिलता है कि विदुर ने धृतराष्ट्र को शूद्रों के संबंध में बताया कि जो शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनों द्वितज वर्णों की सेवा करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।[14] उन्हें सेवा के साथ–साथ परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य कार्यों को करने की भी अनुमति प्राप्त थी। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार के पालन के लिए यदि वे चाहें तो पशुपालन, व्यापार, शिल्प आदि कर्म भी कर सकते थे। इनको समाज में हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। परनतु क्रमशः अन्य वर्णो की भांति इनकी स्थिति में परिवर्तन आया जो स्थान समाज में पहले था अब नहीं रहा।

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य एवं सूत्र ग्रन्थों में भी हमें समाज के विभिन्न पक्षों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभाजित भारतीय समाज में दास–दासियों की स्थिति क्या थी? उनके प्रति कैसा व्यवहार किया जाता था? उनकी समाज में क्या उपयोगिता थी? समाज में उनके लिए किस प्रकार के अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित किये गये थे? पूर्ववर्ती कालों से उनकी स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें सूत्र साहित्य एवं बौद्ध ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं।

बौद्ध धर्म का उद्भव मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारतीय समाज को एक नवीन दिशा प्रदान की। समाज में अहिंसा, मैत्री और समानता को प्रमुखता प्राप्त हुई। इसने समाज में बढ़ रहे वैदिक धर्म से संबद्ध अंधविश्वासों और कर्मकाण्डों का तार्किक विरोध किया। वैदिक धर्म (सनातन धर्म) को भारत का प्राचीन धर्म माना जाता है, हालाँकि वैदिक धर्म से पूर्व हड़प्पा एवं अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में धार्मिक क्रियाओं का आभास मिलता है। वैदिक धर्म का प्रमुख आधार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद् जैसे ग्रंथ रहे हैं। भारतीय समाज की प्रारम्भिक संरचना किस प्रकार की थी, इसका उल्लेख वेदों से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरूषसूक्त में भारतीय समाज को चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किये जाने का उल्लेख मिलता है। भारतीय समाज का उपरोक्त विभाजन कमोवेश आज तक भारतीय जनमानस को प्रभावित कर रहा है। ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था आगे चलकर भारतीय समाज की असमानता का प्रमुख कारण बनी।

प्रारम्भ में वर्ण का निर्धारण कर्म से होता था लेकिन बाद में जन्म पर आधारित हो गया अर्थात ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला ब्राह्मण और शूद्र परिवार में जन्म लेने वाला शूद्र। समाज में ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और शूद्र वर्ण के व्यक्ति को निम्न मान लिया गया। इस जन्म आधारित सर्वश्रेष्ठता और निम्नता का विरोध गौतम बुद्ध ने किया और सभी वर्ण के लोगों को समान मानते हुऐ समान अधिकार देने की बात की। पी.वी. वापट के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनुसार गौतम बुद्ध भारतीय समाजिक व्यवस्था को नष्ट करने के बजाय उसकी असमानता सम्बन्धी विधानों को समाप्त करने के पक्षधर थे, जिससे सभी को समान समाजिक एवं धार्मिक अधिकार मिल सके।

वैदिक धर्म में यज्ञ को विशेष महत्व प्राप्त था। वैदिक मान्यता थी कि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान यज्ञ के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा मानने कि वजह थी कि सभी प्रकार के दुःख एवं विपत्ति ईश्वर के नाराज होने के कारण होती है, इसलिए यज्ञ और बलि के माध्यम से मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करके, स्वयं को वर्तमान और आगामी दुःखों, कष्टों एवं विपत्तियों से बचा सकता है। यज्ञ और बलि के नाम पर बड़ी संख्या में पशुओं की हत्या की जाने लगी। समय के साथ ये कर्मकाण्ड और जटिल हो गए, इन्ही वैदिक कर्मकाण्डों का विरोध में प्रारम्भ हुआ, जिसका नेतृत्व बाद में जैन और बौद्ध धर्म ने किया। इसके साथ ही जैन और बौद्ध धर्म ने लोगों को कर्मकाण्ड और असमानता रहित धर्म का विकल्प भी उपलब्ध करवाया, जिसमे अहिंसा, और सदाचरण को विशेष महत्व दिया गया था। इन धर्मों ने सभी के लिए मोक्ष (मुक्ति, निर्वाण) के मार्ग खोल दिये।

बौद्ध ग्रन्थों में स्त्री दासों का स्वरूप –

बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवनकाल में ही काफी लोकप्रिय हो चुका था। जिसका एक कारण गौतम बुद्ध द्वारा जन सामान्य की भाषा में उपदेश देना था। इस समय की जनसामान्य की भाषा मागधी थी, जिसे आज पालि कहा जाता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कला भी बौद्ध धर्म के प्रचार–प्रसार का एक माध्यम बना, जिसके परिणाम स्वरूप गौतम बुद्ध के जीवन चरित, उनके प्रतीक, जातक कथा पर आधारित कलाकृतियों का निर्माण हुआ जो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी भागों में पाई जाती हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त और सामञ्ञफलसुत्त से गौतम बुद्ध के पूर्व एवं समकालीन 62 सम्प्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है जो वैदिक परम्पराओं को स्वीकार नहीं करते थे। ये सभी सम्प्रदाय अपने आप में विशिष्ट थे जिन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड और यज्ञ का विरोध किया, किन्तु ये सभी सम्प्रदाय धार्मिक रूप से वैदिक धर्म का विकल्प उपलब्ध नहीं करवा पाये थे। इन सभी सम्प्रदायों में नैतिक सदाचार एवं अनुशासन का अभाव दिखाई पड़ता है। इनके विचारों में पाप–पुण्य या अच्छे–बुरे कर्मों में कोई अन्तर नहीं था, इनके विचारो में पाप–पुण्य एक समान था। इसीलिए इन सब के विचार भौतिकवाद के करीब दिखाई पड़ते हैं।

गौतम बुद्ध के पूर्व भारतीय समाज में दो प्रकार के धार्मिक विचार प्रमुख रूप से प्रचलित थे पहला वैदिक तथा दूसरा श्रमण। दोनों प्रकार के धार्मिक विचारों का गौतम बुद्ध ने सुधारात्मक विरोध किया। इनके स्थान पर मध्यममार्ग और सदाचार आधारित धर्म का प्रचार किया जिसमें वैदिक असमानता, कर्मकाण्ड आधारित समाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का पूर्ण निषेध था। गौतम बुद्ध के पूर्व एवं समकालीन भारत की समाजिक एवं धार्मिक स्थिति को समझने के लिए मैं उसे दो भागों वैदिक धर्म एवं समाज तथा श्रमण परम्परा आदि में वर्गीकृत करके समझने का प्रयास कर रहा हूँ जो निम्नलिखित है– वैदिक धर्म के प्रमुख स्त्रोत वैदिक साहित्य हैं जिनमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद् आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। वेद जिन्हें संहिता भी कहा जाता है कि संख्या चार है–ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की प्राचीनता विन्टरनित्स के अनुसार अधिक से अधिक 2000 ईसा पूर्व अथवा 2500 ईसा पूर्व है। मैक्समूलर ने वैदिक ग्रंथों का रचना काल 1200 ईसा पूर्व तक माना, किन्तु जब उनके इस काल निर्धारण पर विल्सन, व्हिटनी हिलेरी आदि ने तीखी प्रतिक्रिया की तब मैक्समूलर ने विल्सन की आपत्तियों पर आभार व्यक्त करते हुऐ उनके मत को स्वीकार कर लिया और लिखा कि "यदि इस समय यह सवाल उठाया जाए कि इन तीनों कालों की तिथियों को कैसे नियत किया जा सकता है तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्पष्टतः हम इस बारे में अन्तिम कोई सीमा तय नहीं कर सकते। वैदिक सूक्त 1000 ईसा पूर्व में रचे गए थे या 1500 ईसा.पूर्व में 2000 या 3000 ईसा पूर्व में रचे गए थे। इसे दुनिया का कोई आदमी नहीं तय कर सकता है।'' वेदों के पश्चात् वेदों पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात् आरण्यक और आरण्यक ग्रंथों के पश्चात् उपनिषद् ग्रंथों की रचना हुई।

प्राचीनकाल में बौद्धकाल के प्रारम्भ से पूर्व, एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी जिससे एक नये युग का सूत्रपात हुआ। जिसमें औजारों और हथियारों के निर्माण में लोहे के प्रयोग का प्रवेश हुआ। प्रागैतिहासविदों और पुरातत्वविदों का कथन है कि लोहे की खोज का मानव–इतिहास में बड़ा महत्व है। लोहे के औज़ार और हथियार कांस्य के औज़ारों और हथियारों से उत्कृष्ट होते हैं। कच्चा लोहा, ताँबे से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है अर्थात पूरे संसार में समान रूप से उपलब्ध है, साथ ही यह अपेक्षाकृत कम लागत पर मिल जाता है। कांस्य का प्रयोग अधिकतर हथियारों और विलास की वस्तुओं में होता था। लोहे के प्रयोग में आने पर अनेक प्रकार के औज़ार, जैसे हल का फल, कुल्हाड़ी, चाकू, हथौड़ा व दराँती आदि की प्रचुर संख्या में उत्पादन होने लगा। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ़ होने लगे, जो अब तक कठिन कार्य समझा जाता था। हल के फल ने कड़ी से कड़ी धरती को तोड़ना सरल बनाया। परिणामस्वरूप, कृषि कार्य विशाल क्षेत्र में फैल गया। कृषि से प्राप्त उत्पादों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई। बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतें इस अधिकता में अच्छी पैदावार द्वारा पूरी हो सकीं।

यह संभव है कि भारत में लोहे का प्रयोग आर्यों के उस समुदाय ने शुरू किया जो लगभग 1000 ई0पू0 में आया। इस प्रसंग में यह कह दिया जाए कि तथाकथित सैन्य प्रक्रियाओं पर आर्यों के एक विशिष्ट समुदाय का एकाधिपत्य था। वास्तव में आर्यों की सैनिक महत्ता के कारणों की चर्चा करते समय न केवल उनके घोड़ों की सवारी और लड़ाई में रथ खींचने में प्रयोग में कुशलता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की चर्चा की जाती है अपितु लोहे के हथियारों और औज़ारों का प्रयोग भी उनकी सैनिक श्रेष्ठता का कारण बताया जाता है। तथापि एक बार जब इस प्रक्रिया का पता चल गया या इसे आयात कर लिया गया तो फिर इस प्रयोग का सारे देश में फैल जाना स्वाभाविक था, क्योंकि विश्व के किसी देश में लोहा इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता जितना भारत में। न ही विश्व में कहीं ऐसा कच्चा लोहा मिलता है जिससे यहाँ की अपेक्षा अधिक और शुद्ध लोहा निकले और ज्यादा आसानी से प्राप्त हो सके। अतः एक बार जब लोहे की खोज हो चुकी, और ताँबे की मिश्र–धातुओं से उनकी उत्कृष्टता सिद्ध हो चुकी, तो भारतीयों को उसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई होगी।

हमें सिंधु–घाटी में अनेक व्यवसायों के अस्तित्व की जानकारी मिली है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, कताई, बुनाई, धातु–कर्म (अलौह) और अनेक औज़ार, जैसे हल, धौंकनी, कुल्हाड़ी, पहिए वाली गाड़ियाँ, नाव इत्यादि। लेकिन इस ज्ञान और प्राविधानों की सारी संभावनाओं का उपयोग संभव नहीं था, क्योंकि अलौह धातुओं से बने ये औज़ार अस्थायी, जल्दी टूटने वाले होते थे। लोहे के प्रयोग ने प्रकृति के स्रोतों के उपयोग की संभावना का विस्तार कर दिया। इस तरह अन्य स्थानों की भाँति भारत के लोग भी प्रकृति पर पहले की अपेक्षा अधिक और सफल ढंग से प्रभुत्व स्थापित करने के क्षेत्र में सफल हुए। इस प्रकार लोहे के प्रयोग ने देश में भौतिक सभ्यता को सुदृढ़ किया। वस्तुतः यह भारतीय इतिहास का वह काल है जिसकी चर्चा करते समय हमें कुछेक नए आनुषंगिक प्रश्नों पर बात करने के अलावा प्रमुख रूप से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। उन सभी प्राविधिक अथवा तकनीकी संभावनाओं का यथातथ निरूपण किस प्रकार किया जाए जो लोहे की खोज के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। इन संभावनाओं ने स्पष्ट रूप से देश में जीवन के असंख्य क्षेत्रों के विस्तार का सिलसिला प्रारम्भ किया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

छठीं शताब्दी ईसा पूर्व के समकालीन हमें दो प्रकार की राज्य संस्थाएँ मिलती हैं। पहले प्रकार की संस्थाएँ अल्पतंत्र हैं जिनमें वज्जिगणराज्य (आठ राज्यों का संघ), मल्ल, शाक्य, कोलिय और भग्ग आते हैं। दूसरे प्रकार की संस्था राजतंत्र है। इनमें पहले प्रकार की संस्थाएँ वही हैं, जिन्हें हमने संकीर्ण समुदाय (अपने को चारों ओर से अभेद्य दीवारों से घेर कर सुरक्षित रहने वाला समुदाय) कह सकते हैं। उनसे कुलीन तंत्रात्मक अल्पतंत्र वहाँ बनता है, जहाँ जनता के एक समूचे वर्ग को शासकों की नैसर्गिक सम्पत्ति समझा जाता है। राजतंत्रों में जनसंख्या का कोई भी भाग इस रूप में दास नहीं बनाया जाता है। इस काल का सबसे विशिष्ट पहलू है, पहले अल्पतंत्रों का लोप और बाद में स्वतंत्र राजशाहियों के रूप में राजतंत्रों का लोप और उनके स्थान पर समूचे देश पर शासन करने वाले एक साम्राज्य का उदय हुआ।

यहाँ पर हम सबसे पहले अल्पतंत्रों और राजतंत्रों में दासों की स्थिति पर विचार करेंगे, जिनके संबंध में त्रिपिटक से हमें प्रचुर विवरण प्राप्त होते हैं। तदनन्तर हम देखेंगे कि साम्राज्य के उदय का दास प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ा। अल्पतंत्रों में ध्यान देने योग्य पहली बात यह है कि, उनमें सामाजिक वर्ग–विभाजन बहुत कठोर है, प्रत्येक निर्णय इस अधार पर होता है कि अमुक व्यक्ति का जन्म समाज के किस वर्ग में हुआ है। किसी व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार और विशेषाधिकार उसको जन्म देने वाले सामाजिक वर्ग पर ही निर्भर होते हैं। केवल ऊँचे कुल के जन्मे 'क्षत्रिय' लोग ही जैसाकि उन्हें अल्पतंत्र में अभिहित किया जाता था, राजनीतिक मामलों में भाग ले सकते थे। शाक्यों के संथागार में प्रवेशाधिकार या लिच्छवियों के तालाब में स्नान का अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की सदस्यता का परिचायक था। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो 'क्षत्रिय' कुल में नहीं जन्मा हो, वह संथागार में प्रवेश निषिद्ध था और न वह उस तालाब में स्नान कर सकता था। जहाँ तक कि अम्बट्ठ का ज्ञान[15] बंधुल का बल या सुदिन्न की सम्पत्ति भी इस स्थिति को नहीं बदल सकती थी और क्षत्रिय वंश में पैदा हुए लोग भी मध्यम स्थिति से ऊपर की आशा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि समान अधिकारों की व्यवस्था ने, जो समाज के ऊपर बंधन बनकर रह गई थी, सबको एक ही स्तर पर ला दिया था जिसमें वीर और कायर, ज्ञानी और मूर्ख तथा उद्यमी और आलसी में कोई भेद नहीं था। इसी कारण महाली जैसा महत्वाकांक्षी युवक लिच्छवियों को छोड़कर पसेनदि की सभा में काम ढूँढ़ने पर विवश हो गया। ऊँचे कुल में जन्म के अभियान ने उन्हें इतना अंधा बना दिया था कि महात्मा बुद्ध को भी अपनी व्यक्तिगत उच्चता का विश्वास दिलाने के लिए देवी तत्व का आश्रय लेना पड़ा, जिससे वे बातों को अधिक सही समझ सकें।

बाकी जनता को और कोई अधिकार नहीं था, सिवाय इसके कि वे अपने जन्म से निर्धारित व्यवसाय में काम करते–करते अपना पूरा जीवन गुजार दें। अतः अल्पतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता के एक समूचे वर्ग को दास समझने की प्रथा ठीक बैठती है। दूसरी ओर राजतंत्रों में ऐसा कोई वर्ग नहीं, जिसके सारे ही सदस्य दास समझे जाते हों। मेरा यह विश्वास है कि अल्पतंत्रों की पराजय के अनंतर यह प्रथा समाप्त हो गई। इसके बाद से दासत्व की व्याप्ति किसी समूचे वर्ग पर न होकर केवल व्यक्तियों पर सीमित हो गयी। युद्ध में कैदी बनाया हुआ आदमी या अपना कर्ज़ा चुकाने में असमर्थ व्यक्ति आदि इसके संभव उदाहरण है। पहले हम उन कामों का वर्णन करना चाहते हैं, जिन पर दासों को लगाया जाता था और बाद में उसमें हुए परिवर्तनों के बारे में। अल्पतंत्रों में दासों को प्रायः घरेलू दासों या खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों के रूप में लगाया जाता है। उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थान केवल क्षत्रियों के लिए सुरक्षित होते हैं। राजतंत्रों में उन्हें घरेलू दासों, कृषि श्रमिकों, व्यापारियों के नौकरों और सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता है। सर्वप्रथम हम कृषि–कर्म और सैनिक सेवा की स्थितियों का दोनों क्षेत्रों में यथा प्राप्त वर्णन करेंगे तत्पश्चात शेष दो वर्णन करेंगे। 1. अल्पतत्रं औरैर राजतत्रं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1. सेना राजतंत्र में राजा की सेना के सारे पद सबके लिए खुले होते थे। हम सेना में दासों को देखते हैं, जिनहें 'दासक–पुत्र' (दासों के पुत्र) कहा गया है। टीकाकार उनको 'घर दास योद्धेद्धा' (घर में जन्मे सैनिक बने दास) कहते हैं और उनमें (अपने मालिक के प्रति) उसे स्नेह दृष्टिगोचर होता है।[16] इन घरेलू दासों के अतिरिक्त राजा कुछ अपराधियों की मौत की सजा को कम करके उन्हें फौज़ में भर्ती कर लेता था।[17] दासों को राजकीय अश्वशालाओं में भी नियुक्त किया जाता था। बहुत ज़्यादा संभव है कि उनके भाग्य उनकी देख–रेख में दिए गए पशुओं के साथ जुड़े रहते थे, जैसे कि एक हाथी के साथ उसकी देखरेख करने वाले आदमी के स्थानांतरण से सूचित होता है।[18] एक कहानी के अनुसार न केवल हाथी को ही भेंट में दिया अपितु दस हाथी के साथ देखरेख करने वाले आदमियों को भी दिया। अन्य स्थानों पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो शाही अस्तबलों में काम के लिए अपनी इच्छा से अपने आपको सिर्फ इस एक शर्त पर प्रस्तुत करते हैं कि उनको जीवनदान दिया जाए।[19] दूसरी ओर, अल्पतंत्र की सेना में केवल कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। जितने वर्णन उपलब्ध होते हैं उन सबसे इस बात को पुष्टि होती है। जिस खेल में युवा राजकुमार गौतम ने भाग लिया, उसमें उसके प्रतिद्वंद्वी एकमात्र क्षत्रिय युवक ही थे। उसी प्रकार, तक्षशिला से सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटा हुआ बंधुल अपनी अस्त्र–निपुणता को केवल अपने चचेरे भाइयों के साथ लड़कर ही प्रदर्शित करता है। हम यह भी उल्लेख कर दें कि रोहिणी के पानी के बँटवारे का झगड़ा शुरू करने वाले तो नौकर हैं, लेकिन उससे हुई लड़ाई में लड़ने वाले केवल कुलीन वर्ग के लोग हैं। विडुडाभ के आक्रमण से कपिलवस्तु के केवल कुलीन वर्ग के ही लोगों की मृत्यु हुई। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अल्पतंत्र की सेना में गणराज्य के केवल कुलीन वर्ग के ही लोग होते थे। दासों के लिए और इसी प्रकार कारीगरों या व्यापारियों और ब्राह्मणों के लिए सेना में प्रवेश निषिद्ध था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

2. कृषि राजतंत्रों में खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों के अनेक भेदों को हम अलग–अलग करके देख सकते हैं। उनमें वेतनभोगी श्रमिक और गरीब किसान है, जिनके पास ज़मीन के केवल छोटे–छोटे टुकड़े हैं और दूसरों के पास कुछ एकड़ ही। धनी ज़मींदार भी हैं, जो सैकड़ों एकड़ भूमि के मालिक हैं और कभी–कभी पूरे–पूरे गाँव उनके आधिपत्य में होते हैं। दासों को केवल धनी किसान और ज़मींदार ही रख सकते हैं। इसके कुछ विवरण इस प्रकार हैं। मध्यवर्गीर्यय किसान : इस वर्ग में वे सारे किसान आ जाते हैं जिनके पास खेती के आवश्यक साधन हैं और जिन्हें कभी–कभी अपनी सहायता के लिए अपने परिवार के बाहर से दास या दासी लाना पड़ता है। इस वर्ग में ऐसे भूस्वामी भी आ सकते हैं जो निर्धन हो जाने के कारण अपने हाथों से कार्य करने को विवश किए गए हैं। एक ऐसे किसान की कहानी मिलती है, जिसके पास एक दासी थी और फिर एक समृद्ध परिवार की कहानी उपलब्ध होती है, जो निर्धनता के कारण अपने सारे दासों को छोड़ने पर विवश हो जाता है और उनमें से केवल एक ही दास रख पाता है। ऐसे परिवारों में दासों और मालिकों के बीच एक व्यक्तिगत संबंध होता है और प्रायः दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है।

धनी भसूू वामी : ये जमींदार सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक होते हैं और कभी–कभी कई गाँव इनके आधिपत्य में होते हैं। इनमें ब्राह्मण सेट्ठि और दूसरे वर्ग भी मिलते हैं। हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है। एक ब्राह्मण को काशी के राजा से अपना गाँव दान में मिला था और विशेषाधिकार के रूप में वह उस गाँव पर राजकीय–अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ था। सेट्ठि धनन्जय को 100 गाँव विरासत में मिले थे और इनके अतिरिक्त और गाँवों का भी वह स्वामी था, जिनको भत्तगाम कहते थे। (इनको करमुक्त गाँव समझा जाता है)। एक सेट्ठि का मुनीम मरणासन्न सेट्ठि से उसके अधिकारगत सम्पत्ति की स्थिति का वर्णन करता हुआ गाँवों, खेतों, पशुओं का उल्लेख करता है। राजगृह के एक ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है, जो खेती के लिए ज़मीन के बड़े टुकड़े को खेती योग्य करवाता है और एक भूस्वामिनी का उल्लेख मिलता है, जो खेत की बुवाई कराने के बाद लौटती है। भक्तिमती मातिक माता का पुत्र कोसल के राजा के द्वारा विजित प्रदेश में एक गाँव का मालिक था और फिर हम राजा के कोषाध्यक्ष राजसेट्ठि को फसल की देख–रेख के लिए जाते देखते हैं। ऐसे ही दो भाईयों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने बहुत बड़े खेत में धान की खेती कराई थी। दूसरी ओर पतंजलि ऐसे किसानों का अस्तित्व प्रकट करते हैं, जिनमें से एक का पाँच हलों के काम की देखभाल करते हुए वर्णन किया गया है। इन किसानों में ज़मीन पर खेती का काम दास करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वैतनिक श्रमिक भी काम पर लगाए जाते हैं या फिर ज़मीन कास्तकारों को दी जाती है। इसकी पुष्टि बनारस के समीप के एक 'दासगाम' (दासों का गाँव) पिप्फली–मानव के 14 गाँवों के उल्लेख से हो जाती है। विसाखा को दहेज में मिले सैकड़ों दासों और खेती के औज़ारों से लदी 500 बैलगाड़ियों का स्मरण भी इस प्रसंग में हो जाता है। फिर हमारे सामने कोसियगोत्त ब्राह्मण का भी उदाहरण है जो अपने एक हज़ार करिसों का आधा भाग काश्तकारों को पट्टे पर दे देता है और शेष भाग अपने दासों और नौकरों की देखरेख पर छोड़ देता है। दासों और श्रमिकों के काम के ऊपर निगरानी करने के लिए दारोगे नियुक्त किए जाते थे। उदाहरण के लिए सोने की अँगूठी वाले उस आदमी को ले सकते हैं, जो सेट्ठि सुदत्त अनाथ पिण्डक के खेतों को संभालता था।

कोसाम्बी के सेट्ठि द्वारा काम पर लगाए गए आदमी का उदाहरण भी लिया जा सकता है। राज्य के क्षेत्र में नई ज़मीन को लगातार खेती योग्य बनाया जा रहा था। गंगा की घाटी अब भी जंगलों से आच्छादित थी, जिसको अभी तक हल्के धातु के औज़ार कृषि क्षेत्र में नहीं बदल सके थे। लोहे की कुल्हाड़ी के प्रयोग से बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई संभव हो गई। इस प्रकार से साफ़ की गई भूमि को लोहे के हल–फल से खेती के योग्य बनाया जाता था। यह काम दासों और नौकरों द्वारा किया जाता था, जैसा कि हमें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जातक (4–167) में देखने को मिलता है, जहाँ श्रावस्ती का एक ब्राह्मण भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए पेड़ों को कटवाकर उन्हें दूर करवाता है। इस प्रकार राजतंत्रों में हमें वैतनिक श्रमिकों के अतिरिक्त ग़रीब और मध्यश्रेणी के काश्तकार मिलते हैं जो दास रखते थे। हमें ऐसे भूस्वामी भी मिलते हैं जिनके पास भूमि के बड़े–बड़े क्षेत्र हैं जिनमें आंशिक रूप से दासों के श्रम के सहारे खेती की जाती थी।

इसके विपरीत, अल्पतंत्रों में दासप्रथा जन्ममूलक रही प्रतीत होती है। यद्यपि इस संबंध में उपलब्ध सामग्री अपर्याप्त है। इस तंत्र के अधिकारियों के पास दास होते हैं जिनको अपने स्वामियों के लिए काम करना अनिवार्य होता है। इस तथ्य की सबसे अधिक पुष्टि कृषि के क्षेत्र में होती है, जो उस समय का प्रमुख उद्योग था (वाणिज्य अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाया था), जहाँ सारा काम दास और नौकर करते थे। हम ग्रंथों में उल्लिखित खेती करने वाले ब्राह्मणों के गाँवों के (जैसे शाक्यों में) अस्तित्व का विरोध नहीं कर रहे हैं और न यह मानने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण काश्तकार शाक्यों के दास थे। हम तो मात्र इतना निरूपित कर रहे हैं कि ऊँचे वर्ग के लोगों को चावल, जौ आदि अनाज पहुँचाने का काम दासों पर था, जिन्हें अपने स्वामियों की ज़मीन जोतनी पड़ती थी। इस बात की पुष्टि कतिपय तथ्यों से होती है।

हमारे सामने सर्वप्रथम राजकुमार अनुरूद्ध के बड़े भाई का उदाहरण है जो संन्यास धारण करने का निश्चय करके अपने छोटे भाई के आगे गृहस्थ के कर्तव्यों की व्याख्या इस प्रकार करता है, ''खेती की बुवाई करवाना आवश्यक है और फिर सिंचाई करवाना भी। सिंचाई के समय पानी की सतह सब जगह एक–सी होनी चाहिए....... जैसे ही फल तैयार हो वैसे ही कटाई करवाना आवश्यक है और धान अलग करवाने के लिए पछोरने का काम भी करवा लेना चाहिए।[20] ये सारे आदेश प्रेरणार्थक क्रियाओं में हैं। इसलिए ऊँचे वर्ग के व्यक्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए काम की केवल देख–रेख करने का ही प्रश्न था।[21] इसकी पुष्टि उस कहानी से भी हो जाती है जिसमें तीन शाक्य राजकुमारों की अज्ञानता का वर्णन किया गया है। विलास में पले और चिंताओं से अनभिज्ञ, वे यह भी नहीं जानते कि चावल कहाँ से आते हैं। केवल एक ही अवसर पर ये कुलीन लोग हल की मुठिया अपने हाथ में पकड़ते हैं, वह है वप्पमंगल अर्थात् वह दिन जब हल जुताई प्रारम्भ होती है। बाकी दिनों में ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए, सारा काम दासों पर छोड़कर अपना मनोरंजन करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। उनमें से कुछेक लोग कभी–कभी देखभाल करने के लिए आ जाते थे। दासों को ही जमीन पर हल जोतना पड़ता है, बुवाई–सिंचाई करनी पड़ती है, खेतों की रखवाली करनी पड़ती है और फिर फ़सल काटना आदि भी उनके ही जिम्मे रहता है। सब कुछ दासों को ही करना पड़ता है, यहाँ तक कि दासों में कोई झगड़ा हो जाने पर जब उनके मालिक सहायता के लिए आते हैं तो वे इतना भी नहीं जाते कि उनके झगड़े का कारण क्या है? एक बार जब बुद्ध दो दलों का

झगड़ा निपटाने आए (क्योंकि उनका कथन था कि 'खत्तिय' का रक्त रोहिणी नदी के जल से कहीं अधिक मूल्यवान है) तो उन्हें झगड़े के संबंध में सूचना दासों से ही लेनी पड़ती है। तिस पर भी झगड़ा सिंचाई के लिए पानी के बँटवारे का था, जिसका समाज के अस्तित्व के लिए महत्व है क्योंकि सूखे से इसको भारी संकट उत्पन्न हो जाता। अल्पतंत्रों की पराजय का इन दोनों क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। जहाँ तक सेना का प्रश्न है, अल्पतंत्रों के विध्वंस ने सेना पर कुलीन वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और राजाओं को जनता में से सैनिक भर्ती करने का अधिकार दिया। सामाजिक स्तर पर इसका परिणाम यह हुआ होगा कि वह व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गई होगी जिसके अनुसार लोगों के एक वर्ग को दास समझकर तिरस्कार किया जाता था और दूसरे वर्ग को स्वयं को मालिक समझने का अधिकार प्राप्त था। हम यह दावा नहीं कर रहे कि सभी अभिजात व्यक्तियों का लोप हो गया था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और सारे दास मुक्त हो गए थे। यह संभव है कि कुछ जमीन राजा के प्रिय व्यक्तियों को दी गई होगी। हमें यह भी विदित है कि कुछ कुलीन लोगों का अस्तित्व लगातार बना रहा। लेकिन इसके बाद सब कुछ राज–कृपा पर निर्भर था न कि किसी सामाजिक वर्ग विशेष से संबंध पर। मोटे रूप से यह सोचना तर्कसंगत होगा कि अब विजित क्षेत्रों में विद्यमान व्यवस्था राजतंत्रों में पहले से स्थापित व्यवस्था से ज्यादा मिलती थी। 'अभिजात' वर्ग की पूर्ण प्रभुता समाप्त हो गई थी। दूसरी ओर, साधन होने पर प्रत्येक व्यक्ति दास प्राप्त कर सकता था। यह पूँजी की शक्ति का तर्कसंगत विस्तार था। इन दो पक्षों और राजाओं की विजयों के परिणामस्वरूप आए परिवर्तनों के अतिरिक्त अब हम दो और पक्षों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हैं। वे हैं घरेलू श्रम और व्यापारियों के पास नौकरी।

3. धनी घरों में नौकरी यहाँ पर हम राजमहलों और धनी लोगों के घरों को साधारण साधन वाले लोगों के घरों से अलग करते हुए उनके ऊपर एक साथ विचार करेंगे। सर्वप्रथम इस भाग में हम राजमहल में दास के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का वर्णन करेंगे। हम नाटक–इत्थियों (नर्तकियों) से इसका प्रारंभ करते हैं। नाटक इत्थी : राजकुमार के अंतःपुर में तीन प्रकार की नारियाँ होती हैं– पत्नियाँ, नाटक इत्थियाँ और नौकर–चाकर। अनेक पत्नियों, नाटक–इत्थियों का स्वामी होना वैभव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। एक कहानी में एक राजकुमार के माता–पिता यह घोषणा करते हैं कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए वे आश्वासन नहीं दे सकते कि वे केवल एक ही नारी को पुत्रवधू बनाएँगे। 16000 नारियों से पूर्ण अंतःपुर की बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं होता। 'त्रिपिटक' में एक अंतःपुर में साधारणतया 16000 नारियाँ होती हैं। इन 16000 में 700 पत्नियाँ हैं और बाक़ी को नाटक–इत्थी कहा जाता है।[22] उदाहरणार्थ, चुल्लसोम जातक में 16000 में से 700 को भार्या कहा गया है।किसी नारी को प्रस्ताव ठुकराता हुआ एक पुरोहित कहता है– ''मेरी चालीस पत्नियाँ हैं ..... और कई नाटक–इत्थियाँ''। उसकी उक्ति हमारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धारणा का समर्थन करती है।[23] दूसरी ओर हमें विदित होता है कि भिक्षु रत्थपाल ने अपनी दो प्रमुख पत्नियों को और कई नाटक–इत्थियों को छोड़ दिया था। इस नाटक–इत्थियों को कभी–कभी नटक सर नटकी भी कह दिया जाता है। स्पष्ट है कि नारियों को पत्नी–पद प्राप्त नहीं था।

अन्यत्र इन नाटक–इत्थियों की स्वामी से उसके मनचाहे आदमी के पास तथा यहाँ तक कि पिता से पुत्र के पास भी स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख है। उदाहरणार्थ राजा बिम्बिसार ने अपनी नाटक–इत्थियों में से एक को अपने एक पुत्र को दिया था। ऐसा ही एक वर्णन एक और कहानी में किसी राजकुमार के संबंध में दिया है। एक और कहानी में नाटक–इत्थियाँ अपने स्वामी के संन्यास ग्रहण करके घर छोड़ जाने पर स्वयं अपने आपको अपने स्वामी के पुत्र के हवाले करवा लेती हैं। राजकुमारों की इन कहानियों के अतिरिक्त, हमारे समक्ष एक मंत्री का उदाहरण है, जिसने अपनी नाटक–इत्थियों में से 500 अपने अतिथि को दे दी थीं।[24]

ये नाटक–इत्थियाँ अपने स्वामी को राजसभा जाते समय घेरे रहती हैं, उद्यान में उसके साथ रहती हैं[25] और उसके मनबहलाव के लिए सब कुछ करती हैं। वे उसकी पत्नियाँ भी हैं। कभी–कभी तो इनका पूरा–पूरा वर्गविभाजन भी मिलता है, जहाँ इन्हें चुल्ल नाटक, मज्झिमनाटक और जेट्ठ नाटक में विभक्त किया गया है। अवश्य उनका दर्जा दासों का रहा होगा, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उनका स्थान पत्नी के स्थान से भिन्न था, वे किसी और व्यक्ति को दी जा सकती थी और विरासत में पाई जा सकती थीं। फिर भी इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता था, इस जानकारी के अभाव में हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि सब नाटक इत्थियाँ दासी ही होती थीं। अनुचरवर्ग : दासों और नौकरों का एक और काम था अनुचर वर्ग में रहना। हर राजकुमार और उसी प्रकार उसके परिवार के हर सदस्य का निजी अनुचर वर्ग था। धनी लोगों के भी अनुचर वर्ग थे और उन्होंने अपने परिवार के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रत्येक सदस्य को अनुचर वर्ग दे रखा था। विनयपिटक में हमें एक राजकुमार का राजसी अनुचर वर्ग मिलता है। रानियाँ अपने अनुचर वर्ग अपने पतियों से प्राप्त करती थीं, जैसे राजा उदयन की तीन रानियों ने अथवा राजा ओक्कक की पाँच पत्नियों ने प्राप्त किया था। कहा गया है कि रानी के अनुचर वर्ग में केवल नारियाँ होती थीं। अन्य ग्रंथों में राजकुमारियों के अपने अनुचरवर्ग को लेकर बुद्ध के पास जाने का वर्णन मिलता है। इस प्रकार के अनुचर वर्ग में उनकी सखियाँ और दासियाँ होती हैं। अपने दूत का महत्व जताने के लिए राजा उसके साथ बहुत बड़ा अनुचर वर्ग भेज देता था। उदाहरणार्थ शुद्धोदन द्वारा अपने दूत के साथ भेजा गया अनुचर वर्ग। धनी आदमी को जब भेंट करने या घूमने जाना होता था तो उसका अनुचर वर्ग भी उसके पीछे चलता था। विशाखा की भाँति पत्नियों के भी अपने अनुचर वर्ग होते थे। अन्यत्र हमें एक ऐसे आदमी का उदाहरण मिलता है, जो अपनी पत्नी के साथ जब बिहार (मठ) जाता है तो उसका अनुचर वर्ग भी उसके साथ चलता है। एक सेनापति के प्रत्येक पुत्र के पास एक–एक हजार अनुचरों का समूह था। धनी लोगों या राजाओं के द्वारा भेजे गए दूतों के साथ भी बड़ी संख्या में अनुचर चलते थे, खासकर जब वे दूत किसी महत्वपूर्ण काम पर, जैसे स्वामी के लिए पुत्रवधू खोजने के लिए जा रहे होते थे। अनुचर कभी भी अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ते थे। उसकी सुरक्षा के लिए वे सदा सचेत रहते थे। केवल बोधिसत्व या स्वयं बुद्ध को छोड़कर वे किसी को भी उनसे अकेले में मिलने नहीं देते थे।

कौटिल्य के अनुसार राजा जैसे ही अपना शयन कक्ष छोड़े, सशस्त्र नारियाँ उसकी रक्षा में तत्पर हों। रानियाँ–शयन कक्ष तक में भी परिचारिकाओं से घिरी रहती थीं। यात्रा के लिए निकली हुई रानी की रक्षा का भार सर्वप्रथम उसकी परिचारिकाओं पर होता है। धनी स्त्री के साथ उद्यान में जाने वाला परिचारक वर्ग बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उन्हें आशा रहती है कि वहाँ खाने–पीने में समय अच्छा कटेगा। धनी गृहस्थों के घरों में ये अनुचर हर चीज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की देखभाल करते हैं, स्नान के लिए पानी लाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, गृहणी के बीमार हो जाने पर उसकी सेवा सुश्रूषा करते हैं, इत्र और स्नान का लेप तैयार करते हैं और मालाएँ बनाते हैं उनमें से कुछ घर की झाड़–पोंछ करते हैं और कूड़ा–कचरा बाहर फेंकते हैं। अनुचर वर्ग को परिवार या परिजन की संज्ञा दी गई है। केवल नारियों वाले अनुचर वर्ग के लिए परिवार–इत्थी या केवल परिचारिका शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रिपिटक में प्राप्त संकेतों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिजन में दासों का समावेश रहता था। वास्तव में, संपादकगण परिवार शब्द और दास एवं दासी शब्दों में भेद नहीं करते और इनका प्रयोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में ही करते हैं। यहाँ हमें सोने के गहनों से सजी दासियों–दासियों से घिरी नारी का दृष्टांत मिलता है। वही एक और नारी का उदाहरण मिलता है, जो "दासों के साथ" उपवन जाती है। एक राजकुमारी की दासियाँ मालकिन के आदेश का पालन करती हुई विचारहीन ज्योतिषियों को घर से बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार की और घटनाओं से भी इस मत की पुष्टि हो जाती है। शुद्धोधन के द्वारा उसके 10 दूतों के साथ भेजे गए आदमी भी अपने मुखिया के साथ संन्यासी हो गए। बुद्धघोष के अनुसार अशोक के छोटे भाई ने एक हज़ार अनुचरों सहित संन्यास धारण किया और इसी प्रकार श्रीलंका के राजा के छोटे भाई ने भी। श्रीलंका के राजा की बहन को उसकी 500 अंतःपुर की परिचारिकाओं सहित मठ में प्रवेश दिलाया गया था। इन नारियों और 500 कन्याओं में भेद किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि परिजन में अंतःपुर की परिचारिकाएँ होती थीं। यह भी विदित है कि अन्य राजकुमारियाँ भी जब भिक्षुणियाँ बनती थीं, तो उनकी परिचारिकाएँ भी उनके साथ होती थीं। अतः हमारे पास यह कहने का आधार है कि अनुचर वर्ग का कम से कम एक भाग दास और दासियों का होता था।

पादमूलिक : पादमूलिक को परिजन वर्ग में ही चुना जाता था और उन्हें चरणों में उपस्थित रहने वाला 'अथवा' अत्थचारिक पुरिस– जो स्वामी के मनचाहे कार्य कर दे इन संज्ञाओं से जाना जाता था। पहला शब्द पादमूलिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के स्वामी के साथ निकटता को और दूसरा शब्द उसके कार्यों को प्रकट करता है। पादमूलिक को दिया जाने वाला दूसरा नाम पच्चयिक पुरिस है यानी 'विशिष्ट नौकर' नारियों के लिए अत्थचारिक इत्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। विवाहयोग्य आयु को प्राप्त हुई कन्या को मिलने वाली दासी को दासी या पेसन–दारिका कहा जाता है। पहला उसकी कानूनी स्थिति को और दूसरा (जिसका अर्थ है ''प्रेषण''–अर्थात् काम के लिए भेजे जाने वाली लड़की) उसके कार्य को व्यक्त करता है। पादमूलिक को अंतरंग रूप से विश्वस्त आदमी और राजकुमार के परामर्शदाता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका मालिक अपनी सारी योजनाओं में, झूठे षड़यंत्रों में, अपहरणों तथा अपराधों अथवा हत्याओं में इसके ऊपर निर्भर करता था। नारियाँ अपनी मालकिनों (रानियों, धनी नारियों) के लिए सब काम संपन्न करती थीं।

धायों का काम बच्चों को पालना था। हमें उनकी कानूनी स्थिति के संबंध में अधिक ज्ञान नहीं कि वे दासियाँ थीं या वेतनभोगी नौकरानियाँ। फिर भी एक बात तो निश्चित है, एक राजकुमारी की धाय सारी आयु उसके साथ रहती है और उसी के साथ उसके पति के घर को जाती है। यहाँ हमें दास–प्रथा जैसी स्थिति मिलती है। धाती–दासी शब्द को हम उसके दासी पद के निश्चित प्रमाण के रूप में नहीं ले सकते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धायों में दासियाँ हैं। रानी अपने बच्चों को स्वयं तो पालती थी नहीं, इसलिए धाय ही उन्हें दूध पिलाती और बड़ा करती थी। राजकुमारों को पाल कर बड़ा करने के लिए धाय को नियुक्त करने की प्रथा इतनी प्रचलित थी कि एक बार तो जातकों के संपादकों को पहाड़ पर जन्मे एक राजकुमार के लिए किन्नरियों को धायों के रूप में रखना पड़ा है। कभी–कभी तो एक अकेले राजकुमार के लिए 64 धाय तक रखी गई हैं। समय–समय पर राजा लोग राजकुमारों के जन्मदिन पर जन्मे सब बच्चों के लिए धाय रखवा देते थे। धनी लोगों के बच्चे भी ऐसे ही पलते थे। हमें ऐसे लोगों के उदाहरण भी मिलते हैं, जो राजाओं के अनुकरण पर अपने बच्चों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जन्मदिन पर जन्म लेने वाले अन्य बच्चों के लिए भी धाय रखवा देते थे। लड़कियों को भी धाय ही पालती थीं। हम नहीं जानते हैं कि बच्चे को धाय से कब अलग किया जाता था, शायद स्तन्यमोचन (दूध छुड़ाई) के समय ऐसा किया जाता रहा होगा। इसके विपरीत धायें अपने द्वारा पालित लड़की के साथ रहती हैं, और विवाह के बाद उसके साथ ही उनके नए घर जाती हैं। इसके अतिरिक्त पितृ गृह में भी धाय 'बच्चों' के परिजन का भाग होती हैं और पिता से या किसी और से भेंट करने के लिए जाती हुई राजकुमारी के साथ हम धाय को भी जाते हुए देखते हैं। धाय माता कन्या की सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं साथ ही उन सारी बातों का भी ध्यान रखती हैं जिसका संबंध उसके बच्चे से होता है। हम इनमें से एक को मालकिन के स्नानगृह के लिए पानी लाने जाती हुई दासियों के साथ जाते देखते हैं। इस प्रकार सारा उत्तरदायित्व जिसकी कोई सीमा नहीं थी धाय का ही होता था। अपने काम की प्रकृति के कारण और अपनी पाली हुई बेटी के साथ घनिष्ठता के कारण धाय और कन्या में सच्चा स्नेह उमड़ आना स्वाभाविक था। यही वह भावना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्यों कोई धाय अपनी 'बच्ची' को अपने प्रेमी के साथ–भाग निकलने में सहायता करती थी।[26] कभी–कभी धाय अपनी पालिता कन्या के ऊपर जो अपना अधिकार चलाती थी, वह उसकी इसी निष्ठा का पुरस्कार होता था।

यहाँ उल्लेखनीय है कि धाय का काम करने के लिए आवश्यक था कि वह नारी न तो बहुत लंबी, न बहुत गोरी हो और उसका दूध मीठा हो। धाय का काम गंदा समझा जाता था, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य की स्थिति को नीचा दिखाने से अभिप्रेरित होता था जो धाय का थूक, बलगम, मूत्र, विष्ठा आदि से सने मलिन वस्त्रों की उपमा बहुत बार दी जाती थी।

सबसे कठिन और भयंकर काम दासों और नौकरों को रसोईघर में करना पड़ता था। एक राजसी रसोईघर के वर्णन में (बहुत प्राचीन समय के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रसोईघर में जब राजकुमार के पास भी केवल मिट्टी के बर्तन ही हुआ करते थे) हमें एक रसोइया मिलता है, जो बहुत थका हुआ है, वह लकड़ियाँ चीरता है, बर्तन साफ़ करता है, पानी भर कर लाता है फ़र्श पर बिना कुछ ओढ़े सोता है, सुबह ही यवागू (एक प्रकार का पेय) बनाने के लिए उठता है—उसे बना कर ले जाता है सबको परोसता है और इस प्रकार उसे बहुत कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। एक और उदाहरण में किसी धनी के घर में रसोई घर की नीचे की मंजिल पर अवस्थित था। यह हमेसा धुएँ से भरा होता था, जिससे लोग काले हो जाते थे, और पहचानने में नहीं आते थे रसोईघर से दो कामों का बहुत अधिक संबंध है, वे हैं घड़ों में पानी भरकर लाना और धान फटकना। जिन दासियों के जिम्मे पानी भरने का काम रहता था उन्हें कुएँ या नदी पर जाने के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता था। यह काम साल भर चलता रहता था, क्योंकि पानी के बिना काम नही चलता। धान फटकने वाली दासियों का जीवन बड़ा कठोर और थकाने वाला था। उन्हें भी अपना काम सबेरे बहुत जल्दी शुरू कर देना पड़ता था, और काम सूर्यास्त तक और कभी—कभी खिंचकर रात में देर तक चलता था। शरीर पसीने से तर हो जाता था। वे बुरी तरह थक कर गिर पड़ती थीं और बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए काम बंद कर देती थीं। दासियों के इन दो कामों के लिए अलग—अलग नाम थे : कुम्भ दासी (घड़े वाली पनिहारिन) और वीहिकेटिक दासी और धान कूटने वाली दासी)।

एक अन्य प्रसंग में, हम एक ऐसे व्यापारी को पाते हैं जो अपने दासों और नौकरों को सवेरे उठाकर कमरा ठीक करने, लकड़ियाँ काटकर लाने, धान कूटने का आदेश देता है।[27] एक महान उपदेशक के घर में एक दासी अकेले ही रसोई घर की देखभाल करती है। साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि बुद्ध ने भिक्खुओं की सेवा करने के साथ जुड़े पुण्य पर बहुत अधिक जोर दिया था। सारे साधारण—भक्तजन बुद्ध और भिक्खुओं की सेवा करते दिखाए गए हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(सहत्था यानी अपने हाथों से)। संभवतः यही एक काम था, जिनमें स्वामी अपने दासों का हाथ बंटाते थे।

दौवारिक, द्वार रक्षक को कहते हैं, हो सकता है यह दास रहा हो। उदाहरण के लिए सेट्ठि सदत्त अनाथ पिंडिक ने बिहार की द्वार–रक्षा के लिए एक दास दिया था। द्वार रक्षक को खत्त भी कहा जाता है। वह अतिथियों का स्वागत करता है और उनके आने की सूचना अपने स्वामी को देता है। घर की दहलीज पर नियुक्त दास अतिथि के पाँव धोता था और उसको घर के अंदर ले जाता था। मगध राज का इसी रूप में उसके कोषाध्यक्ष के घर में स्वागत होता है। आदेश मिलने पर दौवारिक अवांछित व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकने के लिए दरवाजे को बंद कर देता है, जैसे सीह के घर आते हुए जैन श्रमणों के लिए और उपालि के घर आते हुए साधुओं के लिए।[28] दौवारिक न केवल अतिथियों के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है, अपितु नारियों के बाहर जाने पर भी, यहाँ तक कि घर की कोई भी पत्नी अपनी इच्छानुसार बाहर नहीं जा सकती। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का चौथे द्वार पर औरों के साथ–साथ भालाधारी प्रतिहारियों द्वारा स्वागत होता था।

हमें ऐसे दास और नौकर मिलते हैं, जो भिक्खुओं को बुलाकर अपने स्वामी के घर ले जाते हैं, अपने स्वामी अथवा स्वामिनी के साथ काँवर (बँहगी) में विहार की ओर भोजन ले जाते हैं। इन घरेलू दासों को भिक्षा वितरण के काम पर भी लगाया जाता है। ब्राह्मण–धर्म के यज्ञों में, दासों और नौकरों को ही 'भय से विवश' आँसुओं से तर' होकर सारे शारीरिक काम करने पड़ते हैं। उद्यान–पाल/आराम–पाल : यह ज्ञात नहीं कि राजाओं के उद्यान के रक्षक दास होते थे या नौकर। कुछ भी हो, वह इन दोनों में से एक अवश्य रहता होगा, क्योंकि राजा का पादमूलिक भी उसे 'भणे' कहकर दास या नौकर के रूप में संबोधित करता है। वह उनका स्वामी के समान 'अज्ज' कहकर ही उत्तर देता है। बगीचे के रक्षक को उद्यानपाल या आरामपाल कहा जाता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने स्वामी के आने पर उसे सब लोगों को निकाल कर बाग खाली करवाना पड़ता था। कभी–कभी उसे बाग में आए राजा के अतिथि भिक्षुओं की भी सेवा करने को कहा गया है। दासों और नौकरों के इन सारे कार्यों की देखरेख राजा अथवा गृहस्वामी के विश्वासपात्र लोगों के अधीन होती है। राजमहल में इसका दायित्व मंत्री पर होता है, धनिक लोगों के घरों में इसका जिम्मा किसी भी आदमी अथवा दासों में से किसी एक पर होता है। रानी अथवा गृहस्वामिनी अपने सारे कामों की देख–रेख इन कर्मचारियों पर छोड़ देती है। दूसरी ओर साधारण आय वाले लोगों के घरों में दासों की गृहणियों को उनके पति के काम में भाग लेने पर विवश होना पड़ता था। मध्य वर्ग के घरों में नौकरी इस वर्ग के घर मुख्यतः खेतों के मालिक, काश्तकार अथवा साधारण व्यापारियों आदि के हैं। घर की नारियों यानी पत्नी, माँ, बेटी, पुत्रवधू को घर के सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं और केवल एक या दो दास उनकी सहायता के लिए होते हैं। हम देखते हैं कि कोई नवोढ़ा स्त्री खाना पकाती है या कोई गृहणी पति के मित्र के लिए मांस सहित चावल पकाती है। एक ग्रामीण परिवार में पत्नी खाना बनाकर दास के द्वारा खेत पर भेजती है।

साधारणतया, घर के काम दासी को ही करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, हम काली नामक दासी को पाते हैं, जो चावल पकाने, बिस्तर लगाने, दिए जलाने में निपुण थी और जो न केवल उत्साही थी, अपितु बर्तन भी नहीं तोड़ती थी। प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठकर गायों को दुहती थी। एक और घर में औरतें–अर्थात् पत्नी और लड़कियाँ–एक भिक्षु के लिए खाना बनाने से इनकार कर देती हैं तब उसका खाना एक गृहदासी यानी गेहदासी को बनाना पड़ता है। एक और गेहेह–दासी मनोवांछित वस्तु के रूप में ओखली, मूसल और चलनी पाकर ही संतुष्ट हो जाती है। इन दासियों के द्वारा किए जाने वाले कामों को 'दासी–भोगेग' कहा जाता था जिसका अर्थ बुद्धघोष के अनुसार हैं– 'खेतों का काम, कूड़ा–करकट हटाना, पानी भरकर लाना' आदि। दासी–भोग के विपरीत है 'सुनिसा–भोगेग', जिससे पुत्रवधु के द्वारा किए जाने वाले काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का बोध होता है। इन दो शब्दों से परिवारों के घरेलू काम का स्पष्ट वर्णन हो जाता है। घर में काम करने वाले दासों के अतिरिक्त वैतनिक श्रमिक भी हुआ करते थे, जिन्हें समय–समय पर जरूरत पड़ने पर कृषि आदि संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। इससे भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि घर में काम कम हो जाने पर ये लोग अपने दासों को घर से बाहर काम करने के लिए किराए पर दे देते थे, जैसे भाड़े पर धान कूटने के लिए। एक अन्य जातक में हमें एक दासी की कहानी मिलती है, जिसे इस प्रकार कमाया हुआ धन अपने स्वामी को न देने पर मार सहनी पड़ती है।

घरेलू काम काज करने वाले दास और दासियों, दोनों के कामों का यह संक्षिप्त विवरण है। दासों और नौकरों का एकत्र उल्लेख किए जाने के कारण यह कहना कठिन है कि इस प्रकार के काम केवल दास ही करते थे; फिर भी दासों को ये सारे काम दिए जाते थे यह निश्चित है। मध्यम आय वाले परिवारों में दासी का काम करना भी सुनिश्चित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि घरेलू काम के क्षेत्र में अल्पतंत्रों और राजतंत्रों में कोई मौलिक भेद नहीं है। तथापि धनी गृहों की संख्या राजधानियों में अधिक रही प्रतीत होती है और परिणामतः घरेलू श्रम में लगाए गए दासों की संख्या भी वहाँ अधिक रही होगी, अंतर केवल मात्रा का रहा होगा।

व्यापारियों द्वारा नियुक्त दास दास और नौकर घरों की रखवाली करते, मालिकों के काफिलों के साथ चलते, और इससे संबंधित सारे कामों के लिए उत्तरदायी होते थे। जब उनके स्वामी अनाथ पिंडक को उपवन खरीदने के लिए सोने की जरूरत थी तब दासों ने ही जाकर सोना खोजा। उसी सेट्ठि के दास और नौकर अन्य सेट्ठि के काफिले को लूटने के लिए गए। एक और दास ने अपने साहस से और लगन से रेगिस्तान में कुआँ खोदा और इस तरह पूरे काफिले को विनाश से बचाया। स्वामिभक्ति के उदाहरण के रूप में उन दासों और नौकरों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने अपने स्वामी, एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नौजवान व्यापारी की मौत के लिए उत्तरदायी वेश्या को मार डाला। कभी–कभी अपने स्वामी के आदेश पर वे भिक्खुओं के पीछे–पीछे जाकर इन भिक्खुओं को भोजन देते।

वाणिज्य की गतिविधि अल्पतंत्र और राजतंत्र में समान ही थी। परिणामतः, इन दोनों क्षेत्रों में धनी लोगों द्वारा नियुक्त किए गए दासों के काम के प्रकार में कोई भेद नहीं था। फिर भी प्रारम्भिक बौद्ध काल में राजशाहियों में वाणिज्य के महत्व की अधिकता को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि राजतंत्रों में दास अधिक संख्या में थे। इसलिए अल्पतंत्रों का नाश घरेलू दासों और व्यापारियों के दासों की दशा में कोई आमूल परिवर्तन नहीं ला सका। जैसा हमने देखा, अन्य क्षेत्रों में दासों की गतिविधि की परिस्थिति भिन्न थी।

कोसल पर मगध की विजय के परिणामस्वरूप कोसल तथा मगध दो राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य के निर्माण से दास–प्रथा पर अन्य प्रकार का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। छोटे–छोटे राज्यों के लोप से नर–नारियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाओं पर की जाने वाली लूटमार की घटनाओं का अंत अवश्य हो गया होगा। पालि शब्द कर–मार–आनीत का व्युत्पतिपरक अर्थ है, ''ऐसा पकड़ा हुआ व्यक्ति जिसे पकड़ने वाला अपने हाथों में मार सकता था।'' सामाजिक विकास में युद्धों में पहले लूटमार की अवस्था आई थी, अतः यद्यपि मूलतः इस शब्द का अर्थ लूटमार में पकड़ा हुआ आदमी था, तथापि बाद में इस शब्द का लड़ाई में पकड़े हुए आदमी के लिए प्रयोग किया गया। त्रिपिटक में इस शब्द के ये दो अर्थ मिला दिए गए हैं। कहने का अभिप्राय है कि दासों के दो वर्ग एक ही नाम के अंतर्गत, एक साथ पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र एवं अन्य स्मृतिग्रंथों में लूटमार को औपचारिक रूप से प्रतिषिद्धि किया गया है और केवल युद्ध में बदी बनाए गए दास को ही यह संज्ञा दी गई है। अतः मगध साम्राज्य के उदय से सिद्धांततः इन लूटमारों का अंत हो गया होगा। यदि यह ठीक है तो कोसल के अंत के बाद से कलिंग–युद्ध तक,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिसमें अशोक ने हजारों लोगों को बंदी बनाया, लड़ाई में दास नहीं पकड़े गए होंगे। हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि धनी जमीदारों ने अपने खेतों पर दासों और नौकरों को लगाकर आर्थिक सत्ता अपने हाथों में केन्द्रित कर ली थी। यह सही है कि इस स्थापना का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर भी ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता, जिससे इन लोगों को अपने विशेष–अधिकार छोड़ने पर विवश होना पड़ा हो। यह भी हमें विदित है कि सर्वाधिक दयालु सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने भी दास प्रथा को समाप्त करने के बारे में नहीं सोचा। इसके अतिरिक्त यह हो सकता है कि पूर्णतया केन्द्रीकृत प्रशासन को नए–नए खर्चों का सामना करना पड़ा हो और राज्य को इस समस्या से निपटने के लिए कई कृषि योग्य सरकारी जमीनों पर खेती के लिए युद्ध बंदियों को काम पर लगाया गया हो और इस तरह से दास–श्रम का सहारा लेने पर विवश होना पड़ा हो। इस अवधि में ऋण, अकाल, युद्ध, कानूनी दंड आदि दासता के कारण रहे।

त्रिपिटक' में दास के ऊपर स्वामी के पूर्ण प्रभुत्व को किसी प्रकार कम करके दास को कानूनी संरक्षण देने वाले विधान का उल्लेख नहीं है। आजीवन दासता और नियत–अवधि की दासता में भी कोई भेद नहीं किया गया है, यद्यपि इनमें से निश्चित अवधि की दासता का उललेख स्वयं त्रिपिटक में ही मिल जाते हैं। बालदासों और दासियों के संरक्षण के लिए भी कोई कानून नहीं है। दास पूर्णतः अपने स्वामी की दया पर ही आश्रित है। तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि त्रिपिटक में दास को कोई वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, तो यह दास प्रथा की तत्कालीन धारणा के सर्वथा अनुकूल ही था। दास स्वयं ही किसी की सम्पत्ति का अंग था, अतः दास को सम्पत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार दास के नाक–कान काट लेने या जान से मार देने की घटनाओं का कारण यह था कि इस प्रकार के अत्याचार करने वाले दंड नहीं पाते। हमें एक ऐसे खेत के रखवाले का उदाहरण मिलता है, जिसे उसके मालिक ने क्रोध के आवेश में मार डाला। उसके रिश्तेदार केवल रोने के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सके। दासी को अपने मालिक के साथ सोना पड़ा और डाह से जलती मालकिन ने उसकी पिटाई की और गुस्से में आकर उसके नाक–कान काट दिए। एक और दासी मालकिन के दुर्व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या करने की सोचती है। अंत में काली नामक दासी का उदाहरण है, जो जानबूझकर मालकिन के गुस्से को भड़का बैठती है और फलस्वरूप उसे सर पर चोट सहनी पड़ती है। बदले में वह सिवाय पड़ोस में शिकायत करने के और कुछ नहीं कर सकी।[29] त्रिपिटक से हमें कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जहाँ दासों के साथ दुव्यर्वहार करने के अपराध में किसी स्वामी को दंड दिया गया हो। तथापि हम यह कह सकते हैं कि दासों के प्रति दया की भावना बुद्ध के जीवनकाल में ही विकसित होने लगी थी। संभवतः इसी भावना ने दासों के अधिकारों के विकास में योगदान दिया। काली नामक दासी ने, जिसके सर पर चोट आई थी, पड़ोस में निंदा करके मालकिन को बदनाम कर दिया। आत्महत्या की सोचने वाली दासी के मालिक के साथ महात्मा बुद्ध ने बीच–बचाव किया और उसे मरने से बचा लिया। दासी के नाक–कान काट लेने वाली घटना की महत्मा बुद्ध ने निंदा की। इसके अतिरिक्त, बुद्ध ने दासों और नौकरों के काम के महत्व पर भी जोर दिया। उनके अनुसार दास और नौकर समाज का निचला भाग 'हेट्ठ्ठमा दिसा' है अर्थात् उनके मत से इन्हें निकृष्ट न समझकर समाज की नींव या आधार समझना चाहिए। वे प्रायः अपने समृद्ध श्रोताओं को अपने दास–दासियों के कुशल–क्षेत्र की चिंता करने का परामर्श देते थे। इस प्रसंग में अशोक का अपनी जनता को दासों के साथ अच्छा बर्ताव करने का उपदेश (दास–भटकम्हि सम्य प्रतिपत्ति) प्रारंभ में बुद्ध के दिए उपदेशों का तर्कसंगत परिणाम है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि त्रिपिटक साधारणतया आरिय (श्रेष्ठि, स्वामी) और दास (गुलाम) शब्दों को विपरीतार्थक रूप में प्रयुक्त करता है, उदाहरणार्थ, आरिय–बोहेहार और दास–बोहेहार शब्दों में। इन सब उदाहरणों में आरिय शब्द (वैधानिक–अर्थ में) स्वतंत्र मनुष्य का बोधक है,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जबकि इसके विपरीत दास शब्द गुलाम व्यक्ति का।[30] पटाचारा[31] और भिक्खु चुल्ल–पन्थक की माँ के उदाहरणों पर विचार करने से यह धारणा दृढ़मूल हो जाती है कि यदि कोई लड़की अपने माता–पिता के किसी दास के साथ भाग जाती है, तो उस दशा में दंड का भय केवल दास को रहता था, लड़की को नहीं। इसी ढाँचे में रहकर हम त्रिपिटक में उपलब्ध तथ्यों का निरूक्त, महाभारत और धर्मसूत्रों से यथा प्राप्त जानकारी जोड़ते हुए परीक्षण करेंगे।

दास प्रथा के वैचारिक पक्ष पर कुछ टिप्पणियाँ प्रस्तुत परिच्छेद में हम पालि साहित्य में उपलब्ध वर्णनों के आधार पर विवेचन करेंगे कि स्वामी का दास के प्रति, विशेषतः उसके काम के सम्बन्ध में और दास का स्वामी के प्रति क्या रूख था, साथ ही, हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि बुद्ध का इस सम्बन्ध में क्या रूख था और फिर यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि इस जटिल प्रश्न पर उन्होंने कौन–सी नीति अपनाई। हो सकता है हमारा यह विवेचना पर्याप्त न लगे, फिर भी इससे आशा है, हम इस प्रश्न में रूचि उत्पन्न कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ प्रस्तुत किए गए तथ्यों को इस रूप में कदाचित ही दिखाया गया है। स्वामी के लिए, दास और नौकर अतिरिक्त बोझ हैं, जिनका उसे अपने परिवार के अन्य सदस्यों और आश्रितों की भाँति पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक स्वामी, समृद्ध ब्राह्मण अपनी दशा पर यों आक्रोश व्यक्त करता है, 'हम चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं, जबकि अपने माता–पिता .. .... अपने दासों, नौकरों और अन्य आश्रितों का पालन करने के लिए हमें उद्योग करना पड़ता है। मालिक सोचना है कि दास तो दूर रहा, वेतन भोगी कम्मकर भी अपने जिम्मे लगाए काम में कोई रूचि नहीं लेता और इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब दिन खत्म हो, कब वेतन मिले और काम को सफलतापूर्वक समाप्त करने की उसे रत्ती मात्र भी चिंता नहीं रहती। मालिक चाहे अपने सेवकजनों का कितना ही ध्यान रखें, उसके बावजूद सेवक उसके काम को मन से नहीं करते। भले ही वह स्वयं दिनभर पिसता रहे, लेकिन ये लोग, जिन्हें वेतन मिलता है या जिन्हें वह पालता है, काम से जी चुराने की हर संभव कोशिश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करते हैं। मालिक के काम को अपना काम समझने वाले और मालिक की सम्पत्ति को अपनी ही बहुमूल्य सम्पत्ति समझ कर रक्षा करने वाले दास–सेवक के लिए मालिक तरसता रह जाता है। फिर भी मालिक चाहे उनके कैसी भी देखभाल क्यों न करें, ये लोग उसके ऐसे भले व्यवहार के उत्तर में कदाचित ही अच्छा काम करते हैं। इन लोगों को केवल अपनी आवश्यकताओं की चिंता रहती है और यद्यपि बाहरी रूप से अपने स्वामी के सामने ये बड़े आज्ञाकारी, कर्त्तव्य–परायण और सावधान रहते हैं, लेकिन मालिक के पीठ फेरते ही ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक और मालिक का आक्रोश पठनीय है। ''भन्ते, हमारे दास ...... शरीर से कुछ काम करते हैं वाणी से कुछ और कहते हैं ओर उनके मन में कुछ तीसरी ही बात होती है।'' इस उद्धरण की व्याख्या टीका में इस तरह की गई–मालिक को देखकर वे खड़े हो जाते हैं, उसके हाथों से समान लेते हैं, जिस चीज को उठाते उस चीज को रखते हुए वे मालिक के लिए आसन प्रस्तुत करते हैं, पंखे से हवा करते हैं, उसके पाँव धोते हैं, इस प्रकार जो भी आवश्यक हो सभी करते हैं। परंतु वे ही लोग उसकी अनुपस्थिति में चाहे तेल ही क्यों न बिखर रहा हो, उसकी ओर नज़र तक नहीं उठाते और चाहे मालिक की सैकड़ों या हजारों की हानि क्यों न हो जाए, घूमकर देखना तक उन्हें गवारा नहीं। (उनके मन और शरीर का व्यवहार कैसे भिन्न होता है यह उसका उदाहरण है) .... जो स्वामी के मुँह पर तो उसकी बड़ाई करें कहें ''हमारे मालिक .... हमारे प्रभु''; वे ही उसके चले जाने पर जो भी मन में आता है वह सब कुछ कह डालते हैं; जो कहने योग्य नहीं वह भी कह देते हैं (यह है उनके मन और वाणी के भिन्न आचरण का उदाहरण)। वास्तव में इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उज्जयिनी नरेश का दास काक जो एक दिन में 60 योजन चल लेता था।[32] या दासी काली सावित्थ जो चतुर, फुर्तीली और घरेलू कामों की भली–भांति देखरेख करने वाली थी। ऐसे दासों का दृष्टांत 'चरियापिटक' में दिया गया है, जहाँ यह कहा गया है कि आजीविकोपार्जन के लिए आया सेवक अपना शरीर, वाणी और मन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वामी की सेवा में लगा देता है। ऐसी ही एक और अच्छी दासी है पुन्ना या पुन्निका जो बाद में दासत्व से मुक्ति पाकर भिक्खुनी हो गई। अब हम यह देखें कि इन लोगों का अपने काम के बारे में क्या कहना है? पुन्ना कुम्भ दासी थी, इसलिए उसे वर्षभर सवेरे, दोपहर और रात को पानी भर कर लाना पड़ता था। यह बहुत ही दुःखदायक और कठोर काम था, विशेषतः सर्दियों में, जब उसे सवेरे और जरूरत पड़ने रात को को भी ठंडे पानी में उतरना पड़ता था। उसका कहना है कि वह अपने काम में नागा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने पर उसे धमकियाँ सुननी पड़ती हैं या गालियों की बौछार सहनी पड़ती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह बर्ताव उस मालिक का था जो एक समर्पित बौद्ध व्यक्ति था (लेकिन पास में कुआँ न होने पर, मालिक को कठोरता बरतनी ही पड़ जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु ही कुछ ऐसी है, जिसके कारण हमें यूरोप की अपेक्षा पानी की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है)। काली की कहानी से कोई संदेह शेष नहीं रहता। वह अपनी मालकिन की आँख का तारा थी और हर व्यक्ति उसकी मालकिन की बड़ाई करता था कि वह अपने दास–दासियों से बहुत ही भला व्यवहार करती है। चतुरता के कारण काली को जल्दी ही समझ में आ गया कि यह सब कुछ उसकी तत्परता और फुर्ती के कारण है। अपनी इस धारणा को पुष्ट करने के लिए उसने देर से आना शुरू कर दिया और वह काम में असावधानी बरतने लगी। फिर तो बहुत जल्दी ही सारी कहानी ही बदल गयी और काली की अविलम्ब बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई, जिससे यह बात साफ हो गई कि इन लोगों के एकमात्र सुरक्षित मार्ग अपने काम को पूर्णतया मन लगाकर करना था जिसकी दैनंदिन आवृत्ति उबाने वाली घरेलू–गुलामी बन जाती थी। (कभी–कभी तो अच्छा काम भी दास का बचाव नहीं कर पाता था–दासी रज्जुमाला इसका उदाहरण है)। यदि ये भले सेवक समझे जाने वाले श्रमिक और दासी पूरा मन लगाकर काम इसलिए करते थे कि बल प्रयोग की धमकियों से बचे रह सकें तो हम मान सकते हैं कि काम करने वाले लोगों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक बहुत बड़े भाग के सम्बन्ध में भी यही बात रही होगी। यज्ञ में कोई भी काम करना पुण्य होता है। लेकिन एक संदर्भ से, जिसे प्रायः उद्धृत किया जाता है, हमें ज्ञात होता है कि यज्ञ में भी दास–कम्मकार लोग दबाव में पड़कर दंड की धमकी से और भय से रोते हुए काम करते थे; उनका चेहरा आँसुओं से भीगा रहता था। एक टीका में दबाव देकर शारीरिक श्रम लेने के तत्व पर जोर देते हुए कहा गया है कि दास का कर्तव्य है कि यदि मालिक न चाहे तो उत्सव में भी सम्मिलित न हो और वह अपने काम की दौड़ में लगा रहे अन्यथा उसे पिटाई या शरीर के अंग काटे जाने का जोखिक उठाना पड़ेगा। इस संदर्भ में टीका में से उदाहरण प्रस्तुत है किसी पर्व के दिन उत्सव का आनन्द लेता हुआ दास जब सुनता है कि कोई बहुत जरूरी काम आ पड़ा है और अवश्य करना है, उसका वहाँ तुरन्त पहुँचना बहुत जरूरी है, तो वह सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ता है, अन्यथा उसके हाथ, पाँव, नाक या कान काटे जा सकते हैं। ऐसे दास को नहीं पता कि पर्व का आदि, मध्य या अंत कैसा होता है।

स्वाभाविक है कि इस मामले में एक नौकर की दशा ज्यादा अच्छी रहती है क्योंकि वेतन भोगी श्रमिक होने से वह उसे उत्सवों में भाग ले सकता है (केवल यहीं तो छुट्टियाँ होती थीं) और उसे ऐसे जोखिम नहीं उठाने पड़े थे। लेकिन वेतन भोगी श्रमिक होने के कारण उसके लिए छुट्टी लेना बहुत महँगा पड़ता था। एक कहानी में कोई कम्मकर त्यौहार में जाने से इनकार कर देता है और जाकर अपने मालिक का काम करना अधिक बेहतर समझता है, क्योंकि उसे तो अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए नमक, तेल, लकड़ी जुटाने पड़ते थे। एक और स्थान पर श्रमिक का वो धारण किए कोई धनी त्यौहार के दिन के लिए कहा है, ''माँ, मैं जो वेतन कमा पाता हूँ उसे तो गुजारा मुश्किल होता है। मैं क्या करूँ?– (अर्थात् मैं छुट्टी नहीं ले सकता)। इस प्रसंग में हम एक और कम्मकर के कथन का उल्लेख कर दें जिसमें उसका कहना है कि एक दास तो एकाध बार बीमारी का बहाना करके काम करने से इनकार कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकता है, लेकिन एक नौकर को तो यह मौज भी नहीं मिलती क्योंकि उस अवस्था में वह उस दिन का वेतन खो बैठता है।

स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के इस पारस्परिक विरोध में समानता के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए इस प्रसंग में महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना उचित होगा क्योंकि राजवैभव त्याग कर उन्होंने दोनों वर्गों से संबंध विच्छिन्न कर लिए थे और (अगर आज की शब्दावली में कहें तो) अब इस सारे प्रश्न में उनका कोई 'निहित स्वार्थ' नहीं रह गया था। लेकिन, इस पक्ष पर विचार करने के पूर्व हम इसी समस्या के दूसरे पहलू पर दृष्टिपात करना चाहेंगे, जहाँ दोनों स्पष्टतः विरोधी धाराओं के बीच सामान्य भूमि खोजी जा सकती है। यह सामान्य भूमि है दोनों की सब प्रकार के शारीरिक श्रम से घृणा। स्वामी और दास नौकर वर्ग दोनों ही मानते हैं कि शारीरिक श्रम थोपा हुआ बोझ है और वे चाहेंगे कि उसके बिना ही काम हो जाए। अंतर यह है कि मालिक लोग यह सारा बोझ दासों–नौकरों के कंधों पर डाल शारीरिक श्रम से लगभग पूरी तरह बचने में समर्थ हुए हैं। स्वामीजनों की शारीरिक श्रम से मुक्ति एक संभ्रांत जन के संवाद में आदर्श–रूप में वर्णित की गई है। संवाद इस प्रकार है : भिक्खुओं, मेरा लालन–पालन, लाड़प्यार से हुआ, बेहद लाड़–प्यार से हुआ इतने लाड़–प्यार से जो असीम था। उदाहरण के लिए मेरे पिता के घर में कमलों के पोखर ऐसे बनते थे ' एक नील–कमल का, एक लाल कमल का, एक सफेद कमल का, और ये सब केवल मेरे आनंद के लिए थे। मैं ऐसा कोई चंदन काम में नहीं लाता था, जो काशी से न आया होता, काशी के कपड़े से मेरी पगड़ी, मेरी मिरजई, मेरा चोल, मेरा चोगा बनता। रात और दिन एक सफेद छतरी सदा मेरे सिर पर रहती जिससे कहीं सर्दी या गर्मी, धूल या ओस कहीं मुझे छू न लें। भिक्खुओं, इससे भी बढ़कर बात यह है कि मेरे तीन महल थे (सर्दी के लिए, गर्मी के लिए और वर्षा के लिए)। चौमासे में चैरियाँ मेरी चाकरी में रहतीं सब की सब नारियाँ। इन महीनों में मैं अपने राजमहल से कभी पाँव नीचे नहीं रखता था।[33]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार स्वामी–वर्ग शारीरिक श्रम की मजबूरी से बच जाता था। स्वाभाविक ही है कि शारीरिक श्रम का सारा भार सेवक–वर्ग को ही वहन करना पड़ता था।[34] यही कारण है कि सेवक–वर्ग इससे अधिक और भी चिढ़ता रहता था। कहीं–कहीं ऐसा दास या नौकर अपने आपसे ऐसा प्रश्न करता है कि आखिर उसके और उसके मालिक के बीच इतना अंतर क्यों हैं? उसका यह कहते हुए प्रस्तुत किया है : ये राजा अजातशत्रु हैं– वह आदमी है और वैसे ही मैं भी एक आदमी ही हूँ। लेकिन उनकी इंद्रियों को पूरा–पूरा सुख–भोग प्राप्त होता है, जबकि में उनका एक दास–उनकी चाकरी करता हूँ, उनका आदेश सुनने और पूरा करने के लिए मैं उनसे पहले जागता हूँ। शारीरिक श्रम के प्रति यह जबरदस्ती थोपने का रूख पूर्ववर्ती काल में व्यक्त ऋग्वेदीय धारणा के सर्वथा विपरीत है, जहाँ शारीरिक श्रम के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं व्यक्त हुआ। कम से कम एक अंश तक इसका कारण है श्रम–विभाजन का अभाव जैसा कि एक ही परिवार के लोगों द्वारा भिन्न–भिन्न (शारीरिक और बौद्धिक) व्यवसायों के अपनाने का वर्णन एक ऋचा में दृष्टिगोचर होता है।

पालि साहित्य में व्यक्त शारीरिक श्रम के प्रति यह जुगुप्सा–भाव न्यूनाधिक रूप से पूर्ण श्रम–विभाजन के साथ–साथ चलता है, जो पहले ही स्थापित हो चुका है। स्पष्ट है कि यह श्रम–विभाजन पूर्वकाल में किसी समय हुआ होगा, कारण कि शारीरिक श्रम के प्रति जुगुप्सा भाव ने विचित्र परिणाम पहले ही प्रकट कर दिए हैं। शारीरिक श्रम कम्म को जबरदस्ती थोपा हुआ समझने वाले दास–नौकरों आदि की प्रतिक्रिया के विपरीत, इस वर्ग के शारीरिक श्रम से उपलब्ध उत्पादन का अधिकतम भाग हज़म कर जाने वाले समाज का ऊँचा वर्ग अपने को जीवन से ही ऊबा हुआ बताता है। कम से कम कुछ लोग तो इस सम्बन्ध में सच्चे हैं। ऐसे लोगों के लिए साँस लेने, जीने का काम–कम्म बलात् थोपा हुआ है, और वे जन्म–मरण के इस चक्र से छुटकारा पाने को बड़े व्याकुल हैं। यह पहले ही प्रचलित धारणा बन चुकी है और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाज के निम्न वर्ग के लोग भी कमर तोड़ शारीरिक श्रम और स्वयं जीवन के ही बोझ के दुगुने भार से छुटकारा पाने को व्याकुल होकर भवसागर और पुनर्जन्म से मोक्ष पाने के लिए सांसारिक इच्छाओं के संन्यास का मार्ग अपनाने की दिशा में सयत्न हो रहे थे। प्रथम अवस्था अर्थात् सारी इच्छाओं के परित्याग के लिए हमें एक नौकर की उपमा मिलती है, जो केवल दिन की समाप्ति की व्यग्र प्रतीक्षा में है, जिसकी न कोई इच्छा है न जिसका (मालिक के) काम में लगाव है। दूसरी अर्थात् इच्छा परित्याग के बाद की अवस्था के लिए हमें एक आज़ाद हुए दास की उपमा मिलती है, जो बड़ा प्रसन्न और आराम से है क्योंकि अब वह क्लेशों कष्टों का शिकार नहीं है, जिनका सामान्यतया दास लोग शिकार होते हैं।

महात्मा बुद्ध को, चाहे–अनचाहे, इस समस्या में कुछ रूचि लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उनके धर्म में समाज के सभी वर्गों के लोग आए थे उनके निम्न वर्ग के अनुयायी वर्ग का संघटन भी इस प्रकार का था। हम पहले ही उन उदाहरणों का उल्लेख कियो हैं, जहाँ बुद्ध को व्यक्तिगत रूप से दासों और स्वामियों की मध्यस्थता करनी पड़ी। यह स्थिति कोई अधिक उत्साहवर्धक नहीं थी, क्योंकि शारीरिक श्रम में लगे सब लोगों के प्रति घृणा का भाव बहुत फैला हुआ था और इसी कारण दासों और नौकरों का वर्ग इतना तिरस्कृत हो गया था। स्वयं बुद्ध के चचेरे भाई नंद की कहानी में यह तिरस्कार का भाव उभर कर आता है। स्वर्ग में 500 प्राप्त होने प्राप्ति का आश्वासन पाकर ही वह भिक्खु रहना स्वीकार करता है। यह पता लगने पर उसके और भिक्खु साथी उसका उपहास करते हैं कि पारिश्रमिक के आश्वासन पर भिक्खु रहना मानकर नंद ने अपने को वेतन भोगी मजदूर–भटक की स्थिति तक गिरा दिया है। इसके अतिरिक्त दास के साथ बहुत दूर का संबंध भी ऐसे अभियुक्त के प्रति जनसाधारण का रूख बदल सकता था। उदाहरण के लिए अम्बट्ठ को लें सकते हैं। वह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का विद्वान युवक था, लेकिन उसके मित्रों की नैतिक धारणा को बड़ा आघात पहुँचा, जब उन्होंने सुना कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वह एक दासी–पुत्र का वंशज था। टीका के अनुसार, उन्होंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया कि कहीं बुद्ध उनके संबंध में भी ऐसे कड़वे तथ्य प्रकट न करने लग जाएँ। समूचे समाज में कोई आमूल परिवर्तन कर पाने में असमर्थ होने पर उन्होंने पहला परिवर्तन अपने धर्म के भिक्खुओं के संगठन में किया। उन्होंने आदेश दिया कि अगर काई दास उनके धर्म में दीक्षित हुआ है तो उसे उसके पुराने नाम से सम्बोधित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नामों की सूची बनाई, जिनसे घृणा व्यक्त होती थी (इन नामों का सम्बन्ध दासों से था) उन्होंने आदेश दिया कि किसी को भी इनमें से किसी नाम से न पुकारा जाए। जहाँ तक समाज का प्रश्न है, जब कभी दास–सम्बन्ध में उनसे राय माँगी जाती तो (जैसे कुछ कन्याओं को अपने उपदेश में उन्होंने कहा) वे सेवक वर्ग के प्रति ठीक रूख अपनाने का परामर्श देते। वे कहते–दास कम्मकारों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम देना चाहिए और उनके बीमार पड़ने पर उनकी ठीक से देखभाल होनी चाहिए इत्यादि। अन्यत्र इस कथन में नौकर–दास वर्ग की भलीभाँति देखभाल करने की वांछनीयता पर बल दिया गया है कि एक शीलवती नारी अपने दासों और नौकरों के प्रति ठीक–ठीक व्यवहार करती है। इस प्रसंग में बुद्ध के छह दिशाओं के वर्णन का पुनः उल्लेख करना अप्रासंगिक नही होगा, जहाँ उन्होंने इन लोगों को निम्नवर्ती दिशा–हेट्ठिमा दिशा– में स्थान दिया है।[35] इसकी व्याख्या यों ही हो सकती है कि या तो यह निम्न वर्ग के लोगों के प्रति जुगुप्सा को व्यक्त करता है या फिर इससे समाज के संगठन में इनके स्थान के महत्व का बोध कराता है। ऐसे लोगों के प्रति बुद्ध के सामान्य रूख को देखते हुए यह कहना उपयुक्त होगा कि दूसरी व्याख्या उनके विचारों के अधिक निकट होगी। (टीका के अनुसार यह हेट्ठिमा दिशा वहाँ है जहाँ आधार है–पतिट्ठान है)। एक अन्य कहानी में वे और भी आगे निकल जाते हैं और कहते हैं कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करके अग्नि होत्री–धर्म के निर्वाह पर प्रसन्न होने के बदले दास–कम्मकारों सहित अपने आश्रितों के संतोष को अग्नि–होत्र का और भी अधिक महान रूप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समझना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि यही लोग गार्हपत्य अग्नि है। वास्तव में इस बात पर भी जोर देते हैं, जब वे कहते हैं कि जिस घर में और लोगों के साथ दास–कम्मकारों को समय पर भोजन नहीं मिलता, वहाँ काम ठीक से नहीं होता। और ऐसी असावधानी का परिणाम है हानि। दूसरी ओर एक संतुष्ट दास या नौकर सम्पत्ति है। भले स्वामियों को उन्होंने सेवक–वर्ग से व्यवहार करने के सम्बन्ध में परामर्श दिया कि उनकी क्षमता देखकर काम दो, खाना और वेतन दो और बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करो। असाधारण उपभोज्य पदार्थों में उन्हें हिस्सा दो, यथा समय उन्हें छुट्टी दो। इस प्रकार व्यवहार किए जाने पर वे मालिक से पहले जागते हैं और बाद में सोते हैं, उन्हें जो कुछ मिलता है, उस पर संतुष्ट रहते हैं, अपना काम ठीक–ठीक करते हैं और स्वामी की प्रशंसा करते हैं और यश फैलाते हैं।

दूसरी ओर वे दासों से अपनी दशा को धैर्य से झेलने की सलाह देते हैं और अपनी बात यों समझाते हैं : अगर कोई आदमी दास के रूप में जन्म लेता है, तो यह उसके पूर्व जन्म के पापों का फल है। और उसके लिए सबसे उत्तम मार्ग यह है कि वह अपने आपको स्वेच्छापूर्वक भाग्य पर छोड़ दे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि दास को अपने स्वामी के सब प्रकार के व्यवहारों को शिरोधार्य करना चाहिए, और मन में प्रतिशोध की भावना को स्थान नहीं देना चाहिए, चाहे उसका स्वामी उसको मार डालने की ही कोशिश क्यों न करे? ऐसी अवस्थाओं में दास को यह विश्वास दिलाया जाता है कि अगले जन्म में उसका भाग्य अवश्य बदल जाएगा। उसे विश्वास दिया जाता है कि वह देवता बनेगा और देवताओं के सुख भी उसे प्राप्त होंगे। अगर ऐसा दास सौभाग्यवश मुक्ति पा जाए, तो वह धर्म में दीक्षित हो सकता है और इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष अर्थात् जीवन–मरण की दासता से मोक्ष, के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। निश्चय ही उस अवस्था में सबसे पहले उसे इच्छाओं से छुटकारा पाना पड़ेगा और उसी तरह मुक्त होना पड़ेगा जैसे एक दास अपने दासत्व से मुक्त होता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार जहाँ वे स्वामी–वर्ग को संतुष्ट सेवक–वर्ग की आवश्यकता और वांछनीयता समझाते हैं, वहाँ वे सेवक वर्ग को यह बताना नहीं भूलते कि उनका मोक्ष स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण में है। इस पर बार–बार जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि उनके यह निष्कर्ष सामान्यतया स्वीकृत कर्म फल संबंधों पर आधारित हैं, इस पर उनके अनुयायियों के मत से किसी वर्ग विशेष के जन्म, पूर्वजन्मकृत शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल था। कर्मफल अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय है– बिल्कुल एक मशीन के काम की तरह। इस विश्वास के कारण उनके पास नियति के आगे पूर्ण समर्पण का समर्थन करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। इससे कम से कम अगले जन्म के तो सुखमय रहने का विश्वास उपजेगा। इस प्रकार की नीति के विशद अनुसरण के परिणाम का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। सेवक वर्ग के अधिकांश भाग का आज्ञाकारी हो जाने से, स्वामी के सारे आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहने से समाज में जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा (स्वामी–वर्ग के लिए)। लेकिन उस समय इस बात पर ऐसा जोर देने की क्या आवश्यकता थी? हमारे विचार में इसका एक कारण था उस समय व्याप्त सामाजिक असंतोष। हम यह भूलने के अभ्यस्त हो गए हैं कि जिस समाज–व्यवस्था में बुद्ध का जन्म और पालन हुआ, वह व्यवस्था अंतिम साँसें ले रही थी। बुद्ध के संन्यास ग्रहण के बाद उनकी अपनी जाति के दासों ने जो क्रांति कर दी (यह प्रसंग बहुत ही संक्षिप्त रूप से दिया गया है)[36] उसको अब तक उचित महत्व नहीं दिया गया है। इसमें दास पहले तो विजयी हुए और अपने स्वामियों की कुछ औरतों–कुलुल इत्थियों,, कुलधिताओं और कुलुल सुन्हायों (अभिजात विवाहित स्त्रियों, अविवाहितों पुत्रियों और पुत्र वधुओं) को उठाकर ले जाये। यदि यह क्रांति अपने प्रकार की अकेली क्रांति होती तो बुद्ध की प्रतिक्रिया शायद वैसी न हुई होती जैसी कि वास्तव में हुई। वे बड़े ही बुद्धिमान थे, अतः एकाध छिटपुट घटना से आवेश में बह जाने वाले नहीं थे। लेकिन अन्य उल्लेखों से हमें ज्ञात होता है कि उनके चारों ओर निम्न जाति के लोग भड़क उठे थे। इस प्रकार,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बज्जि लोगों में शासकों के अत्याचारों से पीड़ित लोग आशय खोजते और वहाँ से बसे हुए क्षेत्रों पर आक्रमण कर देते।[37]

अनभिजात वर्ग का एक सदस्य (हमारा आशय बन्धुल से है) सफलतापूर्वक लिच्छवियों को चुनौती दे सकता है और उन्हें रोके रह सकता है, यह तथ्य बुद्ध के ध्यान में अवश्य आया होगा। संभवतः इसी कारण उसने शांति की नीति का समर्थन किया और इस आवश्यकता पर ज़ोर दिया कि इस प्रकार की आचार संहिता होनी चाहिए। निःसंदेह हमें यह मानना होगा कि कर्मवाद में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे बाह्य कारणों के विचार का विशेष होना आवश्यक नहीं है और हम यह मान सकते हैं कि बुद्ध का (त्रिपिटक में प्राप्त उसके सम्बन्ध में जानकारी के आधार पर) इसमें पक्का विश्वास था। लेकिन इस दृष्टि से भी यह स्पष्ट है कि दास अथवा नौकर की ओर से अवज्ञा को बुरा कर्म समझा जाता था। स्वामी की ओर से दास के प्रति अभद्र व्यवहार के संबंध में भी यही धारणा थी।

प्राचीन पालि ग्रंथों के अन्य प्रसंगों में, खेत पर काम करने वालों के रूप में दासों और कम्मकारों (भाड़े के मजदूर) की चर्चा है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि भूमिहीन शूद्र कम्मकार के रूप में काम करते थे। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि अधिकांश दास शूद्र वर्ण के थे। यह निष्कर्ष 'सुद्दो सर सुद्द दासों वा।' वाक्यखंड से निकाला जा सकता है, जिसका प्रयोग बुद्धदेव ने प्रथम तीन वर्णों की गणना कराने के बाद शूद्र की स्थिति स्पष्ट करने की दृष्टि से किया था।[38] 'सुद्द दासो या' का अनुवाद 'किसी व्यक्ति को गुलाम' करना गलत होगा। यह महत्वपूर्ण वाक्यखंड समानाधिकरण का स्पष्ट उदाहरण है और इसका तात्पर्य है शूद्र, जो गुलाम हो। क्षत्रिय, ब्राह्मण और सेट्ठी को छोड़कर, जिन्हें अन्यत्र गुलामों का मालिक बताया गया है, यहाँ शूद्रों को गुलामों का मालिक कैसे बताया गया, इसकी कोई व्याख्या नहीं। अतएव ओल्डेनबर्ग ने ठीक यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रसंगाधीन विवरण शूद्र और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दास में कोई अंतर नहीं करता। यह महत्वपूर्ण है कि शूद्रों को दास के साथ मिलाने का प्रयास सबसे पहले प्राचीन पालि ग्रंथ में किया गया था, न कि धर्मसूत्रों में, जिनसे यह निष्कर्ष परोक्ष रूप में ही निकाला जा सकता है। मौर्योत्तर काल में जाकर मनु ने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में इस स्थिति का उल्लेख किया है।

दासता केवल शूद्र वर्ण के सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ तक कि ग्रामभोजक (ग्राम मुखिया), मंत्रीगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्चकुल में उत्पन्न लोग भी इस स्थिति में पहुँच जाते थे।[39] किसी भी हालत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं रही होगी। अधिकांश दास मजदूर शूद्र वर्ण के होते थे।[40] ऋण, क्रय, अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पन्न दासता की उम्मीद उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णो से ही अधिक की जा सकती है। उदाहरणार्थ, एक गाड़ीवान की कन्या, इसिदासी, अपने पिता द्वारा कर्ज न चुकाए जाने के कारण एक व्यापारी द्वारा दासी के रूप में घर लाई गई थी।[41] किंतु जातकों में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि दास युद्ध में बंदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस अवधि में दासों की संख्या कम थी। कुछ दासों, खासकर महिलाओं, को घरेलू कार्यों में नियोजित किया जाता था और अन्य लोग कृषि–कार्य में लगाए जाते थे। दास और भाड़े के मजदूर खेतों के छोटे–छोटे टुकड़ों में भी काम करते थे, किंतु प्रायः उन्हें बड़े–बड़े भूखण्डों में काम करना पड़ता था। उत्तर–वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी, जितने वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे, पर अब गंगा के निचले मैदानों में लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े–बड़े खेत कायम हुए। एक–एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई, जिसे वह अपनी मेहनत से नहीं जोत सकता था। इसलिए पहले–पहल बुद्धकालीन युग में सम्पन्न घरों को खेती चलाने के लिए दासों और कम्मकारों की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन पालि ग्रंथों में कम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि मगध में दो बड़े–बड़े प्रक्षेत्र (फार्म) थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल एक हजार करीसा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(चिल्डर्स के अनुसार 8,000 एकड़ के करीब) था। एक अन्य कृषिक्षेत्र काशी में था, जिसकी जुताई पाँच सौ हलों से होती थी। इन सबके मालिक ब्राह्मण थे। एक ऐसा प्रसंग भी आया है, जिसमें एक ग्राम–व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पाँच सौ हल जमा किए, जिससे प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बड़ी भूसम्पदा थी या वह फाल खरीदकर गाँवों में बेचा करता था। हो सकता है कि पाँच सौ या हजार रूढ़ संख्याएँ हों, किंतु इनसे चकबन्दी की प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है। यह प्रवृत्ति तब अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई, जब मौर्यकाल में कृषि को राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। स्पष्ट है कि बड़े–बड़े प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त संख्या में दासों और कम्मकारों के बिना नहीं चल सकता था।

नियोजकों (मालिक) की तुलना में दासों और खेत–मजदूरों की संख्या कितनी थी, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। ऐटिका के मामले में भी, जहाँ आँकड़े मौजूद हैं, स्वतंत्र व्यक्ति और दास की आबादी के अनुपात के सम्बन्ध में मतैक्य होना कठिन है। भारत में आँकड़ों के अभाव के कारण इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी पा सकना और भी कठिन है। बाद के एक सुत्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों को ग्रहण नहीं करना चाहते। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सेट्टि तथा गृहपति दासों और मजदूरों को नियोजित करते थे; इससे यह ब्राह्मणीय सिद्धान्त परिलक्षित होता है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे। धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दास को बदलकर दूसरा दास रख सकता था, किंतु उसे बेच नहीं सकता था। इन बातों से पता चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, किंतु किसी भी हालत में इसकी तुलना ऐटिका की स्थिति से नहीं की जा सकती है, जहाँ ई0पू0 पाँचवीं शताब्दी में दासों की संख्या कुल आबादी की एक तिहाई थी।

बौद्ध काल से पूर्व वैदिक युग से ही समाज में दास प्रथा प्रारम्भ हो गयी थी। वैदिक ज्योति के शत्रुओं में एक दस्यु नामक जाति थी। वैदिक जाति के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोग युद्धों में दस्युओं को पराजित कर उन्हें पकड़ लाते थे और उनके पुरुषों को दास एवं स्त्रियां दासी बना लेते थे। प्राचीनतम युगों में युद्धबन्दी में पुरुषों का क्रय–विक्रय होता था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह प्रथा प्राचीन भारत में भी प्रचलित थी। इस तरह दास या दासी दो प्रकार के होते थें एक वे जो युद्धों में पकड़कर लाये जाते थे और दूसरे वे जो शूद्र या अन्य निम्नवर्गों में उत्पन्न होकर निर्धनता के कारण उच्च वर्ग के परिवारों में जीविकोपार्जन के लिए भृत्य का कार्य करते थे। यह प्रथा बौद्ध युग में भी प्रचलित थी। बौद्ध साहित्य में उन सभी स्त्रियों को दासी कहा गया है जो अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति से विवश होकर दूसरे परिवार में सेवा करती थीं। इनका जीवन परतंत्रता की बेड़ियों में कसा रहता था। ये अपनी स्थिति से विवश रहती थीं। उनका जीवन कठिनाई एवं यातनाओं से परिपूर्ण होता था। इन दासी स्त्रियों का वध तक कर देना स्वामी के अधिकार में था। यही कारण था कि दासियां वध एवं दण्ड से सदैव भयभीत रहा करती थीं। इतना ही नहीं दासियों का क्रय–विक्रय भी होता था। इसके अतिरिक्त उन्हें उपहार या पारिश्रमिक के रूप में दूसरों को प्रदान किया जाता था। कभी–कभी इन दासियों से लोग शादी भी कर लेते थे और इनसे उत्पन्न पुत्रों को दासी पुत्र कहा जाता था। जो कि उस समय समाज में अपशब्द के रूप में प्रचलित था। वास्तव में दासियों की सामजिक स्थिति से अधिक निम्न उनके पुत्रों की स्थिति हुआ करती थी। दासिया तो मात्र वैयक्तिक भोग की वस्तु मानी जाती थी। वे परिवार के सभी कार्य करने के लिए प्रस्तुत रहती थीं। ये स्त्रियां पहरा देने का कार्य करती थीं।

बौद्ध साहित्य में शूद्रों के सम्बन्ध में जो वर्णन आया है उससे स्पष्ट होता है कि उनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने लगा था। इसलिए गौतम बुद्ध ने क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत किये। बुद्ध के समय उच्च वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख कार्य था।[42] किन्तु सेवा के अतिरिक्त वे अन्य कार्य भी अपना सकते थे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थे इसलिए शूद्र अपने जीविकोपार्जन के लिए उनके यहां नौकरी करते थे। बौद्ध साहित्य में हमें इस बात की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि शूद्रों का लक्ष्य क्या था और उनका कार्य क्या था। जैसा कि अंगुत्तर निकाय में ब्राह्मण के पूछने पर भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के संबंध में बताया है।[43] किंतु यह संकेत अवश्य मिलता है कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्भकार, माली कार्य, आभूषण बनाने कार्य, लोहे का कार्य आदि शिल्पों को अपनाकर जीवन यापन करते थे। उन्होंने कृषि कार्य को भी अपनाया था।

पालि पिटक तथा समकालीन संस्कृत साहित्य से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में दासों का क्रय–विक्रय तथा दान सामान्य बातें थीं। राजकुल, धनाढ्य नागरिक परिवार तथा सामान्य ग्रामीण गृह में समान रूप से दास–दासी रखे जाते थे। हमें दास–दासी के क्रय–विक्रय के अनेक उदाहरण मिलते हैं। नन्दजातक (जातक संख्या 39) में एक सद्धिविहारिक की तुलना शत–मुद्रा–कीत दास से की गई है। सतुभस्तजातक (संख्या 402) के अनुसार जब एक ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर सात सौ कार्षापण उपार्जित कर लिया, तो उसने सोचा–इतनी मुद्राओं से दास–दासियां खरीदी जा सकती हैं, परन्तु इस प्रसंग में दास–दासियों की संख्या का उल्लेख न होने से एक दास अथवा एक दासी के निश्चित मूल्य का पता नहीं चलता। अतः इस सम्बन्ध में किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई हो जाती है। जैसे कि नन्दजातक में उल्लेख मिलता है कि सम्भवतः एक दास का मूल्य लगभग एक सौ कार्षापण रहा होगा, यद्यपि इसमें कमी–पेशी होती रहती होगी। हृष्ट पुष्ट दास का मूल्य दुर्बल शरीर वाले दास से अधिक होता था, उसी प्रकार एक सामान्य रूप रंग वाली दासी की तुलना में रूपवती दासी का मूल्य भी अधिक चुकाया जाता रहा होगा। विक्रयी और क्रेता की आवश्यकताओं अथवा परिस्थितियों का प्रभाव भी दास–दासी के मूल्य निर्धारण में पड़ना स्वाभाविक था।[44]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दास–दासी के क्रय के समान ही उनका दान भी समाज में अति प्राचीन काल से प्रचलित रहा। वैदिक युग के राजे अपने पुरोहितों को यज्ञ एवं राज्याभिषेक समारोहों के समय बड़ी संख्या में दास–दासियों को प्रदान करते थे। महाभारत काल में महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में नियुक्त 88000 ब्राह्मण स्नातकों को 30–30 दासियों का दान दिया था।[44] पालि–पिटक में भी दास–दासी के दान के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस प्रथा के प्रचलन के कारण ही भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए दान में दास अथवा दासी स्वीकार करने का निषेध किया। जुण्हजातक (456) के अनुसार एक राजा से एक ब्राह्मण को अन्य सामग्री के साथ एक सौ दासियों का दान प्राप्त हुआ।[45] क्षत्रप उपवदात के नासिक अभिलेख में क्षत्रप नरेश नहपान द्वारा ब्राह्मणों को दान में कन्या प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। जो कन्याएं दान में दी गई थीं वे अवश्य ही दासियां रही होगीं। राज परिवारों में दास–दासी दान की प्रथा किसी न किसी रूप में आधुनिक युग तक चलती रही, परन्तु अब यह प्रथा समाप्त हो चुकी है।

बौद्ध ग्रन्थों में चार प्रकार की दासियों का वर्णन विशेष रूप से मिलता है– आमायदासी, क्रीतदासी, स्वतः दासत्व को प्राप्त दासी एवं भयदासी।[46] परिवार की दासी की कुक्षि से उत्पन्न सन्तान पर भी वैधानिक रूप से दासी के स्वामी का ही अधिकार रहता था। ऐसी संताने बचपन से चेट, चेटिकाओं के रूप में परिवार की सेवा करती थी। बड़ी होने पर पुरुष सन्तान एवं स्त्रीसंतान उसी परिवार के दास एवं दासी बन जाते थे। इस प्रकार की दासी को आमायदासी, घरदासी या गेहदासी कहा जाता था। यह प्रकार परिवार में परम्परा से चलता रहता था। अन्य प्रकारों की अपेक्षा यह प्रकार बौद्ध एवं जैन दोनों ही युगों में अधिक प्रचलित था। जब व्यक्ति को दासी की आवश्यकता होती थी, तो वह धन से दासी खरीद लेता था। एक ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि वह पानी भरने के लिए नहीं जायेगी। अतः उसका पति पानी भरने के लिए दास या दासी खरीद कर ला दे। इसके साथ ही ब्राह्मणी ने यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्पष्टकर दिया कि यदि दास या दासी न आई तो वह ब्राह्मण को छोड़ कर भाग जाएगी। जब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए दास या दासी खरीद कर लाने में असमर्थता व्यक्त की, तो ब्राह्मणी ने राजा से दासी मांग लाने का प्रस्ताव किया। उपर्युक्त घटना से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध युग में न केवल दासियों का क्रय–विक्रय किया जाता था अपितु उनहें दान में भी दिया जाता था। यहां यह कहना उपर्युक्त होगा कि इस प्रकार की दासियों का प्रचलन प्रायः वैभवशाली एवं कुलीन परिवार में ही था। चूंकि अधिक दासियां वैभव सम्पन्नता की निशानी थी, अतः आवश्यकता होने पर राजा या अत्यन्त वैभव सम्पन्न व्यक्ति अनेक दासियां खरीद लेते थे तथा जब उनका उपयोग नहीं रहता था, तो वे दासियां उपहार के रूप में दे दी जाती थीं। कभी–कभी स्त्रियां प्रतिकूल परिस्थिति की उपस्थिति में विवश होकर स्वतः दासत्व को स्वीकार कर लेती थी।[47] इस प्रकार की विवशताओं में अधमर्णता का प्रमुख स्थान था। जब कोई स्त्री धनिक के ऋण को नहीं चुका पाती थी, तो उसे धनिक की दासी बनना पड़ता था। पिण्डनियुक्ति में दो पली तेल के कारण एक विधवा स्त्री को विवश होकर दासी बनने की घटना का उल्लेख मिलता है। घटना इस प्रकार थी–कोशल देश के एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। वह दैनिक मजदूरी कर अपनी जीविका कमाती थी। उसका एक भाई था, जो दीक्षित हो गया था। ज बवह साधु के रूप में उस गांव में आया तो उसकी विधवा बहिन ने एक वणिक से दो पली तेल ऋण के रूप में लेकर अपने भाई के आहारादि की व्यवस्था की। उस दिन वह स्त्री भाई से धर्मोपदेश ही सुनती रही। दूसरे दिन उसका भाई विहार कर गया, अतः दिनभर दुखित रही। तीसरे दिन घर की आन्तरिक व्यवस्था में लगी रही। फलतः इन तीन दिनों में वणिक का दो पली तेल का ऋण बढ़कर एक घट हो गया। चौथे दिन वणिक् ने उस विधवा से कहा कि एक घड़ा तेल दो या फिर मेरी दासता स्वीकार करो। विधवा को विवश होकर उस वणिक् की दासी बनना पड़ा। कुछ दिन बाद पुनः उस विधवा दासी का भाई उस गांव में आया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और अपनी बहिन से मिला। जब साधु को अपनी बहिन की दासता का इतिहास मालूम हुआ, तो वणिक को धर्मोपदेश देकर उससे बहिन को प्रवजित होने की अनुमति दिलवा दी। थेरीगाथा के अनुसार एक धनिक ने अपने ऋणी की कन्या को ऋण के बदले में ले लिया था। इस प्रकार ऋण के बदले में ली गई कन्या या स्त्री के ऊपर धनिक वर्ग का पूरा अधिकार हो जाता था। यह धनिक वर्ग की इच्छा पर निर्भर था कि वह उस कन्या या स्त्री को दासी के रूप में रखे या पत्नी, पुत्रवधू आदि अन्य किसी रूप में। उसकी इच्दा की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करने का किसी को अधिकार नहीं रहता था। युद्ध में विजयी पक्ष अपर पक्ष की बहुत सी स्त्रियों को भी ले आता था। उनमें से सुन्दर स्त्रियों को पत्नी बना लिया जाता था। ऐसी पत्नियां ध्वजाहृता कहलाती थीं। अवशिष्ट स्त्रियों को दासी बनकर जीवन–यापन करना पड़ता था। वे स्वेच्दा से नहीं, अपितु भय से दासता स्वीकार करती थीं। अतः उन्हें भयदासी कहा जाता था। इस प्रकार की दासी को करमरानीता अर्थात् युद्ध में बन्दी बनाकर लाई गई दासी कहा जाता था।

उक्त चारों प्रकार के भेदों का आधार वे बाह्य परिस्थितियां थी जिनके कारण नारी को दासी बनना पड़ता था। इन भेदों के अतिरिक्त दासी के कुछ अन्य भेद भी इस काल के साहित्य में प्राप्त होते हैं। इनमें कुलदासी, ज्ञातिदासी, कुम्भदासी, प्रेषणकारी आदि प्रमुख थी। कुलदासी शब्द कुलस्त्री, कुलपुत्री आदि अन्य शब्दों के साथ मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार में वह घरदासी आती थी जो कुल के अनुरूप आचरण कर प्रतिष्ठा अर्जित कर लेती थी। फलतः उसकी स्थिति अन्य दासियों की भांति अधिक दुखद नहीं रहती थी। यही कारण था कि इस दासी के क्रियाकलाप कुल के अन्य सदस्यों के समान ही होते थे। ज्ञातिजनों की दासी को ज्ञातिदासी कहा जाता था। इस प्रकार की दासी के विषय में आगमों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है किन्तु आगमेत्तर साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह के अवसर पर दहेज में दी गई दासी को ज्ञातिदासी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहा जाता था। ज्ञातिदासियों को गोपनीय कार्य के सम्पादन के लिए भी उपयोग किया जाता था। राजगृह में जीव हिंसा पर राजकीय प्रतिबन्ध लग जाने पर मांस लोलुप रेवती ने अपने नैहर के पुरुषों से गुप्तरूप से बछड़े का मांस मंगाया था। बौद्ध आगमों में कुम्भदासी का यत्र–तत्र उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की दासी का काम था नदी या कुएं से पानी भर कर लाना। अन्य दासियों से इस दासी का कार्य कठिन होता था। कारण इसे कड़ी ठं डमें भी नदी आदि से पानी भरकर लाना होता था। कुम्भदासी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने कार्य में नियममित रहे। यत्र–तत्र कुम्भदासी को स्वामी के वध एवं दण्ड से भयभीत होने का वर्णन आता है। प्रेषणकारिका प्रकार की दासी का कार्य दूती कर्म था अर्थात् वह संदेश आदि को एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले जाती थी। जब वह दासी संदेश आदि लेकर दूसरी जगह जाती थी तो वहां दूसरे के द्वारा भेजी जाने से इसे परप्रेषिका भी कहा जाता था।

दासियां प्रायः घर के आंतरिक कार्यों में अपनी स्वामिनी की सहायता करती थीं। यद्यपि दासी के पूर्वोक्त भेदों से उसके कुछ कार्यों के विषय में जानकारी मिलती है, तथापि घर के अन्दर दासियां क्या–क्या करती थीं, इसकी स्पष्ट चर्चा आगमों में प्राप्त नहीं होती है। नायाधम्मकहाओ से ज्ञात होता है कि भस्म, गोबर, कूड़ा आदि फेंकना, झाड़ना–पोंछना, पैर धुलना, स्नान कराना आदि परिवार के निम्न कार्य समझे जाते थे। धान्य को कूटना, पीसना, छालना, खाना पकाना तथा परोसना आदि परिवार के मध्यम कार्य समझे जाते थे। चूंकि उज्झिता एवं भोगवती पुत्रवधुओं को क्रमशः दण्ड स्वरूप उक्त निम्न एवं मध्यम कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता था, अतः यह कहा जा सकता है कि साधारणतया उन कार्यों को दासियां ही करती थीं।[48] दासियों के प्रति स्वामी तथा स्वामिनी प्रायः अच्छा व्यवहार करते थे। दासी यद्यपि परिवार की सदस्य नहीं होती थी तथापि उसके भरण–पोषण का उचित ध्यान रखा जाता था। दासी की उचित देखरेख करना गृहपति एवं गृहपत्नी के प्रमुख कर्तव्यों में से एक था। तत्कालीन समाज में दास–दासियों के प्रति उचित व्यवहार करने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से गृहस्वामिनी की कीर्ति फैलती थी। यद्यपि दासी अपने स्वामी से डरती थी किन्तु उसके डर का प्रधान कारण यह आशंका थी कि कहीं उसका स्वामी रुष्ट होकर उसे मार न डाले। मज्झिमनिकाय से ज्ञात होता है कि वैदेहिका ने अपनी काली नामक दासी के प्रति दुष्ट व्यवहार किया था। वैदेहिका के इस व्यवहार को अपवाद ही कह सकते हैं। कारण, काली ने वैदेहिका को उत्तेजित करने वाला कार्य जान–बूझकर कर किया था। इस उल्लेख को छोड़कर अन्य किसी स्थल पर दासी के प्रति दुर्व्यवहार किये जाने का संकेत तक नहीं मिलता है।[49] चूंकि दासी किसी की सम्पत्ति या भोग्यवस्तु के रूप में समाज में रहती थी, अतः उसे धर्माचरणपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं रहता था। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों के भिक्षुणी संघ में दासी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रवज्या के पूर्व नारी से अन्य प्रश्नों के साथ एक ही प्रश्न पूछा जाता था कि क्या वह स्वतन्त्र है?

दासता के कारण तथा दास–स्वामियों का व्यवहार, पालि–पिटक ग्रन्थों में अनेक प्रकार के दासों का वर्णन उपलब्ध है, जिनसे भारतीय समाज में इस प्रथा के उद्‌भव एवं विकास के कारणों का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज में दासों के अस्तित्व का सर्वप्रथम कारण हुआ–युद्ध। जब युद्ध में एक पक्ष की विजय और दूसरे पक्ष का पराभव होता था, तो विजयी दल के सैनिक पराजित पक्ष के सैनिकों तथा राज्य के नागरिकों को यथासाध्य बन्दी बनाकर ले जाते थे। वस्तुतः इन युद्धबन्दियों का जीवन विजयी राजा की दया पर निर्भर करता था। इन्हें जो जीवनदान मिलता वह अपनी स्वतन्त्रता खोकर, क्योंकि वे विजयी राज के दास–दासी बनकर ही जीवित रह पाते थे। दास संज्ञा पराधीनता की द्योतक है और पराधीन व्यक्ति के भाग्य में सुख कहां होता है? दासों के सुख–दुख के विधाता तो उनके स्वामी थे, जो अपने उग्र अथवा मृदु स्वभाव के अनुसार अपने अधीनस्थ दासों के प्रति व्यवहार करते होंगे। पालि–पिटक में वर्णन आता है कि कुछ दासपति तो अपने दासों की त्रुटियों के लिए उन्हें दण्डित करते थे और अन्य कुछ उनके प्रति दया–भाव दिखलाते थे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिन दासपतियों का स्वभाव क्रूर था वे अपने दासों को पीड़ा पहुंचाते थे। कटाक जातक का एक दास भाग्यवश अपने स्वामी का भांडागारिक तो हो गया, पर उसे सदा इस बात का भय बना रहता था कि न जाने किस क्षण उसका भाग्य उसका साथ छोड़ दे। वह अपने मन में सोचा करता था कि क्या ये मुणे सदा भांडागारिक बना कर रखेंगे? किसी न किसी दिन इन्हें मुझमें कोई त्रुटि दिखलायी पड़ेगी तो मार पडेगी, मैं बन्दी बना दिया जाऊंगा, मेरे शरीर को दागा जायेगा और मुझे दासों का भोजन खाने को दिया जायेगा।"[50] दूसरी कहानी है एक दासी की जिसे उसके स्वामी मजदूरी करने के लिए भेजते थे। एक दिन दुर्भाग्यवश वह कमाकर कुछ भी न ला सकी। फिर क्या था, उसे घर से बाहर फेंक दिया गया और उसके स्वामी तथा स्वामिनी दोनों ने उसे कोडे लगाये।[51] कालान्तर में मनु ने भी स्वामियों को यह अधिकार प्रदान किया है कि वे अपराध करने पर अपने दासों को रज्जु प्रहार से दण्डित करें।[52] परन्तु समाज में ऐसे भी व्यक्ति थे जो अकारण ही दासों को पीड़ा पहुंचाते थे। अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है कि क्रूर दास–स्वामी के दास जब कार्यरत रहते, तो दण्ड के भय से उनके मुख अश्रुपूर्ण होते और कई तो रुदन भी करते रहते।[53] तक्कजातक में वाराणसी की एक श्रेष्ठी कन्या का वर्णन मिलता है जो अत्यन्त क्रूर थी और अकारण अपने दासों तथा कर्मकरों को मारती रहती। बेस्सन्तर जातक में एक क्रूर ब्राह्मण द्वारा दासी–दासी को कष्ट देने का मार्मिक वर्णन किया गया है। एक ब्राह्मण को राजा वेस्सन्तर ने अपने पुत्र एवं पुत्री को दान में दिया। वह लोभी ब्राह्मण उन दोनों के हाथ लता से बांधकर और उसका एक छोर स्वयं पकड़कर उन्हें खींचता हुआ ले चला। उसने एक हाथ में डंडा भी पकड़ रखा था। उसे लम्बा मार्ग तय करना था, अतः जब रात्रि का आगमन हो जाता, तो वह उन दोनों बच्चों को पौधों से बांध देता और स्वयं वन–जन्तुओं के भय से किसी पेड़ पर चढ़ जाता। इस प्रकार के वर्णन में कितनी सत्यता है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि बौद्ध लेखकों ने ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए शायद उनके सामान्य दोष को भी अतिरंजित करके लिखा है।[54]

जातक कथाओं से यह बात तो स्पष्ट हो जाती हे कि समाज में क्रूर दासपतियों का सर्वथा अभाव तो नहीं था, परन्तु उनकी संख्या कम थी। दासों के विषय में उपलब्ध सामग्री से हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सामान्यतः दासों का जीवन दुखमय नहीं था। धर्मप्रधान कुलों में दास तथा कर्मकर सुख–पूर्वक रहते थे। उनके साथ सद्व्यवहार किया जाता था एवं उन्हें अच्छा भोजन मिलता था। किसी किसी दास को तो अपने स्वामी के परिवार के सदस्य की भांति ही सुविधाएं प्राप्त हो जाती थीं। कटाहक था तो दासपुत्र ही, परन्तु अपने स्वामीपुत्र के साथ रहकर उसने पढ़ना–लिखना सीखा और उसे दो–तीन शिल्पों का भी ज्ञान हो गया था। अंत में उसे उस परिवार का भांडागारिक बना दिया गया।[55] जब एक राजपुरोहित को राजा ने वरदान दिया तो उसने घर जाकर अपनी पत्नी, पुत्र और दासी से पूछा–'राजा ने मुझे वर दिया है, मैं क्या मांगूं? दासी ने कहा 'मेरे लिए ऊखल और मूसल और सूप मांगना।'[56] जब एक ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो गयी और उसके पार्थिव शरीर का अग्नि संसकार किया जाने लगा तो उस परिवार की दासी के शुष्क नेत्रों को देखकर एक व्यक्ति ने कहा निःसन्देह तुम्हारे स्वामी के पुत्र ने तुम्हें अपवचन कहा होगा, मारा होगा, कष्ट दिया होगा, इसी कारण तुम प्रसन्न हो, तुम्हें रूलाई नहीं आ रही है।' उस दासी ने उत्तर दिया 'स्वामी आप ऐसे वचनन बोलें, मेरे साथ इस प्रकार की बातें नहीं हुई हैं, मेरे स्वामी के पुत्र के हृदय में तो मेरे लिए क्षमा, प्रेम और दया की भावनाएं थीं और मेरे लिए उसी प्रकार थे जिस प्रकार कोई पुत्र मां का स्तनपान कर पलता है।[57] नन्दजातक में नन्द नामक दास का वर्णन अपने स्वामी के अनन्य विश्वासपात्र के रूप में किया गया है। इस प्रकार के वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश दास–स्वामी अपने दासों के प्रति मानवोचित व्यवहार करते थे। प्राचीन भारत के विधि निर्माताओं ने भी दासों के हितों की उपेक्षा नहीं की। कौटिल्य ने यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्था दी है कि दासों के प्रति दुर्व्यवहार अपराध माना जायेगा। यदि कोई स्वामी अपने दास को मारता है अथवा उसे निम्नतर कार्य करवाता है, तो उसे अपने दास के क्रय मूल्य से वंचित कर दिया जायेगा। यदि कोई स्वामी दासी कन्या अथवा बंधक में दी गई लड़की से बलात्कार करता है तो उसे न केवल क्रय मूल्य से ही वंचित होना पडेगा वरन् दण्डस्वरूप शुल्क भी देना होगा।[58]

बौद्ध जातकों में गृहस्वामी के युवा पुत्रों और उनकी युवती दासियों के प्रेम सम्बन्धों का भी वर्णन प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के प्रेम की इति किस तरह होती होगी? इस विषय में जातक कथाओं द्वारा भी उस मत का समर्थन होता है जो कि कालान्तर में कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में दिया था। कौटिल्य कहते हैं कि यदि किसी दासी को अपने स्वामी से गर्भ रह जाय तो उस अवस्था में वह अपनी दासता से मुक्त मानी जायेगी।[59] इस विधान से प्रतीत होता है कि सीवतः दासी कन्या अपने स्वामी की पत्नी बन जाती होगी। जातक कथाओं में तिस्सकुमार राजगृह के एक धनाढ्य श्रेष्ठि के एकमात्र पुत्र थे। जब वे प्रव्रजित होकर भिक्षुसंघ में प्रविष्ट हुए, तो उनके माता–पिता को घोर कष्ट हुआ। उस परिवार की एक दासी कन्या ने श्रेष्ठि दम्पति के कष्ट से द्रवित होकर तिस्स कुमार को सन्यासमार्ग से विरल करने का निश्चय किया। श्रेष्ठिपुत्र उस दासीकन्या के रूप–लावण्य पर विमोहित हो गया और उसने भिक्षु जीवन का परित्याग कर दिया। भिक्षु संघ का त्याग करने के बाद श्रेष्ठिपुत्र का अपनी दासी कन्या से क्या सम्बन्ध रह गया इस विषय में कहानीकार मौन है, परन्तु श्रेष्ठिपुत्र को अपनी दासी कन्या में अनुरक्ति के कारण ही सन्यास से विरक्ति हुई, अतः उनके प्रेम की तर्कसंगत परिणति दाम्पत्य में दिखती है। उद्दालक जातक में भी एक राज पुरोहित के दासी प्रेम का वर्णन है। राजपुरोहित को अपनी प्रेमिका दासी कन्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उद्दालक रख गया। जब वह वयस्क हुआ और बड़ा ज्ञानी तथा तपस्वी हो गया, तो उसकी भेंट अपने पिता से हुई। पिता ने अपने पुत्र का परिचय पाकर कहा– तुम ब्राह्मण को इसमें कुछ भी संदेह नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि दासीपुत्रों को अपने पिता की जाति की सदस्यता मिल जाती थी। कोशल नरेश का विवाह वासभखत्तिया से हुआ था जो शाक्यवंशी महानाम क्षत्रिय की एक दासीपुत्री थी।[60] यद्यपि यह सम्बन्ध कष्टपूर्वक सम्पन्न किया गया था, परनतु वासभखत्तिया के पुत्र को कोशल का युवराजत्व प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में भगवान बुद्ध ने भी कहा कि पितृ कुल को ही प्रधानता देनी चाहिए (मातिगोत किं करिस्सति पिति गोतमेव पमानम्)।

जातकों के उच्चवर्ण की कन्याओं के साथ कुछ दासों के प्रेम का भी वर्णन किया गया है। चुल्लक–सेट्ठि–जातक के अनुसार राजगृह के एक श्रेष्ठि की कन्या को अपने दास से प्रेम हो गया। इस भेद के खुल जाने के भय से श्रेष्ठि कन्या अपने प्रेमी के साथ भाग गयी। उस दास से उसे दो पुत्र हुए। जब प्रथम पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो उसको अपने सम्बन्धियों के विषय में जिज्ञासा हुई। उसने अपनी माता से इस सम्बन्ध में पूछा तो उसने उत्तर दिया कि पुत्र तुम एक बड़े श्रेष्ठि के दौहित्र हो। जब पुत्र ने अपने नाना के घर जाने को कहा तो उसके माता–पिता राजगृह गये। परंतु न तो पुत्री को पिता के सम्मुख जाने का साहस हुआ और न पिता को ही पुत्री को देखने की इच्छा हुई। अन्त में श्रेष्ठि ने अपने दौहित्रों को तो रख लिया, किन्तु पुत्री और जमाता को पर्याप्त धन देकर विदा कर दिया। वस्तुतः समाज के लिए यह असह्य था कि उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के किसी युवक से प्रेम या विवाह कर ले। इस प्रकार के किसी भी सम्बन्ध को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, परन्तु यदि उच्च वर्ण की कन्या किसी दास अथवा निम्नजाति के युवक से प्रेम कर बैठती तो उस सम्बन्ध को अनिच्छापूर्वक स्वीकार करना पड़ता था। इस विषय में दासों की अपेक्षा दासियों की स्थिति अधिक अच्छी थी, क्योंकि यदि वे सुन्दरी होती तो उन पर उनके युवा स्वामियों के प्रेमासक्त होने की अत्यधिक संभावना रहती थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिस प्रकार के कर्मों में दास–दासियों को नियुक्त किया जाता था उन कर्मों की प्रकृति के अनुरूप सजाओं का उपयोग उन दासों के लिए बौद्ध लेखकों ने किया है, जैसे – जो दास खेत, कर्मशाला अथवा दुकान में काम करते थे उनको कम्मन्त दास कहा गया है।[61] जो वस्त्र बुनने और धोने का कर्म करते थे, वे क्रमशः पेशकरदास और रजकदास कहलाये।[62] इसी प्रकार दासियों के लिए नारी दासी, देवदासी, कुम्भदासी, वन्नदासी, वीहिकीट्टिकदासी इत्यादि संज्ञाएं मिलती हैं।[63] इससे प्रतीत होता है कि दासियों से अनेक प्रकार के कार्य लिये जाते थे और उन दासों की संख्या न्यून थी जो कटाहक के समान भांडागारिक या कोषाध्यक्ष अथवा अपने स्वामी के निजी सचिव के पद पर नियुक्त किये जाते थे। अधिकांश दास प्रायः गृहकार्यों में लगाये जाते थे, जो परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार भिन्न–भिनन प्रकार के होते थे। राजकुलों में अथवा धनाढ्य श्रेष्ठिकुलों में नियुक्त तथा सामान्य गृहपतियों के घर काम करने वाले दासों के कार्य समान नहीं हो सकते थे। दासों से प्राय दो प्रकार के कर्म कराये जाते थे– एक तो गृहकार्य था और दूसरा, अपने स्वामी की सेवा। पालि–पिटक ग्रन्थों में दास–दासियों को अनेक प्रकार के गृहकार्यों में संलग्न वर्णित किया गया है जैसे– रसोइये का काम (पाचक–कर्म)[64] जलाशय से जल लाना, बर्तन धोना, अन्नागार की रखवाली करना और धूप में धान सुखाना इत्यादि। कृषकों की दासियां अपने स्वामी के लिए खेत में भोजन पहुंचाती थी।[65] किसी–किसी परिवार में दास–दासी को मजदूरी करने के लिए अन्यत्र भेजा जाता था।[66] स्वामी–स्वामिनी सेवा–सम्बन्धी कई कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। धनी परिवारों की गृहस्वामिनियां जब स्नान के लिए जलाशय की ओर प्रस्थान करती, तो दासियां उनका साथ देती। जब वे जलाशय में प्रवेश करती तो दासियां उनके वस्त्राभूषणों की रखवाली करतीं। गृहस्वामी अथवा गृहस्वामिनी के भोजन करते समय तत्सम्बन्धी सभी आवश्यक कार्य भी दास–दासियों द्वारा ही सम्पन्न किये जाते थे।[67] इस प्रकार के कर्म ऐसे नहीं थे जिन्हें हीनकर्मों की कोटि में रखा जाय।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जो युद्धबन्दी दास–दासी बना लिये जाते थे उनका अपने पक्ष की विजय हो जाने पर स्वतन्त्रता प्राप्त करना स्वाभाविक था। परन्तु ऐसा तो विशेष परिस्थिति वश ही संभव था। युद्ध तो नित्य होते नहीं। दासों के क्रय–विक्रय आदि जब सामान्य रूप से समाज में प्रचलित हो गये उस स्थिति में उनके मोक्ष की बात विचित्र लगती है। पर यह भारतीय समाज की अपनी विशेषता रही है जिससे अंततः दासों का दासत्व समाप्त कर दिया जाता था। पालि–पिटक से ज्ञात होता है कि दास द्वारा सन्यास स्वीकार कर लेने से, अथवा अपने स्वामी की इच्छा से, अथवा अपने स्वामी को मुक्ति–शुल्क चुका देने से दासत्व का अन्त हो जाता है। दीर्घ निकाय में कहा गया है कि यदि कोई दास सन्यासी हो जाता है तो वह अभिवादन और उच्चासन तथा भिक्षु जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं यथा–चीवर, पिण्ड–पात्र, आसन आदि का अधिकारी माना जायेगा।[68] सोणनन्द जातक में वर्णित है कि एक ब्राह्मण गृहपति ने प्रवज्या ग्रहण करने के समय अपने सभी दासों को मुक्त कर दिया। बेस्सन्तर जातक की कहानी के अनुसार शुल्क देकर दासत्व का अंत संभव था। राजा बेसन्नर ने जब अपनी सन्तान दान के रूप में एक ब्राह्मण को दे दी तो अपने पुत्र से कहा कि 'पुत्र जाओ तुम अपनी मुक्ति के लिए इस ब्राह्मण को शत स्वर्ण निष्क देना और यदि तुम अपनी भगिनी को भी मुक्त करना चाहोगे तो उसके लिए ब्राह्मण को दास–दासी, हाथी, घोड़े, बैल और स्वर्ण निष्क सौ–सौ की संख्या में देना।[69] दासों की मुक्ति के सम्बन्ध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निश्चित बातें ज्ञात होती हैं। कौटिल्य के अनुसारजो दास दंडस्वरूप अथवा युद्धबन्दी होने के कारण दास बनाये गये थे वे शुल्क देकर मुक्त हो सकते हैं। क्रीतदासको उतना ही शुल्क देना पड़ता था जितने में उसके स्वामी ने उसे क्रय किया हो। यदि किसी को अर्थदंड चुकाने की असफलता के कारण दास बनना पड़ता, तो अर्थदंड की राशि का भुगतान कर देने पर उसे मुक्ति मिल जाती। यदि दास–स्वामी मुक्ति शुल्क पाकर भी किसी दास को मुक्त नहीं करता था तो उसे द्वादशपण का भागी माना जाता था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यदि दासी को अपने स्वामी से संतान लाभ हो जाता तो माता और सन्तान दोनों स्वतन्त्र माने जाते थे। मज्झिम निकाय के रट्ठपाल सुत्त से ज्ञात होता है कि अपने स्वामी को कोई सुखद संवाद देने से भी कभी–कभी दास को पुरसकार स्वरूप मुक्त कर दिया जाता था। यद्यपि दासी को जीवनपर्यन्त स्वतन्त्र होने का अधिकार नहीं था किन्तु कभी–कभी गृहस्वामी या गृहस्वामिनी विशेष खुशी के अवसर पर उसे दासता से मुक्त कर देते थे। उदाहरणस्वरूप जब रट्ठपाल दीक्षित होकर भिक्षा के लिए परिभ्रमण करता हुआ अपने घर के सामने से निकला तो उसकी भूतपूर्व ज्ञातिदासी ने उसके बर्तन में सड़ी दाल डालते समय संयोग से उसे पहिचान लिया तथा उसकी सूचना अपनी स्वामिनी को दी। तब स्वामिनी ने उससे कहा कि 'अगर तू सच कहती होगी तो तुझे दासता से मुक्त कर दिया जायेगा।''[70] इससे इतना ही ज्ञात नहीं होता कि दासियां भी कभी–कभी दासता से मुक्त हो जाती थीं अपितु उक्त घटना से यह भी व्यक्त होता है कि दासता से पूर्ण जीवन अत्यन्त दुखदायी रहता था। दासियां स्वेच्दा से नहीं, अपितु सामाजिक व्यवस्था से विवश होकर दासता करती थीं। यही कारण है कि स्वामी या स्वामिनी अत्यन्त खुशी का समाचार देने वाली दासी को सर्वाधिक प्रिय दासत्व मुक्ति दे देते थे। दासत्व से मुक्ति देते समय उसे पानी से नहला दिया जाता था। स्वामी द्वारा दासी को स्नान कराया जाना उसकी दासता से मुक्ति का उपलक्षण था।[71]

दासी को एक प्रकार की भोग्यवस्तु माना जाता था। उस पर उसके स्वामी का पूरा अधिकार रहता था। स्वामी द्वारा किये गये किसी भी व्यवहार या आचरण के विरुद्ध दासी को आवाज को उठाने का वैधानिक अधिकार नहीं था। दासी का वध तक करदेना स्वामी के अधिकार क्षेत्र में आताथा। यही कारण था कि दासियां वध एवं दण्ड से सदैव भयभीत रहा करते थे।[72] इतना ही नहीं दासियों को अन्य वस्तुओं की भांति खरीदा एवं बेचा भी जा सकता था। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार उनहें उपहार या पारिश्रामिक के रूप में दिया जाता था। यद्यपि वे सम्पन्न परिवार में रहकर अपना जीवन यापन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करती थीं किन्तु उन्हें कभी भी परिवार की अधिकारपूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं होती थी। कभी–कभी दासियों को पत्नी भी बना लिया जाता था, किन्तु इससे उस दासी की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आता था। कारण, बौद्ध–युग में जातिवाद एवं मानवाद का बोलबाला था। अतः ऐसे समाज में पत्नी बनने के बाद भी दासी को सम्पन्न एवं कुलीन परिवार की वास्तविक सदस्यता प्राप्त नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त दासी–पत्नी से उत्पन्न पुत्र को 'दासी–पुत्र' शब्द से कहा जाता था जो कि उस समय अपशब्द के रूप में प्रचलित था।[73] आगम कालीन समाज में शुश्रुषा करने वाली परिचारिकाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी दासियां थीं जिनका कार्य अपने स्वामी का मनोरंजन करना होता था। गार्हस्थ जीवन में सिद्धार्थ गौतम एवं यश कुलपुत्र के मनोरंजनार्थ इस प्रकार की अनेक परिचारिकाएं नियुक्त थीं। वे वाद्यों द्वारा अपने स्वामी का मनोरंजन किया करती थीं। इन वाद्यों में वीणा, मृदंग आदि प्रमुख थे। सामान्यतया ये परिचारिकाएं व्यक्ति विशेष के मनोरंजन के निमित्त नियुक्त होती थीं किन्तु पारिवारिक खुशी के अवसर पर ये जनसमूह के सामने भी मनोरंजक क्रियाकलाप करती थीं।

एक जातक कथा में बताया गया है कि दास अपने मालिक के घर में रह जाते थे किन्तु कम्मकर संध्या होने पर अपने–अपने निवास स्थान को चले जाते थे। स्पष्ट है कि भाड़े के मजदूर का जीवन कभी–कभी दास से अधिक कठिन होता था। उसकी जीविका उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी कि एक दास–दासी की थी। धर्मसूत्रों में शूद्र दासों के रहन–सहन की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार फेंगे गये जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का प्रयोग करें। जातक कथा से भी यही स्थिति प्रकट होती है। इस कथा में बतलाया गया है कि चूहे द्वारा काटकर चिथड़े बनाये गये वस्त्र दासों व कर्मकारों के लिए होते थे। गौतम ने यहां तक बतलाया है कि भोजन का उच्छिष्ट शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था। वहीं दूसरी ओर गौतम ने यह नियम भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बनाया था कि शूद्र काम करने में अक्षम हो जाये तो वह जिस आर्य के संरक्षण में रहा हो उसे चाहिए कि उस शूद्र का भरण–पोषण करें। किन्तु इस सिद्धान्त के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता था क्योंकि एक गाथा में बताया गया है कि लोग असमर्थ नौकरों को हथिनी की तरह निष्कासित कर देते थे। बौद्ध और जैन धर्म ने तत्कालिक सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों को स्वीकारते हुए भी दासों की स्थिति सुधारने के कुछ तरीके अपनाए। एक धर्मसूत्र ने केवल ब्राह्मण के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था। किन्तु वह भी दासों के बदले दासों का विनिमय कर सकता था। पर बौद्ध और जैन ग्रन्थों में अपने साधारण अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निषिद्ध किया था। फिर भी एक बौद्ध ग्रन्थ में कहा गया है कि आर्यशिष्य, दासों और कम्मकारों से समृद्ध रहते थे। इससे पता चलता हे कि साधारण उपासक अपने दास–दासियों की संख्या अन्य तरीकों से बढ़ा सकते थे। भिक्षुओं द्वारा दास–दासी नहीं रखे जाते थे। बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बियों ने अपने दास–दासियों के प्रति उदारता और दयालुता की भावना को जगाने का प्रयास किया। दीघनिकाय के एक परिच्छेद में यह आदेश दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगारों के प्रति भद्र व्यवहार करें, उन्हें सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं दे। उन्हें भोजन और मजदूरी दे। अस्वस्थता में उनकी देखभाल करें, समय–समय पर उन्हें अवकाश दें और अपने साधारण सुस्वादु भोजन में हिस्सा दें। नौकर को भी चाहिए कि मजदूरी से संतुष्ट रहे, ठीक ऐसे काम करे और अपने मालिक का नाम बनाये रखे।

महाकाव्यों में स्त्री दासों का स्वरूप –

महाकाव्यों के निर्माण का काल भी मौर्योत्तर काल को ही माना जाता है। स्मृतियों में वर्णित तथ्य कभी–कभी महाभारत और पुराणों के स्मृति प्रकरणों से समर्थित और अनुपूरित दिखाई पड़ते हैं। हापकिंस का मत है कि महाभारत का उपदेशात्मक अंश अधिकतर दो सौ ई. पू. और दो सौ ई. के बीच जोड़ा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया है। इनकी पुष्टि बाद के शान्तिपर्व से होती है जिसके श्लोकों की समानता मनुस्मृति से बहुत अधिक है। हापकिंस की अपनी मान्यता है कि बढ़ता–बढ़ता अनुशासनपर्व शान्तिपर्व से अलग होकर दो सौ से चार सौ ई. के बीच एक अलग पर्व के रूप में मान्य हुआ।[74] रामायण एवं महाभारत के साक्ष्यों से भी दास–दासियों के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। दासकर्म के लिए इन महाकाव्यों में दासभाव, दास्य एवं दासत्व जैसे शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इनके सामान्य अर्थ दासता के सभी प्रकारों के में निहित हैं। इसके साथ ही इन रचनाओं में दासीभाव जैसे शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। दासीभाव निश्चित रूप से नारी के दासता सम्बन्धी जीवन का द्योतक है। महाभारत में अनेक प्रकरण ऐसे हैं जहां पर स्त्री को दासी बनाने एवं उसके प्रति किये जाने वाले व्यवहार का दर्शन होता है। द्रोपदी से जुड़े आख्यान पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि पाण्डवों द्वारा जुए में हार जाने पर द्रोपदी को रजस्वला होते हुए भी बलपूर्वक खींचकर भरी राजसभा में लाया गया था। अपनी ओर से यदि द्रोपदी कौरवों की दासिता स्वीकार कर लेती तो उसकी परिस्थितियां अत्यधिक विषम हो जातीं। वह विधिपूर्वक कौरवों के अधीन रहने और उनके आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो जाती। महाभारत की इस घटना से यह प्रतीत होता है कि उस समय पर दासियों के साथ किया जाना व्यवहार किसी भी प्रकार से समुचित नहीं रहा होगा। यद्यपि उनका प्रयोग सेवा आदि कार्यों के लिए किया जाता था तथापि उन्हें किसी प्रकार के दुर्व्यवहार अथवा कष्टकारी परिस्थिति में संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता था।

युधिष्ठिर द्वारा जब राजसूय यज्ञ का किया गया था तब 88000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को तीस दासियां दान स्वरूप प्रदान की गयी थीं।[75] वहीं दूसरे आख्यान से ज्ञात होता है कि वैन्य द्वारा भी एक हजार रूपवती एवं सद्गुणों से सम्पन्न दासियां अत्रि को भेंट स्वरूप प्रदान की गयी थीं।[76] विराट पर्व में तीस दासियों के दानस्वरूप प्रदान किये जाने का विवरण मिलता है।[77] सभापर्व से ज्ञात होता है कि युधिष्ठिर के राजभवन में एक लाख दासियां निवास करती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थीं।[78] जिनका अनुरोध सुनने के लिए वे सदा ही तत्पर रहते थे। पांडवों को शान्तिपर्व में अनेक दासियों से सम्पन्न बताया गया है।[79] शर्मिष्ठा एवं देवयानी की सेवा–शुश्रुषा के कार्य में एक–एक हजार दासियों की नियुक्ति की गयी थी।[80] जिस प्रकार रामायण में सीता के विवाह के अवसर पर राजा जनक द्वारा अनेक दासियां सीता के साथ दहेज में दी गयी थीं उसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी के विवाह के अवसर पर उसके साथ भी अनेक दासियों को भेजा गया था।[81] महाभारत में ऐसे व्यक्ति को लोभी एवं पापी की संज्ञा प्रदान की गयी है जो कि दास–दासियों को खरीदने–बेचने का कार्य करता हो।[82] महाभारत में कद्रु–वनिता, नल–दमयन्ती, देवयानी–शर्मिष्ठा जैसे आख्यानों में भी दासवृति का विवरण मिलता है जिसके कुछ अंशों को पौराणिक माना जाता है। लेकिन इनमें से अधिकांश उपाख्यानों का सम्बन्ध ऐतिहासिक ही है। नल–दमयन्ती के आख्यानों के अंतिम भाग में पुष्कर का द्यूत में दांव हारने के परिणामस्वरूप अपनी स्वतन्त्रता को मिटाकर दास बनना कालान्तर में पुनः दासत्व से मुक्ति प्राप्त करना, अगस्य की भावी पत्नी लोपामुद्रा की सेवा में एक हजार दासियां उपस्थित होना, मछुआरे के जाल में फंसे, फलतः उनकी सम्पति बने च्यवन ऋषि को राजा द्वारा पुनः क्रय किया जाना, भरत के द्वारा दक्षिणा के रूप में दासों का दिया जाना जैसे दासता से सम्बन्धित उल्लेखों को ऐतिहासिक साक्ष्यक के रूप में स्वीकार करना उचित होगा। शक्तिशाली जन निर्बल लोगों को दास बना लिया करते थे एवं उन्हें अपनी कैद में रखकर दासकर्म करने हेतु विवश करते थे।[83] भीष्म ने दास को अपनी जान पर खेलकर स्वामी के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। भीष्म–अर्जुन युद्ध के समय वे शस्त्रधारी कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान! तुम मुझ पर जैसे चाहो आक्रमण करो क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं।[84] द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित होने पर कौरवों के दास बन गये थे एवं अपनी समस्त अधिकारों के वंचित हो गये थे। महाभारत में यह भी विवरण मिलता है कि पुत्र, पत्नी और दास का सम्पति पर कोई अधिकार नहीं होता था। उनके पास जो भी सम्पदा होती थी उसका

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वामी वास्तव में पिता, पति और दास का स्वामी/स्वामिनी होते थे। द्यूत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर ने स्वयं ही कहा था कि उनके पास एक लाख दासियां थीं जो नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य आभूषणों को धारण करती थीं। उनके वस्त्र बहुत ही कीमती एवं सुन्दर थे। वे अपनी त्वचा पर चन्दन का लेप करती थीं, मणि और स्वर्ण धारण करने वाली ये दासियां चौंसठ कलाओं में भी निपुण हैं। युधिष्ठिर इन्हें अपनी सम्पति मानते हैं जिन्हें द्यूत के दौरान दांव पर लगाकर वे जुआं खेलते हैं।[85]

महाभारत कालीन समाज में दास–दासियों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया गया था। दासों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया था– प्रथम श्रेणी के अनुसार जब कोई स्वामी अपनी दासी से पुत्र उत्पन्न करता था, तो वह स्वतन्त्र व्यक्ति की श्रेणी में शामिल न होकर एक दास ही कहलाता था। अर्थात् दासी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को दासकर्म ही करना पड़ता था। विदुर एक दासी से पैदा हुए थे और उन्हें दास ही माना गया था। यदि पांडव अपनी स्वाधीनता पुनः प्राप्त न करते तो उनकी संतान को भी दास ही मान लिया जाता क्योंकि उनके पिता का स्थान दास के समान ही था। इसी कारण चीर हरण से सम्बन्धित प्रसंग में सात्नत्वना स्वरूप धृतराष्ट्र द्वारा वर मांगे जाने पर द्रौपदी ने यही वर मांगा की पांडवों को दासता से मुक्त किया जाये क्योंकि वह जानती थी यदि पांडव दास हुए तो उनकी संताने भी दास कहलायेंगी। द्वितीय श्रेणी में उन दास–दासियों को सम्मिलित किया गया है जिनका क्रय–विक्रय होता था। दासों को खरीदने–बेचने के साक्ष्य हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होने लगते हैं। रामायण में भी इस प्रकार के प्रसंग हमें मिलते हैं। परन्तु महाभारत में ही दासों के क्रय को निन्दित कर्म माना गया है। तृतीय श्रेणी में वे दास सम्मिलित हैं जिन्हें युद्ध भूमि में पराजयवश दास बनना पड़ता था। द्रौपदी के अपहरण हेतु प्रयासरत जयद्रथ को भीम ने पकड़ लिया था और उसे मृत्युदण्ड का भय देकर पाण्डवों का दास बनने को विवश किया था। इसके पश्चात् उसके केशों को पांच हिस्सों में काटा जाता है। उस समय युद्ध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में बनाये गये दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था।[86] चतुर्थ श्रेणी में ऐसे दासों का उल्लेख मिलता है जिन्हें द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया जाता था एवं पराजय की स्थिति में दासत्व स्वीकार करना पड़ता था। किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता समाप्त होते ही वह दास बन जाता था। द्यूत में पराजय एवं अपने पुत्र के शाप के कारण ही वनिता को कद्रू की दासता स्वीकार करनी पड़ी थी।[87] यही स्थिति पाण्डवों की भी हुई थी जब वे द्यूत में कौरवों से पराजित हो गये थे। युधिष्ठिर एवं उसके भाइयों और पत्नी का दास–दासी बनना जुएं में दांव हारने के कारण ही संभव हुआ। दास बनने सम्बन्धी द्यूत के दांव को दासगण कहा जाता था।[88] पंचम श्रेणी में वे दास–दासियां सम्मिलि थे जिन्हें किसी भी प्रकार से विभिन्न अवसरों पर भेंट स्वरूप प्रदान किया जाता था। राजाओं द्वारा विवाह, यज्ञादि विभिन्न शुभ अवसरों पर दासियों को भेंट करने की परम्परा थी। विवाह के अवसर पर राजकुमारियों को दहेज में दी जाने वाली दासियों की संख्या इस समय सर्वाधिक मिलती है।

दासों के साथ–साथ दासियों के भी विभिन्न प्रकार तद्युगीन समाज में अस्तित्व में थे। जिनमें सबसे पहली श्रेणी है – बंधकी। बंधकी शब्द से ही ध्वनित होता है कि ऐसी स्त्रियां जो किसी प्रकार से बंधक बना ली जाती थीं उन्हें बंधकी कहा जाता था। स्वाभाविक है कि बंधकी पर अलेक लोगों का अधिकार रहता होगा इसलिए महाभारत में कर्ण यह कहता है कि बंधकी पर अनेक पुरुषों का अधिकार होता है और उनके स्वामी उनके साथ अपनी इच्छानुसार ही व्यवहार करते हैं। उसका स्थान दासी का ही होता है। बंधकी दासियां द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगायी जा सकती थीं। द्यूत के संदर्भ में भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि पक्के जुआरी भी अपने घर की बंधकी नारियों पर दया करते हैं एवं उन्हें दांव पर नहीं लगाते हैं। महाभारत में एक अन्य स्थान पर यह उल्लेख मिलता है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संसर्ग कर चौथा बालक जन्मने वाली स्त्री बंधकी होती है। द्वितीय श्रेणी है – दास भार्या, अर्थात् दास की पत्नी। यदि किसी भी स्वतन्त्र स्त्री का किसी दास के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साथ विवाह हो जाता था तो वह स्त्री स्वतः ही दासी हो जाती थी एवं उसकी स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जाती थी। दास भार्या के उल्लेख रामायण एवं महाभारत दोनों ही ग्रन्थों में मिलते हैं। कर्ण द्वारा द्रौपदी को दासभार्या कहकर सम्बोधित किया गया है। रजस्वला द्रौपदी को कौरव सभा में बलपूर्वक घसीट कर लाने पर द्रौपदी उनके इस व्यवहार के प्रति आपत्ति प्रकट कर कहती है कि वह स्वतन्त्र एवं विवाहिता स्त्री है। उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार पूर्णतः अनुचित है। इस पर कौरवों ने तर्क दिया कि द्रौपदी तुम्हारे पतियों ने द्यूत में दांव पर लगाया है और वे हार चुके हैं अतः अब तुम्हारा इनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।[89] दासियों का तीसरा प्रकार था – ज्ञाति दासी। अर्थात् ऐसी स्त्रियां जिन्हें उनके स्वामी द्वारा अपनी कन्या के साथ विवाहोपरान्त भेजा गया था। महाभारत में द्रुपद द्वारा द्रौपदी के साथ भेजी गयी दासियां इसी कोटि की थीं।

रामायण के आधार पर भी दासियों की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। इस समय उच्च कुल की कन्याओं को कन्या–धन के रूप में अन्य बहुमूल्य सामग्री के साथ–साथ दास–दासियों का समूह भी दिया जाता था। सीता के विवाह के अवसर पर राजा जनक ने उत्तम दास–दासियों का एक वर्ग उन्हें प्रदान किया था।[90] कैकेयी के भवन में कुब्जा एवं वामनिकायें व्यापत रहती थीं।[91] मन्थरा भी कुब्जा थी।[92] इसे कैकेयी की ज्ञातिदासी[93] कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैकेयी के दहेज में असंख्य वामनिकाएं एवं कुब्जाएं दी गयी थी। इन दासियों का कार्य अपनी स्वामिनी कैकेयी के चरणों की सेवा करना था।[94] अन्य राजमहिषियों एवं वधुओं को भी अनेक सेविकाएं उपलब्ध रहती थीं। अपनी सेव्य महिषी को चारों ओर से घेरे रहने के कारण ही दास–दासियों का यह समूह परिवार कहलाता था।[95] श्री राम ने सीता को परिवार के साथ सुख–पूर्वक बैठने को कहा था।[96] कैकेयी को भी परिवार प्राप्त था।[97] पट्टमहिषी को और भी अधिक दासियां प्राप्त होती थीं। जिस महिषी की सेवा, सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित दासियां करती थीं, वह सम्भवतः

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिक सौभाग्यशालिनी मानी जाती थी। इसी कारण, सीता को प्रलोभन देते हुए रावन ने कहा था कि – सीते ! यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी, तो सब प्रकार के आभूषणों से युक्त पांच हजार दासियां सदा तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेंगी।[98] राजमहिषियों के अतिरिक्त राजाओं एवं युवराजों की सेवा में भी अनेक सेविकाएं नियुक्त की जाती थीं। श्री राम को बहुमूल्य आभूषण धारिणी स्त्रियां व्यंजन डुलाती थीं।[99] लक्ष्मण के प्रसंग में जिन 'वीरांगनाओं का उल्लेख आया है, वे[100] उनकी परिचारिकाएं ही रही होंगी क्योंकि लक्ष्मण भी श्री राम के समान एक पत्नीव्रती ही थे। राक्षसराज रावण को चंवल डुलाने वाली स्त्रियां युवती तथा वस्त्रालंकारों से अलंकृत रहती थीं।[101] उसकी भुजाओं को दबाने का कार्य भी सुन्दर युवतियां ही करती थीं।[102]

राजभवन में रहने वाली कुछ दासियां प्रतिहारी एवं द्वार रक्षिकाओं के रूप में भी नियुक्त की जाती थीं। कैकेयी के भवन में प्रतिहारी की उपस्थिति देखी गयी है।[103] राजा दशरथ ने कैकेयी को न देखकर प्रतिहारी से ही कैकेयी के विषय में पूछा था। कौशल्या के अंतःपुर की तसरी कक्षा में अनेक युवती एवं वृद्धा स्त्रियां उपस्थित रहती थीं। ये द्वार–रक्षा का कार्य करती थीं।[104] राक्षसराज रावण के भवन में स्त्रियां और भी अनेक कार्य करती थीं। उसके समीप शूल, मुग्दर, शक्ति ओर तोमर धारण करने वाली अनेक राक्षसियां शयन करती थीं।[105] इन्हें राक्षसराज की अंगरक्षिकाएं कहा जा सकता है। जिस समय रावण अपनी पत्नियों को साथ लेकर सीता से मिलने अशोकवाटिका में जाता था, उस समय अनेक स्त्रियां उसका अनुसरण करती थीं। कुछ युवतियां स्वर्णमय दीपक लेकर चलती थीं, कुछ चंवर एवं ताड़ के पंखे हाथ में लिए रहती थीं।[106] दूसरी स्त्रियां स्वर्णपात्रों में जल लेकर आगे चलती थीं, कुल गोलाकार बृसी लेकर पीछे चलती थीं।[107] कोई चतुर युवती रत्नमयी पेय रस से भरी कलशी लिए रहती थी।[108] कोई अन्य स्वर्णदण्ड वाला पूर्ण चन्द्रमा के समान श्वेतछत्र लेकर रावण का अनुगमन करती थी।[109] सीता की रक्षा में रावण ने जिन अस्त्र–शस्त्रधारिणी राक्षसियों की नियुक्ति की थी वे भी उसकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दासियां ही थीं।[110] अप्सराओं की भी असंख्य परिचारिकाएं थीं। वे अप्सराओं के साथ क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं।[111]

राजभवन में रहने वाली इन दासियों के साथ स्वामी अथवा स्वामिनी का व्यवहार कैसा होता था, यह प्रश्न भी विचारणीय है। दहेज के रूप में दी जाने वाली समस्त दासियां अपनी स्वामिनी के अंतःपुर में निवास करती थीं।[112] कोई शुभ समाचार सुनने पर स्वामिनी अपनी इन दासियों को बहुमूल्य भेंट भी प्रदान कर देती थीं। श्रीराम के अभिषेक का शुभ–समाचार देने पर कैकेयी ने मन्थरा को एक दिव्य आभूषण प्रदान किया था।[113] श्री राम की दासी भी श्रीराम के अभिषेक से पहले क्षौमवस्त्र धारण किये हुए थी। सम्भवतः श्रीराम के अभिषेक के समाचार से प्रसन्न हुई कौशल्य ने उसे यह भेंटस्वरूप प्रदान किया था।[114] किन्तु सामान्य स्थिति में दासियां स्वामिनी की चरण सेवा ही करती थीं।[115] ये अपनी आराध्या के समक्ष अंजलि बांधकर उपस्थित होती थीं।[116] जिससे शीघ्रातिशीघ्र उनकी आज्ञा का पालन किया जा सके। रामायण में इस कोटि की स्त्रियों के लिए प्रेष्या[117] चेटी[118] एवं परिचारिका[119] शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूत का कार्य करने के कारण ही संभवतः दासियों को प्रेष्या भी कहा जाता था। चेटी एवं परिचारिका के अर्थ से प्रतीत होता है कि इनका तादात्म्य मात्र सेवा कार्य से ही था। दासियां अपने स्वामी तथा स्वामिनी की आज्ञा के अधीन ही रहती थीं। अपनी स्वामिनी को अपने व्यवहार से प्रसन्न करके कोई दासी अन्य समकक्ष दासियों की अपेक्षा विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकती थी। अन्य दासियां उसकी परिचर्या में नियुक्त की जाती थीं। मन्थरा की दूरदर्शिता से प्रभावित होकर कैकेयी ने उसे आश्वासन दिया था कि यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्रीराम वन को चले गये तो मैं उत्तम जाति के स्वर्ण से बनी माला तेरे इस कूबड़ को धारण करा दूंगी और चन्दन का लेप करवा दूंगी। जैसे तू मेरे चरणों की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं सदा ही तेरे चरणों की परिचर्या करती रहेंगी।[120] श्रीराम के निष्कासन के बाद कैकेयी ने मन्थरा को दिव्य आभूषण प्रदान भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किये थे। वह सभी आभूषण से सुसज्जित होकर राजभवन के पूर्वद्वार पर उपस्थित हुई थी।[121]

अपराधिनी दासी को हर प्रकार के दण्ड दिये जाने का विधान था। यहां तक की अपराधिनी को मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता था। मन्थरा को समस्त विपत्तियों का मूल कारण मानते हुए शत्रुघ्न ने उसे दण्ड देने के लिए बलपूर्वक पकड़ लिया था[122] और जमीन पर घसीटना आरम्भ कर दिया था।[123] इस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट–टूट कर जमीन पर गिर रहे थे।[124] अन्ततः वह मूर्च्छित हो गयी थी।[125] शत्रुघ्न उसे मार डालना चाहते थे। अशोकवाटिका की राक्षसी– संरक्षिकाओं का प्रसंग भी लगभग इसी प्रकार का ही है। हनुमान जी सीता को अपनी कटु उक्तियों एवं कुचेष्टाओं से दुखी करने वाली इन स्त्रियों का वध कर देने की इच्छा रखते थे।[126] उन्होंने सीता से कहा था मेरी इच्छा है कि मुष्टि प्रहारों एवं चरणाघातों विशालभुजाओं, पिण्डलियों और घुटनों से प्रहार करके इन्हें घायल कर दूं, इनके दांत तोड़ दूं, इनको नासिका एवं कानों से रहित कर दूं। उनके सिर के केश नोच डालूं। इस प्रकार क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रियकारिणी राक्षसियों को पटक–पटक कर मार डालूं। जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको पीड़ा दी है, उन सबको मैं अभी मार डालूंगा। आप मुझे इसके लिए आज्ञा दें।[127] किन्तु मन्थरा एवं राक्षसियों के उपर्युक्त दोनों प्रसंगों में दासियों को इस कठोर दण्ड से बचा लिया गया था। भरत ने क्रोध से भरे हुए शत्रुघ्न को यह कहकर शान्त कर दिया था कि 'सुमित्राकुमार! क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। रघुनाथ जी यदि इस कुब्जा के वध का समाचार सुन लेंगे तो वे मुझसे और तुमसे बोलेंगे भी नहीं। मन्थरा को मूर्च्छित देखकर कैकेयी ने उसे स्वस्थ करने की चेष्टा की थी।[128] अन्य कुब्जाओं को भी यह आशा एवं विश्वास था कि यदि वे श्रीराम की माता कौसल्या की शरण में चली जायेंगी तो वे शत्रुघ्न के कोप से बच सकती हैं।[129] सीता ने भी दासियों के प्रति अपने करूणपूर्ण व्यवहार का परिचय दिया था। उन्होंने कहा ये राजा के आश्रय में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहने के कारण पराधीन थीं। मुझे पीड़ा देने वाले सभी कार्य ये रावण की आज्ञा से करती थीं। स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन राक्षसियों पर कौन क्रोध करेगा? मेरे ही भाग्य के दोष से मुझे यह कष्ट प्राप्त हुआ था। हे महाबलि! तुम इन्हें मारने की बात मत करो। रावण की दासियों का यदि कुछ भी अपराध है तो मैं उसे क्षमा करती हूं।[130] इस प्रकार क्रोध से भरे पुरुष जब कभी दासियों को प्राणदण्ड देने की चेष्टा करते थे, तो आदर्श विचारों वाले परिजन उन्हें ऐसा करने से रोक लेते थे। प्रथम तो वे स्त्री वध को ही दोष मानते थे। द्वितीय, दासियों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार होने के कारण[131] वे उन के अपराधों को प्रायः क्षमा कर देते थे। किन्तु स्वयं दासियां अपनी ओर से किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं कर सकती थीं। वे पूर्णरूप से स्वामी की कृपा पर आश्रित होती थीं। सामान्य स्थिति में, दासियां राजपरिवार के सदस्यों का अनुसरण करती थीं। यदि वे राजभवन से बाहर कहीं पर जाते थे तो प्रेष्या एवं चेटियां उनके साथ जाती थीं। चित्रकूट में स्थित श्रीराम से मिलने जा रही कौसल्या, सुमित्रा आदि महिषियों तथार की विशालवाहिनी के साथ–साथ दासियां भी गयी थीं।[132] महर्षि भारद्वाज ने भरत की सेना का दिव्य विधि से आतिथ्य सत्कार किया था। दासियां इस सम्मन से वंचित नहीं रखी गयी थीं। उन्होंने भी नूतन वस्त्र धारण किये थे। वे भी अत्यन्त प्रसन्न थीं। दासियों को उनको न्यायोचित भाग प्रदान करना भी रामायण युग में स्वामी का कर्तव्य माना जाता था।

रामायण काल में स्त्री–दान की अत्यधिक महत्ता थी।[133] सम्भवतः इसी कारण कन्यादान के समय, अन्य बहुमूल्य उपहारों के साथ कन्या के निमित्त दासियों को भी दान में देने की परम्परा तद्युगीन समाज में प्रचलित थी।[134] राजपरिवार की स्त्रियों को आशीर्वाद देने के लिए समय–समय पर अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण राजभवन में आते रहते थे। उन्हें वाहन, वस्त्र तथा मनेवांछित धन प्रदान करने के साथ दासियां भी दी जाती थीं।[135] श्राद्ध के अवसर पर भी अन्य सामग्री के साथ ब्राह्मणों को दासियां देने की परम्परा थी।[136] दान के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अतिरिक्त दासियों को भेंट के रूप में दिये जाने के उदाहरण मिलते हैं। चौहद वर्षों की दीर्घ अवधि के बाद अयोध्या लौट रहे अपने ज्येष्ठ भ्राता के आगमन का शुभ समाचार देने वाले हनुमान जी को भरत ने एक लाख गौएं तथा सौ उत्तम ग्राम तो प्रदान किए ही थे, साथ ही उत्तम आचरण वाली, कुलीन सोलह स्त्रियां भी प्रदान की थीं। वे सभी आभूषणों से विभूषित थीं।[137] निश्चय ही ये विजित राजाओं अथवा उनके प्रजावर्ग से सम्बन्धित रही होंगी। यदि ये अयोध्यावासियों से सम्बन्धित होतीं तो प्रजा में विद्रोह व असन्तोष उत्पन्न हो जाता। साथ ही ऐसा करना भरत की आदर्श विचारधारा के विपरीत भी प्रतीत होता है।

लंका–विजय एवं रावण–वध के बाद जब श्रीराम अयोध्या के राजा हुए, तो विविध राजाओं ने अपने–अपने नगरों से उनके लिए नाना प्रकार के रत्न एवं उपहार भेजे थे। इन उपहारों में विविध प्रकार के पशु, आभूषण एवं रत्नों के अतिरिक्त रूपवती दासियां भी शामिल थीं।[138] भेंट के रूप में प्रदान की गयी दासियों का रूपसमन्वित, कुलीन एवं सदाचार से सम्पन्न होना यह प्रमाणित करता है कि दान रूप में दी जाने वाली दासियां सामान्य होती थीं। इसी कारण उसने सम्बन्ध में रूप, गुण एवं जाति का कोई उल्लेख नहीं हुआ है।

दासियों से सम्बन्धित उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन राजीवनों में असंख्य दासियां रहती थीं। इनका उपयोग राजपरिवार के सदस्यों की सेवा–शुश्रुषा, द्वाररक्षा, अंगरक्षा एवं संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। कुछ दासियां भेंट एवं दान के रूप में अन्य पुरुषों को दे दी जाती थीं। इनमें से कुछ दासियां नववधुओं के साथ दहेज में आती थीं। किन्तु, शेष किस प्रकार प्राप्त होती थीं, रामायण में यह स्पष्ट नहीं कहा गया है। किन्तु डॉ0 रामजी उपाध्याय के अनुसार दान–रूप में दी जाने वाली ये स्त्रियां युद्धविजित राष्ट्रों की अपहृत अथवा क्रीत हो सकती है।[139] किन्तु

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रामायण इस मत के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दे पाती है।[140] श्रीराम ने विजेता होने पर भी न तो शत्रु के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया और न ही उनकी स्त्रियों को ही कुदृष्टि से देखा। सम्भव है कि राक्षस वर्ग में यह परम्परा रही हो। किन्तु रावण ने जिन रूपवती स्त्रियों का अपहरण किया वे सब उसकी दासियां ही थी, ऐसा कहना कठिन है।[141] सुग्रीव एवं बाली के अन्तःपुर में कोई दासी ही नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वानरों में दासी–प्रथा थी ही नहीं।

सामान्यतः दासियों को अत्याचार से बचा लिया जाता था। फिर भी दासियों की दयनीय स्थिति को लक्ष्य करके कोई भी स्त्री दासी होना नहीं चाहती थी।[142] लक्ष्मण एवं शूर्पणखा के संवादों से प्रतीत होता है कि दास की पत्नी स्वतः ही स्वामी की दासी बन जाती थी। इसके कारण अनेक थे। जैसे स्वामी रूष्ट होने पर इन्हें कठोर से कठोरतम दण्ड दे सकता था। उन्हें ब्राह्मणों को दान के रूप में दे सकता था। प्रसन्न होकर किसी को भी भेंट कर सकता था। उन्हें करबद्ध स्थिति में अपनी स्वामिनी की सेवा में उपस्थित होना पड़ता था। इस समय तक दास–दासियों के क्रय–विक्रय की प्रथा प्रचलित हो गयी थी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

रामायण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में राजपरिवार में रहने वाली अथवा किसी राज्य के किसी विशेष सदस्य से सम्बन्धित दासियां राजनीति में भी कुशल होती थीं। उदाहरण स्वरूप मन्थरा, कैकेयी की प्रमुख एवं कूटनीति में प्रवीण दासी थी।[143] कैकेयी ने कूटनीति का ज्ञान मन्थरा से ही प्राप्त किया था।[144] श्री राम के राज्याभिषेक की सूचना प्राप्त करते ही उसने उसके राजनैतिक परिणामों की दूरारूढ़ एवं पूर्वाग्रहपूर्ण कलपनाएं कर ली थीं।[145] स्वयं कैकेयी ने उसे क्षात्रविद्या में प्रवीण कहा है।[146] मन्थरा की प्रेरणा से कैकेयी ने जो षडयन्त्र रचा था, उससे उस समय की सम्पूर्ण राजनीति प्रभावित हुई थी। मन्थरा तत्कालीन दायधिकार सिद्धान्त से भी परिचित थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसने कैकेयी की इस धारणा को कि श्रीराम के बाद भरत को राजसिंहासन प्राप्त होगा[147] निर्मूल बताते हुए कहा था कि जब श्रीराम राजा होंगे तो उनके बाद उनका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। भरत राज–परम्परा से अलग कर दिये जायेंगे।[148]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्दर्भ–

1. ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, 'अतः कल्पसूत्रं मन्त्रविनियोगेन ऋत्वनु ठानमुपदिश्य उपकरोति।
2. तन्त्रवार्तिक, 1/3, वेदादृतेऽपि कुर्वन्ति कल्पैः कर्माणि याज्ञिकाः। न तु कल्पैर्विना केचिन्मन्त्रब्राह्मणमात्रकात।।
3. विष्णु धर्मोत्तर, अल्पाक्षरमसन्दिग्धं साखद् विश्वतो मुखम्। अस्तोममनवद्यं च सूद्यं सूत्रविदो विदुः।।
4. मैक्सूलर, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ. 235
5. वही, पृ. 166
6. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, 2/4/9/11
7. गौतम धर्मसूत्र, 10/58, जीर्णान्युपानच्छत्रवासः कूर्चानि।
8. वही, 10/59
9. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, भाग1, 1/3/40
10. हिरण्यकेशी गृहयसूत्र, भाग 1, 2/8/1–2
11. अग्रवाल, वासुदेवशरण, इण्डिया एज नोन टू पाणिनि, पृ. 114
12. विनयपिटक, भाग 4, पृ. 272 वरम् एवं सप्पिदासानं वा कम्मकरान वा पादपादभंजनं वा पादीपकरणे वा आसितम्।
13. कणजंक भोजनं दिय्यति। अंगुत्तरनिकाय, 1, पृ. 145
14. महाभारत, उद्योग पर्व, 40/28 ब्रह्म क्षत्रं वैश्यवर्ण च शूद्रः क्रमेणतान्नयायतः पूजयानः। तुष्टेष्वेतेष्वत्यथो दग्धपापस्त्यक्त्वा देहं स्वर्गसुखानिभुंवते।।
15. दीघनिकाय, 1/87
16. दीघनिकाय, 2/14
17. जातक, iv-304
18. जातक, vi-489
19. जातक, vi-138

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

20. विनयपिटक, 2/180
21. वही, 5/253
22. जातक, vi-49
23. जातक, xix-49
24. जातक, vi-289, कठोपनिषद, 1/1/25
25. संयुक्त निकाय, 35/115
26. जातक, ii-325
27. विनयपिटक, ii-154
28. मज्झिम निकाय, 56
29. मज्झिम निकाय, 21/13
30. मज्झिमनिकाय, ii-135
31. थेरीगाथा, अ. 47
32. अंगुत्तर निकाय, अ– i-128
33. विनयपिटक, iv-19
34. दीघनिकाय, 31/27
35. विनयपिटक, iv-181
36. जातक, XVI-i-41 एवं टीका
37. दीघनिकाय, i-104
38. बंधोपाध्याय, स्लेवरी इन एनशियण्ट इंडिया, कलकत्ता रिव्यू, 1930, सं. 8, पृ. 254
39. बोस, सोशल एण्ड रूरल इकॉनमी ऑफ नॉर्दन इण्डिया, पृ. 423
40. मलसेकेरा, जी.पी., पालि डिक्शनरी ऑफ प्रापर नेम्स, 1, पृ. 323
41. दिव्यावदान, 329/7–8
42. अंगुत्तर निकाय, भाग 3, पृ. 69–70
43. सिंह, डॉ. मनमोहन, बुद्धकालीन समाज और धर्म, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1972, पृ. 32

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

44. महाभारत, सभापर्व, 52/45–464
45. कॉवेल, ई. बी., जातक, भाग 4, पृ. 99, ददामि ते गामरवानि पंच दासीसत गव सतानि।
46. जातक, 22/546/1445 आमायदासा पिभवन्ति हेके, धनेन कीता पि भवन्ति दासा। सयम्पि हेके उपयन्ति दासा, भया पणुन्ना पि भवन्ति दासा।।
47. चानना, देवराज, पूर्वोक्त, पृ. 66
48. नायाधम्मकहाओ, 1/7/68, जैन, डॉ. कोमलचन्द्र, बौद्ध और जैन आगमों में नारी–जीवन, सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति, अमृतसर, 1967, पृ. 141
49. मज्झिमनिकाय, 1/167–168
50. सिंह, डॉ. मदनमोहन, पूर्वोक्त, पृ. 34
51. वही, पृ. 34
52. मनुस्मृति, 8/299
53. सिंह, डॉ. मदनमोहन, पूर्वोक्त, पृ. 34
54. वही, पृ. 34
55. वही, पृ. 34–35
56. वही, पृ. 35
57. वही, पृ. 35
58. अर्थशास्त्र, 3/13
59. वही, 3/13
60. सिंह, डॉ. मदनमोहन, पूर्वोक्त, पृ. 36
61. चानना, देवराज, स्लेवरी इन एंशियण्ट इंडिया, बम्बई, 1960, पृ. 69
62. वही, पृ. 70
63. वही, पृ. 70–72
64. चुल्लवग्ग, 4/4/7, 6/4/1

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

65. सिंह, डॉ. मदनमोहन, पूर्वोकत, पृ. 37

66. वही, पृ. 37

67. वही, पृ. 37

68. वही, पृ.38

69. सुत्तनिपात, 3/6

70. मज्झिम निकाय, 2/287, सचे, जे सच्चं भणसि, अदासिं तं करोमि

71. नायाधम्मकहाओ, 1/1/20, तए णं स सेणिए... ताओ अंगपडियारियाओ.. . मत्थयधोयाओ करेइ.... पडिविसज्जेइ।

72. अंगुत्तरनिकाय, 3/225, वधदण्डतज्जिता......

73. दीघनिकाय, 1/81, मा भवं गोतमो अम्बट्ठं अतिबाल्हं दासिपुत्तवादेन निम्मादेसि।

74. महाभारत, सभापर्व, 52, 45–46

अष्टाशीतिसहस्त्राणि स्नातका गृहमेधिनः।
त्रिशद्दासीक एकैकोयान् विभर्ति युधिष्ठिरः।

75. वही, वनपर्व, 185/34

तस्माततेऽहं प्रदास्यामि विविधं वसु भूरि च।
वासी सहस्त्रं श्यामानं सुवस्त्राणामलंकृतम्।

76. वही, विराटपर्व, 180/21

77. वही, सभापर्व, 54; विराटपर्व, 7/17

अन्तर्वेधां ददद्विन्तं कामाननुभवन् प्रियान।
क्रीडन स्त्री भिर्निरातंक प्राशाम्य भरतर्षभ।।
ये त्वानुवादेऽयुर वृत्तिकर्शिता, बूयाश्च तेषां वचनेन मां सदा।
दास्यामि सर्वतदहं न संशयो, न ते भयं विधति संनिधौ मम्।।

78. वही, शान्तिपर्व, 44/6

ततो दुर्योधनगृहं प्रसादैरूप्शोभितम्,
बहुरत्नसभाकीर्णं दासीदास समाकुलम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दासी दास सुसम्पूर्ण प्रभूत धनधान्यवत्।

प्रतिपेदे महाबाहुरर्जनो राजशासनात्।।

79. वही, आदिपर्व, 76/15

देवयानी च दयितां सुतां तस्य महात्मन।

त्वमारधयितुं शक्तो नान्यः कश्चन् विद्यते।।

80. वही, आदिपर्व, 193/13

दासाश्च दास्याश्च सुमृष्टवेषाः, सम्भोजकाश्चाप्युपश्नुरत्नम्।

81. वही, कर्णपर्व, 38/18

दासीनां निष्ककण्ठीनां मागधीनां शतं तथा।

प्रत्यग्रवयसां दद्यां यो मे ब्रूयाद धनंजयम्।।

82. वही, 12/254/39

83. वही, भीष्मपर्व, 4/15/534

84. वही, 2/61/8

शतं दासीसहस्त्राणि तरुण्यो हेमभद्रिका।

कम्बूकेयूर धारिष्यो निष्ककण्ठयः स्वलंकृता।।

85. वही, 2/61/10 एतद् राजन मम धनं तेन वीव्योम्यह त्वया।

86. वही, 3/256/9

87. वही, 1/16/14

तयारण्डानि निदधुः प्रह्रष्टाः परिचारिकाः।

सोपस्वेदषु भाण्डेषु पंचवर्षशतानि च।।

88. वही, 2/54/12

89. वही, 2/67/44

दुःशासनश्चापि समीक्ष्य कृष्णामवेक्षमाणां कृपणान् यतींस्तान।

आधूय वेगेन विसंज्ञकल्पाभुवाच दासीति हसन् सशब्दन्।।

90. वाल्मीकि रामायण, 1/74/5

91. वही, 2/10/13

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

92. वही, 2/9/40

93. वही, 2/7/1

94. वही, 2/9/52

95. वही, 2/16/20; 2/20/42; 6/64/28

96. वही, 2/16/20; सह त्वं परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च।

97. वही, 2/20/42; परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवा वरा।

98. वही, 3/47/31

पंच दास्यः सहस्त्राणि सर्वाभरणभूषिताः।

सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि।।

99. वही, 2/42/15

100. वही, 5/38/54

101. वही, 5/49/10

102. वही, 5/10/20

103. वही, 2/10/19,20

104. वही, 2/20/12 स्त्रियां बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षणतत्पराः।

105. वही, 5/6/29,30

रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः।

विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसी विकृतेक्षणाः।।

शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणाः।

ददर्श विविधान्गुल्मांस्तस्य रक्षः पतिगृहे।।

106. वही, 5/18/11 बालव्यंजनहस्ताश्य, तालवृन्तानि चामराः।।

107. वही, 5/18/12

कांचनैश्चैव भृंगारैर्जमहुः सलिलमग्रतः।

मण्डलाग्रा बृसीश्चैव पृष्ठतो ययुः।।

108. वही, 5/18/13

109. वही, 5/18/14

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

110. वही, 6/113/38–42
111. वही, 1/45/34
112. वही, 2/7/1
113. वही, 2/7/7
114. वही, 2/7/32
115. वही, 2/9/52
116. वही, 2/8/10 उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत् त्वं कृतांजलिः।
117. वही, 2/8/11
118. वही, 2/91/64
119. वही, 1/45/34
120. वही, 2/9/47–52
121. वही, 2/78/5 प्राग्द्वारेऽभूते तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता।
122. वही, 2/78/12 गृहीता बलवत् कुब्जा सा तद् गृहमनादयत्।
123. वही, 2/78/16 विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं पृथिवीतले।
124. वही, 2/78/17 तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः। चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्व्यशीर्यत।।
125. वही, 2/78/24 मुमोच च मूर्च्छितम्
126. वही, 6/113/30

इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे।
हन्तुमिच्छामि ताः सर्वा याभिस्त्वं तर्जिता पुरा।।

127. वही, 6/113/34–37

मुष्टिभिः पार्ष्णिघातैश्च, विशालैश्चैव बाहुभिः।
जंघाजानुप्रहारैश्च दन्तानां चैव पीडनैः।।
कर्तनः कर्णनासानां केशानां लुंचनैस्तथा।
निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः।
एवं प्रहारैर्बहुभिः सम्प्रहार्य यशस्विनी।।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घातये तीव्ररूपाभिर्याभिस्त्वं तर्जिता पुरा।

128. वही, 2/78/26

शत्रुघ्नविक्षेपविमूढसंज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता।

शनैः समाश्वासयदार्तरूपां..... ।।

129. वही, 2/78/15

सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीम्।

कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति ध्रुवा गतिः।।

130. वही, 6/113/38–41

131. वही, 6/113/37

132. वही, 2/91/64

133. वही, 4/24/39

दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत् प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके।

अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम वीर घातात्।।

134. वही, 1/74/5

135. वही, 2/32/15–16

136. वही, 2/77/3

दासीदासाश्च यानानि वेश्मनि सुमहान्ति च।

गवां शतहस्त्रं च ग्रामाणां च शतं परम्।।

137. वही, 6/125/44–45

138. वही, 7/39/8–10

139. उपाध्याय, डॉ0 रामजी, प्राचीन भारतीय साहितय की सांस्कृतिक भूमिका, पृ0 97, पादटिप्पणी, 1

140. विश्नोई, डॉ0 अर्चना, रामायण में नारी, परिमल पब्लिकेशन, दिल्ली, 2002, पृ0 327

141. वाल्मीकि रामायण, 7/24

142. वही, 3/18/9, कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

143. वही, 2/7/19

144. वही, 2/9/19–36

145. वही, 2/8/8, 10–12, 27

146. वही, 2/9/47

147. वही, 2/8/16

भरतश्चापि रामसय ध्रुवं वर्षशतात् परम्।

पितृपैतामहं राज्यमवाप्स्यति नरर्षभः।।

148. वही, 2/8/22

भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः।

राजवंशातु भरतः कैकेयि परिहास्यते।।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तृतीय अध्याय

मौर्य काल में स्त्री दासों का स्वरूप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तृतीय अध्याय

मौर्य काल में स्त्री दासों का स्वरूप

भारत भूमि पर राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण का कार्य चन्द्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नन्दवंश के अंतिम नरेश धननन्द को समाप्त करके चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार स्थापित किया एवं मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चन्द्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था कि उनके शासन काल में ही भारत भूमि का बहुत बड़ा भू–भाग मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। मगध की राजनीति एवं कूटनीति के मुख्य कर्ताधर्ता आचार्य चाणक्य थे। वे चन्द्रगुप्त के गुरु के साथ–साथ उनके महामंत्री भी थे। उनके ग्रन्थ अर्थशास्त्र के द्वारा हमें मौर्य कालीन व्यवस्थाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस काल की जानकारी के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है इंडिका। इस ग्रन्थ का रचयिता यूनानी लेखक मैगस्थनीज था जिसने अपनी भारत की यात्रा के अनुभवों को रचनाबद्ध किया था। मौर्य काल की जानकारी से सम्बन्धित पुरातात्त्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन अभिलेखों में राजा अशोक द्वारा दी गयी राजाज्ञाएं उत्कीर्ण करायी गयीं थी। इन राजाज्ञाओं में दासों एवं भृत्यों से सम्बन्धित सूचना भी मिलती है। किन्तु प्राचीन भारतवर्ष के किसी प्रश्न को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ है, जितना सम्भवतया अर्थशास्त्र की तिथि और प्रमाणिकता के सम्बन्ध में हुआ है। एक ओर तो जोरदार शब्दों में कहा जाता है कि यह रचना चन्द्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य की है, तो दूसरी ओर इसे अस्वीकार करते हुए इस रचना को पहली या तीसरी शताब्दी ई0 का माना जाता है। विरोध करने वालों के तर्कों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक मालूम पड़ता है। अर्थशास्त्र के अन्त में उल्लिखित पद्य से स्पष्ट है कि यह रचना उस व्यक्ति की है जिसने नन्द वंश का नाश किया और यह ऐसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऐतिहासिक परम्परा है जो बाद में ब्राह्मण और जैन ग्रन्थों में मिलती है। यह पद्य इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों के लेखकों के सम्बन्ध में ऐसे जीवन चरित्र सम्बन्धी लेख अन्यन्त्र नहीं मिलते। इतना ही नहीं किसी भी ग्रन्थ से कोई वैकल्पिक सूचना नहीं मिलती कि कौटिल्य किसी अन्य काल के थे।

वर्तमान समय में अनेक प्राचीन संवत प्रचलित हैं, जिनमें विक्रम संवत और एक शक संवत प्रमुख हैं। इन पर संवतों का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, यह बताना कठिन होगा। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में कतिपय अन्य संवतेां का भी प्रयोग किया गया है पर उनके आधार पर विविध राजवंशों और राजाओं के पूर्व एवं वर्तमान काल का निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयां हैं। बुद्ध और महावीर जैसे धर्म प्रवर्तकों का जन्म कब हुआ, राम किस समय में हुए, महाभारत का युद्ध कब हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजाओं का क्या काल था इन सभी प्रश्नों पर विद्वानों में मतान्तर देखने को मिलता है। वस्तुततः भारतीय इतिहास का तिथिक्रम एक विवादग्रस्त विषय है और केवल प्राचीन साहित्य तथा शिलालेखों के आधार पर उसका निर्णय करना बहुत ही कठिन है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में इसकी रचनाकाल के लिए एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्थशास्त्र ई. सन् की पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक की रचना है। यह कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब अपने ज्ञान का वर्गीकरण किया तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने लगा था। अलग होने की प्रक्रिया ईस्वी सन् की आरम्भिक सदियों की ही कही जा सकती है। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि कौटिल्य ने शिक्षा की जिन मुख्य शाखाओं का अर्थात् कल्प, व्याकरण, निरुक्त का उल्लेख किया है, वे मौर्यपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अर्थशास्त्र में दर्शनशास्त्र की लोकायत शाखा का जो उल्लेख हुआ है उससे उक्त ग्रन्थ का रचनाकाल बाद का नहीं कहा जा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सकता है। संभवतः लोकायत शाखा बुद्ध से पूर्व की है और इतना तो निश्चित है कि यह मौर्यों से पहले की है, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

इसी प्रकार भारत के निकट सम्पर्क में आकर पाश्चात्य विद्वानों ने जब संस्कृत साहित्य का अनुशीलन प्रारम्भ किया तो उनका ध्यान पौराणिक श्रुति के राजा चन्द्रगुप्त की ओर आकृष्ट हुआ। प्राचीन ग्रीक इतिहास से वे भली–भांति परिचित थे। उन्हें यह ज्ञात था कि जब मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर आक्रमण किया तो उसकी भेंट सैण्ड्रोकोटस नाक महत्वकांक्षी व्यक्ति से हुई। वे यह भी जानते थे कि सिकन्दर के उत्तराधिकारी सैल्युकश ने पालिब्रोथा के राजा सैण्ड्रोकोटस के साथ संधि की थी। चन्द्रगुप्त और सैण्ड्रोकोटस में ध्वनि साम्य है, और पालिब्रोथा और पाटलिपुत्र भी एक ही नगर की सूचना देते हैं। निस्सन्देह, भारतीय तिथिक्रम के निर्णय के लिए यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसके आधार पर ही राजा चन्द्रगुप्त के काल को सुनिश्चित किया जा सकता था। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार सिकन्दर ने चौथी शती ई. पू. में भारत पर आक्रमण किया था अतः उसके समकालीन सैण्ड्रोकोटस का काल भी चौथी सदी ई. पू. में ही होना चाहिए। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। इस प्रकार सर विलियम जोंस ने पौराणिक अनुश्रुति और प्राचीन भारतीय साहित्य के चन्द्रगुपत मौर्य और ग्रीक विवरणों में सैण्ड्रोकोटस को एक ही व्यक्ति एवं पालिब्रोथा व पाटलीपुत्र को एक ही नगर निर्धारित किया। इस स्थापना को विल्फोर्ड एवं मैक्समूलर आदि विद्वानों ने स्वीकार कर लिया और अनेक प्रमाणों द्वारा इसकी पुष्टि की। इसी प्रसंग में आगे चलकर मैक्समूलर ने लिखा है कि जस्टिन, एरियन, डायोडोरस, सैल्यूकस, स्ट्रैबो, क्विन्टस, कर्टियस और प्लूटार्क आदि प्राचीन लेखकों द्वारा हमें ाात है कि सिकन्दर के समय गंगा के पूर्व के प्रदेशों पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था, जिसका नाम क्सैन्ड्रमस था। सिकन्दर के आक्रमण के बाद शीघ्र ही सैण्ड्रोकोटस ने एक नवीन राज्य की स्थापना की। इसके बाद मैक्समूलर ने ग्रीक लेखकों के विवरणों से उल्लिखित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सैण्ड्रोकोटस की चन्द्रगुप्त के साथ एकता प्रतिपादित की है। विल्सन, लैस्सन आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया और सैण्ड्रोकोटस तथा चन्द्रगुप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन भारतीय तिथिक्रम की आधारशिला बन गयी। पौराणिक, बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों में प्राचीन राजवंशों की वंशावलियां दी गई हैं, उनके राजाओं के काल का इसी स्थापना के अनुसार निर्णय किया गया। 325 ई.पू. में सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था और 323 ई. पू. में चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आरूढ हुआ था। ये दो तिथियां भारत के प्राचीन इतिहास में सुनिश्चित मान ली गईं और इन्हीं के आधार पर अन्य प्राचीन राजवंशों तथा राजाओं के काल का निर्णय किया जाने लगा। नन्द और शिशुनाग आदि जिन राजवंशों का उल्लेख पुराणों में मौर्य वंश से पहले किया गया है उनका काल 323 ई. पू. से पहले निर्धारित किया गया और शुंग, कण्व, आन्ध्र आदि वंशों का मौर्य के बाद। पौराणिक अनुश्रुति में विविध राजवंशों और उनके राजाओं का कुल शासन–सयम भी दे दिया गया है। अतः 323 ई. पू. को एक सुनिश्चित तिथि मानते हुए भारतीय राजवंशों के तिथिक्रम को निर्धारित कर सकना बहुत सुगम हो गया। वर्तमान समय में भारत के प्राचीन इतिहास को लिखते हुए इसी तिथिक्रम को प्रामाणिक माना जाता है और प्रायः सभी विद्वान इसे स्वीकारते हैं।

मगध साम्राज्य के उत्थान के साथ ही भारत की अस्थिर राजनीति को विराम मिलना आरम्भ हो गया। कोसल के अंत से लेकर कलिंग के भीषण युद्ध तक अनेकों लोगों को बंदी बनाया गया था। सर्वविदित है कि अशोक ने भी दास प्रथा को समाप्त करने के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त यह संभव है कि पूर्णतया केन्द्रीकृत शासन के प्रत्येक क्षेत्र के व्यय को पुष्ट रखने के लिए इन युद्ध बन्दियों से कृषि की राजकीय भूमि में कार्य कराया गया हो। उन्हें दासों की भांति कृषि कार्य में संलिप्त करने विवशता से संभवतः अशोक महान भी न बच पाये थे। मौर्य युग में दासता के प्रमुख कारणों में अकाल, ऋण, युद्ध, दण्ड आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। जिनके रहते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न विदेशी यात्रियों सहित अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य ने भी दास–दासियों का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है। मौर्य पूर्व युग में दासों को सेना, कृषि उच्च वर्ग के आवास, मध्यम श्रेणी के घरों और वयापारियों के कार्यों के निमित्त नियुक्त किया जाता था। दीधनिकाय[1] और मज्झिमनिकाय[2] से दासो–दासियों का उल्लेख समुचित रूप से किया गया है। जातकों में तो दासों के अनेकानेक विवरण मिलते हैं। दास–दासियों के क्रय–विक्रय, विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य और भेंट, उपहार आदि के संदर्भ जातकों में भरे पड़े हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि उस युग में दास प्रथा समाज में विविध रूप में प्रचलित थी। एक जातक से ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से अन्य उपहारों के साथ सौ दासियों की भी मांग की थी जो उसे प्रदान की गई थी।

मौर्य युगीन दास–दासियों के सम्बन्ध में हमें देशी एवं विदेशी दोनों ही स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों एवं अर्थशास्त्र आदि भारतीय ग्रन्थों के दास–दासियों के जो विवरण दिये गये हैं, उनमें असमानता देखने को मिलती है। मैगस्थनीज ने अपेक्षाकृत विस्तार के साथ दास–दासियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। मैगस्थनीज के द्वारा दिये गये विवरणों को ही डायोडोरस, एरियन और स्ट्रैबो ने अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है। एरियन के अनुसार ''सभी भारतीय स्वतन्त्र हैं, यहां कोई दास नहीं है।''[3] यहां पर यह ध्यातव्य है कि एरियन ने यह विवरण मैगस्थनीज के आधार पर दिया है और मैगस्थनीज ने ओनेसिकेटस के आधार पर अपना विवरण लिखा था। वस्तुतः ये यूनानी यात्री भारत में दासों के साथ किए जाने वाले अतिशय मानवीय ओर मधुर व्यवहार को दखकर भ्रम में पड़ गये थे। भारत में विदेशियों को दास बनाने की परम्परा नहीं थी, तो फिर वे अपने देशवासियों को दास कैसे बना सकते थे। स्ट्रैबो के अनुसार भी कोई भी भारतीय व्यक्ति दास या नौकर नहीं रखता था। डायोडोरस के अनुसार भी भारत में दास नहीं पाये जाते हैं। सिकन्दर की चढ़ाई के समय भारतवासियों की प्रचलित प्रथाओं में से एक विशेष ध्यान देने योग्य हैं इनसे उन के प्राचीन दार्शनिकों ने बनाया है और यह अत्यधिक प्रशंसनीय है। भारत में यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियम है कि उनमें से कोई किसी भी अवस्था में गुलाम नहीं हो सकेगा, किन्तु स्वतन्त्रता का सुख लूटते हुए वे सभी एक–दूसरे की स्वतन्त्रता की रक्षा करेंगे, क्योंकि जो दूसरों पर प्रभुत्व करना नहीं जानते अथवा जिन्हें दूसरों का दासत्व करना नहीं आता वे ही ऐसा स्वभाव प्राप्त कर सकते हैं और यह सर्वथा उचित एवं युक्तिसंगत है कि नियम का बन्धन सभी पर समान रूप से लागू हो यद्यपि धन की अधिकता एवं न्यूवता लोगों के बीच विद्यमान रहे।[4] परन्तु अन्य विद्वान भारत में दास प्रथा की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः भारत में दास–दासियों की स्थिति यूनान अथवा किसी भी अन्य यूरोपीय दासों की तुलना में इतनी अच्छी थी कि मेगस्थनीज दासों एवं स्वतन्त्र नागरिकों में अन्तर ही नहीं कर सका। इसी कारण मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को सात जातियों में विभाजित करके वर्णित किया है।[5] पहली जाति दार्शनिकों की है जो अन्य जातियों की अपेक्षा संख्या में कम है किन्तु इनका मान–सम्मान एवं गौरव सर्वाधिक उच्च है। इन्हें किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्य नहीं करना पड़ता है और ये न किसी के स्वामी हैं और न ही सेवक हैं। साधारण मनुष्य जीवन के धार्मिक कर्तव्य तथा मृतमनुष्यों के श्राद्ध करने के लिए लोग इन्हें नियत करते हैं और उनका विश्वास हे कि ये देवताओं के बड़े ही प्रिय हैं और परलोक की सभी बातों से अभिज्ञ हैं। इन कार्यों के कराने के उपलक्ष में इन्हें बहुमूल्य पदार्थ और कितने ही अधिकार मिलते हैं। भारतवर्ष के सर्वसाधारण का वे बड़ा उपकार करते हैं। जब वर्ष आरम्भ होने पर सब मनुष्य एकत्र होते हैं ब वे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनुकूलवायु आदि अन्य विषयों पर अपनी भविष्यवाणी कहते हैं जिसे सुन कर लोगों को लाभ होता था। इस प्रकार देश में राजा एवं प्रजा दोनों ही भविष्य को जानकर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। दूसरी जाति किसानों की है जिसी संख्या अन्य जातियों के अपेक्षा अधिक है। इन्हें युद्ध अथवा सार्वजनिक काम नहीं करना पड़ता था, अतः ये अपना पूरा समय कृषि कार्यों में लगाते थे। शत्रु भी इन कृषकों के निकट पहुंचकर उन पर प्रहार नहीं करते थे एवं उनकी फसलों को क्षति नहीं पहुंचाते थे। इसी कारण यहां भूमि उजाड़ नहीं मिलती है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एवं प्रत्येक समय पर जीवन को सुखमय बनाने वाली वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। कृषकगण अपने पूरे परिवार के साथ ग्रामों में रहते हैं तथा कभी भी नगर में नहीं जाना चाहते हैं। इन्हें राजा को भूमिकर देना पड़ता है। तीसरी जाति पशुपालकों की है, जो न तो ग्राम में ही रहते हैं और न ही नगरों में। ये आखेट के द्वारा जंगलों को जीवों से रहित कर देते हैं। इस कार्य को ये बड़े उद्योग एवं उत्कण्ठा के साथ करते हैं। इस प्रकार ये भारत को उन विघ्नों से मुक्त कर देते थे, जो यहां बहुत अधिक संख्या में होते हैं जैसे नाना प्रकार के ऐसे पशु जो किसानों की फसलों को चर जाते थे। चौथी जाति शिल्पकारों की है। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनमें शंख प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कृषि सम्बन्धी औजारों का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता था। इन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था बल्कि इन्हें राजकीय कोष में से आर्थिक सहायता मिलती है। पांचवी जाति योद्धाओं की है। ये रण के लिए भली भांति शिक्षित और सुसज्जित होते हैं। संख्या में ये द्वितीय जाति हैं और शानित रहने पर आलसी और विलासी हो जाते हैं। सम्पूर्ण सेना अर्थात् योद्धा, युद्ध के घोड़े, हस्ति तथा अन्य सब सामग्री राजा के व्यय से रखे जाते हैं। छठी जाति निरीक्षकों की है। उनका कर्तव्य भारत में जो कुछ होता है उन सबों का निरीक्षण करना है तथा उसे राजा से निवेदन करना है। जहां राजा नहीं हैं वहां पदाधिकारियों से कहना पड़ता है। सावतीं जाति मंत्रियों या उपदेशकों क है। जो सार्वजनिक विषय पर विचार करते हैं इस जाति की संख्या सबसे कम है किन्तु यह सब से अधिक प्रतिष्ठि है क्योंकि इस जाति के लोग बड़े सच्चरित्र और बुद्धिमान होते हैं इसी जाति के मनुष्य राजा के मंत्री कोषाध्यक्ष और झगड़ा निपटाने के लिए पंच नियत किये जाते हैं सेनापित और प्रधान पदाधिकारी प्रायः इसी जाति के होते हैं। उपरोक्त जातिगत विवरण में मैगस्थनीज ने कहीं पर भी दास–दासियों से सम्बन्धित कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मैगस्थनीज ने भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार भी कोई विवरण नहीं दिया है। जिससे प्रतीत होता है कि या तो उसे भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जानकारी नहीं थी अथवा उसने जो विवरण दिया है वह वर्ण या जाति पर आधारित न होकर कार्य–विभागों पर आधारित था। यूनानी साक्ष्यों के विपरीत भारतीय साक्ष्य मौर्ययुगीन भारत में दासों के अस्तित्व में भली–भांति परिचित प्रतीत होते हैं। अर्थशास्त्र, स्मृतियों एवं अशोक के शिलालेखों में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय जन अपने दासों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करते थे। तभी यूनानी लेखकों को दासों का अस्तित्व प्रतीत नहीं हुआ। समयुगीन देशों में दासों का स्वरूप गुलाम जैसा था, भारत में गुलामों का अभाव था। यहां पर दास का रूप कम्मकार अथवा मजदूर के समान था। भारत में दास–दासियों से निम्नतम एवं अस्वच्छ कार्य नहीं करवाये जाते थे। वे कृषि एवं गृहस्थी के विभिन्न कार्यों में सहायता करते थे। यहां दासों का स्वरूप चाकर के समान था। वे आर्थिक स्वतन्त्रताओं से सम्पन्न थे एवं अपनी सम्पति के मालिक होते थे। उस काल में दासों की इस प्रकार की सुख–सुविधा एवं स्वतंत्रता को देखकर ही यूनानी लेखकों को भारतीय दास वास्तविक अर्थों में अथवा गुलाम के अर्थों में दास प्रतीत नहीं हुए।

अर्थशास्त्र के विवरणों के आधार पर बेलोर ने कहा है कि मौर्य कालीन दास–दासियां गुलामों से भिन्न होते थे। उनसे किसी भी प्रकार के अस्वच्छ कार्य नहीं कराये जा सकते थे। अर्थात् वे काम जिसे मैगस्थनीज ने दासोचित कार्य कहा है, वे लोग अपनी संपत्ति के स्वामी होते थे ओर उसका हस्तान्तरण कर सकते थे तथा कुछ परिस्थितियों में वे अपने अधिकार के रूप में स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे।[6] वास्तव में मैगस्थनीज को भारत में दास–दासियों के प्रति होने वाले मृदु व्यवहार का परिचय हुआ ही नहीं। यह भी सम्भव है कि उसने यूनानियों के समक्ष दास–दासियों के सम्बन्ध में आदर्श स्थिति रखने के लिए भारत का आदर्श रखा हो। परन्तु कौटिल्य ने दासों से गर्हित कार्य करने का निषेध कर रखा था। उन्होंने दास–दासियों से मुर्दा ढोने, मल–मूत्र साफ करने, उच्छिष्ट भोजन की सफाई करने एवं नग्न स्नान के समय दासी से कार्य लेने की मनाही कर रखी थी।[7] दास आर्थिक अधिकार से भी सम्पन्न होते थे। मौर्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युग में दास–दासियों की स्थिति हेय नहीं थी। उनके निवास हेतु राज्य द्वारा दास ग्रामों की स्थापना की जाती थी। उन्हें शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति प्राप्त थी।[8] दासियां तद्‌युगीन समाज में अन्य लोगों की सेवा अवश्य करती थीं तथापि उन्हें निम्न एवं उपेक्षित नहीं समझा जाता था।

कौटिल्य ने धर्मसूत्र की जिस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है उससे यह प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका आभास उसके जनपदनिवेश संबंधी नियमों से मिलता है। कौटिल्य का कथन है कि सौ से लेकर पांच सौ परिवारों की बस्तियां बसाने में एक बस्ती से दूसरी बसती की दूरी दो या चार मील की होनी चाहिए ओर उसके निवासी मुख्यतया शूद्र और कर्षक ही होने चाहिए। विद्वानों ने शूद्र ओर कर्षक शब्दों का द्वंद्व समास माना है। और इस तरह के शूद्र किसान नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने शूद्र शब्द को कर्षक का विशेषण माना है। इस वाक्यखंड का अर्थ लगाना इसलिए कठिन हो गया है कि इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र पर जो टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें जनपदनिवेश प्रकरण का समावेश नहीं है। एक स्थल पर कर्षक को कर्मकर, अर्थात् भाड़े का मजदूर माना गया है। किन्तु संभवतया यहां इस शब्द को ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। संभव है कि शूद्र से दास कर्मकारों का और कर्षक से वैश्य किसानों का बोध होता है। उक्त विवरण से प्रतीत होता है कि दास–दासियों को कृषि कार्य में भी संलिप्त किया जाता था।

दास–दासियों की स्थिति की विवेचना हेतु कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण 'धर्मस्थीय का तेरहवां अध्याय 'दासकर्मकरकल्पम्' सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें दास–दासियों से सम्बन्धित जानकारी एवं उनसे सम्बन्धित नियमावली दी गयी है। कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया है–

1. ध्वजाहृत – युद्ध में बन्दी बनाये गये दास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

2. उदरदास – अपने भरण–पोषण हेतु बनाये गये दास
3. दंड प्रणीत – शारीरिक श्रम हेतु बनाया गया दास
4. गृहजात – स्वामी द्वारा दासी से उत्पन्न
5. दायगत – उत्तराधिकार में प्राप्त दास
6. लब्ध – भेंट से प्राप्त दास
7. क्रीत – क्रय किया गया दास
8. आत्मविक्रयी – अपने आप को बेचने वाला दास
9. आहितक – बंधक बना कर रखा गया दास

अर्थशास्त्र के अनुसार उदरदास को छोड़कर आर्यों के प्राणभूत नाबालिग शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का कोई सदस्य बेचे या गिरवी रखे तो उन पर क्रमशः बारह पण, चौबीस पण, छत्तीस पण और अड़तालीस पण का दण्ड किया जायेगा। यदि इन्हीं नाबालिग शूद्र आदि को यदि कोई अन्य बाहरी व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो इस अपराध के लिए उसको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस ओर प्राणवध का दण्ड दिया जायेगा। कौटिल्य ने दास–दासियों के क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में यह भी विधान किया है कि जो व्यक्ति दास–दासियों को खरीदेगा अथवा गवाही देगा उसे भी इसी प्रकार का दण्ड दिया जायेगा।[9]

आगामी श्लोकों से प्रतीत होता है कि इस प्रकार के दण्ड विधान उन लोगों के लिए बनाये गये थे जो भारतीय प्रजा का अर्थात् आर्य जाति के किसी भी व्यक्ति का क्रय–विक्रय करते थे। कौटिल्य लिखते हैं कि म्लेच्छ लोगों को अपनी सन्तानों को बेचने अथवा गिरवी रखने की स्वतन्त्रता है, परन्तु आर्य जाति किसी भी परिस्थिति में गुलाम नहीं बनाई जा सकती है।[10]

मौर्य साम्राज्य के ठीक पड़ोस में यूनानी राज्य थे और म्लेच्छों से तात्पर्य यहां सम्भवतः उन्हीं से है। उन में दासत्व का बहुत बुरा प्रचार था, उन के बड़े प्रजातन्त्रवादी दार्शनिक अरस्तू ने उस प्रथा का समर्थन किया है। जिस एथेन्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नगरी को यूनानी लोग प्रजातन्त्र पद्धति का अग्रणी मानते थे, उस नगर में कुल 35 हजार स्वतन्त्र नागरिक और 3 लाख दास थे। इस प्रकार से वहां पर प्रति 13 व्यक्तियों में से केवल 1 ही स्वतन्त्र नागरिक था। प्राचीन यूनानियों और उनके आधुनिक प्रशंसकों के लिए वह भले ही एक आदर्श प्रजातन्त्र रहा हो किन्तु यूनान की कुल आबादी में से 92.5 प्रतिशत लोगों के लिए वहां कैदखाने से बदतर स्थिति थी। एक परिवार के पास पांच सौ तक दास होते थे। खेती एवं मजदूरी का कार्य इन दासों को सौंपा जाता था। परन्तु भारत वर्ष में इस प्रकार की स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती है। भारत में दास–दासियों का प्रयोग केवल घरेलू कार्यों एवं सेवा कार्य में किया जाता था।

कौटिल्य की व्यवस्थाओं से भी प्रतीत होता है कि जो थोड़े बहुत दास थे भी उन्हें मुक्ति दिलाना और भारतवर्ष की समूची प्रजा को स्वतन्त्र बनाना उनका ध्येय था। यद्यपि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कठोर नियम बनाये थे जिन्हें दास बनाया गया हो। वे लिखते हैं कि यदि सारा परिवार गिरफ्तार हो गया हो या बहुत सारे आर्यों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो उस दशा में आर्य को गिरवी रखा जा सकता है और जब छुड़ाने योग्य धन इकट्ठा हो जाय तो पहले बालक को या सहायक को मुक्त करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आपको स्वयं गिरवी रख चुका हो, यदि एक बार भी वह वहां से भाग निकले तो उसे आजीवन गुलाम बनाकर रखा जाय। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा गिरवी रखा गया हो, यदि वह दो बार भाग जाय तो उसे सदा के लिए दास बनाकर रखा जाय। ये दोनों ही दास यदि किसी दूसरे देश में चले जाने का इरादा करें तब भी उन्हें जीवन पर्यन्त दास बनाया जाय। धन अपहरण करने वाले तथा किसी आर्य को दास बनाने वाले व्यक्ति को आधा दण्ड दिया जाय। गिरवी रखे हुए व्यक्ति यदि भाग जाये, मर जाये या बीमार हो जाये तो गिरवी रखने वाला ही उनका मूल्य दे। कौटिल्य कहते हैं कि जिसने अपने को बेच दिया हो, उसके बेटे को स्वतन्त्र समझना चाहिए।[11] कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य में विघ्न डाले बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की सम्पति विरात में प्राप्त करके अपना क्रय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूल्य चुका सकता था और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुनः प्रापत कर सकता था। युद्ध में बंदी बनाया गया आर्य प्राण मुक्ति मूल्य चुकाकर मुक्त हो सकता था। समुचित मुक्ति मूल्य पा लेने के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर बारह पण जुर्माना देना पड़ता था। ऐसे सभी मामलों में आर्यत्व की पुनः प्रापित का प्रश्न केवल उनहीं लोगों के लिए उठ सकता हैं उपर्युक्त उपबंध अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णों के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे तो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों। कौटिल्य ने पराधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग–अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आर्यों के लिए आर्यत्वम् शब्द का प्रयोग हुआ है। किन्तु जब आर्येत्तर गुलामों को मुक्त करने का प्रसंग आया है, तब अदास शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन पालि ग्रन्थों में दासों की दासत्व से मुक्ति के लिए 'भुज्जीस' शब्द का प्रयोग हुआ है और स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि केवल यवनों में ही आर्य दास बन सकता था। यह कहना कठिन है कि क्रय मूल्य चुकाकर मुक्ति पाने का नियम आर्येत्तर दासों पर भी उसी रूप में लागू था, जिस रूप में वह आर्य दास पर था। प्रायः मूल्य चुका देने पर भी शूद्र दासों को मुक्त कर दिया जाना उनके मालिक की इच्छा पर निर्भर था। किन्तु कभी–कभी उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी क्योंकि यह विहित किया गया था कि जिस दास या दासी को एक बार उन्मुक्त कर दिया जाए उसे बेचने या बंधक रखने पर 12 पण जुर्माना देना पड़ता था। किन्तु यदि कोई इच्छापूर्वक दास बनता था तो ऐसा जुर्माना नहीं देना पड़ता था। अर्थशास्त्र उल्लख करता है कि दास भी सम्पति अर्जित कर सकता था। सम्भवतः इस सम्पति से ही उसे अपनी मुक्ति में सहायता मिलती थी।

कौटिल्य ने दासियों के सन्दर्भ में भी अनेक नियमों एवं अधिकारों का उल्लेख किया है। जिसके अनुसार यदि स्वामी अपने पुरुष गुलामों से मुर्दा, मल–मूत्र या जूठन उठवाने का आदेश दे एवं महिला गुलामों को अनुचित दण्ड दे, उनके सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करे, नग्नावस्था में उनके सामने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाये या नग्नावस्था में उन्हें अपने पास बुलाये तो ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिए।[12]

यदि यही व्यवहार दाई, परिचारिका, अर्द्धसीतिका (जिस जाति में पुरुषों का जीवन–निर्वाह स्त्रियों पर निर्भर रहता है) और भीतरी दासी (उपचारिका) आदि के साथ किया जाय तो उन्हें दासकार्य से मुक्त कराया जाय। यदि उच्च कुल में जन्में किसी दास से उक्त कार्य कराये जाये तो वह दास कर्म को छोड़कर जा सकता है।[13] अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय किन्तु उनको यदि दूसरे व्यक्ति के वश में करने की कोशिश करे तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय। गिरवी में आई कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दूषित करे तो इस कृत्य के बदले उसका धन जब्त कर लिया जाय। साथ ही जुर्माने के तौर पर कुछ धन वह कन्या को दे और उससे दुगुने दण्ड सरकार को अदा करे।[14]

दास–दासियों के प्रति दुर्व्यवहार मौर्य काल में अपराध की श्रेणी में माना जाता था। जो मालिक अपनी दासी से निम्नतम कार्य कराता था, उसे दासी के क्रय मूल्य से वंचित होना पड़ता था। यदि कोई स्वामी अपनी दासी के साथ बलात्कार करता था तो उसे न केवल क्रय मूल्य से वंचित किया जाता था अपितु उसे दण्ड स्वरूप शुल्क भी देना पड़ता था।[15] मौर्य युग में सामान्यतः दासों की स्थिति पूर्वकालीन समाज की अपेक्षा अधिक सम्पन्न एवं स्वतंत्रतापूर्ण थी। तद्युगीन समाज में दासियों के प्रति मानवोचित व्यवहार इस तथ्य का परिचायक है कि मौर्य युगीन समाज कितना अधिक संभ्रांत, मानवीय गुण सम्पन्न रहा था।

कौटिल्य न केवल दास–दासियों के सम्बन्ध में नियमों का प्रावधान करते हैं अपितु उन्हें भी राज्य का नागरिक मानते हुए उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करते हैं। वे दास–दासियों के लिए सम्पति एवं उत्तराधिकार सम्बन्धी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियमों का सृजन करने वाले प्राचीन भारत के पहले विद्वान हैं। मौर्य युग से पूर्व के सभी कालों में प्रायः हमें दासों के सम्बन्ध में सम्पति के अधिकारों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। वैदिक साहित्य भी इस विषय पर कोई जानकारी नहीं देता है। वहीं गौतम सूत्र के अनुसार तो दासियां दूसरे की सम्पति हैं जिन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। इसी प्रकार प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी हमें दासों के सम्पति सम्बन्धी अधिकारों की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में ही मिलता है जिसके अनुसार अपने आपको बेचने वाले आर्य पुरुष की सन्तान भी आर्य ही समझी जाती है। वह अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार कमाये हुए धन को अपने पास रख सकता है और पिता की सम्पति का भी उत्तराधिकारी हो सकता है। बाद में अपनी कीमत को चुकता क रवह आर्यश्रेणी में आ सकता है। इसी प्रकार उदरदास और आहितक दास के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए।[16]

अर्थशास्त्र में दासों हेतु प्रस्तुत सम्पति सम्बन्धी उक्त नियमों एवं अधिकारों की दासियों के सम्बन्ध में कितनी प्रासंगिकता थी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जो व्यक्ति उचित मूल्य पाने पर भी किसी को दासता से मुक्त नहीं करता था तो उस पर बारह पण का दण्ड आरोपित किया जाता था। यदि मुक्त न करने का कोई कारण न हो तो उसको कारावास का दण्ड दिया जाता था। दास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके बंधु–बांधव एवं कुटुम्बी लोग होते हैं। उनके न होने पर दास का स्वामी ही उसकी सम्पत्ति का अधिकारी होता है। यदि कोई स्वामी अपनी दासी से सन्तान पैदा करता है तो वह सन्तान और उसकी माता दोनों को दासता से मुक्त कर दिया जाता था। यदि वह स्त्री सद्गृहणी बनकर स्वामी के घर में ही उसकी पत्नी बनकर रहना चाहे तो उसकी मां, बहिन और भाइयों को दासता से मुक्त कर दिया जाता था।[17]

कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ में दासता से मुक्ति के नियम एवं परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। जबकि इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थों में इस प्रकार के नियमों का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उल्लेख विरल ही मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में धन देकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले दास का वर्णन आया है तथापि वैदिक साहित्य में दास–दासियों की मुक्ति–विषयक नियमों का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है।[18] प्राचीन बौद्ध साहित्य से इस क्षेत्र में कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है, जहां पर कुछ दास–दासियों के द्वारा भिक्षु–भिक्षुणी बनने की इच्छा प्रकट की गयी है। ध्यातव्य है कि बौद्ध धर्म में सभी जातियों के लिए प्रवेश खुला था, सम्भवतः इसी कारण दास–दासी वर्ग के कुछ लोगों ने भी अवश्य ही बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया होगा। दीघनिकाय के वर्णनानुसार संन्यास लेने पर धारक मूल्य देकर अथवा स्वामी की इच्छा एवं प्रसन्नता से दास को स्वतन्त्रता मिल सकती थी। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी अनेक नियम मिलते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति दासत्व के जीवन को छोड़कर स्वतन्त्र जीवन में आ सकता था। इसके विवरण से यह इंगित होता है कि जिस दास अथवा दासी को जितने मूल्य में गिरवी रखा जाता था उसके अनुसार ही उसको दासत्व से मुक्त कराये जाने का भी मूल्य निर्धारित होता था। कौटिल्य प्रत्येक व्यक्ति को दासत्व से मुक्त होने के लिए मार्ग बताते हैं। इनमें सम्भवतः वे दासियां भी सम्मिलित थीं जिन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक अभाव के कारण दासता का जीवन स्वीकार करना पड़ता था। एक बार मुक्त हुए दास–दासी को यदि फिर कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय।[19]

किंतु दास–दासी ही यदि स्वयं बिकने और गिरवी रखे जाने को कहें तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। क्रय किया गया दास, आर्थिक संकट के कारण बना दास अपना संकट टल जाने पर उचित मूल्य देकर दासता से मुक्त हो सकता है। वहीं युद्ध में पराजित होने पर बनाये गये दासों की मुक्ति का नियम यह था कि वे विजेता के यहां कार्य करें या अपने विक्रय मूल्य की आधी रकम अदा करके मुक्त हो जायें। कौटिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्र दासता की स्थिति में पहुंचा दिये गये आर्यों पर लागू होते हैं। नियम बताता है कि कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य में विघ्न डाले

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की सम्पति विरासत में प्राप्त करके अपना क्रयमूल्य चुका सकता है और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुनः प्राप्त कर सकता है।[20] युद्ध में बंदी बनाया गया आर्यप्राण मुक्तिमूल्य चुका कर मुक्त हो सकता है।[21] समुचित मुक्ति मूल्य पा लेले के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर बारह पण का दण्ड दिया जायेगा।[22] ऐसी सभी मामलों में आर्यत्व की पुनः प्राप्ति का प्रश्न केवल उन्हीं लोगों के लिए उठ सकता है जो पहले से ही आर्य रहे हों। शूद्रों के लिए यह प्रश्न नहीं उठ सकता। उपर्युक्त उपबन्ध अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णों के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों। कौटिल्य ने पराधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग–अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आर्यों के लिए 'आर्यत्वम्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। किंतु जब आर्येत्तर, गुलामों को मुक्त करने का प्रसंग आता है तब अदास शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप यह बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी से बच्चा पैदा करे तो मां और बच्चा दोनों ही मुक्त समझे जायेंगे। यदि ऐसी कोई मां अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दास बने रहने का निश्चय ही करे, तो उसकी मां, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जायेगा।[23]

दासों के प्रति किये जाने वाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य ने कुछ नियम बनाये हैं जो शूद्र दासों तथा उच्च वर्ण के दासों पर भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया है कि जो दास आठ वर्ष से कम उम्र का हो और सगा–सम्बन्धीविहीन हो, उसे हीन व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है और न उसे विदेश में बेचा या बंधक रखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव की व्यवस्था के बिना बेचा या बंधक नहीं रखा जा सकता है। पुनः मालिक किसी कारण के अपने दास को कैद में नहीं रख सकता है। जनपदविनेश संबंधी अध्याय में यह आदेश किदया गया है कि राजा को चाहिए कि लोगों को बाध्य करे कि वे अपने दासों और अहितकों के दावे पर ध्यान दें। यह तथ्य अशोक द्वारा बार–बार दिये गये उन आदेशों से मिलता है जिनमें कहा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया है कि दासों–दासियों और सेवकों के प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।[24]

कौटिल्य के उदार नियम अधिकांशतया आहितकों और भूतपूर्व आर्य दासों पर ही लागू थे, जिनकी संख्या निश्चित रूप से कम रही होगी। उनमें से कुछ ही नियम सामान्य दास–दासियों की बड़ी संख्या पर लागू होते थे, जो कि शूद्र थे। आर. एस. शर्मा महोदय के अनुसार इस तथ्य पर ध्यान न देने के कारण यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विधान परोध रूप से दासता का उन्मूलन करते हैं अथवा उनकी नीति ऐसी है कि उनका देश स्वतन्त्र व्यक्तियों का देश बन जाये।[25]

विभिन्न विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि दासियों को मुख्यतः घरेलू कार्यों में संलिप्त रखा जाता था। इसके अतिरिक्त उन्हें उनके स्वामियों के द्वारा संदेशवाहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की गोपनीय बातों को पता लगाने का कार्य भी इन्हें सौंपा जाता था। दासियों का प्रयोग संभवतः नृत्य एवं गायन जैसी ललित कलाओं में भी किया जाता होगा। कोटिल्य के विवरणों से यह ज्ञात हाता है कि दास–दासियों को सम्पति एवं उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे तथापि यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दास पुरुषों के समान दास स्त्रियां किस–किस प्रकार के कार्यों को करके अर्थोपार्जन करती थीं। मौर्य काल सामाजिक परिवर्तन का काल भी था। इस समय दासों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस समय पर प्रथम बार अछूत माने जाने वाले वर्ग के लोगों को राज्य की ओर से कृषि कार्य में संलग्न किया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य की ओर से बड़े पैमाने पर अछूतों को दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया गया था। ये दास किसानों के अधीन कृषि कार्य करते थे तथा इनसे बड़े पैमाने पर बेगार भी ली जाती थी। यद्यपि पूर्ववर्ती समाज की चली आ रही परम्परा के अनुसार दासों को मजदूरी के रूप में सबसे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम मेहनताना या नाममात्र का ही वेतन दिया जाता था तथापि कौटिल्य द्वारा मजदूरी की दर नियत किये जाने से अवश्य ही दास–दासियों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की सेवा करने वाले दासों को अपने निर्वाह के लिए भंडार के अधीक्षक से 'खुद्दी' मिलनी चाहिए। इन्हें देने के बाद जितनी खुद्दी बच जाए वह रोटी पकाने वाले रसोइयों को दी जाये। संभवतः ये रसोइये दास रहे होंगे क्योंकि मौर्यपूर्व काल में भी दासों को रसोई से सम्बन्धित कार्यों में लगाया जाता था।[26] जहां तक विकृत मदिरा को निपटाने का प्रश्न है, कहा गया है कि यह दासों और कर्मकारों को मजदूरी के रूप में दी जानी चाहिए क्योंकि उनका काम हीन ढंग का है।[27]

प्राचीन पालि ग्रन्थों में तो बड़े–बड़े क्षेत्रों के केवल तीन उदाहरण मिलते हैं, किंतु मौर्य काल में ऐसे अनेक प्रलेख थे जिनमें दास और भाड़े के मजदूर सीधे सीताध्यक्ष के अधीन कार्य करते थे, वह इन लोगों को कृषि के उपकरण और अन्य साधन देता था और कृषि कर्म के लिए बढ़ई, लोहार तथा अन्य शिल्पियों की सेवाएं प्राप्त करता था। मौर्य काल में दास–दासियां, कर्मकार, शिल्पियों एवं आदिवासियों का वर्ग स्पष्टतया शूद्र वर्ण से सम्बन्धित था। संभवतः उच्च वर्णों की बस्तियों में बहुत से शूद्र स्त्री–पुरुषों को कृषि मजदूरों, दासों, शिल्पियों एवं अनुचर के रूप में कार्य मिलता था। गोप नामक प्रभारी का यह कार्य नियत किया गया था कि वह हर गांव के निवासियों की कुल संख्या और समाज में उत्पादन कार्य करने वाले वर्ग जिनकी संख्या आधा दर्जन थी, के लोगों अर्थात् कृषक, गोरक्षक, वैदेहक, कारूक, कर्मकार और दास–दासियों की कुल संख्या लिखकर रखे।[28] प्रतीत होता है कि इस सूची में दो भिन्न वर्णों के लोग हैं, जिनमें से प्रथम तीन वर्ण वैश्य वर्ण के हैं और शेष तीन शूद्र वर्ण के हैं। अर्थशास्त्र में संभवतः दास–दासियों को करदाता की श्रेणी में नहीं रखा गया था, किन्तु गोप को उनकी संख्या लिखकर रखनी होती थी।[29] जिन गांवों के लोग भुगतान करते थे उनमें ऐसे लोग की सूची रखनी पड़ती थी जो राज्य के निःशुल्क श्रम प्रदान करते थे।[30] अर्थशास्त्र की टीका करते हुए भट्टस्वामी ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहा है कि एक प्रकार के गांव ऐसे थे जहां कर के बदले श्रमिकों की मुफ्त आपूर्ति होती थी और उन गांवों के निवासी किला आदि का निर्माण करते थे।[31] टी गणपति शास्त्री ने ठीक कहा है कि इस तरह का काम कर्मकारों एवं दास वर्ग द्वारा किया जाता था, क्योंकि दासों और कर्मकारों का वर्ग हमेशा बेकार का भागी समझा जाता था।[32] इन बातों से पता चलता है कि दास–दासियों को कर से मुक्त रखा गया था, उनसे मजदूर और दासकर्म ही करवाया जाता था।

कौटिल्य ने मजदूरी नियत करने के लिए एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि कार्य का प्रकार और उसमें लगने वाले समय को ध्यान में रखकर मजदूरी नियत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि शिल्पियों, संगीतज्ञों, चिकित्सकों, रसोइयों तथा अन्य कामगरों को उतनी ही मजदूरी मिलेगी, जितनी अन्यत्र काम में लगे इसी प्रकार के लोगों को मिलती है।[33] सेवकों को भी उनके वादे के अनुसार मज़दूरी मिलनी चाहिए। समाज में सबसे कम भुगतान शिल्पियों एवं वेतन भोगियों को किया जाता था, किंतु हमें उनके रहन–सहन के स्तर का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि पण की क्रयशक्ति की ज़ानकारी नहीं मिल पाती है। कौटिल्य ने बताया है कि राज्य में सेवा करने वाले दास–दासियों और कर्मकारों को अपने निर्वाह के लिए भंडार के अधीक्षक से खुद्दी मिलनी चाहिए।[34] इन्हें देने के बाद जितनी खुद्दी बच पाए वह रोटी पकाने वाले रसोइयों को दी जाए। संभव है कि ये रसोइये दास–दासियां ही रहे हों, क्योंकि इस प्रथा का प्रचलन हमें मौर्यपूर्व काल में भी देखने को मिलता है। यह भी विवरण मिलता है कि विकृत मदिरा को निपटाने हेतु यह दासों एवं कर्मकारों में मजदूरी के रूप में बांट देनी चाहिए क्योंकि उनका काम हीन ढंग का है।[35]

प्रतीत होता है कि मौर्य काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत से परिवर्तन हुए। पहली बार शूद्रों को, जो अभी तक कृषि मजदूर थे, राज्य की भूमि में बटाईदारी भी दी जाने लगी। किन्तु कृषि उत्पादन के लिए राज्य की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओर से शूद्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता था। नीचे दर्जे के लोग तो खास–खास किसानों के अधीन अथवा स्वतंत्र रूप से काम करते थे और गांवों में रहते थे। उनसे धर्मसूत्र काल की अपेक्षा बड़े पैमाने पर बेगार ली जाती थी, हालांकि उक्त कालावधि में यह मुख्यतया शिल्पियों तक ही सीमित रखी गई थी। यह बात अब इतनी व्यापक हो गई थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ग जो विष्टि बंधक कहलाता था, लोगों से निशुल्क सेवा कराने की धुन में लगा रहता था। यद्यपि समाज में शूद्र को मजदूर और शिल्पी के रूप में सबसे कम मजदूरी दी जाती थी फिर भी संभव है कि मजदूरी की दर नियत हो जाने से उनकी दशा सुधरी हो। किन्तु प्रायः उनके रहन–सहन के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है।

कौटिल्य ने न्याय एवं विधि प्रशासन में वर्ण विधान के सिद्धान्त का अनुपालन किया था। उनके अनुसार चांडाल, पतित और हीन व्यवसाय करने वाले अपने–अपने समुदायों के दीवानी मामलों को छोड़ अन्यत्र गवाह नहीं बन सकते हैं।[36] उन्होंने यह भी निर्दिष्ट किया कि कोई भी सेवक अपने स्वामी के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है।[37] उसी प्रकार बंध मजदूर और दास–दासियां अपने स्वामी की ओर से करार पत्र निष्पादित नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के भोजन पान के सम्बन्ध में भी नियमों का निर्माण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को निषिद्ध भोजन पान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे, तो उसे प्रथम कोटि के अपराध का दंड दिया जाएगा, क्षत्रिय के संबंध में यही अपराध होने पर मध्यम कोटि को, वैश्य के विरुद्ध होने पर प्रथम कोटि का अपराध का दंड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदंड दिया जाएगा।[38] गबन के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान भृत्यों हेतु किया गया था। यदि कोई अधिकारी या किरानी इस तरह का अपराध करे, तो उस पर जुर्माना किया जाएगा, किन्तु यदि कोई सेवक या सेविका ऐसा कार्य करे तो उसे शारीरिक दण्ड दिया जाता था। दासता के जीवन की समस्याओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि उनके रहन–सहन के स्तर में शायद ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। कौटिल्य शूद्रों एवं उच्च वर्ग के लोगों को दिये जाने वाले भोजन एवं राशन की मात्रा में भी अन्तर स्पष्ट करते हैं। उनके अनुसार उच्च कोटि के आर्यों यथा राजा, रानी और सेनाध्यक्षों के लिए अधिक मात्रा में राशन की व्यवस्था की गई है। इन बातों से स्पष्ट है कि शूद्रों के लिए हीन कोटि का भोजन दिया जाता था।[39] संभवतः इसी कोटि का भोजन ही दास–दासियों को भी दिया जाता होगा क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी।

कौटिल्य ने जासूसी के कार्य में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न पेशे के पुरुषो एवं महिलाओं का उल्लेख किया है। जिनमें स्नान के लिए पानी लाने वाले, मालिश करने वाले, शय्याकार, हजाम, प्रसाधन सामग्री निर्माता, पानी भरने वाले सेवक, कलाकार, नर्तक और गायन के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लोग होते थे जो राजा के अधिकारियों के व्यक्तिगत चरित्र पर नजर रखते थे।[40] कौटिल्य ने इस प्रकार के जासूसों के सम्बन्ध में शूद्रों का उल्लेख किया है, किन्तु इनके कार्य व्यवसाय से प्रतीत होता है कि इनमें दास–दासियों का प्रयोग भी जासूसी के कांर्य के लिए भलिभांति किया जाता होगा। कौटिल्य ने बताया है कि अन्य लोगों के साथ–साथ शूद्र महिलाओं को घुमक्कड़ जासूस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अधिकारियों के दास–दासी अपेक्षाकृत अन्य किसी भी व्यक्ति के उनके सर्वाधिक समीप रहते होंगे, जिस कारण उनके द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती होंगी। इस कार्य में दासियों की अग्रणी भूमिका रही होगी। इतना ही नहीं कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जिनमें कृषक, पशुपालक और जंगली जातियां भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के उद्‌देश्य से जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए। यह ऐसा उपबन्ध है, जिसमें शूद्र भी आ जाते हैं। निम्न जाति के लोग संदेश वाहक के रूप में भी कार्य करते थे, क्योंकि कौटिल्य ने बताया है कि यद्यपि संदेश वाहक अछूत होते हैं, तथापि उन्हें मृत्युदण्ड से वंचित रखा जाना चाहिए।[41] इस प्रकार के संदेश वाहाकों में दासियों की अग्रणी भूमिका रही होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आमतौर पर इस प्रकार को कोई संकेत नहीं मिलता कि मौर्यकाल में दास–दासियों की नागरिक और आर्थिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ था। मौर्यकाल से पहले उन पर जो राजनीतिक और कानूनी आशक्तताएं लादी गई थीं, वे मुख्यतया बनी रहीं। अशोक ने अपने चतुर्थ स्तम्भ आदेश में राजुक को बताया है कि अपने प्रभार के अधीन रखे गए जनपद में वह व्यवहार समता और दाण्ड समता लागू करें। इन दोनों शब्दों का निर्वचन न्याय सम्बन्धी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और दंड में निष्पक्षता किया गया है। किन्तु प्राचीन विधियों में वर्ण पर आधारित भेदभावों को देखते हुए कहा कसते हैं कि उपर्युक्त शब्द आदर्शवादी शासकों द्वारा ऐसे भेदभावों को छोड़ने का प्रयास के सूचक हैं। यह नीति वस्तुतया किस प्रकार और कहां तक लागू की जाती थी, यह स्पष्ट नहीं होता है। संभवतया दीर्घकालीन पूर्वाग्रहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सकी।

कौटिल्य के समकालीन ग्रन्थों का अध्ययन करने पर हमें दासों की सामाजिक स्थितिं की जानकारी मिलती है। दासता केवल शूद्र वर्ण के सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहां तक कि ग्रामभोजक, मंत्रीगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च कुल के लोग भी इस स्थिति में पहुंच जाते थे।[42] किसी भी हालत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं रही होगी। अधिकांश मजदूर शूद्र वर्ण के होते थे।[43] ऋण, क्रय, अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पन्न दासता की उम्मीद उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्ण से ही अधिक की जा सकती थी। उदाहरणार्थ एक गाड़ीवान की कन्या, इसिदासी, अपने पिता द्वारा कर्ज न चुकाए जाने के कारण एक व्यापारी द्वारा दासी के रूप में घर लाई गई थी।[44] किन्तु जातकों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि दास युद्ध में बंदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस अवधि में दासों की संख्या में कमी आयी थी। समकालीन सूत्र साहित्य के आधार परयह अनुमान होता है कि कुछ संभ्रांत परिवारों में दासों को भली–भांति खिलाया पिलाया जाता था और उनके प्रति सहानुभूति रखी जाती थी। हो सकता है किं दास और भाड़े के मजदूरों को भूखा नहीं रखा जाता रहा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होगा, किन्तु सामान्यतया उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह उनके मालिक के भोजन की अपेक्षा अवश्य ही हीन कोटि का रहता था। एक जातक कथा में एक कुम्भकार द्वारा रखे गये भाड़े के मजदूर की चर्चा आई है, जो दिन भर चाक पर मिट्टी का सामान बनाने के बाद बदन में मिट्टी लगाये हुए ही तिनकों के गट्ठर पर बैठता है और थोड़े से घोल में ज्वार की टिकियों को डूबा–डूबा कर खाता है। सेवक समुदाय के विभिन्न वर्गों में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। एक जैन ग्रन्थ में दास नौकरों और भारवाहक पशुओं को एक कोटि में रखा गया था। मौर्य युगीन बौद्ध साहित्य में नौकरों एवं कम्मकारों की चर्चा बार–बार आई है। दासों और कम्मकारों को सौंपे गये काम या उनके दिये गये भोजन में कोई अन्तर नहीं रहता था। प्रायः दासों और कम्मकारों के बीच का अंतर मालिक के साथ उनके संबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता था।

बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक में कम्मकर को 'भटक/भृतक' कहा गया है जो 'आहतक' है। पालि–इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ है 'पिटा हुआ'। भटक सामान्यतः एक प्रकार के मजदूर हुआ करते थे। कौटिल्य में आहतक, दास की एक श्रेणी का नाम है, जिसका अर्थ है जिसे बंधक बनाकर रखा गया हो। पालि ग्रन्थों में प्रयुक्त इस शब्द का तात्पर्य सम्भवतः यह था कि ऐसा दास जिसे जिसे पीटा जा सके। आहतक शब्द संस्कृत के आहृत शब्द से समानार्थी प्रतीत होता है जिसका अर्थ है लिया हुआ या अधिकरण किया हुआ। इससे संकेत मिलता है कि कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप से सम्बद्ध रहते थे। मालिक के कब्जे में आने का कारण प्रायः यह होता था कि या तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे या उसकी जमीन पर बसे होते थे। इसकी स्थिति अर्द्धदास जैसे थी जिसे कभी–कभी सम्पति भी समझ लिया जाता था। इस प्रकार ऐसे विचार के समर्थन में शायद ही कोइ प्रमाण मिलता है कि मौर्य काल में कम्मकर स्वतंत्र मजदूर थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में संविदा करते थे और विवाद उठ जाने पर उनकी मजदूरी विशेषाज्ञों द्वारा तय की जाती थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दास अधिकांशतः शूद्र होते थे। ये कृषि कार्य के हेतु मजदूरी पर नियुक्त किये जाते थे।[45] राज्य कभी–कभी दासों को भूमि जोतने एवं बोने के लिए आदेशित करता था, साथ ही कृषि के समस्त उपादान भी प्रदान करता था। दास कभी–कभी बढ़ई एवं लोहार आदि का कार्य भी करता था। अतः यह निश्चित है कि ये दास शिल्प कर्म भी करते थे। दास कम्मकार सीताध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। रामशरण शर्मा के अनुसार मौर्य साम्राज्य में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत से परिवर्तन हुए। पहली बार शूद्रों को, जो अभी तक कृषि मजदूर थे, राज्य की भूमि में बटाईदार भी दी जाने लगी। किंतु कृषि उत्पादन के लिए राज्य की ओर से शूद्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता था।[46] नीचे दर्जे के लोग या तो खास–खास किसानों के अधीन अथवा स्वतन्त्र रूप से काम करते थे और गांवों में रहते थे। विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को सेना में बहाल करने का उपबंध किया गया है। धर्मसूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया केवल क्षत्रिय और आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वैश्य शस्त्र धारण कर सकते हैं। सेना को राज्य का अनिवार्य अंग बताते हुए कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि परंपरानुसार वह सेना सर्वोत्कृष्ट है जिसमें केवल क्षत्रिय सिपाही हों, किन्तु उन्हें ब्राह्मण सेना पसन्द नहीं है जिसे प्रणाम और अनुनय विनय से रिझाया जा सकता हो। दूसरी ओर वे वैश्यों और शूद्रों की सेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें लोगों की संख्या अधिक होती है। सम्भवतः इनमें दासों का प्रयोग भी सेना में किया जाता रहा होगा, क्योंकि शूद्र वर्ण का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजकीय एवं व्यक्तिगत दासों के रूप में विद्यमान था। अतः राजकीय आदेशों पर दासों को सेना में और दासियों को जासूसी कार्य में सम्मिलित किया जाता रहा होगा।

कुछ दासों, खासकर महिला दासियों को घरेलू कार्यों में ही नियोजित किये जाने की परम्परा विद्यमान थी और अन्य लोगों को कृषि कार्यों में लगाया जाात था। दास और भाड़े के मजदूर खेतों के छोटे–छोटे टुकड़ों में भी काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करते थे, किन्तु प्रायः उन्हें बड़े–बड़े भूखण्डों में काम करना पड़ता था। उत्तरवैदिक काल में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे। पर अब गंगा के निचले मैदानों में लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े–बड़े खेत अस्तित्व में आने लगे। एक–एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई जिसे वह अपनी मेहनत से नहीं जोत सकता था। इसलिए पहले पहल बुद्धकालीन युग में सम्पन्न घरों को खेती चलाने के लिए दासों एवं कम्मकारों की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन पालि ग्रन्थें में कम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि मगध में दो बड़े–बड़े प्रेक्षत्र थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्र फल एक हजार करीसा था।[47] एक अन्य कृषिक्षेत्र कासी में था, जिसकी जुताई पांच सौ हलों से होती थी। इन सबके मालिक ब्राह्मण थे। एक ऐसा प्रसंग भी आया है जिसमें एक ग्राम व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पांच सौ हल जमा किए, जिससे प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बड़ी भूसंपदा थी या वह फाल खरीद कर गांवों में बेचा करता था। हो सकता है कि पांच सौ या हजार रूढ़ संख्याएं हो, किंतु इनसे चकबंदी की प्रवृति का पता तो चलता ही है। यह प्रवृति तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जब मौर्यकाल में कृषि को राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। स्पष्ट है कि बड़े–बड़े प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त संख्या में दासों और कम्मकरों के बिना नहीं चल सकता था। नियोजकों की तुलना में दास–दासियों की संख्या कितनी थी, इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। एक सुत्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास–दासियों को ग्रहण नहीं करना चाहते।[48] ब्राह्मण, क्षत्रिय और सेट्ठि तथा गहपति दास–दासियों को नियोजित करते थे। इससे ब्राह्मणीय सिद्धांत परिलक्षित होता है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे। धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दास को बदलकर दूसरा दास या दासी रख सकता था, किन्तु उसे बेच नहीं सकता था।[49] इन बातों से पता चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रचलित थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थशास्त्र में अनेक ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें उनके कार्यानुरूप कौटिल्य ने पृथक–पृथक नाम दियें, परन्तु उनकी सामाजिक स्थिति दासियों के समान ही थी। इनमें गणिकाएं एवं रूपजीवाएं सम्मिलित थीं। मौर्य काल में अनके स्त्रियां ऐसी थीं जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न बिताकर गणिका, वेश्या या रूपाजीवा के रूप में स्वतन्त्र रूप से जीवन–यापन करती थीं। इन स्त्रियों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है प्रथम राजकीय सेवा में कार्य करने वाली स्त्रियां जिन्हें गणिका कहा जाता था। द्वितीय रूपाजीवाएं जो स्वतंत्र रूप से पेशा करती थीं और तृतीय जो गुप्तचर के रूप में कार्य करती थीं। इन तीनों प्रकार की स्त्रियों के संबंध में कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वारा परिचय प्राप्त होता है। मौर्य राजप्रासाद में हजारों स्त्री–पुरुष निवास करते थे जो राजा और उसके परिजनों की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। राजा के मनोरंजन के लिए बहुत सी गणिकाएं भी निवास करती थीं। गणिकाध्यक्ष संज्ञक राजपदाधिकारी द्वारा एक प्रधान गणिका की नियुक्ति की जाती थी, जो रूपवती और शिल्प सम्पन्न होती थी। यह आवश्यक नहीं था कि गणिका परिवार में उत्पन्न हुई हो। ऐसी स्त्री को भी भी प्रधान गणिका के पद पर नियुक्त किया जाता था जो गणिका परिवार में उत्पन्न न हुई हो। इसे एक हजार पण वार्षिक वेतन दिया जाता था।[50] प्रधान गणिका के अतिरिक्त एक प्रति गणिका की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका वेतन पांच सौ पण वार्षिक होता था।[51] इन दो प्रमुख गणिकाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत सी गणिकाएं राजा की सेवा के लिए रहती थीं, जिन्हें उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता था। गणिकाओं का यह वर्गीकरण उनके रूप, यौवन और अलंकरण आदि को दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जाता था। आइ साल की आयु से ही उन्हें राजकीय सेवा में रख लिया जाता था और तभी से ये नृत्य, गायन आदि के कार्य आरम्भ कर देती थी।[52] जब कोई गणिका अपना रूप यौवन खो देती थी तो उसे कोष्ठागार या महानस में काम करने के लिए भेज दिया जाता था या उसे परिचारिका (मातृका) कार्य लिया जाने लगता था।[53] राजा द्वारा गणिकाओं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को अन्य पुरुषों के साथ भो करने का भी आदेश दिया जा सकता था। यदि कोई गणिका राजाज्ञा से किसी पुरुष के पास जाने से इंकार कर दे तो उसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाती थी। जो स्त्रियां राजकीय सेवा में नहीं रहती हुई स्वतंत्र रूप से पेशा करती थीं, उन्हें रूपजीवा कहते थे। बंधकिपोषक संज्ञक व्यक्ति बहुत सी रूपाजीवाओं का अपने पास रखते थे और उनसे पेशा करवाते थे। राज्य की सेवा में जो गणिकाएं होती थीं उनकी स्थिति प्रायः दासियों के सदृश हुा करती थी। उन्हें आजीवन राजा की सेवा में रहना पड़ता था। परन्तु धन देकर उनके लिए अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना भी सम्भव था। गणिका चौबीस हजार पण देकर अपनी स्वतंत्रता खरीद सकती थी।[54]

मौर्य काल में स्त्रियों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसे मदिरा के व्यापारी अपनी पानगारों में आगंतुकों की सेवा के लिए रखा करते थे। कौटिल्य ने इन्हें 'पेशलयपदासी' की संज्ञा दी है। सम्भवतः ये भी एक प्रकार से रूपाजीवाएं ही होती थीं, जो मद्यपान के लिए आये हुए व्यक्तियों की सेवा और मनोरंजन का कार्य करती थीं। जब मद्यपान करने वाले लोग सुरा के प्रभाव से बेसुध हो जाते थे, तो उनके मनोभाव का पता लगाया करती थीं।[55]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में सुविकसित दास प्रथा का बोध होता है। जबकि धर्मसूत्रों में दास प्रथा के घरेलू स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। धर्मसूत्रों के बाद सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही गृह एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में दास–दासियों के प्रयोग का विस्तृत उल्लेख किया है। उनके द्वारा राज्य भूमि पर खेती कराई जाती थी। वहीं दासियों के कार्यों एवं अधिकारों का उल्लेख भी कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ में किया है। सशस्त्र दासियां राजा की अंगरक्षिका होती थीं। राजपरिवार के सदस्यों को स्नान कराती थीं, शरीर पर मालिश करती थीं, माला बनाती थीं, पानी भरती थीं, साफ–सफाई का कार्य करती थीं। राजकीय सेवा में मनोरंजन हेतु नियुक्त दासियां जब अपना रूप यौवन खो देती थीं तब उन्हें रसोईघर, कोषागार और कताई–बुनाई आदि के कार्य में नियोजित कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिया जाता था। अधिकांश दासियां शूद्र वर्णीय ही थीं, जिनकी मुक्ति के लिए भी राज्य की ओर से अनेक नियम बनाये गये थे। तथापि समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि दासियों पर उनके स्वामी का सर्वाधिकार होता था, यद्यपि दासीपति के ऊपर अर्थशास्त्र में उल्लिखित नियमों का अंकुश लगा रहता था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्दर्भ सूची –

1. दीघनिकाय, 2/64 दासदसी पटिग्गहणो पारिविरतो हीति।
2. मज्झिमनिकाय, 1/452, चयो नकानं दासगणान चयो नेकानं दासीगणानं चयो
3. शास्त्री, नीलकण्ठ शास्त्री (सम्पा.), नन्द एवं मौर्य युगीन भारत, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1969, पृ0 119
4. शरण, बाबू अवधबिहारी (अनुवादक), मेगस्थनीज का भारत विवरण, नागरी प्रचारिणी सभा, 1916, पृ0 9
5. वही, पृ0 10–12
6. वही, पृ0 119
7. अर्थशास्त्र, 3/13
8. वही, 1/10
9. गैरोला, वाचस्पति, अर्थशास्त्र पृ. 311

   उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्रापतव्यवहारं शूद्रं
   विकयाधानं नयतः स्वजनसय द्वादशपणो दण्डः।
   वैश्यं द्विगुणः। क्षत्रियं त्रिगुणः। ब्राह्मणं चतुर्गुणः।
   परजनस्य पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः केतृश्रोतृणा च।

10. वही, पृ. 311

   म्लेच्छानामदोषः प्रजां विकेतुमाधातुं वा।
   न त्वेवार्यस्य दासभावः।

11. अर्थशास्त्र, 3/13
12. वही, पृ. 312

   प्रेतविण्मूत्रोच्छिष्टग्राहणमाहितस्य नग्नस्नापनं
   दण्डप्रेषणमतिकमणं च स्त्रीणां मूल्यनाशकरम्।

13. वही, पृ. 312

   धात्रीपरिचारिकार्धसीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम्।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिद्धमुपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम्।

14. वही, पृ0 312

धात्रीमाहितिका वाकामां स्ववशामधिगच्छतः

पूर्वः साहस दण्डः, परवशां मध्यमः।

कन्यामाहितिकां वा स्वयमन्येन वा दूषयतः

मूल्यनाशः शुल्कं तद्द्विगुणश्च दण्डः।

15. अर्थशास्त्र, 3/13

16. वही, पृ. 312

आत्मविक्रयिणः प्रजामायां विद्यात्।

आत्माधिगतं स्वामिकर्माविरुद्धं लभेत,

पित्र्यं च दायम्। मूल्येनचार्यत्वं गच्छेत्।

तेनोदरदासाहितकौ व्याख्यातौ।

17. गैरोला, वाचस्पति, पूर्वोक्त, पृ. 313

स्वामिनः स्वसया दास्या

जात समातृकमदासं विद्यात्।

गृह्या चेत् कुटुम्बार्यचिन्तनी,

माता भ्राता भगिनी चास्या अदासाः स्युः।

18. अर्थशास्त्र, 2/24

19. वाचस्पति, गैरोला, पूर्वोक्त, पृ0 314

दासं दासी वा निष्क्रीय पुनर्विकयाधानं

नषतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र स्वयंवादिभ्यः।

20. अर्थशास्त्र, 3/13, आत्मविक्रयिणः प्रजामार्या विद्यात्

21. वही

22. वही

23. वही, माता भ्राता भगिनी चास्या अदासाः स्युः।

24. शर्मा, आर. एस., शूद्रों का प्राचीन इतिहास, पृ0 159—160

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

25. शर्मा, आर. एस., शूद्रों का इतिहास, पृ0 160
26. शर्मा, आर. एस., शूद्रों का इतिहास, पृ0 152
27. वही, पृ0 152
28. अर्थशास्त्र, 2/35,
तेषु चैतावच्चातुर्वर्ण्यमेतावन्तः कर्षकगोरक्षकवैदेहकारुकर्मकर दासाश्वैतावच्च द्विपदचतुष्पदमिदं च हिरण्यविष्टिश्युल्कदण्डं समुत्तिष्ठातीति
29. वही, 2/35
30. वही, 2/35
31. वही, 2/15
32. अर्थशास्त्र, 2/15, दासकर्मकरवर्गश्च विष्टि....
33. अर्थशास्त्र 3/13,
कारूशिल्पिकुशीव चिकित्सकवाग्जीव परिचारकादि राशाकरिकवर्गस्तु, यथान्यसद्धिधः कुर्यात् यथा वा कुशलाः कल्पयेयुः तथा वेतनम् लभेत।।
34. अर्थशास्त्र, 2/15,
कणिकाः दासकर्मकरसूपकाराणामतान्यद् उदनिकापूपिकेभ्यम् प्रयच्छेत्।
35. अर्थशास्त्र, 2/25, दासकर्मकरेभ्यो वा वेतनम् दधात्..।
36. अर्थशास्त्र, 3/1
37. वही, 3/1
38. अर्थशास्त्र 4/1
39. वाचस्पति, गैरोला, पूर्वोक्त, पृ0 153
40. अर्थशास्त्र, 1/2
41. अर्थशास्त्र, 1/16, अन्तावसायिनोप्यवध्याः
42. बंधोपाध्याय, एन. सी., स्लेवरी इन एंशियण्ट इंडिया, कलकत्ता रिव्यू, 1930, संख्या 8, पृ. 254
43. बोस, ए. एन. सोशल एण्ड रूरल इकॉनमी ऑफ नॉदर्न इंडिया, वॉल्यूम 2, कलकत्ता, 1945, पृ. 423

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

44. शर्मा, रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. 88
45. अर्थशास्त्र, 2/14
46. शर्मा, रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. 153
47. वही, पृ. 89
48. शर्मा, रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. 89
49. शर्मा, रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. 89
50. अर्थशास्त्र, 2/27, गणिकाध्यक्षः गणिकान्वयामगणिकान्दया वा रूप्यौवनशिल्पसम्पन्ना सहस्रत्रेण गणिकाः कारयेत्।
51. वही, कुडुम्बार्धेन प्रतिगणिकाम्
52. वही, अष्टवर्षात्प्रभृति राजः कुशीलवकर्म कुर्यात्
53. वही, गणिका दासी भग्नभोगा कोष्ठगारे महानसे वा कर्म कुर्या सौभाग्यीांगे मातृकां कुर्यात्।
54. वही, निष्क्रयश्चतुर्विशेतिसाहसस्त्रो गणिकायाः
55. वही, 2/25

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चतुर्थ अध्याय

शुंग काल से वर्द्धन काल तक स्त्री दासों का स्वरूप

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चतुर्थ अध्याय

शुंग काल से वर्द्धन काल तक स्त्री दासों का स्वरूप

मौर्य साम्राज्य की जर्जर होती हुई दीवार ई0पू0 187 में ढह गई और मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता कुछ समय के लिए खंडित हो गई। अब हिंदुकुश से लेकर कर्नाटक एवं बंगाल तक एक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा। देश के उत्तर–पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में अपने–अपने राज्य स्थापित कर लिए। दक्षिण में स्थानीय शासक वंश स्वतंत्र हो उठे। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश का सिंधुघाटी एवं गोदावरी क्षेत्र से संबंध टूट गया और मगध के वैभव का स्थान साकल, विदिशा, प्रतिष्ठान आदि कई नगरों ने ले लिया।

इस अवधि के विषय में जानकारी देने वाले स्रोत विविध हैं। भारतीय धार्मिक एवं धर्मेतर साहित्य, विदेशी साहित्यिक ग्रंथों, अभिलेखों, सिक्कों एवं अन्य पुरातात्विक खोजों के आधार पर इस काल के इतिहास की पुनर्रचना में सहायता मिलती है। पुराण एवं स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति का पता चलता है। बौद्ध जातक ग्रंथों का रचनाकाल ईसा पूर्व प्रथम शती से लेकर ईसवी सन् की दूसरी या तीसरी शती तक माना जाता है। दिव्यावदान, ललितविस्तर, मंजूश्रूश्रीमूलूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ भी इस काल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। सन् 80 के लगभग अज्ञात युनानी नाविक ने पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारतीय समुद्रों का हाल लिखा था। इस पुस्तक से ईसवी सन् की पहली शती में भारत की व्यापारिक गतिविधि का पता चलता है। स्ट्रेबो के 'भूगोल' एवं प्लिनी कृत 'नेचुरल हिस्ट्री' में उन देशों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के बीच अनेक आयामी का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्यसागीय देशों का व्यापारिक संबंध था।

गुप्तकालीन समाज परम्परागत चार वर्णों में विभाजित था समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके छः कर्तव्य माने जाते थे– अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय का कर्तव्य शस्त्र द्वारा राष्ट्र की रक्षा करना था, वैश्य का व्यवसाय–वाणिज्य था और शूद्र का मुख्य कर्तव्य सेवा करना था। परन्तु विस्तृत अध्ययन से यह पता चलता है कि गुप्तकाल में जातियों के विषय में व्यवसाय का यह बंधन शिथिल होने लगा था। इन चार वर्गों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था, अतः मनुष्य का कर्म चाहे जो भी हो उसे उसी वर्ण का माना जाता था, जिसमें उसका जन्म हुआ था। चतुर्वर्ण्य के कर्मों का निरूपण प्राचीन स्मृतिकारों द्वारा किया गया था। ह्वेनसांग ने चारो वर्णों के वे ही कर्म बताए हैं जो परम्परागत रूप से प्रतिपादित थे। उसने ब्राह्मणों के सर्वोच्च होने की बात भी कही है। इस समय सभी शूद्र दास नहीं थे, परंतु चूँकि दास प्रथा प्रचलित थी, अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुप्तकाल में कुछ शूद्र दास थे। दास–दासियों से युक्त राज्य का भोग करना उत्कृष्ट साधना का फल माना जाता था। 'शांतिपर्व' में कहा गया है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य तीनों 'वर्गों' के दास के रूप में की, इसीलिए उसे दास धर्म के पालन का उपदेश दिया गया है।

मौर्य काल के बाद भारतीय भू–भाग में न केवल राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं अपितु सामाजिक–आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण परिवर्तनों का रहा। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति में दास–दासियों के सम्बन्ध में जानकारी हेतु जहां कौटिल्य के अर्थषास्त्र एवं अषोक के अभिलेखों का सहारा लेना पड़ता है वहीं मौर्योत्तर काल में सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए विभिन्न स्मृतियों का सहारा लेना पड़ता है। इन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पड़ता है। इन सभी में मनुस्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिसका काल सामान्यतः 200 ई.पू. से 200 ई. माना जाता है। मनु ने ब्रह्मावर्त (सरस्वती और दृष्द्वती नदी के बीच का प्रदेश) और ब्रह्मर्षिदेश (कुरु, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन की भूमि) को पवित्र माना है। इस आधार पर सुझाव दिया गया है कि अपेक्षाकृत इस छोटे प्रदेश में ही विधिग्रन्थ का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम उसे प्राधिकृत माना गया। इस तरह का विचार यद्यपि संभव है किंतु किसी भी तरह आवश्यक नहीं है और हो सकता है कि मनुस्मृति का प्रभाव अधिक व्यापक क्षेत्र पर पड़ा हो। मनु ने जिस प्रकार की ब्राह्मणकालीन घोर कट्टरता का परिचय दिया है, उससे उनके ग्रंथ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्यांकन करना कठिन हो गया है। दास प्रथा के सम्बन्ध में विश्लेषण पतंजलि के महाभाष्य, भास के द्वारा रचित नाटकों और बौद्ध ग्रन्थों यथा मिलिन्दपन्हों, दिव्यावदान, महावस्तु और सद्धर्मपुण्डरीक आदि ग्रन्थों से प्राप्त होता है। जैन ग्रन्थ पन्नवणा से भी इस समय की सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन समाज परम्परागत चार वर्णों में विभाजित था समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके छः कर्तव्य माने जाते थे– अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय का कर्तव्य शस्त्र द्वारा राष्ट्र की रक्षा करना था, वैश्य का व्यवसाय–वाणिज्य था और शूद्र का मुख्य कर्तव्य सेवा करना था। परन्तु विस्तृत अध्ययन से यह पता चलता है कि गुप्तकाल में जातियों के विषय में व्यवसाय का यह बंधन शिथिल होने लगा था। इन चार वर्गों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था, अतः मनुष्य का कर्म चाहे जो भी हो उसे उसी वर्ण का माना जाता था, जिसमें उसका जन्म हुआ था। चतुर्वर्ण्य के कर्मों का निरूपण प्राचीन स्मृतिकारों द्वारा किया गया था। ह्वेनसांग ने चारो वर्णों के वे ही कर्म बताए हैं जो परम्परागत रूप से प्रतिपादित थे। उसने ब्राह्मणों के सर्वोच्च होने की बात भी कही है।

गुप्तयुगीन अनेक पुराणों, महाभारत के अंशों, बौद्ध जातक साहित्य एवं कतिपय जैन ग्रंथों में ऐसे विवरण मिलते हैं जिनका संबंध तथाकथित कलियुग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से है। इसका सम्बन्ध भारतीय समाज के उस पारम्परिक युग से है जबकि अवनति के पर्याप्त चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। हाल ही में इन कलियुग विवरणों का प्रयोग भारत में प्राचीनकाल के मध्ययुग की ओर होने वाले संक्रमण की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इन्हीं विशिष्टाताओं में दास प्रथा पर आधारित उत्पादन–पद्धति में आए परिवर्तनों पर विशेष बल दिया गया है। एक ओर अंत्यों का मध्यों में रूपांतरण देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर कृषि और व्यापार में लगे वैश्यों को शूद्रों के निकट लाने की चर्चा है। विष्णु पुरुराण में कहा गया है कि वैश्य कृषि एवं व्यापार का परित्याग कर शूद्रों के व्यवसायों को अपनाएँगे और तुच्छ शिल्पी (कारूकर्मोर्पेपजीविनः) बन जाएँगे। कुछ तो भूमिगत सम्पत्ति के विभाजन से और कुछ विदेशी आक्रमणों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक बलवों के कारण दासों एवं सेवकों के विशाल समूहों को आश्रय देने वाले पुराने परिवार कम होते गये। सारांश यह है कि ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के मध्य तक दास प्रथा के क्षीणतर होने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही थी–यहाँ तक कि लगभग 600 ई0 में रचित मनुस्स्मृति पर भारूचि की टीका में दासों के संपत्ति विषयक अधिकारों की भी पर्याप्त चर्चा है।

गुप्तयुगीन समाज में वर्ण–व्यवस्था पूर्णरूप से प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज के परम्परागत चार वर्णों–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियाँ भी अस्तित्व में आ चुकी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में विभेद किया जाता था। वाराहमिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के घर क्रमशः पांच, चार, तीन तथा दो कमरों वाले होने चाहिए। न्याय–व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों की स्थिति के अनुसार भेद–भाव बरते जाने का विधान मिलता है। परन्तु इस समय जाति–व्यवस्था उतनी अधिक जटिल नहीं हो पाई थी जितनी कि परवर्ती कालों में देखने को मिलती है।

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं वे प्रायः इस युग का संकेत करते हैं, जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की नींव अपधर्मी संप्रदायों के कार्यकलाप और बैक्ट्रियन, ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाणों जैसे विदेशियों की चढ़ाई के कारण हिल गई थी। अंशतः अशोक की बौद्धों की समर्थक नीति और अंशतः इन नये लोगों के आगमन के चलते ब्राह्मण समाज पर जो आघात हुआ उससे मनु ने उसे बचा रखने की भरसक कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने शूद्रों के विरुद्ध कठोर दंड विधानों को अपनाया है। साथ ही बाहरी तत्वों को वर्ण समुदाय में समाविष्ट करने के लक्ष्य से उनकी समुचित वंशावली भी बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने दण्ड की शक्ति की जो अत्यधिक महिमा बताई, उसका भी अभिप्राय यही है।

मनु ने इस पुराने सिद्धान्त को दुहराया है कि ईश्वर ने शूद्रों को आदेश दिया है कि वे उच्च जातियों की सेवा करें। राजा को चाहिए कि वह वैश्य को आदेश दें कि वह व्यापार करे, धन का लेन–देन करें, खेती करें या मवेशियों का पालन करें और शूद्र को यह आदेश दें कि वह तीन उच्च वर्णों की सेवा करें। आपदधर्म के अध्याय में मनु ने यह भी कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करें जिससे उसके सभी उद्देश्य पूरे हो जायेंगे। यदि ब्राह्मण नहीं है तो वह क्षत्रिय की सेवा करें अथवा किसी धनी वैश्य की सेवा करे अपने जीवन का निर्वाह करे। इस संबंध में अपि' शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनित होता है कि वैश्य शायद शूद्र का मालिक होता था। इससे यह भी पत चलता है कि आपात काल में शूद्र की सेवा मुख्यतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए सुरक्षित रहती थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने विहित किया है कि राजा सावधानी के साथ वैश्यों और शूद्रों को बाध्य करें कि वे अपने नियत कार्य किया करें, क्योंकि यदि ये दोनों वर्ण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जायेंगे तो सारे संसार में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इस परिच्छेद का विशेष महत्व है, क्योंकि यह किसी भी प्राचीन गंथ में नहीं मिलता। इस तरह के विधान से सामाजिक आर्थिक संकट का आभास होता है। युग पुराण से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि इस काल में स्त्रियां भी हल जोतती थीं। मनु के एक नियम की जो टीका कुल्लुक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने की है, उससे प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे ह्रासोन्मुख किसान और व्यापारी थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल कर रखा था। मनु का दूसरा नियम है कि जिन शूद्रों को जीवन निर्वाह में कठिनाई हो, वे देश के किसी भी भाग में बस सकते हैं। इस नियम से ऐसे संकट का संकेत होता है जिसका प्रभाव उत्पादन करने वाली जनता पर गंभीर रूप से पड़ता था। आर. एस. शर्मा के अनुसार वैश्यों एवं शूद्रों से काम कराने का सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पड़ी होगी कि विदेशी आक्रमणों के कारण सामाजिक विप्लव गंभीर रूप धारण कर चुका होगा। प्रायः जब मौर्यों के कठारे शासन का अंत हुआ, तब वैश्यों और शूद्रों को उनके विहित कर्तव्यों की सीमा बांध रखना और भी कठिन हो गया। यद्यपि इस प्रसंग में किसी भी प्रकार के दास अथवा दासी का का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि पूर्व की दशाओं को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि शूद्रों के जिस वर्ग से उत्पादन का कार्य करवाया जाता था, उनमें संभवतः दास–दासियों को भी लगाया जाता रहा होगा। विदेशी आक्रमण अथवा युद्ध की परिस्थिति के दौरान उत्पादन में कमी होने की संभावना पूर्णतः बनी रहती है, इसी कारण संभवतः उत्पादन अथवा कृषि सम्बन्धी कार्यों में अनेकों दासों एवं दासियों का प्रयोग भी इस काल में किया जाता होगा।

मौर्योत्तर काल में यद्यपि वैश्य को शूद्र के निकट बताने की प्रवृति चल पड़ी थी, फिर भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि शूद्र स्वतन्त्र रूप से जीवकोपार्जन करते थे। सामान्यतया वे किराये के मजदूर और दास के रूप में नियोजित होते रहे, क्योंकि मनु ने उस पुराने नियम को ही दुहराया है कि शिल्पी, यांत्रिक और शूद्र, जो शारीरिक श्रम करके अपना निर्वाह करते हैं, कर चुकाने के बदले महीने में एक दिन राजा का काम करें। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि वैश्य कर के रूप में अपने गल्ले का 1/8 हिस्सा कर चुकाकर और शूद्र शारीरिक श्रम लगाकर आपापकालीन स्थिति को संभाले। प्रतीत होता है कि ऐसी विषम आर्थिक परिस्थिति में इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकार का का दास–दासियों पर भी आरोपित किये जाते रहे होंगे। जबकि इसी प्रसंग में कुल्लुक ने कहा है कि बुरे से बुरे दिनों में भी शूद्रों पर किसी प्रकार के कर नहीं आरोपित किये जाने चाहिए। मनु ने भी शूद्रों को करों से विमुक्ति प्रदान की थी। इससे यह भी अनुमान लगता है कि इस समय पर यदि सभी शूद्र करों से मुक्त थे तो निश्चित रूप से दास–दासियां भी करों से मुक्त रखे गये होंगे।

इस समय सभी शूद्र दास नहीं थे, परंतु चूँकि दास प्रथा प्रचलित थी, अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुप्तकाल में कुछ शूद्र दास थे। दास–दासियों से युक्त राज्य का भोग करना उत्कृष्ट साधना का फल माना जाता था। वास्तव में मौर्योत्तर काल में शूद्रों का कार्य मात्र सेवा तक ही सीमित रहा। उन्हें दास के समान ही माना गया है। मौर्योत्तर काल में तद्युगीन धर्मग्रन्थों में दासों की तरह दासियों के भी विभिन्न प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल की दासियों में कंभदासी[1] गृहदासी[2] धात्री[3] आदि प्रमुख हैं। पूर्व की भांति इस काल में भी भोग्या दासियां समाज में विद्यमान थीं।[4] डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार इस काल में दासियों की स्थिति अच्छी न थी। वे मालिकों की कामक्षुधा की तृप्ति का ही साधन बनती रहती थीं। ऐसी दास–भार्याओं की संख्या बहुत थी। इनकी संतान को दासेर कहा जाता था। जो कि स्वामी के घर में ही पलती रहती थीं एवं वहीं सेवा कार्य करने लगती थीं। ये दासियां प्रायः रखेल के समान जीवन व्यतीत करती थीं। इनके अतिरिक्त यदा–कदा इस प्रकार के ऐसे अपमान उन्हें झेलने पड़ते थे, जिनमें मालिक किसी प्रकार का दायित्व लेने को तैयार नहीं होते थे। समाज स्वामियों के ऐसे आचरण को गर्हित मानता था। पतंजलि ने इसे अशिष्ट व्यवहार कहा है। कुमारत्वादि में इस प्रकार की अवांछित घटनाओं की आशंका के कारण ही समाज स्वस्थ वैवाहिक जीवन को श्रेष्ठ मानता था। विवाह के लिए मनाव सम्पूर्ण साधन एकत्र करता था एवं इसके लिए वह पूर्ण परिश्रम भी करता था।[5]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनु ने अपने ग्रन्थ में शूद्रों को दास ही बताया है। वे अपने स्वामियों के अधीन थे। दासों की स्थिति का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि 'शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रतमेव वा। दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा।।'[6] एवं 'न स्वामिना निसृष्टोपि शूद्रो दास्यद्विमुच्यते।निसर्गजं हितत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति।।'[7]

राजा का यह कर्तव्य है कि उसे वैश्यों से व्यापार, ब्याज, खेती और पशुरक्षा का उद्यम कराना चाहिए और शूद्रों से द्विजों की सेवा का कार्य ही करवाना चाहिए। जीविका से रहित क्षत्रि और वैश्यों से ब्राह्मणों को अपने कार्य कराने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यदि धनी ब्राह्मण लोभ के कारण उत्तम गुणों से युक्त द्विजों से सेवा कार्य करवाता है तो उस पर राजा को छह सौ पण का दण्ड लगाना चाहिए। खरीदे हुए तथा बिना खरीदे हुए शूद्रों से केवल सेवा का ही कार्य करवाना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्रों को दासकर्म के लिए ही पैदा किया है। स्वामी को धन देकर छुड़ाया गया शूद्र भी दास कर्म को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है। मनु के इस विवरण के अनुसार प्रतीत होता है कि इस काल में शूद्रों की स्थिति मौर्य कालीन शूद्रों से निम्नतर हो गयी थी। उनका कार्य केवल दासकर्म ही निश्चित कर दिया गया था। दासत्व से मुक्ति का कोई मार्ग इस समय पर सम्भवतः शूद्रों को नहीं दिया गया था।

मनुस्मृति में सात प्रकार के दासों का वर्णन दिया गया है[8]–

1. ध्वजाहृतो – युद्ध में जीतकर लाया हुआ दास
2. भक्र – भक्त दास
3. गृहजः – दासीपुत्र
4. क्रीत – खरीदा हुआ दास
5. दत्रिमौ – किसी के द्वारा दिया हुआ दास
6. पैत्रिको – परम्परागत दासकर्म करने वाला

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

7. दण्डदास – दण्ड–शुद्धि के लिए दासकर्म करने वाला

इस प्रकार मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है। प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अशोक ने अपने राज्यकाल में कलिंग के युद्ध में बन्दी बनाये गये लोगों को दास बनाकर विभिन्न कार्यों में संलग्न किया था, उसी प्रकार मौर्योत्तर काल में भी युद्धबन्दियों को दासकर्म हेतु प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त प्रकारों से यह भी प्रतीत होता है कि राजा के आदेश पर अथवा किसी अपराध के दण्ड स्वरूप भी व्यक्तियों को दासकर्म करने हेतु विवश किया जाता था। मनु ने अपने विवरणों में भाया, पुत्र और दास इन तीनों को ही निर्धन कहा गया है, क्योंकि ये जो धन पाते हैं, वह उसका होता है जिसके ये होते हैं। अर्थात् मनु ने इन तीनों को अपने–अपने स्वामियों के अधीन माना है और इनकी सम्पति पर इनके स्वामियों के अधिकार का समर्थन किया है।[9] मनु[10] ने आदेश किया है कि किसी भी ब्राह्मण को अपने दास से धन ले लेना चाहिए। ब्राह्मण को यह कार्य बिना किसी विचार के पूर्ण अधिकार के साथ करना चाहिए, क्योंकि दास के धन का वास्तविक मालिक तो उसका स्वामी ही होता है।

यद्यपि मनु ने अपने विवरणों में सभी दिशा–निर्देश एवं वर्णन दासों के सम्बन्ध में किये हैं जिन्हें प्रायः पुल्लिंग से सम्बन्धित माना जाता है तथापि यह कहा जा सकता है कि समाज में दासियों की स्थिति भी इनसे पृथक नहीं रही होगी। स्त्री दासियों का कार्य भी पूर्णतः सेवा का ही रहा होगा। वे अपने स्वामियों के अधीन ही जीवन–यापन करती थीं। परन्तु इनके चरित्र एवं शील की रक्षा करने पर बहुत कम ही ध्यान दिया जाता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार दासी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध गमन करने पर 10 पण का दण्ड लिया जाना चाहिए। भुगिया अर्थात् भोग करने के लिए रोकी हुई दासी एवं अवरुद्धा अर्थात् अपनी सेवा के लिए रोकी हुई दासी के साथ संसर्ग करने पर पचास पण का आर्थिक दण्ड निश्चित था। स्मृतिकारों ने दूसरे पुरुष की दासियों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साथ अनैतिक सम्बन्ध बनाने को भी अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया है। परन्तु वास्तव में दासियों से सम्बन्ध बनाये जाने पर दिये जाने वाले दण्ड इसलिए नहीं थे कि उनका शील भंग किया गया है अपितु इसलिए लगाये गये थे कि वे दूसरे की सम्पति होती थीं। उस सम्पति को हानि पहुंचाना किसी भी स्वामी को मान्य नहीं था अथवा बिना स्वामी की आज्ञा के दासी का उपभोग नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने पर कम से कम पांच पण का दण्ड आरोपित किया जाता था। वहीं नारद स्मृति की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की दासी को भगाकर ले जाता है तो दण्डस्वरूप उसका आधा पांव काट देना चाहिए।

मौर्य काल की भांति इस काल में भी दास–दासियों से अवश्य ही कृषि कार्य करवाये जाते रहे होंगे। राज्य के अतिरिक्त साधारण समाज में भी दासों का प्रयोग कृषि सम्बन्धी कार्यों में होता रहा होगा। दास–दासियों के कार्यों के विषय में किसी भी प्रकार की सटीक जानकारी का अभाव है। दासी के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करते हुए नायाधम्मकहा में कहा गया है कि कूड़ा, गोबर फेंकना, साफ–सफाई करना, स्वामी के चरण धोना, उन्हें नहलाना, भोजन बनाना, धान कूटना आदि कार्य दासी को पूर्ण समर्पण के साथ करने चाहिए।[11] इसके साथ ही अपने स्वामी के मनोरंजन एवं सभी प्रकार की इच्छापूर्ति का भार भी दासियों के ऊपर था। जबकि मनु का निर्देश है कि दासियों को उनकी कार्य क्षमता के अनुरुप ही उनके दैनिक कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।[12] साधारण कार्य में लिप्त दास को राजा द्वारा प्रतिदिन एक पण का पारिश्रमिक के साथ 6 पण एवं एक वस्त्र का जोड़ा प्रदान किया जाना चाहिए।[13] इस काल में दासों के प्रति व्यवहार में पहले अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वामियों द्वारा दास–दासियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन स्मृतिकारों द्वारा किया गया था। स्वामी अपने दास को मृत्युदण्ड नहीं दे सकते थे। मनु के विवरणानुसार दास भी स्त्री, पुत्र और भृत्य की भांति परिवार का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंग होते थे। परिवार का कोई सदस्य यदि अपराध करता था तो उनकी पीठ पर रस्सी या छड़ से चोट पहुंचायी जा सकती थी, परन्तु सिर पर नहीं। वे कहते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों की भांति दास पर भी अनावश्यक क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु सभी व्यवस्था ग्रन्थों में इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। अपराधिनी दासी को विशेष परिस्थितियों में मृत्युदण्ड देने का अधिकार भी स्वामी को प्राप्त था।[14]

गुप्त काल में व्याप्त दास प्रथा के सम्बन्ध में जानकारी के लिए कालिदास द्वारा रचित ग्रन्थों के साथ विष्णुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, बृहस्पतिस्मृति और कात्यायन स्मृति महत्वपूर्ण हैं। इस काल की स्मृतियों की खास विशिष्टता यह है कि इनका झुकाव वैष्णव मत की ओर था। यह विशेष रूप से विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति में परिलक्षित है। सम्भवतः कृष्ण की उपासना और वैष्णव मत के प्रवीणता के कारण ही विचार में यह उदारता आई है। जैसा कि बताया गया है कि वैष्णव भावना के उदय से अस्पृश्यों के प्रति ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में उदारता आई और उन्हें धर्म के क्षेत्र में सीमित ही सही परन्तु समुचित अधिकार मिले। कालिदास और शूद्रक के ग्रन्थों से जो जानकारी मिलती है, वह भी स्मृतियों की भावना के अनुरूप है। कालिदास ने वर्णाश्रम के आदर्श का प्रतिपादन किया है और यही बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है। इसी प्रकार कामंदक, नीतिसार, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र, अमरसिंह के अमरकोश और वराहमिहिर की वृहतसंहिता जैसे तकनीकि ग्रन्थों से भी इस काल में दास–दासियों की स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन साहित्यकारों में कालिदास का सर्वाधिक महत्व है। मूलतः कवि होने के बाद भी इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की व्यापक सूचना मिलती है। पी. एल. गुप्ता के अनुसार जिस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना ऐसे समय में हुई थी, जब मौर्य सदृश साम्राज्य का देश के अधिकतर भाग में अधिकार था। उसी प्रकार गुप्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काल के लिए भी एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी तथा इस कार्य को कामंदक ने पूर्ण किया।

इन सभी में याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, क्योंकि कालान्तर में यही ग्रन्थ उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला ग्रन्थ बन गया था। इस स्मृति में गुप्तकाल में हुए सामाजिक विकासक्रम जिस वास्तविकता के साथ इसके प्रावधानों में प्रतिफलित हुए हैं, वह शायद ही किसी अन्य स्मृति में देखने को मिलते हैं।

याज्ञवल्क्य के अनुसार दासी का कार्य है सेवा–शुश्रूषा करना। आज्ञा का पालन करने को ही शुश्रूषा कहा जाता है। शुश्रूषा करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच बताई गयी है, जिनमें शिष्य, अन्तेवासी, भृतक, अधिकर्मकृत और दास शामिल हैं। इनमें से पहले चारों को कर्मकर कहा गया है और ये शुभ कार्य करने वाले होते हैं। इनमें से वेदविद्या पढ़ने वाले शिष्य और शिल्पविद्या पढ़ने वाले को अन्तेवासी कहा जाता है। मोल लेकर जो कर्म करै उसे भृतक कहा जाता है और जो कर्म करने वालों का अधिष्ठाता होता है उसे अधिकर्मकृत कहा जाता है। गृहजात आदि दास पन्द्रह प्रकार के होते हैं और वे घर के कार्यों में संलिप्त होते हैं। ये निम्नलिखित हैं[15] –

1. गृहजात – वह दास जो घर की दासी से जो पैदा हो।
2. क्रीत – वह दास जिसे खरीदा गया हो।
3. लब्ध – वह दास जो प्रतिग्रह से मिला हो।
4. दायागत – पिता आदि के दास को दायागत कहते हैं।
5. अनाकालमृत – दुर्भिक्ष के दौरान प्राणरक्षा के लिए जो दास बना हो।
6. आहित – स्वामी ने धन देकर जिस पर अधिकार कर लिया हो।
7. ऋणदास – ऋण देकर जो दास भाव को प्राप्त करे।
8. युद्धप्राप्त – युद्ध में जिसे जीतकर दासत्व स्वीकार करवाया जाय।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

9. पणेजीत – जुए में जीता हुआ दास।
10. उपगत – जो यह कहे कि 'मैं तेरा हूं' और दासत्व ग्रहण कर ले।
11. प्रव्रज्यावसित – वह जो संन्यास से जो पतित हो जाय।
12. कृत – वह जो यह स्वीकार कर ले कि मैं इतने समय तक दास रहूंगा।
13. भक्तदास – जो भोजन के लिए दास बन जाये।
14. वडवाहृत – वडवा गृहदासी को कहा जाता है तथा जो व्यक्ति लोभ से उससे विवाह कर स्वयं दास बन जाये उसे वडवाहृत दास कहा जाता है।
15. आत्मविक्रेता – अपनी आत्मा बेचकर जो आत्मविक्रेता हो जाये।

मनु ने इन्हीं दासों की संख्या सात बताई है जिसमें ध्वाहृत, भक्तदास, गृहजात, क्रीत, दत्रिम, पैत्रिक, दण्डदास सम्मिलित हैं। विद्वानों ने दासों को सभी प्रकार से परतन्त्र ही माना है। कर्मों का विभाजन दो भागों में किया गया है, शुभ एवं अशुभ। दास का कार्य अशुभ है जिसमें उसे गृह का द्वार, अशुद्धस्थान, रथ्या, अवस्कर का शोधन, गुप्त अंगों का स्पर्श, उच्छिष्ट, विष्ठा, मूत्र इनका एकत्रण एवं फेंकना और स्वामी की इच्छानुसार अंगों की मल लगाकर सेवा करना सम्मिलित है। उच्छिष्ट फेंकने के गट्ठे को अशुचिस्थान कहा जाता है ओर गृह मार्जन आदि की धूल जहां फेंकी जाये उसे अवस्कर कहा जाता है।

याज्ञवल्य के अनुसार ऐसी दासियां जिनकी आजीविका का साधन मात्र परपुरुषों के साथ भोग करना ही है, उन्हें स्वैरिणी कहा जाता है। स्वैरिणी दासी को भोग का मूल्य दिये बिना ही संसर्ग करने वाले पुरुष को दण्ड आवश्यक है। इसके लिए उस व्यक्ति को 10 पण और सामूहिक संसर्ग करने वाले पुरुषों में से प्रत्येक को 24 पण के दण्ड का देना चाहिए।[16] इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरुष अवरुद्धा दासी से संसर्ग करता है तो उसे अर्थदण्ड

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के रूप में 50 पण देने पड़ते थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि कोई स्वामी अपनी सेवा में उपस्थित किसी दासी को अपने ही घर में अन्य पुरुषों के साथ भोगनिवृति करने के लिए रोककर रखे तो ऐसी दासी को अवरुद्धा दासी कहा जाता है। भुजिष्या दासी वह दासी कहलाती है जो पुरुष की स्त्री बनकर ही घर में रहे। जो दासी अवरुद्धा और भुजिष्या हो तो उनमें वैश्या और स्वैरिणी साधारण स्त्री जो भुजिष्या हैं उन सब साधारण मनुष्यों के गमन करने योग्य स्त्रियों में गमन करता हुआ मनुष्य पचास पण दंड देने योग्य है क्योंकि वे अन्य का परिग्रह होने से पराई स्त्री के तुल्य हैं। यही नारद ने भी स्पष्ट रूप से कही है कि ब्राह्मणी से भिन्न स्वैरिणी, वैश्या, दासी, निष्कासिनी जो स्त्री हैं वे गमन करने योग्य हैं। यदि वे भुजिष्या हैं जो पराई स्त्री के समान हैं। गमन करने योग्य भी हों तो उनमें गमन न करें, क्योंकि इससे वही दोष लगेगा जो कि पराई स्त्री के साथ होता है। वह दासी जो स्वामी के द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने वह निष्कासिनी कहलाती है। कदाचित कोई यह शंका भी कर सकता है कि स्वैरिणी आदि को साधारण रूप से गमन योग्य कहना अयोग्य है क्योंकि जाति व शास्त्र कोई भी स्त्री जगत में साधारण नहीं मिल सकती है। मनु के अनुसार भी जो स्वैरिणी पति को छोड़कर अपने सवर्ण के पुरुष का कामना से आश्रय लेती है ऐसे वर्णों के अनुलोम कम से दास भाव होता है, प्रतिलोम वर्ण से नही।[17]

इस समय के सभी शूद्र दास नहीं थे, किन्तु समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुप्तकाल में कुछ शूद्र दास अवश्य थे। दास–दासियों से युक्त राज्य का भोग करना उत्कृष्ट साधना का फल माना जाता था। शांतिपर्व में कहा गया है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य तीनों 'वर्गों' के दास के रूप में की, इसीलिए उसे दास धर्म के पालन का उपदेश दिया गया है। नारद के दास के 15 प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं– (1) प्राप्त किया हुआ दास, (2) स्वामी द्वारा प्रदत्त दास, (3) ऋण न चुका सकने के कारण बना दास, (4) दाँव पर हार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाने वाला दास, (5) स्वयं दासत्व ग्रहण करने वाला, (6) अपने को एक निर्धारित समय के लिए दास बनाने वाला, (7) दासी के प्रेमपाश में पड़कर बनने वाला, और (8) आत्मविक्रयी दास। नारद और बृहस्पति दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि दास केवल अपवित्र कार्यों में लगाए जाते थे। अतः इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो यद्यपि मौर्यकाल और उससे पूर्व इसके प्रमाण मिलते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासों की अवस्था पूर्वकाल से अधिक दयनीय थी। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन ने यह कहा है कि दास स्वामी के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना चाहिए। कात्यायन के अनुसार दासता ब्राह्मण के लिए नहीं है और वह ब्राह्मण का दास भी नहीं बन सकता। यदि किसी आपत्ति के समय उसे ब्राह्मण का दास बनना भी पड़ जाए तो वह वैदिक अध्ययन जैसे स्वच्छ कर्म को ही अपनाए। परंतु इन नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दासता शूद्रों तक ही सीमित नहीं थी। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि किसी मनुष्य को बेचना नहीं चाहिए। नारद और बृहस्पति ने भी अपने को बेचने वाले की निंदा की है। दासियों के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है जो धनी लोगों के घरों में चेरियों का कार्य करती थीं। अमरकोष में 'दासीसभम्' (दासियों का दल) शब्द आया है। जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आदिम जातियों से भी दासियाँ और चेरियाँ ली जाती थीं। कोई दासी अपने स्वामी के पुत्र को जन्म देती थी तो वह स्वतंत्र हो जाती थी। गुप्त काल में दासों की सामान्य दशा अपरिवर्तित रही। उन्हें पीटा जा सकता था और बेड़ियों में बाँधा जा सकता था। परन्तु इस बात के अनेकानेक प्रमाण मिले हैं कि गुप्तकाल में दास प्रथा कमजोर हो गई थी। दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। दासों में संगठन होने से भी दास–व्यवस्था कमजोर हुई होगी। भारत में दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, अतः विदेशी यात्री इसके अस्तित्व का पता भी नहीं लगा सके। इस काल में ऐसी अनेक बातें दिखाई पड़ती हैं, जिनसे दास प्रथा के शिथिल होने का प्रमाण मिलता है। रामशरण शर्मा के अनुसार, "ऐसा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगता है कि वर्ण–व्यवस्था ही कमजोर पड़ गई थी और इस कारण दास–प्रथा में भी कमजोरी आई। वर्ण–प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास बनाना चाहिए, पर गुप्तकालीन पुराणों के वर्णन से पता चलता है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण–धर्म का पालन नहीं करते थे–अर्थात् किसान के रूप में अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र द्विजों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर वर्ण संकट की स्थिति पैदा हो गई थी।'' बँटवारे और धार्मिक भूमिदानों के फस्वरूप भूमि छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई थी, अतः छोटे कृषि–क्षेत्रों में स्थायी रूप से अधिक शूद्र, दास और मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं थी। इससे अधिकांश दासों को छाँट दिया गया। यह दास प्रथा कमजोर होने का मुख्य कारण था। गुप्तयुगीन अनेक पुराणों, महाभारत के अंशों, बौद्ध जातक साहित्य एवं कतिपय जैन ग्रंथों में ऐसे विवरण मिलते हैं जिनका संबंध तथाकथित कलियुग से है। इसका सम्बन्ध भारतीय समाज के उस पारम्परिक युग से है जबकि अवनति के पर्याप्त चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। हाल ही में इन कलियुग विवरणों का प्रयोग भारत में प्राचीनकाल के मध्ययुग की ओर होने वाले संक्रमण की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इन्हीं विशिष्टाताओं में दास प्रथा पर आधारित उत्पादन–पद्धति में आए परिवर्तनों पर विशेष बल दिया गया है। एक ओर अंत्यों का मध्यों में रूपांतरण देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर कृषि और व्यापार में लगे वैश्यों को शूद्रों के निकट लाने की चर्चा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वैश्य कृषि एवं व्यापार का परित्याग कर शूद्रों के व्यवसायों को अपनाएँगे और तुच्छ शिल्पी (कारूकर्मोर्पेपजीविनः) बन जाएँगे। कुछ तो भूमिगत सम्पत्ति के विभाजन से और कुछ विदेशी आक्रमणों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक बलवों के कारण दासों एवं सेवकों के विशाल समूहों को आश्रय देने वाले पुराने परिवार कम होते गये। सारांश यह है कि ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के मध्य तक दास प्रथा के क्षीणतर होने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही थी–यहाँ तक कि लगभग 600 ई0 में रचित मनुस्मृति पर भारूचि की टीका में दासों के संपत्ति विषयक अधिकारों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की भी पर्याप्त चर्चा है। गुप्तयुगीन समाज में वर्ण–व्यवस्था पूर्णरूप से प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज के परम्परागत चार वर्णों–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियाँ भी अस्तित्व में आ चुकी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में विभेद किया जाता था। वाराहमिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के घर क्रमशः पांच, चार, तीन तथा दो कमरों वाले होने चाहिए। न्याय–व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों की स्थिति के अनुसार भेद–भाव बरते जाने का विधान मिलता है। परन्तु इस समय जाति–व्यवस्था उतनी अधिक जटिल नहीं हो पाई थी जितनी कि परवर्ती कालों में देखने को मिलती है। स्मृति ग्रन्थों से समाज में दास–प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। युद्ध में बन्दी बनाये गये तथा ऋण न चुका सकने वाले लोग प्रायः दास बनाये जाते थे। मृच्छकटिक से पता चलता है कि दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण नियन्त्रण होता था। किन्तु यहाँ दास–प्रथा पाश्चात्य देशों की दास–प्रथा के समान जटिल नहीं थी। एक निश्चित अवधि तक सेवा करने तथा ऋण चुका देने पर दास स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकने का अधिकारी था। उसके साथ व्यवहार में मानवीय आचरण किया जाता था। यही कारण है कि यूनानी लेखकों ने इस प्रथा की ओर ध्यान नहीं दिया।

गुलाम अधिकतर निचली जातियों और अस्पृश्यों में से भर्ती किए जाते थे। इस काल के धर्मशास्त्रों में पूववर्ती धर्मशास्त्रों की अपेक्षा अधिक पूर्णता से गुलामों पर विचार किया गया है। इससे लगता है कि इस काल में दास–श्रम का अधिक उपयोग होने लगा था, यद्यपि उस पैमाने तक नहीं जिस पैमाने पर विश्व के कुछ अन्य भागों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उजरती मजदूर के उल्लेख लगातार मिलते हैं, जिससे पहले की अपेक्षा उनके अधिक उपयोग का भास होता है। गुलामों की भर्ती के स्रोत पहले की ही भांति युद्ध–बंदी, कर्जदार और दासियों की संतान हैं, लेकिन अब एक और भी श्रेणी जुड़ जाती है। तात्पर्य संन्यास व्रत को तोड़ने वालों की श्रेणी से है, जो कुछ विचित्र सी लगती है। मालूम होता है, अधिकतर गुलाम घरेलू काम–काज में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगाए जाते थे। कृषि–क्षेत्र में नियुक्त श्रमिकों के अनेक वर्ग थे–जैसे बंधुआ मजदूर, उजरती मजदूर और वे लोग जिनसे विष्टि या बेगार के तौर पर खास–खास काम करने की अपेक्षा रखी जाती थी। जातीय नियम अस्पृश्यों के घरेलू काम में लगाए जाने में बाधक थे। जाति–विभाजन समाज में काम करने को मजबूर अस्पृश्य लोग भूमिहीन श्रमिकों का एक स्थायी स्रोत थे। जन्मजात निर्योग्यताएँ उनकी यह स्थायी अधम स्थिति सुनिश्चित करती थीं।

चीनी बौद्ध भिक्षु फाह्यान ने बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह करते हुए और बौद्ध विहारों का अध्ययन करते हुए 405 से 411 ई0 तक भारत की तीर्थयात्र की थी। वह बताता है कि लोग आम तौर पर सुखी थे। लेकिन उसने यह भी लिखा है कि अस्पृश्यों को शहर की सड़कों पर एक घंटी बजाकर अपने आने के बारे में लोगों को आगाह करते हुए चलना पड़ता था, और यदि कोई अस्पृश्य ऊँची जाति के किसी व्यक्ति के निकट आ जाता था, तो उस ऊँची जाति के व्यक्ति को अपनी शुद्धि के लिए स्नान करना पड़ता था। हो सकता है, यह सब अब तक सामान्य रीति बन गया हो। ह्वेनसांग बताता है कि कसाई, मछुआरे, नट, जल्लद और भंगी को शहर से बाहर रहना पड़ता था और उनके घरों पर निशान लगा दिया जाता था, ताकि उनसे कतरा कर निकला जा सके। इस काल में कई धर्मशास्त्र लिखे गए, लेकिन उन्होंने जिन विचारों की घोषणा की उनमें समानता नहीं थी। यद्यपि जाति और स्त्री के संदर्भ में किसी का भी रूख उदार नहीं था, तथापि किसी में कम रूढ़िवदिता थी। व्यवहार मयूख में कालिका–पुराण का एक उद्धरण मिलता है, जिसमें दास के एक विचित्र प्रकार का वर्णन किया गया है। इसमें वह दत्तक पुत्र जो चूड़ा तथा उपनयन संस्कार से संस्कारित होने के बाद गोद लिया गया हो उसे भी दास की श्रेणी में ही परिगणित किया गया है। यह प्रमाण स्पष्ट करता है कि पुराणों के रचना काल में दास से अभिप्राय उन सम्पूर्ण व्यक्तियों से लिया जाने लगा जो चाहे जिस किसी भी प्रकार अपनी जन्मजात स्वतन्त्रता से वास्तविक अथवा लाक्षणिक रूप से वंचित कर दिये गये हों।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नारद तथा याज्ञवल्क्य ने समान रूप से कहा है कि अनुलोम क्रम में ही दास बनाया जा सकता था प्रतिलोम में नहीं।[18] अर्थात् कोई भी उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण वाले व्यक्ति को दास बना सकता है। पर निम्नवर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण को नहीं, ब्राह्मण एक क्षत्रिय को अपना दास बना सकता है। इस प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों के सम्बन्ध में भी विधान था। पर क्षत्रिय ब्राह्मण को तथा वैश्य क्षत्रिय को अपना दास नहीं बना सकता था। इसी सन्दर्भ में कात्यायन की भी यह मान्यता अनुचित नहीं है कि सवर्ण में दास नहीं बनाया जा सकता है[19], अर्थात् एक ब्राह्मण, ब्राह्मण को अथवा क्षत्रिय, क्षत्रिय को अपना दास नहीं बना सकता।

मौर्योत्तर काल में कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन–निर्वाह की सामान्य स्थिति की कुछ जानकारी मिलती है। एक बात में मनु ने कौटिल्य के सिद्धान्त का अनुसरण किया है और बताया है कि मजदूरी पर रखा गया चरवाहा मालिक की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय को दुह ले सकता था।[20] इस मामले में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की अपेक्षा अधिक उदार मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी गाय का दूध ले जाने की अनुमति दी है। मनु ने चरवाहे के जिम्मे रखी गई गायों के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है, और भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्त्तव्यों का उल्लेख भी किया है।[21] किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरवाहे को कोड़े से पीटा जाए, जैसा कि आपस्तंब में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा है। मनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गाँवों के चारों ओर लगभग चार सौ हाथ चौड़ा क्षेत्र और नगरों के चारों ओर इसका तिगुना क्षेत्र चरागाह के लिए रखा जाए। यदि इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी के बाड़ा रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटककर चला जाए और उसकी फसल को नुकसान पहुँचाए तो उसके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए चरवाहे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।[22] इस तरह इस स्मृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है।

मनु द्वारा शूद्रों की दासता के बारे में की गई चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि वे अब उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मौर्यपूर्व और मौर्य काल में थे। हमें किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है, जिसमें दास या भाड़े के मजदूर काम करते हों। प्रायः मौर्यों के राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करने वाले दास और भाड़े के मजदूर कर चुकाने वाले कृषक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शूद्र को बटाईदार माना है,[23] और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकाला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बटाईदार (अर्द्धसीतिक) को उत्पादन का केवल 1/5 या 1/4 हिस्सा दिया गया है, किन्तु मनु ने उसके लिए उत्पादन का आधा भाग (अर्द्धिकः) रखा है।[24] मालूम होता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढ़ा दिया गया था, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ी थी। अर्थशास्त्र में वेतनभोगी अधिकारियों की व्यवस्था है, किन्तु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की है, जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी।[25] कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूखण्ड बटाईदारों और भाड़े के मजदूरों द्वारा जोते जाते थे। प्रायः किसी दूसरे काल में शूद्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी। बहुतेरी आदिम जातियों और वाह्य तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसंकर की कल्पना से अपने पूर्ववर्ती ग्रंथकारों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। अधिकांश संकर जातियों कोशूद्र जाति में मिला दिया गया, जिसके लिए उनके आनुवंशिक कर्तव्य आधार माने गये। किंतु ऐसा नहीं मालूम होता कि जिस प्रकार पुराने शूद्र दासों और भाड़े के मजदूरों के रूप में बहाल किए जाते थे, उस प्रकार इन नए शूद्रों की बहाली होती थी। उन्होंने अपने पुराने व्यवसायों को अपनाया और संभवतया उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए, जिससे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वे क्रमशः करदाता किसान बने। हो सकता है, मनु का दसवाँ अध्याय जिसमें वर्णसंकर का विशद वर्णन है, चौथी–पाँचवी शताब्दी का हो।

पहले के ग्रंथों के अनुसार किसी भी उच्च वर्ण (द्विज) को या शूद्र से उत्पन्न द्विज के पुत्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था, किंतु गुप्तकाल की स्मृतियों में द्विजों के लिए ऐसा कोई विशेषाधिकार लक्षित नहीं होता है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास अनुलोम क्रम से बनाया जाए, न कि प्रतिलोम क्रम से, अर्थात् दास मालिक के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना चाहिए।[26] किंतु कात्यायन का दावा है कि दासता निचले तीन वर्णों के लिए है, न कि ब्राह्मणों के लिए।[27] फिर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता शूद्रों तक ही सीमित न रही। नारद और बृहस्पति ने ऐसे अधम व्यक्ति की घोर निन्दा की है जो स्वतंत्र होते हुए भी अपने को बेच डालता है।[28] अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी ही संताने क्यों न हों, किसी को मनुष्य का विक्रय नहीं करना चाहिए।[29] यद्यपि कौटिल्य ने दासों की, खासकर आर्य जाति के दासों की मुक्ति के नियम दिए हैं, तथापि दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। इन सब बातों से दासप्रथा अवश्य कमजोर हुई होगी।

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है। ये दासियाँ धनी लोगों के घरों में चेरियों का काम करती थीं। अमरकोश में समूहवाचक शब्दों के उदाहरणों में दासीसभम् (दासियों का दल) शब्द भी आया है।[30] इस काल के जैनग्रंथों का अध्ययन करने से इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आदिम जातियों से बहुत–सी दासियाँ और चेरियाँ बहाल की जाती थीं। इन्हें घर के ही कामों में नियोजित किया जाता था। अन्न कूटना, पीसना, सुखाना आदि कार्य तो इन्हें करने ही पड़ते थे, साथ ही झाड़ू लगाना, मलमूत्र साफ करना, आदि भी इनके ही कार्य थे। नारद ने घर के कार्यों का वर्गीकरण दो भागों में किया है। उसके अनुसार स्वामी को पवित्र कार्य नौकरों से कराने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहिए और अपवित्र काम जैसे कि द्वार पर झाडू लगाना, शौचालय व सड़क साफ करना, कूड़ा उठाना, गुप्तांगों पर तेल की मालिश, मलमूत्र साफ करना, जूठन उठाना आदि केवल दासों से ही कराने चाहिए।[31] दासियों को इस समय पर भी पूर्णतः भोग की वस्तु ही समझा जाता था। नारद स्मृति से स्पष्ट है कि कुछ धनी व्यक्ति दासियों के साथ संभोग करते थे।[32] कात्यायन के अनुसार यदि किसी स्वामी का किसी दासी से पुत्र हो जाए तो उस दासी को दासता से मुक्त कर दिया जाता था। नारद के अनुसार स्वामी अपने घर में राजा की तरह शासन करता है। वह परिवार में किसी भी सदस्य को दंड दे सकता है। मृच्छकटिक से स्पष्ट है कि दासों के साथ व्यवहार बहुत कुछ स्वामी के स्वभाव पर भी निर्भर था वसंतसेना अपनी दासी मदनिका को अपना मित्र समझती है जबकि स्थावरक का निर्दयी स्वामी उसे बांधकर रखता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। कथासरित्सागर में दास–दासियों के अनेक वर्णन हुए हैं। एक वणिक् ने पाटलिपुत्र से अनेक दासियाँ क्रय की थी।कभी–कभी दासियों से श्रमिक अथवा ब्राह्मण विवाह भी कर लेते थे। हेमचन्द्र ने भी अनेक प्रकार के दास–दासियों का वर्णन किया है।[33] गुजरात और महाराष्ट्र की अनेक दासियों का उल्लेख लेखपद्धति में हुआ है।

पंतजलि ने महाभाष्य में 'दासी' को कामुकता की पात्री के रूप में बृषली के साथ उल्लिखित किया है।[34] पाणिनि[35] ने 'दासीभार' शब्द का व्यवहार किया है, जिसका अर्थ स्वामी द्वारा दासी की प्रसूतावस्था का दायित्व और व्यवस्था ग्रहण करना ही माना गया है। इस सम्बन्ध में कौटिल्य का विचार है कि गर्भवती (स्वामी द्वारा) दासी को प्रसव की बिना समुचित व्यवस्था के विक्रय करना अथवा बंधक रखना अपराध था; ऐसे अपराधी को प्रथम साहस (250 पण) का दण्ड दिया जाता था।[36] पतंजलि ने दासियों के प्रति उनके स्वामियों की लोलुप दृष्टि का अनेक बार उल्लेख किया है। स्वामी और दासी के संयोग से उत्पन्न पुत्र को 'दासेर' कहा जाता था।[37]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विष्णु[38] कात्यायन[39], बृहस्पति[40] तथा नारद[41] ने दासों को सम्पत्तिक अधिकार दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि दास स्वयं अपने मालिक की सम्पत्ति होता है, तथा उसकी सम्पत्ति पर उसके स्वामी का अधिकार होता है। केवल आत्म–विक्रय से प्राप्त होने वाला धन दास का अपना होता था। याज्ञवल्क्य ने एक ओर तो दासी से उत्पन्न शूद्र पुरूष के पुत्र को अपने पिता से ही सम्पत्ति का वैधानिक दायाद माना और कहा कि पिता के मरणोपरान्त परिणीता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, दासी–पुत्र को सम्पत्ति का आधा भाग दे। विवाहिता पत्नी के पुत्र एवं विवाहिता पुत्रियों तथा उनके पुत्रों के अभाव में वह (दासी पुत्र) समस्त सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी था।[42] नारद ने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने वाले दास को मालिक की सम्पत्ति में उसके (मालिक के) पुत्र के समान अंशग्राही माना।[43] मृच्छकटिक नाटक के विवरण से संकेत मिलता है कि दास–दासी कम से कम कुछ व्यक्तिगत धनादि अपने पास रख सकते थे।

मत्स्य पुराण में दास–दासियों से सम्पन्न राजा के उपभोग को तप का प्रतिफल कहा गया है।[44] यह तथ्य तत्कालीन समाज में दासों के बढ़े हुए महत्व को संकेतित करता है। तृतीय सदी के उत्तरार्द्ध में रचित यवन जातक के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय की ग्रह दशाएं भी उसके दास होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वराहमिहिर ने ऐसे ग्रहों के योग काउल्लेख किया है जिनके प्रभाव से उत्पन्न कन्या के दासी होने की प्रबल संभावना होती है। बृहस्पति के अनुसार दासी से संभोग अथवा विवाह करने वाला शूद्र दास की स्थिति को प्राप्त करता था।[45]

गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य में भारी उन्नति हुई थी। इनकी उन्नति में दास–दासियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संभवतया गुप्तकाल में किसानों के रूप में दासों ने भी प्रगति की और देश के कृषिमूलक अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखा। सामान्यतया दास छोटे–छोटे प्रशासनिक कार्यों मे लगाये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाने लगे थे। कामंदक के अनुसार घरेलू सेवकों से राज्य के अधिकारियों की गतिविधि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का भी काम लिया जाने लगा था।[46] इस तरह उनकी दशा सुधारने के लिए तत्कालीन स्मृतिकारों एवं प्रशासन की ओर से विभिन्न नियम बनाए गए परन्तु न्याय प्रशासन में पुराने भेदभाव पूर्ववत बने रहे। बृहस्पति के नियम बनाया कि साक्षी कुलीन हो और नियमपूर्वक वेदों और स्मृतियों में विहित धार्मिक कर्म करने वाला हो। न्यायालयों में गवाही के लिए याज्ञवल्क्य का भी मत है कि केवल तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी, ऋजु, पुत्रवान, धर्म प्रधान तथा धनिक व्यक्तियों का प्रमाण ही ठीक माना जाना चाहिए।[47] इनसे दासों की साक्षता स्वतः बहिष्कृत प्रतीत होती है। सम्पति के अधिकार के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा है कि शूद्र पिता और दासी माता से उत्पन्न पुत्र को संपत्ति में तभी हिस्सा मिलेगा जब पिता चाहे।[48] इस काल में दास–दासियों को शारीरिक दंड देने के विधान को शिथिल किया गया था। फाह्यान के अनुसार मध्यदेश में राजा मृत्युदण्ड या अन्य शारीरि दंड दिये बिना ही शासन करता था। यह अत्युक्ति हो सकती है फिर भी इससे यह ध्वनित होता है कि शारीरिक दंड का प्रचलन पूर्व की तुलना में कम हो गया था जिससे दासों और शूद्रों का कल्याण हुआ होगा। इस काल के विधि ग्रन्थों में विभिन्न वर्णों के वध के लिए प्रतिकार का भिन्न–भिन्न मानदंड विहित नहीं किया गया है, फिर भी विष्णु ने हत्या के पाप के लिए प्रायश्चित के भिन्न मानदंड निश्चित किए। जैसे– ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के पाप की शुद्धि के लिए क्रमशः 12, 9 और 3 वर्ष महाव्रत नामक व्रत का विधान किया।[49] दण्ड विधान गुप्त काल में शिथिल हो चुका था।

पारिवारिक जीवन के नियम दासों के लिए भी वैसे ही थे जैसे कि अन्य वर्ण के लिए किन्तु दासों में विवाह की परम्परा पूर्ववत बनी रही। उच्च वर्णों के लोग निम्न वर्ण से कन्या ले सकते थे, परन्तु वात्स्यायन ने अपने ही वर्ण में विवाह करना प्रशंसनीय बताया है। मृच्छकटिकम नाटक में शार्विलक नामक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ब्राह्मण का विवाह मदनिका नामक दासी से कराया गया। गुप्त काल में शासकों ने वैष्णव धर्म का उपयोग वर्णभेद मूलक समाज व्यवस्था के मूलाधार को बनाए रखने के लिए किया। वैश्य शूद्र स्त्रियां एवं दास जन्मतः अधम माने जाते थे। कहा भी गया है कि द्विजों की सेवा एवं अपने स्वामी की सेवा करना दास का परम कर्तव्य है। इसके साथ ही विष्णु की भक्ति भी। इन दोनों के अतिरिक्त दास–दासियों के उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं था।

विभिन्न प्रकार की दासियों के अतिरिक्त देवदासियों का भी एक वर्ग उत्पन्न हो गया था जो मंदिरों की सेवा से सम्बन्ध रखता था। भारत में जब देव मंदिरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ तो उनके वैभव और ऐश्वर्य को प्रभायुक्त करने के लिए अनेक नियोजनाएं हुई। लोगों ने यह सोचा कि आराध्य देव के सम्मुख नृत्य और गान करने वाली सुन्दरियां हों जो अपने आकर्षक और सुन्दर कार्यक्रम से देव मंदिर को गुंजायमान किये रहे। पूजन और स्तवन के समय समुधुर वाणी में देव स्तुति होती रहे। जो सुन्दरियां देव मंदिर के निमित्त नियुक्त की जाती थीं वे देवदासियां कहलाती थीं।[50] इनका मुख्य कार्य थ देव मंदिर में नृत्य, गान तथा संगीत का चित्ताकर्षक आयोजन करना। उनके नृत्य के लिए मंदिरों में नटमण्डप का निर्माण किया जाने लगा था।

वास्तव में दासी परिवार का अभिन्न अंग मानी जाती थी तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य से दासवर्ग के प्रति सद्व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। कन्याओं को यह शिक्षा बाल्यावस्था से ही प्राप्त होती थी। सखी के रूप में उसकी जो दासियां हाती थीं उनके साथ बालिका का व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहता था तथा उनके साथ हास–परिहास चलता था। उन्हें परिवार की स्त्रियों के साथ आमोद–प्रमोद के भी पर्याप्त अवसर मिलते थे। यद्यपि कुल स्त्री अधना तथा अस्वतन्त्र थी, उसके लिए बाल्यावस्था में पिता, यौवन में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षक के रूप में स्वामित्व के स्थान पर विहित थे तथापि घर में तथा समाज में कुलीन स्त्री का गौरव विशिष्टि होता था, किन्तु दासी की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पराधीनता इसके विपरीत थी। दासियों को ये समस्त कार्य करने पड़ते थे जो उसके स्वामी करवाते थे। परिवार के समस्त कार्य जैसे झाड़ू, साफ–सफाई तथा पानी भरने का कार्य दासियों द्वारा किया जाता था। फलस्वरूप उनके साथ सद्व्यवहार किया जाता होगा, जिसका प्रधान कारण दया भाव था। अपेक्षाएं यद्यपि इन दासियों से शील सदाचार की थी, किन्तु इनके प्रति लोगों में वह आदर भाव नहीं होता था जो कुलीन स्त्रियों के सम्बन्ध में होता था।

विश्व की उन सभी सभ्यताओं मे जहां पर दासता के प्रभूत प्रमाण मिलते हैं, दासों की आपूर्ति के लिए "युद्ध" एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत था। लेकिन यहाँ यह बताना आवश्यक है कि युद्ध सम्भवतः दासता की अपेक्षा पूर्वकालीन है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अनुसार आर्य लोग, बृहस्पति स्वयं अनार्यों पर विजय प्राप्त करके उन्हें आर्यों का दास बनने के लिए विवश कर देता था। युद्ध यद्यपि पूर्व वैदिक काल में भी बहुत अधिक होते थे लेकिन इस प्रकार युद्ध में शत्रुओं को दास बनाये जाने के उल्लेख वहाँ नहीं प्राप्त होते। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दासों की आपूर्ति के एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में युद्धों का महत्त्व सर्वप्रथम उत्तरवैदिक काल में बढ़ा। तब से निरन्तर युद्धों की संख्या में अभिवृद्धि के ही संकेत मिलते हैं। जब एक बार दासों की आवश्यकता एवं उनका महत्त्व लोगों को समझ में आ गया तब मानव–समूह को दासता में आबद्ध करने के लिए भी युद्धों का क्रम प्रारम्भ हो गया। धीरे–धीरे ऐसे अभियान और अपहरण, दासों को प्राप्त करने के प्रधान माध्यम बन गये। भारत में उत्तर वैदिक काल के वाद युद्धों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुयी। अतः युद्ध के मूल से उत्पन्न दासता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुयी होगी और यह प्रक्रिया पूर्व मध्यकाल नें भी अवरुद्ध नहीं हुयी होगी क्योंकि न तो इस काल में युद्धों की संख्या में को कमी आयी और न ही ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन ही हुआ कि दासता एक सामाजिक संस्था अथवा यथार्थ के रूप में बिल्कुल ही निर्मूल हो जाती। गुप्तोत्तर कालीन भारत में वैदेशिक आक्रमण, युद्धों को निरन्तरता एवं बहुलता प्रादेशिक शासकों एवं अभिजात्यवर्गीय लोगों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की एक विशिष्ट पहिचान थी। इस युग में सम्पूर्ण भारत ऊहो–पोह, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, युद्धों को भयावहता, अराजकता एवं षडयन्त्र का कुरुक्षेत्र बन चुका था। विदेशी आक्रमणों के निरन्तर्य की भयावहता के कारण युद्ध अब कोई आकस्मिक घटना न होकर, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति की अनिवार्यता बन चुके थे। यद्यपि कतिपय इतिहासकारों की दृष्टि में पूर्व मध्यकाल में शौर्योदारता तथा धर्मयुद्ध के आदर्शों पर जोर दिया जाने लगा था। लेकिन ये आदर्श प्रचलन में नहीं दिखायी पड़ते अन्यथा यह समूचा युग अधिकांशतया साम्राज्यवादी लिप्सा हेतु लड़े जाने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष के इतिहास का युद्ध बनकर न रह जाता। आठवीं शताब्दी ई. के प्रथमार्द्ध में सिन्ध पर अरबों ने आक्रमण करके एक प्रकार से भारत में मुस्लिम आक्रमणों को नींव डाल दी जिसकी परिणति अन्ततः भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के रूप में ही कालान्तर में दिखायी पड़ी। 725 ई. में भारत आये कोरियाई बौद्ध यात्री हुई–चु–आओ ने लिखा है कि वर्तमान समय में यह देश अरबों के आक्रमण से संत्रस्त है और लगभग आधा देश इनके द्वारा रौंदा जा चुका है। उत्तर में हर्ष की मृत्यु के पश्चात् कन्नौज में चीनी राजदूत वांग–हान्–त्से के आक्रमण ने अन्धकार एवं संक्रमण की विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी। उत्तरी भारत आगे चलकर महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के भीषण आक्रमणों का शिकार बना। दक्षिण भारतीय राजा सोलीन के राजाओं से, अपनी सम्प्रभुता को स्थापित करने के उद्देश्य से, युद्ध में उलझे हुए थे और भारतीय उपमहाद्वीप तो स्वयं ही त्रिपक्षीय संघर्ष के तूफानों को झेल रहा था। इस प्रकार समस्त गुप्तोतरकालीन भारतीय इतिहास युद्धों से अपरिचित नहीं था बल्कि अस्थिरता एवं उपद्रव के युग में सांस लेने के लिए विवश था। युद्धों की यह बहुलता पराजितों को दास जीवन में फंसने के लिए विवश कर देती थी। इन युद्धों में बड़ी संख्या में लोग बन्दी बनाये जाते थे। यहाँ तक कि कभी–कभी एक ही युद्ध में 20000 से 50000 लोगों की दास बना लेने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे में कतिपय इतिहासकारों का यह तर्क देना, कि पूर्वमध्यकाल में युद्ध भी दास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उपलब्ध कराने के समृद्ध स्रोत नहीं रह गये थे उचित नहीं प्रतीत होता। ऐसे इतिहासकारों में ध्वजाहृत दासों के प्रति अभिव्यक्त मेघातिथि के उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है जिसमें वह युद्ध में पराजित क्षत्रियों को दास बनाने की स्वीकृति देने वाली पूर्ववर्ती सम्मति को अस्वीकार करता है, और मनुस्मृति में मिलने वाले ध्वजाहृत दासों के उल्लेख को केवल पराजित स्वामी के दास कार्मिकों पर कब्जा कर लेने मात्र तक सीमित कर देता है। लेकिन मेघातिथि की उपर्युक्त व्याख्या अदृष्टार्थक विधान से प्रेरित प्रतीत होती है, क्योंकि इसी युग में स्त्रियों को पकड़कर दासी बना लेने तथा बेचने तथा पाश्चात्य आक्रमणों में बन्दी लोगों को दास बनाकर बेचने के साक्ष्य अपवाद स्वरूप नहीं है, बल्कि अकेले कलिंजर के दुर्ग से ही 50000 लोगों को युद्ध में बन्दी बनाकर दासता में आबद्ध कर देने के साक्ष्य मौजूद है। ऐस हमलों एवं युद्ध बन्दियों के कारण दास–दासी व्यापार में वृद्धि की बात इन इतिहासकारों ने भी स्वीकार की है।

दासता का अन्य स्रोत कर्ज था। अकाल की स्थिति में बहुत से लोग ऋणग्रस्त हो जाते थे। भरणपोषण एवं जीवन की सुरक्षा के लिये धन आवश्यक था जो ऋण के माध्यम से सुलभ हो जाता था। दैवी आपदाओं की आत्यधिक विषम परिस्थिति में कभी–कभी ऋण अदायगी सम्भव नहीं हो पाती थी। दूसरी तरफ महाजनों का व्याज उन पर बढ़ता जाता था। बढ़ते हुए व्याज के कारण न केवल उनकी सारी सम्पत्ति बिक जाती थी बल्कि एक समय ऐसा भी आता था जबकि उन्हें स्वयं को भी बेचना पड़ता था। राजतरंगिणी ऋणग्रस्तता के कारण स्वयं को दास के रूप में बेंचने का प्रमाण प्रस्तुत करती है।[51] वैसे भी ऋणदासता भारत में कोई गुप्तोत्तर कालीन घटना नहीं थी। पूर्वकालीन समाज में भी ऐसे प्रमाण बहुत मिलते हैं। कौटिल्य दासों की एक कोटि ''आत्म विक्रयी'' बताता है जिनमें ऐसे दासों की गणना की जा सकती है। नारद में भी ऐसे दासों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने ऐसे दासों की दो कोटियां बतायी हैं, एक तो वे दास होते थे जो किसी निश्चित अवधि के लिये होते थे, और दूसरे वे दास थे जो इसी शर्त पर सम्भवतः खरीदे ही जाते थे जिन्हें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दासता से मुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी व्यवस्था स्पष्ट थी कि मुक्ति की शर्त पर खरीदे गये दासों को ऋण अदायगी के बाद भी मुक्त न करना एक दण्डनीय अपराध था। और यह परम्परा गुप्तोत्तर काल के धर्मशास्त्रों में भी मिलती है। इस सन्दर्भ में इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कभी भी मुक्त न होने के लिये खरीदे जाने वाले उदरदासों को भी अपने मूल्य में चुकायी गयी रकम अदा कर पाने की आशा न रही होगी और वे अदायगी का कोई प्रयास भी न करते रहे होंगे। यद्यपि आगे चलकर भरुचि[52] और मेघातिथि[53] ने एक तरफ तो यह विधाकन किया कि कर्ज अदायगी एक लिये ऋणदास के रूप में शारीरिक श्रम करवाया जाय लेकिन दूसरी तरफ यह व्यवस्था भी दी कि कर्ज की अदायगी के लिये अपने को किसी दूसरे का दास बना देना शास्त्रादेश के विरुद्ध है। वृहदारण्यक उपनिषद् पर भाष्य लिखते हुए शंकराचार्य ने भी यह दर्शाया है कि ऋणग्रस्तता से बहुत से निर्धन लोग दासता की जंजीरों में जकड़ गये होंगे और स्वार्थ प्रेरित महाजनों को उन्हें मुक्त करने की अनिच्छा के कारण यह बंधन और भी अधिक मजबूत हो गया होगा।[54] इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है ऋणग्रस्तता से दासों की संख्या में वृद्धि प्राचीन काल से लेकर गुप्तोत्तर तक सभी युगों में हुई होगी और ''ऋण'' दासों की आपूर्ति का एक दूसरा प्रमुख स्रोत बना होगा।

युद्ध दासता की तरह ऋणदासता केवल भारतीय परिवेश तक ही सीमित नहीं थी अपितु विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी ऋणदासों के निदर्शन होते हैं। प्राचीन रोम एवं यूनान में तो कर्ज अदायगी न कर पाने की वजह से दासता में पड़ने के ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि एथेन्स में छठी शताब्दी ई.पू. तथा रोम में चतुर्थ शताब्दी ई.पू. में ऐसी दासता पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया था लेकिन सैद्धान्तिक प्रतिबन्धों के बावजूद व्यावहारिक जगत में ऋणदासता काफी दिनों तक चलती रही। बाद में रोमन विधि की स्थापना के बाद यह वैधानिकता की परिधि के भीतर आयी और तब जाकर इस प्रथा पर अंकुश

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लगाया जा सका। मिस्र में गरीब माँ–बाप कर्ज से अपनी सन्तानों को बेंचते हुये दिखाई पड़ते हैं। इसे भी रोमन विधि द्वारा नियंत्रित किया गया लेकिन इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सम्भव न हो सका। बाईबिल में इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं जिसमें ऋणदासों को एक निश्चित अवधि के बाद मुक्त करने करने का विधान किया गया है। यहूदियों के मध्य प्रथा प्रचलित थी और इसे वे अपने कानूनों एवं नियमों द्वारा संचालित करते थे। कर्जदार एवं उसके अन्य पारिवारिक सदस्य ऋण बन्धक के रूप में बेचे जा सकते थे, जबकि हिब्रुओं की स्थायी दासता विधि सम्मत नहीं थी। एक हिब्रू को ऋण–बन्धक के रूप में दास बनाकर केवल 6 वर्षों के लिए ही रखा जा सकता था और इस अवधि के पूरा होने पर उसे मुक्त करना पड़ता था, चाहे उसके द्वारा लिये गये कर्ज की पूर्ण अदायगी हुयी हो अथवा न हो पायी हो। यदि इस अवधि के बाद भी वह दास अपने मालिक की अधीनता में किन्हीं कारणों से रहना चाहता था तो उसे मालिक सहित एक न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होना पड़ता था जो इस आशय का आदेश पारित करता था। तत्पश्चात् वह मालिक उस दास के कान की लोलको ;स्व्ठम्द्ध में एक छेद बनाता था और उसके बाद उस दास को सदा सर्वदा के लिए अपने पास रख लेता था। कान में छेद करना सम्भवतः अन्य दासों से उनकी अलग पहचान कायम करने के उद्देश्य से प्रेरित लगता है। नव्यप्रसूत अनाथ बच्चे को दास के रूप में बेच देने की प्रथा कांस्टैण्टाइन महान के समय में प्रचलित थी जो विधि सम्मत भी थी। इसी प्रकार चीनी सभ्यता में कर्ज के बदले दास बनाने का प्रमाण मिलता है। एक निश्चित अवधि के भीतर कर्ज का भुगतान न होने पर ऋणदाता द्वारा कर्जदार को दास बना लिया जाता था और उसे दासता से मुक्ति तभी मिल पाती थी जब वह व्याज सहित सम्पूर्ण कर्ज की अदायगी कर दे।

द्यूतक्रीड़ा द्वारा दासों की प्राप्ति एक दूसरा महत्त्वपूर्ण एवं मनोरंजक पहलू है जो अधीतकालीन साक्ष्यों में तो दिखाई ही पड़ता है लेकिन पूर्वकालीन समाज में भी ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं। जुआ दासों की आपूर्ति का एक सहज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एवं शालीन साधन बना। भारत में जुआ खेलने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में जुए में पत्नी को दाँव पर लगा देने का प्रमाण मिलता है। कतिपय इतिहासकारों की दृष्टि में यद्यपि जुए में पत्नी को दाँव पर लगाना एक अत्यन्त घृणित कार्य था।[55] लेकिन फिर भी यह प्रथा भारत में प्रचलित थी। महाभारत का कौरवों एवं पाण्डवों के बीच खेला गया जुआ प्रसंग, जिसमें पाण्डवों को अपनी एकमात्र पत्नी द्रोपदी के दाँव पर लगाते हुए दिखाया गया है,[56] दासता की स्वीकृति प्रदान करने का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें पराजित व्यक्ति को विजेता द्वारा दास बना लिया जाता था जिसका वे कोई भी उपयोग कर सकते थे। यहाँ तक कि दासी को भरी सभा में अपने आक्रोश एवं पुरानी रंजिश का बदला चुकाने के लिए नंगा करने का उपक्रम करना कोई अनैतिक कृत्य नहीं था। भले ही उस रंजिश में उस भुक्तभोगी दासी की कोई भूमिका न रही हो। कभी–कभी मंत्रियों को भी दासता में आबद्ध होना पड़ता था जिसका कारण उसके राजा का जुए में हारना होता था।[57] नारद तथा विष्णु[58] ने ऐसे दासों को 'पण्यजित' दासों की कोटि में रखा है। द्यूतक्रीड़ा में पत्नी को दाँव पर लगा देने की प्रथा तो भारत में प्रचलित थी लेकिन पूर्वमध्यकालीन साक्ष्यों में स्वयं को भी दाँव पर लगा देने को घटनाएं मिल जाती हैं। कथा सरित्सागर में एक ऐसी ही रोचक कथा का जिक्र किया गया है। पेशे से व्यापारी, एक ऐसे व्यक्ति को जुए में बाजी जीतते हुए दिखाया गया है। यह व्यापारी शय्या बेंचने का व्यापार करता था। उसने अपने ग्राहक को एक कहानी इस शर्त पर सुनाई कि यदि वह ग्राहक उस कहानी का अर्थ निरूपण कर देगा तो व्यापारी उसे मुफ्त में एक चारपाई प्रदान कर देता। यदि उसका अर्थ बताने में वह असफल हुआ तो बदले में उस व्यापारी को दासता ग्राहक को स्वीकार करनी पड़ेगी। अत्यन्त भीड़युक्त उस बाजार में उस ग्राहक ने सबके समक्ष व्यापारी को शर्त स्वीकार कर ली और दुर्भाग्यवंश वह कहानी का अर्थ न समझा सका। शर्त के मुताबिक अन्ततः उस ग्राहक को व्यापारी की दासता स्वीकार करनी पड़ी। निस्संदेह शर्त में हारने के पश्चात् दासत्व में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आबद्ध होने की यह विवशता पूर्वमध्यकालीन भारत में लोगों को दास बनाने की उस सहज प्रक्रिया की ओर संकेत करती है, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप में दासता की जंजीरें अत्यन्त सस्ती हो गई होंगी। इसे यह आभासित होता है कि पण्यदासता युद्ध दासता की तरह पराजय का परिणाम थी और जुआ मार–काट के बिना हार–जीत के फैसले का एक शान्तिपूर्ण तरीका था। यह सही है कि पूर्वमध्यकाल में दास मुक्ति को अनेक सैद्धान्तिक व्यवस्थाएं बनायी गई लेकिन व्यावहारिक जगत में दासमुक्ति के इस नियमों के बावजूद दासता में वृद्धि ही हुयी होगी। वासुदेव हिण्डी में दो सम्पन्न घरानो के लड़को में आपस में शर्त लगाते हुए देखा गया है जिसमें एक किसी को, हारने के पश्चात् दासता में बंधने की शर्त थी। दो सम्पन्न घराने के युवक विदेश जाने के पहले यह शर्त लगाते हैं कि जो व्यक्ति विदेश से अधिक धन कमाकर लोटेगा उसका दास दूसरे व्यक्ति को, जो उससे अपेक्षाकृत कम धनोपार्जन किये होगा, बनना पड़ेगा। इस शर्त के अनुसार दोनों में से किसी एक के पास तो अपेक्षाकृत धन कम होगा ही। अर्थात् किसी न किसी को दासता में फंसना भी पड़ेगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीतकाल में दास बनना या दासता स्वीकार करना एक असाधारण घटना नहीं रह गयी थी अन्यथा छोटी–छोटी शर्तो और बातों का आने पर दास बनाने और दास बनने की चर्चा पूर्वमध्यकालीन कथा–कहानियों में नहीं आती। गुप्तोत्तर काल मेंऐसी और कथाएं भी मिलती है जिनसे जुए में हारने के बाद विजेता द्वारा पराजित व्यक्तिध्व्यक्तियों को दासतामें घसीट लिया जाता था। कथा सरित्सागर में सम्पन्न घराने के लोगों को दासता में बंधते हुए दिखाया गया है। यहाँ शिवदत्त नामक एक ब्राह्मण द्वारा जुए में जीत लेने के पश्चात् अपने समस्त हारे हुए खिलाड़ियों को दास बनाते हुए चित्रित किया गया है। कथा सरित्सागर में उनके लिए स्पष्ट रूप से ''सकुलोत्पन्न'' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दासता किसी विशिष्ट वर्ण अथवा रंग पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। यद्यपि दासता सिद्धान्ततः उच्च वर्णों के लिए नहीं थी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परन्तु कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उच्च वर्ण के लोगों को भी दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। रामायण में ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं।[59] स्वयं महाभारत का प्रसिद्ध जुआ–प्रसंग इसकी पुष्टि कर देता है। ऐसा लगता है कि दास–दासियों के ऊपर घोर अत्याचार एवं अनाचार भी उस युग की आचार संहिता को सूक्ष्म तकनीकी अवधारणा के अनुरूप ही था, अन्यथा द्रौपदी की चीर खींची जाने के समय धर्मराज युधिष्ठिर, शास्त्रज्ञ द्रोण एवं नैतिकता की प्रतिमूर्ति भीष्म पितामह आदि सभी चुप बैठकर असहाय परिस्थिति का परिचय न देते। दासता की ऐसी ही अवधारणा आलोच्य काल में भी दिखाई पड़ती है।

दासों की आपूर्ति के अन्य साधनों में दान, प्रेम सम्बन्ध एवं परम्परागत रूप से चले आ रहे उत्तराधिकार तथा कतिपय अन्य नियम भी थे। भारत में दान की परम्परा उसके मूल से बंधी हुयी है, जो वैदिक यज्ञों की दक्षिणा से प्रारम्भ होकर गुप्तोत्तर काल में भूमिदानों एवं ग्रामदानों के रूप में विकसित हुयी और यह दान गुप्तोत्तरकालीन भारतीय सामाजार्थिक संरचना में निर्णायक भूमिका अदा करने वाला कारक सिद्ध हुआ। गुप्तोत्तर दान की अवधारणा में एक ओर यदि असन्तुलन और एकांगी रुझान को प्रवृत्ति का निदर्शन मिलता है तो दूसरी ओर दान आध्यत्मिक उद्देश्यों की ऊँचाई से गिरकर भौतिक लाभ के उद्देश्य से होने वाल आदान–प्रदान अत्यन्त सतही धरातल पर भी उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। दान की अवधारणा में दास–दासी के दान की प्रथाएं अभिलेखों में मिलती है। दासी, जो जनजातीय और पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था में एक प्रधान देय वस्तु में मिलती है अर्थव्यवस्था के उस नगरीय चरण में अर्थात् गुप्तोत्तर काल में, जिसमें उत्पादन के क्षेत्र में दासों की प्रधान भूमिका को कतिपय इतिहासकारों द्वारा रेखांकित किया जाता है, देय वस्तुओं के रूप में नहीं दिखायी देती फिर भी दास–दासियों के कतिपय दान सम्बन्धी विवरण मिलते हैं। इस युग में पुरुष दासों का देय वस्तुओं की सूची में अपेक्षाकृत अभाव दिखाई पड़ता है। इन विसंगतियों को देखने से ऐसा लगता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है कि कुछ देय वस्तुओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था का ढांचा नहीं खड़ा किया जा सकता।

भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से ही दास–दासियों के दान करने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद, उत्तरवैदिक साहित्य की दानास्तुतियों, अर्थशास्त्र,[60] अग्निपुराण[161] मानसोल्लास,[62] कथासरित्सागर[63] आदि अनेक स्रोतों में दास–दासियों के दान की चर्चा है। कतिपय अभिलेखीय साक्ष्य भी दास–दासियों के दान की चर्चा करतें हैं। ऐसे दासों की ''लब्ध दास'' की श्रेणी में रखा गया है। पूर्व मध्यकाल में दासों को उपहार स्वरूप देना एक आम बात थी। कथासरित्सागर में ऐसा वर्णन मिलता है कि राज्यधर नामक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई प्राणधर को इसलिए दास कन्याएं अर्पित की क्योंकि उसके पास कोई दासी नहीं थी। दास–दासियों को दान में देने की प्रथा का एक कारण यह भी था कि, तत्कालीन समाज में यह विश्वास फैल चुका था कि ऐसे दानों के माध्यम से दानदाता का मोक्ष का मार्ग सुगम हो जाता है। सम्भवतः यह विश्वास प्राचीन भारतीय दान की उस महत्ता की ओर संकेत देता है जिसमें मानव जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा बचा था जो दान की परिधि से बाहर रहा हो। अर्थात् जिसका स्पर्श दान किसी न किसी रूप में न करता रहा हो। सामाजार्थिक जीवन की भौतिक प्रक्रियाओं से लेकर आध्यात्मिक जीवन की परमता को उड़ानों तक पाप और पुण्य की अन्य विश्वासात्मक मान्यताओं से मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तर्कपूर्ण समझ तक दान के जितने भी विश्लेषण किये गये हैं, अथवा किये जा सकते हैं वे सभी भारतीय दान की इस विशालता एवं बहुआयामी परम्परा के किसी न किसी सन्दर्भ में सार्थक प्रतीत होते हैं। अग्नि पुराण में दास दान के प्रमाणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्सरालोक की प्राप्ति का एक माध्यम दास–दान भी था। सम्भवतः यह व्यवस्था धर्मशास्त्रों को उस अदृष्टार्थक विधान की ओर संकेत करती है जिससे दृश्य जगत् के दासों की आपूर्ति भी सरल हो जाती रही होगी। कुछ ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं, जिनमें जनता को दान ग्रहीता के आदेशों का पालन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने का निर्देश दिया गया है।[64] साथ ही उपहार आदि देने के लिए राज्य की ओर से आदेश निर्गत किये गये हैं।[65] सम्भवतः ऐसे आदेशों को जनता द्वारा अनुपालनीय बनाने के लिए ही ऐसी शास्त्रीय मान्यताएं निर्दिष्ट की गयी होगी जिससे कि कालान्तर में मन्दिरों में दास–दासियों के दान करने की प्रथा में भी तेजी आई होगी। मन्दिर में दास दान का यह औचित्य बताया जाता रहा होगा कि इस लोक में दानदाता को आर्थिक समृद्धि मिलेगी और मृत्यु के उपरान्त सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जायेगी। सम्भवतः इसीलिए यह भी विधान किया गया होगा कि दान में दिये हुए दास को वापस लेना सोने की चोरी के बराबर का अपराध है। धीरे–धीरे दासों की दान में देने की प्रथा का विकास होता गया और एक समय ऐसा आया जबकि अधिक से अधिक संख्या में दासों का दान जहाँ एक ओर शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष प्रदायक बना होगा वही दूसरी ओर अधिक से अधिक संख्या में दासों का रखना सामाजिक हैसियत का प्रतीक भी बन गया होगा।

हिन्दू मन्दिरों में कन्या समर्पण करने की प्रथा वैदिक काल के बाद तीसरी शती में आरम्भ हुई। धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर किसी खरीदी हुई लड़की को कालान्तर में दान करने में प्रतिष्ठा मानी जाने लगी थी। देवता और देवीय दोनों ही मंदिरों में यह नियुक्त होती थी। ये देवदासियां देवियों के लिए नृत्य गायन वादन के साथ वे सभी कार्य करती थीं जो एक दासी किसी संभ्रात महिला के लिए करती थी। धर्म का चोला ओड़कर यह प्रथा और अधिक विस्तार लेती गई। इस प्रकार की देवदासी गणिकाओं का जातकों में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। स्पष्ट है कि देवदासी प्रथा का उद्भव बौद्ध यु में नहीं हुआ था। अर्थशास्त्र में वेश्याओं का उल्लेख है किन्तु देवदासी का नहीं।[66] मेघदूत एवं अनेक पुराणों में इसका उल्लेख है। उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में देवदासियां नृत्य गान में व्यस्त रहा करती थीं।[67] पुराणें में यह निर्देश दिया है कि मंदिर सेवा के लिए अनेक सुन्दरियों को क्रय करके प्रदान करना चाहिए।[68] यह भी कहा गया है कि सूर्यलोग की प्राप्ति के लिए सूर्यमंदिर को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैश्याकदंब अर्पित करना चाहिए। कभी–कभी निःसन्तान व्यक्ति अपनी पहली संतान मंदिर को दान कर देते थे, जिससे यह प्रथा और विकसित हुई। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा के दौरान मुल्तान के सूर्य मंदिर में नृत्यगान में व्यस्त अनेक देवदासियां देखी थीं। नृत्य का संबंध धर्म से जुड़ा था तथा उसे देवताओं को प्रसन्न करने का साधन माना जाता था इसलिए मंदिरों में देवदासी रखने की प्रथा थी। देवदासियों का पाद धर्म से सम्बन्धित होने के कारण सम्माननीय था। धर्म में इनका महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि कालान्तर में मंदिरों की बाह्य दीवारों पर देवदासियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की जाने लगीं। देवदासियां कालान्तर में राजा के उपभोग की सामग्री माने जाने लगीं। धर्म के नाम पर प्रारम्भ की गई इस प्रथा में विकृति आ गई तथा शासक वर्ग इन देवदासियों का प्रयोग व्यक्तिगत आंनन्द के लिए करने लगे। कभी–कभी तो स्त्री के प्रेम में पड़कर राजा उसे देवदासी के रूप में आश्रय देते थे। वे देवमंदिरों का निर्माण पूजा अर्चना तथ आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए हुआ था न कि कामवासना और भौतिक सुख के लिए। परन्तु धीरे–धीरे ऐसे देव मंदिर कामोद्दीपन केन्द्र बनकर रहे गये तथा उनकी दीवारों पर कामकला के विभिन्न चित्र और आकृतियां उकेरी गईं।

गुप्तोत्तर काल में तीर्थों एवं धार्मिक केन्द्रों का विकास इतना अधिक हुआ कि उनमें व्यापारिक गतिविधियां भी सम्पादित होने लगीं और वे नगरों का रूप धारण करने लगे। इससे मन्दिरों और धार्मिक केन्द्रों को बड़ी मात्रा में व्यापारियों एवं श्रद्धालुओं का सहयोग मिला और मन्दिर समृद्धिशाली होने लगे। समृद्धशाली परदेशियों तथा शासनवर्गीय लोगों की लिप्सा के परिणामस्वरूप देवदासियों को वेश्यावृत्ति तक के लिए मजबूर किया गया होगा। धार्मिक संस्थाओं के अन्दर ऐसी परिस्थितियों के पीछे सम्भवतः इन देवदासियों को वह विवशता रही होगी जिनमें इन्हें मन्दिरों में रहने के कारण जन्म जन्मांतर भूमि दान मिलते रहने वेतन मिलने तथा उत्तराधिकार स्वरूप अपनी सन्तानों के भरण पोषण के लिए उन्हें भी देवदासी बनाने की कामना रहती रही होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनेक ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें उनके वेश्यावृत्ति में लिप्त होने की बात तो नहीं की गयी है लेकिन उक्त अन्य विवशताओं एवं कामनाओं की ओर इंगित किया गया है।

कभी–कभी निस्संतान देवदासियों को गोद लेने या किसी भी साधन से (खरीदने तक से) कन्या प्राप्त करने के प्रमाण भी मिले हैं जिन्हें देवदासी के रूप में प्रतिष्ठित करने की उसकी भावना निहित थी। यह भावना उन परिस्थितियों में भी विद्यमान थी जहाँ कि सदा सर्वदा उसे देवदासी के रूप में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तन्जौर से प्राप्त एक लेख से इसकी पुष्टि हो जाती है। देवदासियों को वासना के शिकार बनने के अप्रत्यक्ष प्रमाण उन अभिलेखीय साक्ष्यों से भी परिपुष्ट होते दिखायी पड़ते हैं, जिसमें उनके कार्य के अनुरूप इन देवदासियों का स्तर निर्धारित किया गया है। कोप्परम के कौइण्डरस्वामी मन्दिर के सेवकों एवं देवदासियों के निमित्त एक कन्नड़ राजा द्वारा दिये गये दान में देवदासियों की चार कोटियाँ दिखाई पड़ती हैंकृ नर्तकी, गायकी, चामरिकया तथा सेवा विलासिनी।[69] निश्चित रूप से इन देवदासियों की सेवा विलासिनी कोटि की देवदासियों की दासी सदृश वासनात्मक पूर्ति का साधन भी बनाया जाता रहा होगा। इसी प्रकार त्रैलोक्यवर्मन सोमेश्वर प्रथम के सुदी अभिलेख से देवदासियों की छह विभिन्न कोटियों की चर्चा मिलती है जिन्हें उनके स्तर एवं कार्य के अनुपात में भूमिदान दिया गया। इनमें अन्य प्रयोगों में प्रयुक्त देव–दासियों को सबसे कम जमीन प्रदान की गई। जिसमें ऐसी देवदासियों की भी संख्या सम्भावित है जिन्हें शारीरिक सुखोपभोग के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। उच्च वर्ग की देवदासियों से उच्च कार्य तथा निम्न वर्ग की दासियों से निम्नकार्य लिए जाने के अन्य प्रमाण भी अभिलेखों में मिलते हैं।[70] कभी–कभी देवदासियों को उनकी जाति के हिसाब से भी कार्य में लगाया जाता था जिनमें शूद्र वर्ग की वलंगई तथा इदंगई जातियों की चर्चा मिलती है।[71] निश्चित रूप से देवदासियों का जाति एवं कार्य के हिसाब से विभाजन एवं स्तर के क्रमानुसार भूमिदान की व्यवस्था उनको अशुभ कर्मों में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियोजन की संभावना को संबल प्रदान करती है जिनमें शारीरिक भूख की शान्ति अपवाद स्वरूप न रही होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दानों की बढ़ती हुई लोकप्रियता, धार्मिक केन्द्रों एवं मन्दिरों की सम्पन्नता एवं उसके प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण इत्यादि से दासों की संख्या में अभिवृद्धि हुयी होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि ''दान'' दासों की आपूर्ति का एक माध्यम भी बना होगा। वासनात्मक प्रेम के वशीभूत होकर किसी की गुलामी स्वीकार करना एक ऐसी प्रवृत्ति का परिचायक है जिसे प्रायः प्रत्येक युग में देखा जा सकता है और इससे दासता में बढ़ोत्तरी ही हुयी होगी और प्रणय के सम्बन्ध, तथा शारीरिक सम्बन्ध भी दासों को प्राप्त करने के माध्यम रहे होंगे। दासों के साथ प्रेम–पाश में बंधकर स्वयं को दास के रूप में प्रस्तुत कर देने के उदाहरण यद्यपि संख्यात्मक दृष्टि से अधिक नहीं मिलते लेकिन गुप्तोत्तर कालीन भारत के सन्दर्भ में यह एक महत्त्वपूर्ण बात लगती है, क्योंकि ऐसे युग में जब दास मुक्ति के प्रावधानों की बढ़ती हुई सरलता के कारण दासता के ह्रास की बात की जाती है।[72] तो स्वतन्त्र व्यक्ति का दासी के साथ प्रेमपाश में बंधना दासी की मुक्ति का कारण बनने के बजाय उस व्यक्ति को ही दासता के पाश में क्यों जकड़ देता था?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्दर्भ –

1. विनयपिटक, 2/15, 3/180
2. सौन्दरानन्द, 4/26–27
3. बुद्धचरित, 1/59
4. उत्तराध्ययन, 3/17
5. अग्निहोत्री, डॉ0 प्रभुदयाल, पतंजलि कालीन भारत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1963, पृ0 174
6. मनुस्मृति, 8/413
7. वही, 8/414
8. वही, 8/415

   ध्वजाहृतो भक्रदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ।

   पैत्रिका दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः।।
9. वही, 8/416

   भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधमाः समृता।

   यत्ते समधिगच्दन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्।।
10. वही, 8/417

    विस्त्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रा द्रव्योपादानमाचरेत्।

    न हि तस्यास्ति किंचित्वं भर्तृहार्यधनोह्रिसः।।
11. नायधम्मकहा, 1/7/68
12. मनुस्मृति, 7/125

    राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च।

    प्रत्यहं कल्पयेदवृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः।।
13. वही, 7/126

    पणोदेयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्।

    षाण्मासिकस्तथाच्छादोधान्यद्रोणस्तु मासिकः।।
14. अंगुत्तर निकाय, 3/225

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

15. याज्ञवल्क्य स्मृति, अभ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकरण, पृ0 332–333

16. वही, 2/291

प्रसह्य दास्यभिगमें दण्डो दशपणः स्मृतः।

बहूनां मधकामाऽसौ चतुर्विशतिकः पृथक।।

17. वही, 2/290

अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च।

गम्यास्वपि पुमान्दात्यः पंचाशत्पणिकं दमम्।।

18. नारद स्मृति, 5/31, याज्ञवल्क्य, 2/183

19. कात्यायन, 5/721

20. मनुस्मृति, 8/231

21. वही, 8/229

22. वही, 8/237–238

23. वही, 4/253

24. अर्थशास्त्र, 2/23

25. मनुस्मृति, 7/119

26. याज्ञवल्क्य स्मृति 2/182, नारद स्मृति, 5/39, कात्यायन स्मृति, श्लोक 716

27. कात्यायन स्मृति, 715

28. नारदस्मृति, 5/37, वृहस्पति स्मृति 15/243

29. महाभारत, अनुशासन पर्व, 45/23

30. अमरकोश, 3, 3/27

31. नारद स्मृति, 5/5–7

32. वही, 8/11–13

33. तृषष्ठीशलाकापुरुषचरित, 3/248

34. महाभाष्य, 2/3/69, 1/3/55,

तथा दास्या सम्प्रयच्छते, वृषल्या सम्प्रयच्छते।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योो हि शिष्ट व्यवहारे ब्राह्मणीभ्यः सम्प्रदयच्छतीत्येव।

35. अष्टाध्यायी, 6/2/48

36. अर्थशास्त्र, 3/13,

दासी वा सगर्भामप्रतिविहितगर्भभर्मण्यां विक्रयांधानं नयतः पूर्वः साहसदण्डः

37. महाभाष्य, 1/3/55, 2/3/69, 4/1/114

38. विष्णु स्मृति, 28/44

39. कात्यायन स्मृति, 724

40. वृहस्पति स्मृति, 25/82–83

41. नारद स्मतृति, 5/41

42. याज्ञवल्क्य स्मृति, 1/157–158

43. वही, 10/32

44. मत्स्य पुराण, 186/30

45. वृहस्पति स्मृति, 16/7

46. कामन्दक नीतिसार, 17/44–45,

जिह्ने त्यजेयुनिर्लाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्।
अनेन विधिराख्यात् ऋत्विक्कर्षककर्मिणाम्।।

47. याज्ञवल्क्यस्मृति, 2/68

तपस्विनो दानशीलाः कुलीनः सम्यवादिनः।
धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः।।

48. वही, 2/133–134,

जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽराहरो भवेत।
मृते कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वर्धभागिकम्।
अभ्रातृको हरेत्सर्व दुहितृणां सुताहते।।

49. विष्णु स्मृति, 1/6

50. मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. 431

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

51. राजतरंगिणी, 5.184
52. मनुस्मृति पर भारुचि, मनुस्मृति, 8.175–176
53. मनुस्मृति पर मेधातिथि, मनु. 8.177
54. बृहदारण्यक उपनिषद, 1.4.10
55. अल्तेकर, ए.एस., द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन, दिल्ली, 1987, पृ. 213–214
56. महाभारत, 2.63.29, 3.256.9
57. चानना, डी. आर., स्लेवरी इन ऐंशियण्ट इण्डिया, दिल्ली, 1960, पृ. 69
58. विष्णुस्मृति, 6.6.40
59. रामायण, 2/47/75
60. अर्थशास्त्र, 3/13
61. अग्निपुराण, 211/39
62. मानसोल्लास, 1/62
63. कथासरित्सागर, 53/240
64. फ्लीट, जे. एफ., इण्डियन इंस्क्रिप्शन्स, पृ. 254
65. वही
66. अर्थशास्त्र, 2/27
67. मेघदूत, 1/35
68. पद्मपुराण, 52/97
69. प्रसाद, ए.के. ''फंक्शन्स ऐण्ड ग्रेडेशन्स ऑप देवदासीज़, प्रोसीडिंग ऑफद इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस, अन्नामलाई नगर सत्र, 1985 पृ. 186
70. वही, पृ. 186
71. वही, पृ. 197
72. वही, पृ. 197

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचम अध्याय

उपसंहार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचम अध्याय

उपसंहार

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में वर्णित अध्यायों में विवेचित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत यह प्रकाश में आता है कि भारतीय इतिहास में प्रारम्भ से ही दासता का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता रहा है। यद्यपि सामाजिक यथार्थ के रूप में दास प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से विश्व की अनेकानेक सभ्यताओं में विद्यमान रही है। प्राचीन काल में चाहे यूनान की सभ्यता हो चाहे चीन की सभ्यता चाहे रोम की अथवा भारत की, दासता प्रत्येक संस्कृति में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है विश्व की इन प्राचीन सभ्यताओं के साथ–साथ भारतीय सभ्यता में भी दासता का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। एक संस्था या वर्गीय संरचना के रूप में दासता का विकास ऐतिहासिक काल में ही विकसित हुई प्रतीत होता है क्योंकि प्रागैतिहासिक समतावादी आदिम सामाजिक संरचना में दासता के विकास का कोई तर्कसंगत आधार उपस्थित नहीं होता। वास्तव में इसका उद्भव एवं विकास तभी सम्भव हुआ होगा जब भौतिकवादी तत्वों के आधार पर सामाजिक संरचना स्थापित होनीप्रारम्भ हुई होगी। और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए छोटे–मोटे कबीलाई युद्ध होने लगें जो आगे चलकर बड़े–बड़े राज्य स्थापित करने हेतु होने वाले युद्धों में परिवर्तित हो गये। इस प्रकार संस्थागत अथवा वर्गीय दासता का प्रारम्भ युद्ध दासों के रूप में हुआ होना प्रतीत होता है। तथा व्यक्तिगत दासों का अस्तित्व, सेवक के रूप में प्रारम्भ से माना जा सकता है।

वैदिक काल में इसके बारे में स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होती है, एक आर्य, दूसर दस्यु। दस्यु का प्रयोग उन आर्येत्तर जातियों के लिए किया गया जिन पर आर्यों में युद्ध द्वारा अपने प्रसार काल में अधिकार प्राप्त किया। यही दस्यु दास की संज्ञा से भी संबोधित किये जाते थे जो ऋग्वेद की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक ऋचा में एक ही व्यक्ति के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है दस्यु एवं दास। इससे पहले उसे दस्यु से सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से ही दासता एक जीवित प्रथा के रूप में समाज में विद्यमान इस प्रथा के अन्तर्गत केवल पुरुषों को ही परिगणित नहीं किया जाता था परन्तु उनके साथ स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। ऋग्वेद में विभिन्न स्थलों पर दासी शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु वह पुरुष एवं स्त्री जिनका प्रयोग दास के अर्थ में किया गया है सम्भवतः युद्ध में विजित व्यक्ति एवं उनके परिवार को ही सम्बोधित करता है। इस पर विजेता का सम्पूर्ण स्वामित्व होता था। वह इन्हें बेच सकता था, दान दे सकता था आदि। ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं में उपकृत होने के कारण ऋषियों को राजाओं द्वारा ही बड़ी संख्या में दास–दासियों के दान देनें के उल्लेख है।

ब्राह्मण ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इस काल में दास प्रथा सबल हो चुकी थी। दासों की संख्या बहुत बड़ी होती थी सम्भवतः इसीलिए इन ग्रन्थों में ऋग्वेद की अपेक्षा कहीं बड़ी संख्या में इनके दान का वर्णन राजाओं द्वारा पुरोहितों को देने का मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक राजा द्वारा 10000, दासियों तथा इससे कहीं अधिक संख्या में हाथियों के दान का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है जब एक समय एक राजा इतनी बड़ी संख्या में दासियों को दान में दे सकता था तो यह प्रथा कितनी व्यापक रही होगी। आरण्यकों में भी इस प्रथा की जानकारी मिलती है।

उपनिषदों में दास शब्द का प्रयोग केवल वास्तविक अर्थ के साथ–साथ लाक्षणिक अर्थों में भी किया गया है।यह प्रयोग इसकी महत्ता का परिचायक है। उपकृत होने पर व्यक्ति स्वयं को दास के रूप में इस समय अर्पित करने लगा। अतएव केवल युद्ध में विजित व्यक्ति ही अब दास की कोटि में परिभाषित नहीं किये जाते थे। वृहदारण्यक उपनिषद में जनक का याज्ञवल्क्य से शिक्षा प्राप्त करने पर उसके प्रति आभार प्रकट करने पर उसके प्रति आभार प्रकट करने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए अपनी सम्पूर्ण प्रजा विदेहों के साथ अपने को समक्ष दास रूप में समर्पित करने का वर्णन है इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में भी दासों का उल्लेख भूमि आदि सम्पदा के साथ किया गया है। गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र दोनों ही दासों की इस स्थिति का वर्णन करते हैं। सूत्र साहित्य में दास और भृत्यों का प्रयोग समान अर्थ में क्रिया गया है। क्योंकि दास भृत्यों का भी कार्य करते थे। फिर भी दास और भृत्यों अन्तर था क्योंकि आपस्तम्ब धर्म सूत्र में दासों और भृत्यों का अलग–अलग उल्लेख किया गया है।

धर्मसूत्रों जिनमें आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन लम्बे सूत्र संग्रह हैं, गौतम तथा वसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह नहीं हैं। कुछ धर्मसूत्र, यथा विष्णु अन्य सूत्र ग्रन्थों के बाद के हैं, कुछ सूत्र ग्रन्थ, यथा शंख–लिखित, पैठीनसि, केवल उद्धरण रूप में विद्यमान है। आरम्भ में बहुत से धर्मसूत्र कल्पसूत्र के अंग थे और उनका अध्ययन स्पष्ट रूप से चरणों में हुआ करता था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में यह उदात्त भावना व्यक्त की गई है कि लोगों को चाहिए कि वह अपने को, अपनी पत्नी और बच्चे को भले ही कम खिलाएं किंतु अपने साथ काम करने वाले दास–दासियों के साथ वैसा व्यवहार न करें। लेकिन यह मानना कठिन है कि लोग इस सिद्धान्त का पालन कठोरता से करते रहे होंगे। हां इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कुछ एक संभ्रान्त परिवारों में दासों को भलिभांति खिलाया पिलाया जाता था और उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया जाता होगा। हो सकता है कि भाड़े के मजदूरों को भूखा नहीं रखा जाता रहा होगा, किन्तु सामान्यतया उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह उनके मालिक के भोजन की अपेक्षा अवश्य ही हीन कोटि का रहता था। धर्मसूत्रों से घर के नौकरों जो कि संभवतः दासत्व का जीवन जीते थे, के रहन–सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार फेंके गये जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का प्रयोग करे। गौतम ने यहां तक बताया है कि भोजन का उच्छिष्ट शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में छात्रों को उपदेश दिया गया है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि उनकी थाली में जो उच्छिष्ट रह जाये उसे या तो अदीक्षित आर्य के निकट अथवा अपने गुरु के शूद्र नौकर के निकट रख दें। इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि शूद्र नौकर को जूठन खानी पड़ती थी। हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र से भी यह बात सिद्ध होती हैं। उसमें कहा गया है कि छात्रों को अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद तीन दिन तक व्रत रखने की अवधि में अपना जूठन किसी शूद्र सेवक अथवा सेविका को नहीं खिलाना चाहिए।

बौद्ध काल में सामाजिक विकास को देखते हुए जिसमें तकनीकी प्रगति का विशेष योगदान रहा दास प्रथा का भी पर्याप्त विकास हुआ। दास प्रथा संस्थागत रूप में स्थापित हो चुकी थी और एक सामान्य स्थिति के रूप में स्वीकृत थी। उस समय दासों के विविध भेद थे अपितु लेखकों ने भी उनके जन्म और काम के अनुसार वर्गीकृत करना प्रारम्भ कर दिया था उस काल में दास को परिभाषित करने के प्रयत्न किये गये। उन सारी व्याख्याओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दास के साथ उसका स्वामी ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि वह अधिकार की अन्य वस्तुओं की तरह कोई वस्तु हो और स्वयं अपने जीवन के लिए स्वामी पर निर्भर हो। बौद्ध काल में कुलीन तंत्रों का राजनीतिक और सैनिक पराजय से अवश्य ही कुछ ऐसे परिवर्तन आये होंगे जिससे राज़तंत्रीय शासन में विद्यमान दास प्रथा को अवश्य व्याप्ति मिली होगी। तदन्तर लोगों का कोई भी समुदाय दास नहीं समझा जा सकता था। दासता का अस्तित्व केवल आर्थिक कारणों अथवा उन कारणों से प्रभावित तथ्यों के कार्य के रूप में रह गया होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने अवश्य ही इस संस्था को अधिक रूपान्तरित किया होगा। त्रिपिटक के अनुसार जब आस पास के प्रदेशों में हमले जब गाँवों पर बोले जाते थे तब लोगों को बलपूर्वक अपहरण किया जाता था और इस प्रकार अपहृत लोगों को अन्यत्र दास के रूप में बेचा जाता था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बौद्ध साहित्य के अनुसार साधारणतया, घर के काम दासी को ही करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, हम काली नामक दासी को पाते हैं, जो चावल पकाने, बिस्तर लगाने, दिए जलाने में निपुण थी और जो न केवल उत्साही थी, अपितु बर्तन भी नहीं तोड़ती थी। प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठकर गायों को दुहती थी। एक और घर में औरतें–अर्थात् पत्नी और लड़कियाँ–एक भिक्षु के लिए खाना बनाने से इनकार कर देती हैं तब उसका खाना एक गृहदासी यानी गेहदासी को बनाना पड़ता है। एक और गेहेह–दासी मनोवांछित वस्तु के रूप में ओखली, मूसल और चलनी पाकर ही संतुष्ट हो जाती है। इन दासियों के द्वारा किए जाने वाले कामों को 'दासी–भोगेग' कहा जाता था जिसका अर्थ बुद्धघोष के अनुसार हैं– 'खेतों का काम, कूड़ा–करकट हटाना, पानी भरकर लाना' आदि। दासी–भोग के विपरीत है 'सुनिसा–भोगेग', जिससे पुत्रवधु के द्वारा किए जाने वाले काम का बोध होता है। इन दो शब्दों से परिवारों के घरेलू काम का स्पष्ट वर्णन हो जाता है। घर में काम करने वाले दासों के अतिरिक्त वैतनिक श्रमिक भी हुआ करते थे, जिन्हें समय–समय पर जरूरत पड़ने पर कृषि आदि संबंधी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता था। इससे भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि घर में काम कम हो जाने पर ये लोग अपने दासों को घर से बाहर काम करने के लिए किराए पर दे देते थे, जैसे भाड़े पर धान कूटने के लिए। एक अन्य जातक में हमें एक दासी की कहानी मिलती है, जिसे इस प्रकार कमाया हुआ धन अपने स्वामी को न देने पर मार सहनी पड़ती है। घरेलू काम काज करने वाले दास और दासियों, दोनों के कामों का यह संक्षिप्त विवरण है। दासों और नौकरों का एकत्र उल्लेख किए जाने के कारण यह कहना कठिन है कि इस प्रकार के काम केवल दास ही करते थे; फिर भी दासों को ये सारे काम दिए जाते थे यह निश्चित है। मध्यम आय वाले परिवारों में दासी का काम करना भी सुनिश्चित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि घरेलू काम के क्षेत्र में अल्पतंत्रों और राजतंत्रों में कोई मौलिक भेद नहीं है। तथापि धनी गृहों की संख्या राजधानियों में अधिक रही प्रतीत होती है और परिणामतः घरेलू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रम में लगाए गए दासों की संख्या भी वहाँ अधिक रही होगी, अंतर केवल मात्रा का रहा होगा।

महाकाव्यों में दास रूप में स्त्रियों की दशा का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। महाभारत में सभापर्व, वनपर्व आदि विभिन्न पर्वों में दास शब्द का उल्लेख है। महाभारत में हमें चार प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। 1. युद्ध में बंदी दास– भीमसेन ने जयद्रथ को हराकर उसे अपनी दासता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। 2. जुये में हाकर– युद्धिष्ठिर जुये में द्रौपदी को हार गये थे। उसे दासी ठहराया गया था। 3. दान में दी हुई दासियां– युद्धिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ पर ब्राह्मणों की दासियां दान में थी। 4. खरीदे हुए दास– एक ब्राह्मण राक्षस को देने के लिए दास न खरीद सका तो वह अपने परिवार के सदस्य को ही राक्षस को देने को विचार करता है।

दासकर्म के लिए इन महाकाव्यों में दासभाव, दास्य एवं दासत्व जैसे शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इनके सामान्य अर्थ दासता के सभी प्रकारों के में निहित हैं। इसके साथ ही इन रचनाओं में दासीभाव जैसे शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। दासीभाव निश्चित रूप से नारी के दासता सम्बन्धी जीवन का द्योतक है। महाभारत में अनेक प्रकरण ऐसे हैं जहां पर स्त्री को दासी बनाने एवं उसके प्रति किये जाने वाले व्यवहार का दर्शन होता है। द्रोपदी से जुड़े आख्यान पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि पाण्डवों द्वारा जुए में हार जाने पर द्रोपदी को रजस्वला होते हुए भी बलपूर्वक खींचकर भरी राजसभा में लाया गया था। अपनी ओर से यदि द्रोपदी कौरवों की दासिता स्वीकार कर लेती तो उसकी परिस्थितियां अत्यधिक विषम हो जातीं। वह विधिपूर्वक कौरवों के अधीन रहने और उनके आदेशों का पालन करने के लिए विवश हो जाती। महाभारत की इस घटना से यह प्रतीत होता है कि उस समय पर दासियों के साथ किया जाना व्यवहार किसी भी प्रकार से समुचित नहीं रहा होगा। यद्यपि उनका प्रयोग सेवा आदि कार्यों के लिए किया जाता था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तथापि उन्हें किसी प्रकार के दुर्व्यवहार अथवा कष्टकारी परिस्थिति में संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता था। महाभारत कालीन समाज में दास–दासियों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया गया था। दासों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया था– प्रथम श्रेणी के अनुसार जब कोई स्वामी अपनी दासी से पुत्र उत्पन्न करता था, तो वह स्वतन्त्र व्यक्ति की श्रेणी में शामिल न होकर एक दास ही कहलाता था। अर्थात् दासी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को दासकर्म ही करना पड़ता था। विदुर एक दासी से पैदा हुए थे और उन्हें दास ही माना गया था। यदि पांडव अपनी स्वाधीनता पुनः प्राप्त न करते तो उनकी संतान को भी दास ही मान लिया जाता क्योंकि उनके पिता का स्थान दास के समान ही था। इसी कारण चीर हरण से सम्बन्धित प्रसंग में सात्नत्वना स्वरूप धृतराष्ट्र द्वारा वर मांगे जाने पर द्रौपदी ने यही वर मांगा की पांडवों को दासता से मुक्त किया जाये क्योंकि वह जानती थी यदि पांडव दास हुए तो उनकी संताने भी दास कहलायेंगी। द्वितीय श्रेणी में उन दास–दासियों को सम्मिलित किया गया है जिनका क्रय–विक्रय होता था। दासों को खरीदने–बेचने के साक्ष्य हमें वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होने लगते हैं। रामायण में भी इस प्रकार के प्रसंग हमें मिलते हैं। परन्तु महाभारत में ही दासों के क्रय को निन्दित कर्म माना गया है। तृतीय श्रेणी में वे दास सम्मिलित हैं जिन्हें युद्ध भूमि में पराजयवश दास बनना पड़ता था। द्रौपदी के अपहरण हेतु प्रयासरत जयद्रथ को भीम ने पकड़ लिया था और उसे मृत्युदण्ड का भय देकर पाण्डवों का दास बनने को विवश किया था। इसके पश्चात् उसके केशों को पांच हिस्सों में काटा जाता है। उस समय युद्ध में बनाये गये दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। चतुर्थ श्रेणी में ऐसे दासों का उल्लेख मिलता है जिन्हें द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा दिया जाता था एवं पराजय की स्थिति में दासत्व स्वीकार करना पड़ता था। किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता समाप्त होते ही वह दास बन जाता था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मौर्य काल में राजनीतिक एकीकरण के बाद इस प्रकार के आक्रमण अकल्पनीय हो गये और कौटिल्य इस बात की पुष्टि करता है। इस काल में दास श्रम से भूमि जोतने की यह प्रथा स्वाभाविक बन गईं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी यह भी ज्ञात होता है कि यह संस्था मौर्यों के शासनकाल में समाप्त नहीं की गयी बल्कि पनपती रही। फलतः ऋणदासता, अकालदासता, युद्ध के कारण दासता, विरासत की दासता आदि चलती रही पर छापे मारकर दास बनाने की प्रथा अब सहन नहीं की जाती थी। अशोक के काल में कलिंग के युद्ध में हजारों सैनिक बंदी बनाये गये और कम से कम उनमें से कुछ तो मगध के बाजारों में अवश्य पहुंचे होगे। कौटिल्य ने दासों के बारे में विस्तृत विवेचना की है तथा अपने अर्थशास्त्र में एक अध्याय ''दास कल्प'' जोड़ा है। कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों की श्रेणियों की विवेचना की है। 1. ध्वजाहृत दास, 2. उदरदास, 3. गृहजात, 4. क्रीत दास, 5. लब्ध दास, 6. दायागत, 7. दण्ड प्रणीत, 8. अहितक, 9. आत्म विक्रयी दास। अशोक के अभिलेखों में भी दासों भृत्यों के साथ अच्छे व्यवहार किये जाने का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों से दासों के साथ बड़ा सहृदयतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है फिर भी अशोक इस व्यवहार को और भी अधिक सम बनाये जाने पर जोर देता है। मेगस्थनीज ने अपने विवरण में लिखा हैं कि भारत में दास नहीं थे यह कथन काफी विवाद का विषय रहा है क्योंकि भारतीय स्रोतो में दासों को जो अस्तित्व मिलता है, दास और मजदूर अधिकांश रूप से श्रम शक्ति प्रदान करते थे। सम्भवतः मेगस्थनीज के दिमाग में यूनानी दासता की धारणा होने के कारण वह भारतीय पद्धति को ठीक से समझ नहीं सका, जो यूनानी पद्धति से भिन्न थी। भारतीय दास और यूनानी दोड–लोस में अन्तर था क्योंकि भारतीय दास सम्पति का मालिक हो सकता था अपने लिए कमा सकता था। श्रम भाक्ति प्रदान करने वाले दासो की अपेक्षा मजदूरो का समाजिक स्तर ऊँचा था। दासो और अछूतो में मुख्य अन्तर यह था कि दासो को अशुद्ध नहीं माना जाता था क्योंकि वह निरन्तर और निकट रूप से मालिको की सेवा में काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करते थे। वह अछूतो की तरह अलग बस्तियों में न रहकर परिवार के साथ रहते थे।

शुंग काल से लेकर वर्द्धन काल तक के साहित्य में भी स्त्री के दास स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। स्मृतिकारों में भी दास प्रथा की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन किया है। मनुस्मृति में उपलब्ध दासों का वर्गीकरण कौटिल्य के वर्गीकरण से मिलता जुलता है जबकि नारद की सूची अधिक लम्बी है। मनु ने सात प्रकार के दासों का उल्लेख किया है तथा नारद ने पन्द्रह प्रकार क दासों की चर्चा की है। नारद की सूची में के विश्लेषण से कोई नवीन आधारभूत विकास प्रकट नहीं होता यह पहले से ही ज्ञात तथ्यों का संग्रह मात्र है जहां तक कौटिल्य द्वारा वर्णित अन्तिम दो वर्गों के मनु की सूची में अभाव का प्रश्न है यह देख सकते हैं कि मनु ने उसके अस्तित्व को स्वीकार तो किया है। यद्यपि वह उनकी सूचियों से लुप्त हैं। कौटिल्य की भाँति आजीवन दासता एवं सीमित अवधि के भेद को मान्यता दी है। मनु के अनुसार ऋण दाता ऋणी से काम ले सकता है अगर ऋणी अपना ऋण नहीं लौटा सकता। यहां एक सीमित अवधि के लिए दासता का प्रावधान किया गया है दूसरी ओर याज्ञवल्क्य, जीवन से भ्रष्ट व्यक्ति के लिए आजीवन दासता की व्यवस्था देते है घर में उत्पन्न क्रीत, प्राप्त और विरासत में प्राप्त दास को तभी मुक्त किया जा सकता है, जब उसका स्वामी चाहें। भोश दासों को मुक्त करने के लिए वे भार्तो का निर्धारण करते हैं। कौटिल्य की भाँति ये संहितायें भी लोगों के अपहरण का निषेध करती है इस सम्बन्ध में हम मनु को देख सकते हैं। जो अभिजात्य वर्ग के पुरूष एवं महिलाओं के अपहरण के अपराध के लिए मृत्युदण्ड़ का निर्धारण करते हैं वे, इस अपराध के दोषी के लिए वे चांद्रायण व्रत का निर्धारण करते हैं। मौर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यों के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे, पर शूद्र मुख्यतया अलग–अलग भूस्वामियों के खेतों में कृषि–मजदूर का काम कर रहे थे। पूर्व काल की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छंद होकर अपना काम करते थे। इन शिल्पियों की न केवल संख्या बढ़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थी और उनमें विविधता आई थी, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे थे। मनु के विधान, जिनके द्वारा शूद्रों पर नई आर्थिक निर्योग्यतायें आरोपित की गई थीं, प्रायः प्रभावहीन हो गये थे। किंतु शूद्र समुदाय के रहन–सहन की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की झलक नहीं मिलती। दासता के संबंध में मनु के नियम शूद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का मत है कि आर्य माँ या बाप का शूद्र पुत्र दास नहीं बनाया जा सकता है। किंतु यद्यपि मनु ने शूद्र पुत्रों को परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सिद्धान्त निरूपित किया कि दासता शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है। किंतु यह केवल ब्राह्मणों और शूद्रों के सम्बन्ध पर लागू होता है। मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास बनना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है। बाद के श्लोक में उन्होंने बताया है कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगाधिकार उसमें अंतर्जात है। शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करे तो राजा उसे छः सौ पण जुर्माना करेगा। इस सम्बन्ध में कौटिल्य ने जुर्माने की वर्गीकृत योजना बनाई है। सबसे अधिक जुर्माना 48 पण है, जो ब्राह्मण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है। मनु ने इस विभेदों का कोई निर्देश नहीं दिया है, पर तीन उच्च वर्णों के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक जुर्माने का उपबंध किया है। मनु के विधिग्रंथ में भी सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है। शूद्र और दास के बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी (शूद्र के दास की दासी) से उत्पन्न शूद्र के बेटे की चर्चा की है। इस प्रकार यद्यपि दास की बहाली सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी, फिर भी कभी–कभी शूद्र भी दास रखते थे। किंतु शूद्र और उसके दास के बीच अंतर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उतना व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के बीच था। मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शूद्र का पुत्र पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा सकता है। किंतु द्विज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपबंध नहीं किया गया है। फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पड़ता है कि दास को सम्पत्ति का अधिकार था। कुल्लूक ने मनु के एक परिच्छेद की जो टीका की है उसके अनुसार जब मालिक विदेश गया हो, तब उसके कारोबार संबंधी लेन–देन में दास उसके परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता है। किन्तु एक अन्य स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि वास्तविक स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री अमान्य घोषित कर दी जाती है।

याज्ञवल्क्य पुरूषों और महिलाओं के अपहरण के अपराध को उतना ही गम्भीर मानते हैं जितना कि सोने की चोरी को। नारद दासी के अपहरण के दोषी को आधा पांव काट देने का विधान करते हैं। ध्यातव्य है कि संहिताओं में दासी के संरक्षण की प्रवृत्ति को बनाये रखा गया है। याज्ञवल्क्य, दासी के गर्भ की भ्रूण हत्या के अपराधी व्यक्ति के लिए 100 पण के जुर्बाने की व्यवस्था देते है। यद्यपि मनु शूद्रो के प्रति बहुत कठोर हैं तथापि उन्हें भी दासों के अधिकार देने पड़े है। इस समय सामान्य रूप से प्रचलित इस धारणा को मानने का आधार हमारे पास नहीं हैं कि शूद्रो को दासों के समान समझते हैं। एक मान्यता का ज्ञान दास बनाने के सम्बन्ध में हमें मिलता है, नारद तथा याज्ञवल्क्य ने समान रूप से कहा हैं कि अनुलोम क्रम में ही दास बनाया जा सकता था प्रतिलोम क्रम में नहीं।

इस प्रकार मौर्योत्तर काल तथा गुप्त काल में दासो की महत्व बढ़ा रहा जो गुप्तोत्तर कालीन समाज में अत्यधिक बढ़ गया जिसका प्रमुख कारण इस काल की सामंतवादी सामाजिक संरचना थी। भूमिदानों की बहुलता, क्षेत्रीय राज्यो का उदय तथा व्यापार वाणिज्य का ह्रास जैसी प्रवृत्तियों ने अर्थव्यवस्था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में दासो के प्रयोग अधिकांश कृषि दासों के रूप में किया जाने लगा। हवेनसांग ने भी शूद्रो को कृषक कहकर निम्न वर्गो की बदलती स्थिति की ओर इशारा करता है। यह उल्लेखनीय है कि परम्परागत हिन्दू शास्त्रीय विधानों में प्रस्तावित सामाजिक संरचना में दासों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अर्थव्यवस्था का सारा भार वैश्यों पर छोड़ा गया है जबकि सभी वर्गो के सेवक के रूप में शूद्रो को नियोजित किया गया है। इस सभी वर्गो के लिए आपद्–धर्म का विधान प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः दास–दासियों को भले ही उत्पादन प्रक्रिया में स्थान न दिया गया हो फिर भी दासो के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है ऐसा लगता हैं कि गिरी हुई आर्थिक स्थिति के कारण इनका भी समायोजन कर्मकारों, शूद्रो, श्रमिको, जैसे सेवा करने वाले वर्ग के रूप में कर दिया गया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संदर्भ ग्रन्थ सूची

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

प्राथमिक ग्रन्थ–

1. अंगुत्तसर निकाय : संपादक, आर0 मोरिस और ई0 हार्डी, लंदन, 1883–1900
2. अग्नि पुराण : आनन्दश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 1900
3. अथर्ववेद : निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1895–1898
4. आश्वलायन गृहयसूत्र : निर्णय सागर प्रेस बम्बई, 1894
5. अपरार्क : याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 1903
6. अमरसिंह : अमरकोश, क्षीरस्वामी की टीका सहित, ओरिएण्टल बुक एजेंसी पूना; माहेश्वरी व्याख्या, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना 1907.
7. आपस्तम्ब गृह्मसूत्र : सुदर्शनाचार्य की टीका सहित, मैसूर गवर्नमेंट संस्कृत लाइब्रेरी सीरीज।
8. आपस्तम्ब धर्मसूत्र : हरदत्त की टीका सहित, चौखंभा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।
9. उपनिषद् : उपनिषद् निर्णयसागर प्रेस, बम्बई; गीताप्रेस, गोरखपुर।
10. ऐतरेय ब्राह्मण : सम्पादक टी. आफ्रेखट् वॉन, जर्मनी, 1874
11. ऋग्वेद : सायण भाष्य सहित, सम्पादक, एफ0 मैक्समूलर, 1890–92; 5 भाग, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना, 1933–51.
12. जातक : संपादक, फाउल्सबोल, 1877–97: कैम्ब्रिज, अनुवाद, 1895–1913,
13. तैत्तिरीय आरण्यक : आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, 1926.
14. तैत्तिरीय ब्राह्मण : शाम शास्त्री, मैसूर, 1921
15. तैत्तिरीय संहिता : श्रीपाद शर्मा, औंधनगर, 1945, कलकत्ता, 1854.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

16. दीघ निकाय : संपादक, रीज डेविड्स और ई0 कार्पेन्टर, लंदन,

17. 1890–1911 : हिंदी अनुवाद, राहुल सांस्कृत्यायन,

18. सारनाथ, वाराणसी, 1936.

19. दीपवंश : संपादक, ओल्डेनवर्ग, लंदन 7879.

20. धम्मपद : संपादक, राहुल सांकृत्यायन, रंगून, 1937.

21. नारद स्मृति : संपादक, जोली कलकत्ता, 1885.

22. पतंजलि : महाभाष्य, संपादक, एफ0 कीलहार्न, बम्बई।

23. पाणिनि : अष्टाघ्यायी, निर्णयसागर प्रेस, 1929.

24. बाणभट्ट : हर्षचरित, अनुवाद, कावेल और टामस, 1897.

25. कादम्बरी : संपादक, रामचन्द्र काले, बम्बई।

26. भविष्य पुराण : बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, 1912,

27. मत्स्यपुराण : आनन्दाश्रम, संस्कृत सीरीज, पूना, 1907.

28. राजशेखर : कर्पूरमंजरी, कलकत्ता, 1984

29. रामायण : मद्रास, 1933. गीता प्रेस, गोरखपुर।

30. वात्स्यायन : कामसूत्र, चौखंभा सीरीज, वाराणसी।

31. विनयपिटक : अनुवाद, रीज डेविड्स, आक्सफोर्ड, 1881–85; हिन्दी अनुवाद,

32. विष्णु पुराण : बम्बई, 1889: विल्सन, 5 भाग लन्दन, 1864–70: गीताप्रेस, गोरखपुर, सं0 2009.

33. शतपथ ब्राह्मण : अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, वाराणसी, संवत् 1994–97.

34. संयुत्त निपात : सम्पादक लियोन फ्रियर और मिसेज रीज डेविड्स, लन्दन, 1884–1904.

35. सुत्त निपात : सम्पादक, ऐंडरसन और स्मिथ, लन्दन, 1984; राहुल सांकृत्यायन, रंगून, 1937.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

36. कात्यायन स्मृति : संपादक, नारायण चन्द्र बंधोपाध्याय, कलकत्ता, 1917
37. कालिदास : कुमारसंभव, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1927
38. ऋतुसंहार, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1922
39. रघुवंश, कालिदास ग्रन्थावसी, वाराणसी
40. अभिज्ञान शाकुन्तलम्, चौखम्भा संस्कृत सिरीज।
41. मेघदूत, कालिदास ग्रन्थावली, वाराणसी
42. मालविकाग्निमित्र, बम्बई संस्कृत सिरीज, 1889
43. विक्रमोर्वशीय, बम्बई संस्कृत सिरीज, 1901
44. कामन्दकीय नीतिसार : कामन्दक कृत, सम्पादक, टी. गणपति शास्त्री, त्रिवेन्द्रम, 1921; ज्वाला प्रसाद मिश्र, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, संवत् 2009
45. कौटिलीय अर्थशास्त्र : संपादक, आर. शामशास्त्री, मैसूर,1909,1929
46. गौतम धर्मसूत्र : हरदत्त टीका सहित, आनन्दाश्रम संस्कृत सिरीज,1910
47. गौतम स्मृति : सैक्रेड बुक अव दि ईस्ट, ऑक्सफोर्ड, 1897
48. दशकुमारचरित : दण्डिन कृत, सम्पादक एम. आर. काले, बम्बई, 1917
49. दिव्यावदान : सम्पादक, ई. वी. कावेल तथा आर. ए. नील कैम्ब्रिज, 1886
50. नीतिशतक : सम्पादक, एच.डी. वैध, मथुरा, 1941
51. पराशर स्मृति : सम्पादक, श्रीवासुदेव, वाराणसी, 1968य रामचन्द्र शर्मा, मुरादाबाद, 1925
52. बृहस्पति स्मृति : एम. फ्यूहरर, लिपिजिंग, 1879
53. बौधायन धर्मसूत्र : चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी, 1934
54. मत्स्य पुराण : आनन्दाश्रम, संस्कृत सिरीज, पूना, 1907

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

55. मनुस्मृति : कुल्लूक भट्ट की टीका सहित, बम्बई, 1946,

56. मेघातिथि की टीका के साथ, कलकत्ता, 1932

57. महाभारत : नीलकंठ की टीका सहित, पूना, 1929.33य गीता प्रेस, गोरखपुर।

58. महावस्तु : सम्पादक, ई. सेनार्ट, तीन जिल्दों में, पेरिस, 1882.

59. क्षेमेन्द्र : दशावतार चरित, सम्पादक, दुर्गा प्रसाद, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई।

सहायक ग्रन्थ

1. अग्निहोत्री, पी., पतंजलि कालीन भारत, पटना, 1963
2. अग्रवाल, वी.एस., पाणिनी कालीन भारत, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, सं. 2012
3. अच्छेलाल, प्राचीन भारत में कृषि, वाराणसी, 1980
4. आचार्य दीपकर, कौटिल्य कालीन भारत, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ, 1968
5. आचार्य रामदेव, भारतवर्ष का इतिहावस, तृतीय खण्ड बौद्धकाल, गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिद्वार, 1990
6. उपध्याय, बलदेव, भारतीय दर्शन, वाराणसी, 1945.
7. उपाध्याय, वी.एस., कालिदास का भारत, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, 1954
8. उपाध्याय, वासुदेव, गुप्त साम्राज्य का इतिहास इलाहाबाद, 1959
9. उपाध्याय, भगवत शरण, गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ, 1969
10. ओम प्रकाश, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, नई दिल्ली, 1994
11. ओझा, आदित्य प्रसाद, प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण (लगभग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

300.600 ई.) इलाहाबाद, 1992
12. कपूर, श्याम नारायण, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं शिल्प, कानपुर, 1998
13. काणे, पी.वी., हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग 1.5, पुणे, 1930
14. कृष्ण कुमार, प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, नई दिल्ली, 1993
15. गुप्त, परमेश्वरीलाल, गुप्त साम्राज्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1970
16. गुप्त, पी.एल., प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, भाग 1.2, वाराणसी, 1999
17. चतुर्वेदी, परशुराम, बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 1958
18. चतुर्वेदी, सीताराम, कालिदास ग्रन्थावली, अलीगढ, 1950
19. चानना, डी.आर., प्राचीन भारत में दास प्रथा, दिल्ली 1989
20. चौबे और श्रीवास्तव, मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, लखनऊ, 1979.
21. चोपड़ा, पुरी, दास, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास, दिल्ली, 1996
22. जैन, डॉ. कोमलचन्द्र, बौद्ध और जैन आगमों में नारी–जीवन, सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति, अमृतसर, 1967
23. जौहरी, मनोरमा, प्राचीन भारत में वर्णाश्रमकृ व्यवस्था (द्वितीय संस्करण) वाराणसी, 1985
24. झा, द्विजेन्द्र नारायण, प्राचीन भारत (सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की पड़ताल) दिल्ली, 2000
25. देवराज, भारतीय संस्कृति (महाकाव्यों के आलोक में), प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ 1961
26. त्रिपाठी, रामनरेश, प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार, इलाहाबाद, 1981
27. तिवारी, गौरी शंकर : उत्तरी भारत के ब्राह्मणों का सामाजिक अध्ययन,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फैजाबाद, 1982

28. पण्डा, डॉ. प्रमोदिनी, वेदकालीन नारी शिक्षा, ओरियण्टल बुक सेंटर, दिल्ली, 1998

29. पाण्डेय, गोविन्द्रचन्द्र, बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, लखनऊ 1963.

30. पाण्डेय, राजबली, प्राचीन भारत, वाराणसी, 1994

31. पाण्डेय, वी.सी., प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, इलाहाबाद, 1960

32. पाण्डेय, ए.के., प्राचीन भारत में कृषि ज्ञान, नई दिल्ली, 2000

33. पाण्डेय, जयनारायण, पुरातत्त्व विमर्श, इलाहाबाद, 1988

34. भट्ट, जनार्दन, बौद्ध–कालीन भारत, साहित्य रत्नमाला कार्यालय, काशी, 1982

35. महतो, पंडित मोहनलाल, जातक–कालीन भारतीय संस्कृति, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, 1958

36. राव, डॉ. विजय बहादुर, उत्तर वैदिक एवं संस्कृति, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 1966

37. राय, सिद्धेश्वरी नारायण, पौराणिक धर्म एवं समाज, पंचनद पब्लिकेशंस, इलाहाबाद, 1968

38. विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग, श्री सरस्वती सदन, मसूरी, 1971

39. विद्यालंकार, सत्यकेतु, मौर्य–साम्राज्य का इतिहास, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1985

40. सिंह, डॉ. मनमोहन, बुद्धकालीन समाज और धर्म, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1972

41. शरण, बाबू अवधबिहारी, मेगास्थनीज का भारत विवरण, नागरीप्रचारिणी सभा, 1916

42. शर्मा, रामशरण, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, दि मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1979

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

43. शास्त्री, के.ए. नीलकण्ठ, नन्द–मौर्य युगीन भारत, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1969

44. शिवदत्त ज्ञानी, वेदकालीन समाज, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी–1, 1967

अंग्रेजी ग्रन्थ –

1. Agrawal, V.S., India as known to Panini, University of Lucknow, Lucknow, 1952
2. Altekar, A.S., The Position of Woman in Hindu Civilization, Banaras, 1973
3. Bahadur, K.P., Caste, Tribe and Culture of Ancient India, 1978.
4. Bajpayi, Ranjana, Society in India, DELHI, 1992
5. Bandopadhyaya, N.C., Economic Life and Progress in Ancient India, Calcutta, 1945.
6. Banerji, R.D., The Age of the Imperial Guptas, Banaras Hindu University, 1933
7. Barth, A., Religion of India, New Delhi, 1969.
8. Basham, A.L., The Wonder that was India, London, 1941.
9. Basham, A.L., Cultural History of India, 1975.
10. Beal, S, Buddhist Records of the Western world, Translation from Chinese-Hiuen Tsang.
11. Bhattacharya, S.C., Some Aspect of Indian Society, Calcutta, 1978
12. Bose, A.N., Social and Rural Economy of Northen India, 2 Vols. Calcutta, 1945.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

13. Bose, N.S., Hostory of the Chandellas of Jejakabhukti, Calcutta, 1956.
14. Das, S.K., Economic History of Ancient India, Calcutta, 1925.
15. Dutta, B.N., Studies in Indian Social Polity, Calcutta, 1944.
16. Dutta, N.K., Origin and Growth of Caste in India, Calcutta, 1931.
17. Eliot, C., Hinduism and Buddhism, 3 Vols, London.
18. Ghoshal, U.N., A Shistory of Indian Political Ideas, Oxford, 1959.
19. Ghoshal, U.N, Studies in Indian History and Culture, Calcutta, 1917.
20. Ghoshal, U.N, A History of India Public Life, Bombay, 1966.
21. Ghoshal, L, The Economic Life of Northern India, Varansi, 1965.
22. Horner, I.B., Women Under Primitive Buddhism, George Routledge & sons Ltd., London, 1930
23. Jayswal, K.P., An Imperial History of India in Sanskrit Text, Patna, 1984.
24. Kapadiya, K.M., Marrige and Family in India, Oxford, 1958.
25. Majumdar, R.C., An Advanced History of India, Macmillan and Co of India Ltd, Delhi, 1946
26. Nigam, S.S., economic organization in ancient India, Delhi, 1975
27. Niyogi P., The Economic History of Northern India, Calcutta, 1962.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

28. Prabhu, P.H., Hindu Social Organization, 5th edition, Mumbai, 1969

29. Pathak, Haldhar, Cultural History of the Period, Delhi, 1978

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ३म्

दर्शनशास्त्र विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(NAAC से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

के तत्त्वावधान में

क्रमांक 2018/84.

राष्ट्रीय संगोष्ठी

दिनांक 24-25 नवम्बर, 2018

विषय: योग एवं श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धान्तों एवं साधना पद्धतियों का स्वरूप एवं प्रासंगिकता

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रो0/डॉ0/श्री/श्रीमती/कु0 अनीता देवी (शोध छात्रा) इतिहास विभाग, गु० का० वि० वि० हरिद्वार ने दर्शनशास्त्र विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के तत्त्वावधान में उपर्युक्तानुसार आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि/विशिष्ट अतिथि/सारस्वत अतिथि/सत्राध्यक्ष/सत्र संचालक/शोधपत्र प्रस्तोता/प्रोस्तोत्री/प्रतिभागी के रूप में सहभागिता की तथा श्रीमद्भगवद्गीता के सन्दर्भ में वैदिक समाज में स्त्री का स्वरूप विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया।

प्रो0 दिनेश भट्ट (कुलसचिव)	प्रो0 राकेश कुमार शर्मा (अध्यक्ष, प्राच्यविद्या संकाय)	प्रो0 सोहनपाल सिंह आर्य (अध्यक्ष-दर्शनशास्त्र विभाग) आयोजन सचिव-राष्ट्रीय संगोष्ठी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सं श्रुतेन गमेमहि, मा श्रुतेन वि राधिषि॥
अथर्व. १/१/४

Sponsored by	Organized by
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठानम्,उज्जयिनी(म.प्र.)	गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratisthan, Ujjain	Gurukul Kangri Vishvavidyalaya, Haridwar-249404 (U.K.)
(Ministry of HRD Government of India)	(NAAC 'A' grade Accredited Deemed University)

राष्ट्रिय-वैदिक-सङ्गोष्ठी- National Vedic Seminar

25-26-27 Feb, 2019

विषय:- वैदिकवाङ्मयम्-परम्परागत आधुनिकविज्ञानयोर्मूलम्

Theme:- Vedic Literature:- Origin of Traditional and Modern Science

प्रमाणपत्रम् / CERTIFICATE

Prof./Dr./Shri/Smt./Ku. ......अनीता देवी..has Participated /Key note addressed/research paper presented/Chaired/convened a session/ delivered a Special lecture on......"प्राचीन काल मे दास स्त्रियाँ"..

....

We appreciate the contributions to the success of National Vedic Seminar.

Prof. Viroopaksha V. Jaddipal
Secretary
M.S.R.V.V.P. Ujjain
(Ministry of Human Resource Development, Govt. Of India)

Prof. Roop Kishor shastri
Organizing Secretary
Professor & Head, Deptt. of Veda
Gurukul Kangri Vishvavidyalaya, Haridwar (U.K.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक
डॉ. अश्विनी महाजन
एसोसिएट प्रोफेसर, डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टिकोण प्रकाशन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : 12 अंक : 3 ❑ मई-जून, 2020

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरवोरोग, ओन्टारियो

डॉ. दया शंकर तिवारी
राजधानी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर

डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची

डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना

डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा

डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

डॉ. अमर कान्त सिंह
ति.मां. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-१, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916
e-mail : editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

मूल्य: ₹ 2500.00

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दृष्टिकोण

राजस्थान के मेव समुदाय के आर्थिक विकास पर भारत के विभाजन का प्रभाव–आसीन खाँ 1463
भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त–डॉ. चरण दास 1472
बिहार में किसान आन्दोलन में राजनीतिक दलो की भूमिका–डॉ. रणधीर कुमार गुप्ता 1477
व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कर्मयोग की उपादेयता–डॉ. नलिनी श्रीवास्तव 1481
हिन्दी लघुकथा : कथानक और शिल्प–महेश सहनी 1485
विकास प्रशासन में जिलाधिकारी एवं उप-विकास आयुक्त की भुमिका–डॉ. राजीव रंजन वर्मा 1488
बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सुझाव की समीक्षा–डॉ. सुनील कुमार सिंह 1503
नयी कविता में व्यष्टि-समाधि बोध–कामायनी कुमारी 1518
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आधुनिकीकरण–डॉ. मधु बाला 1521
शांति सुमन की नवगीत से जन गीत की यात्रा... एक मूल्यांकन–डॉ. मनीषा मिश्रा 1525
विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में महिलाओं की भागीदारी: एक अध्ययन–मोनिका कुमारी 1528
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में कौशल विकास योजना की भूमिका–डॉ. संजय कुमार सिंह 1532
शिक्षा और चरित्र निर्माण–नूतन गुप्ता 1535
सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनका भारतीय संविधान में योगदान–डॉ. प्रियतोष शर्मा; डॉ. भारत भूषण 1539
आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री के गीतों में संगीत-तत्त्व–डॉ. सोनाली श्रीवास्तव 1544
भारतीय विदेश नीति: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–डॉ. पवन कुमार वर्मा 1546
राजा एवं मंत्री परिषद् का महत्व–डॉ. कहकशाँ प्रवीण 1552
गांधीजी के स्वावलम्वन का दर्शन और खादी–डॉ. दीक्षा कुमारी 1557
भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप–डॉ. विनीता भारद्वाज 1561
'पंचायती राज की चुनौतियां'–उषा कुमारी 1565
प्रागैतिहासिक भारतीय शैलचित्रों की खोज: एक अध्ययन–डा. देवेन्द्र कुमार 1567
भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास : एक अध्ययन–डॉ. पप्पु कुमार 1570
'नवमानववाद' के संदर्भ में राय एवं गाँधी के विचार : एक तुलनात्मक अध्ययन–डॉ. अखलाख अहमद 1574
सफूी कवि जायसी का पद्‌मावत और उसमें वर्णित रामकथा–डॉ. कंचन गुप्ता 1577
कृषि विविधीकरण का कृषि उत्पाद पर प्रभाव: बिहार के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन–अमिता चन्दन 1580
बौद्ध धर्म के प्रभाव एवं प्रसार मिथिलांचल में–डॉ0 डिम्पल कुमारी 1583
अनुच्छेद 21: भारत के साविधानिक तंत्र और दर्शन का मंत्र–डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव 1586
कुटीर उद्योग–डॉ. नवीन कुमार 1595
गोपालगंज जनपद में जनसंख्या की वृद्धि के स्थानिक-कालिक प्रतिरूप (1951–2011)–डॉ. धन्नजय कुमार सिंह 1598
मौर्य काल में दास स्त्री (लगभग 300 ई.पू. से 200 ई.पू. तक)–अनिता देवी 1602
मिथिला में शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप का मूल्यांकन–आदित्य नारायण चौधारी 1606
पंचायती राज से संबंधित संवेधानिक उपबंध–मृत्युंजय 1610
शेखर जोशी की कहानियों में निम्न-मध्यवर्गीय चेतना: 'बच्चे का सपना' कहानी के विशेष सन्दर्भ में–विजय सिंह 1620
मुद्रित समाचार पत्रों में कोरोना के प्रथम पृष्ठ पर कवरेज का विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ. अंजनी कुमार झा 1624
राजनीतिक अस्थिरता का आर्थिक विकास पर प्रभाव–डॉ. शेखर कुमार पटेल 1630
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निर्धारक तत्त्व–डॉ. गणेश प्रसाद 1635
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह : भारत की दावेदारी, चीन की आपत्ति और पाकिस्तापन कारक–श्वेता कुमारी 1640

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मौर्य काल में दास स्त्री (लगभग 300 ई.पू. से 200 ई.पू. तक)

अनिता देवी

Ancient Indian History, Culture and Archaiology, University - Gurukul Kangri Uni. Haridwar

चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत भूमि पर राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण का कार्य किया गया था। नंदवष के अन्तिम नरेश धननन्द को समाप्त करके चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरू चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार स्थापित किया एवं मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चन्द्रगुप्त की साम्राज्य वादी नीति का ही परिणाम था कि उनके शासन काल में ही भारत भूमि का बहुत बड़ा भू-भाग मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। मगध की राजनीति एवं कूटनीति के मुख्य कर्ताधर्ता आचार्य चाणक्य थे। वे चन्द्रगुप्त के गुरू के साथ-साथ उनके महामंत्री भी थे उनके ग्रन्थ अर्थशास्त्र के द्वारा हमें मौर्यकालीन व्यवस्थाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। इस काल की जानकारी के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है इण्डिका। इस ग्रन्थ का रचयिता यूनानी लेखक मैगस्थनीज था। जिसने अपने भारत की यात्रा के अनुभवों को रचनाबद्ध किया था।

मौर्य काल की जानकारी से सम्बन्धित पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों में राजा अशोक द्वारा दी गयी राजाज्ञाएं उत्कीर्ण करायी गयी थी। इन राजाज्ञाओं में दासों एवं भ्रत्यों से सम्बन्धित सूचना भी मिलती है। किन्तु प्राचीन भारत वर्ष के किसी प्रश्न को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ जितना सम्भवतया अर्थशास्त्र की तिथि और प्रमाणिकता के सम्बन्ध में हुआ है। एक ओर तों कहा जाता है कि यह रचना चन्द्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य की है तो दूसरी और इसे अस्वीकार करते हुए इस रचना को पहली या तीसरी शताब्दी ई0 का माना जाता है। विरोध करने वाले तर्कों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक मालूम पड़ता है। अर्थशास्त्र के अन्त में उल्लिखित पद्य से स्पष्ट है कि यह रचना उस व्यक्ति की है जिसने नन्द वंश का नाश किया और यह ऐसी ऐतिहासिक परम्परा है जो बाद में ब्राह्मण और जैन ग्रन्थों में मिलती है। यह पद्य इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों के लेखकों के सम्बन्ध में ऐसे जीवन चरित्र सम्बन्धी लेख अन्यत्र नहीं मिलते। इतना ही नहीं किसी भी ग्रन्थ से कोई वैकल्पिक सूचना नहीं मिलती कि कौटिल्य किसी अन्य काल के थे।[1]

वर्तमान समय में अनेक प्राचीन संवत प्रचलित है जिनमें विक्रम संवत और एक शक संवत प्रमुख है। इन पर संवतों का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ यह बताना कठिन होगा। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में कतिपय अन्य संवतों का भी प्रयोग किया गया है पर उनके आधार पर विविध राजवंशों और राजाओं के पूर्व एवं वर्तमान काल का निर्धारण करने में अनेक कठिनाईयां है। [2]

इसी प्रकार भारत के निकट सम्पर्क में आकर पाश्चात्य विद्वानों ने जब संस्कृत साहित्य का अनुशीलन प्रारम्भ किया तो उनका ध्यान पौराणिक श्रुति के राजा चन्द्रगुप्त की ओर आकृष्ट हुआ। प्राचीन ग्रीक इतिहास से वे भली भांति परिचित थे। उन्हें यह ज्ञात था कि जब मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर आक्रमण कियातो उसकी भेंट सैण्ड्रोकोटस नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति से हुई।[3]

वे यह भी जानते थे कि सिकन्दर के उत्तराधिकारी सैल्यूकश ने पालिब्रोथा और पाटलिपुत्र भी एक ही नगर की सूचना देते है। निःसन्देह, भारतीय तिथिक्रम के निर्णय के लिए यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि इसके आधार पर ही राजा चन्द्रगुप्त के काल को सुनिश्चित किया जा सकता था। ग्रीक इतिहास कारों के अनुसार सिकन्दर ने चौथी शती ई0पू0 में भारत पर आक्रमण किया था। अतः उसके समकालीन सैण्ड्रोकोटस का काल भी चौथी सदी ई0पू0 में ही होना चाहिए इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया।[4]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी यात्रियों एवं अर्थशास्त्र आदि भारतीय गन्थों के दास दासियों के जो विवरण दिये गये है। उनमें असमानता देखने को मिलती है। मैगस्थनीज ने अपेक्षाकृत विस्तार के साथ दासियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। मैगस्थनीज के द्वारा दिये गये विवरणों को ही डोयोडोरस एरियन और स्ट्रेबों ने अपने ग्रन्थों में उद्धत किया है। एरियन के अनुसार सभी भारतीय स्वतन्त्र है। यहां कोई दास नहीं है।[5] यहां परयह ध्यातव्य है कि एरियन ने यह विवरण मैगस्थनीज के आधार पर दिया है और मैगस्थनीज ने ओनेसिकेटस के आधार पर अपना विवरण लिखा था वस्तुतः ये यूनानी यात्री भारत में दासों के साथ किये जाने वाले अतिशय मानवीय मधुर व्यवहार को देखकर भ्रम में पड़ गये थे।[6]

परन्तु अन्य विद्वान भारत में दास प्रथा की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहते है कि वस्तुतः भारत में दास-दासियों की स्थिति यूनान अथवा किसी भी अन्य यूरोपीय दासों की तुलना में इतनी अच्छी थी कि वे मैगस्थनीज दासों एवं स्वतन्त्र नागरिकों में अन्तर ही नहीं कर सका। इसी कारण मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को सात जातियों में विभाजित करके वर्णित है।[7]

वास्तव में मैगस्थनीज को भारत में दास दासियों के प्रति होने वाले मृदु व्यवहार का परिचय हुआ ही नहीं। यह भी सम्भव है कि उसने यूनानियों के समक्ष दास दासियों के सम्बन्ध में आदर्श स्थिति रखने के लिए भारत का आदर्श रखा गया।

दास दासियों की स्थिति की विवेचना हेतु कोटिल्यकृत अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण धर्मस्थलीय का तेरहवां अध्याय दासकर्मकरकल्पम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें दास दासियों से सम्बन्धित जानकारी एवं उनसे सम्बन्धित नियमावली दी गयी है। कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया है।

1. ध्वजाहत – युद्ध में बन्दी बनाये गये दास।
2. उदरदास – अपने भरण पोषण हेतु बनाया गये दास।
3. दंड प्रणीत – शारीरिक श्रम हेतु बनाया गया दास।
4. गष्हजात – स्वामी द्वारा दासी से उत्पन्न
5. दायगत – उत्तराधिकारी में प्राप्त दास
6. लब्ध – भेंट से प्राप्त दास
7. क्रीत – क्रय किया गया दास
8. आत्मविक्रयी – अपने आप को बेचने वाला दास
9. आहितक – बंधक बना कर रखा गया दास

अर्थशास्त्र के अनुसार उदरदास को छोड़कर आर्यो के प्राणभूत नाबालिग शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का कोई सदस्य बेचे या गिरवी रखे तो उन पर क्रमशः बारह, पण, चौबीस पण, छत्तीस पण और अड़तालिस पण का दण्ड दिया जायेगा। यदि इन्हीं नाबालिग शूद्र आदि को यदि कोई अन्य बाहरी व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो इस अपराध के लिए को प्रथम, मध्यम, उत्तम साहब और प्राणवध का दण्ड दिया जायेगा। कौटिल्य ने दास दासियों के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में यह भी विधान किया है कि जो व्यक्ति दास दासियों को खरीदेगा अथवा गवाही देगा उसे भी इसी प्रकार का दण्ड दिया जायेगा।

उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्रापतव्यवहारं शूद्रं
विकयाधानं नयतः स्वजनसय द्वादशपणो दण्डः।।
वैश्यं द्विगुणः। क्षत्रिय त्रिगुणः। ब्राह्मणं चतुर्गुणः।
परजनस्य पुर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः केतृश्रोतृणा च।[8]

आगामी श्लोकों से प्रतीत होता है कि इस प्रकार के दण्ड विधान उन लोगों के लिए बनाये गये थे जो भारतीय प्रजा का अर्थात आर्य जाति के किसी भी व्यक्ति का क्रय-विक्रय करते थे कौटिल्य लिखते है कि म्लेच्छ लोगों को अपनी सन्तानों को बेचने अथवा गिरवी रखने की स्वतन्त्रता है परन्तु आर्य जाति किसी भी परिस्थिति में गुलाम नहीबनायी जा सकती है।

म्लेच्छानायढोषः प्रजां विकेतुयाधातुंवा।
न त्वेवार्यस्यदासभावः।[9]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मौर्य साम्राज्य के ठीक पड़ोस में यूनानी राज्य थे और म्लेच्छों से तात्पर्य यहां सम्भवतः उन्हीं से है। उनमें दासत्व का बहुत बुरा प्रचार था उनके बड़े प्रजातन्त्रवादी दार्शनिक अरस्तु ने उस प्रथा का समर्थन किया है। जिस ऐथेन्स नगरी को यूनानी लोग प्रजातन्त्र पद्धति का अग्रणी मानते थे उस नगर में कुल 35 हजार स्वतन्त्र नागरिक और 3 लाख दास थे।

इस प्रकार से वहां पर प्रति 13 व्यक्तियों में से केवल 1 ही स्वतन्त्र नागरिक था प्राचीन यूनानियों और उनके आधुनिक प्रशंसकों के लिए यह भले ही एक आदर्श प्रजातंत्र रहा हो किन्तु यूनान की कुल आबादी में से 92.5 प्रतिशत लोगों के लिए वहां कैदखाने से बदतर स्थिति थी। एक परिवार के पास पांच सौ तक दास होते थे खेती एवं मजदूरी का कार्य इन दासों को सौंपा जाता था। परन्तु भारत वर्ष में इस प्रकार की स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती है। भारत में दास-दासियों का प्रयोग केवल घरेलू कार्यों एवं सेवा कार्य में किया जाता था।

कौटिल्य ने दासियों के संदर्भ में भी अनेक नियमों एवं अधिकारों का उल्लेख किया है। जिसके अनुसार यदि स्वामी अपने पुरुष गुलामों से मुर्दा, मल-मूत्र या जूठन उठवाने का आदेश दे एवं महिला गुलामों को अनुचित दण्ड दें, उनके सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करें, नग्नावस्था में उनके सामने जाये या नग्नावस्था में उन्हें अपने पास बुलाये तो ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिए।

प्रेतविण्मुत्रोच्छिष्टग्राहणमाहितस्य नग्नस्नापनं

दण्डप्रेषणमतिकमणं च स्त्रीणां यूल्यनाशकरम्।[10]

यदि यही व्यवहार दाई परिचारिका, अर्द्धसीतिका (जिस जाति का पुरुषों का जीवन निर्वाह स्त्रियें पर निर्भर रहता है) और भीतरी दासी (उपचारिका) आदि के साथ किया जाये तो उन्हें दास कार्य से मुक्त कराया जाय। यदि उच्च कुल में जन्में किसी दास से उक्त कार्य कराये जाये तो वह दास कर्म को छोड़कर जा सकता है।

धात्रीपरिचारिकार्धसीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम्।

सिद्धमुपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम्।।

अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री को उनकी इच्छा के विरूद्ध अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय किन्तु उनको यदि दूसरे व्यक्ति के वश में करने की कोशिश करें तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय। गिरवी में आयी कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दूशित करें तो इस कृत्य के बदले उसका धन जब्त कर लिया जाये। साथ ही जुर्माने के तौर पर कुछ धन वह कन्या को दे और उससे दुगुने दण्ड सरकार को अदा करें।

धात्रीमहितिका वाकामा स्ववशायधिगच्छतः

पूर्वः साहस दण्डः, परवशां मध्यमः।

कन्यामाहितिकां वा स्वयमन्येन वा दुषयतः

मूल्यनाशः शुल्कं तदद्विगुणश्च दण्डः।[12]

कौटिल्य ने केवल दास दासियों के सम्बन्ध में नियमों का प्रावधान करते है। अपितु उन्हें भी राज्य का नागरिक मानते हुए उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करते है। वे दास दासियों के लिए सम्पत्ति एवं उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों का सृजन करने वाले प्राचीन भारत के पहले विद्वान है। मौर्य युग से पूर्व के सभी कालों में प्रायः हमें दासों के सम्बन्ध में सम्पत्ति के अधिकारों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। वैदिक साहित्य भी इस विषय पर कोई जानकारी नहीं देता है। वहीं गौतम सूत्र के अनुसार तो दासियां दूसरे की सम्पत्ति है, जिन्दें खरीदा या बेचा जा सकता है। इसी प्रकार प्राचीन बौद्ध साहित्य में भी हमें दासों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में ही मिलता है। जिसके अनुसार अपने आपको बेचने वाले आर्य पुरुष की संतान भी आर्य ही समझी जाती है। वह अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार कमाये हुए धन को अपने पास रख सकता है और पिता की सम्पत्ति का भी उत्तराधिकारी हो सकता है। बाद में अपनी कीमत को चुकता क रवह आर्यश्रेणी में आ सकता है। इसी प्रकार उदरदास और अहितक दास के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए।

आत्मविक्रयिणः प्रजामायां विधात्।

आत्माधिगतं स्वामिकर्माविरूद्धं लभेत्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वित्रयं च दायम। मूल्येनचार्यत्वं गच्छेत्।

तेनोदरदासाहितकौ व्याख्यातौ।[13]

अर्थशास्त्र में दासों हेतु प्रस्तुत सम्पत्ति सम्बन्धी उक्त नियमों एवं अधिकारों की दासियों के सम्बन्ध में कितनी प्रासंगिकता थी यह निश्चित रूप से नहीं का जा सकता है। जो व्यक्ति उचित मूल्य पाने पर भी किसी को दासता से मुक्त नहीं करता था तो उस पर बारह पण का दण्ड आरोपित किया जाता था। दास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके बन्धू बांधव एवं कुटुम्बी लोग होते है। उनके न होने पर दास का स्वामी ही उसकी सम्पत्ति का अधिकारी होता है। यदि कोई स्वामी अपने दासी से संतान पैदा करता है तो संतान और उसकी माता दोनों को दासता से मुक्त कर दिया जाता था यदि वह स्त्री सदगृहणी बनकर स्वामी को दासता से मुक्त कर दिया जाता था।

स्वामिनः स्वसया दास्या

जात समातृकमदासं विधात।

गष्ह्य चेत कुदुम्बार्य चिन्तनी

माता भ्राता भगिनी चास्या अदासाः स्यूः।[14]

कौटिल्य प्रत्येक व्यक्ति को दासत्व से मुक्त होने के लिए मार्ग बताते है। इनमें सम्भवतः वे दासियां भी सम्मलित थे जिन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक अभाव के कारण दासता का जीवन स्वीकार करना पड़ता था। एक बार मुक्त हुए दास-दासी को यदि फिर कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय।

दास दासी वा निश्क्रियपुनर्विकयाधानं

नषतो द्वाशपणो दण्ड, अन्यत्र स्वयंवादिभ्यः

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर0 एस0 शूद्रों का प्राचीन इतिहास पृ. 143
2. विधालंकार सत्यकेतु, मौर्य साम्राज्य का इतिहास पृ. 67
3. विधालंकार सत्यकेतु मौर्य साम्राजय का इतिहास, पृ. 67-68
4. एशियाटिक रिसर्चर भाग 4, पृ. 10-11
5. शास्त्री नीलकण्ठ शास्त्री (सम्पा) नन्द एवं मौर्य युगीन भारत, मोतीलाल वनारसीदास दिल्ली 1969 पृ. 119
6. मैगस्थनीज का भारत विवरण, पृ. 9
7. मैगस्थनीज का भारत विवरण, पृ. 10-12
8. गैरोला वाचस्पति, अर्थशास्त्र पृ. 311
9. वही, पृ. 311
10. वही, पृ. 311
11. वही, पृ. 311
12. वही, पृ. 311
13. वही, पृ. 311
14. वही, पृ. 311
15. वही, पृ. 311

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक
डॉ. अश्विनी महाजन
रीडर, डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

दृष्टिकोण प्रकाशन
WZ-724, पालम गांव, नई दिल्ली-110045

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : 11 अंक : 5 ❑ सितम्बर-अक्टूबर, 2019

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबोरोग, ओन्टारियो

डॉ. दया शंकर तिवारी
राजधानी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर

डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची

डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका

डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना

डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा

डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

डॉ. अमर कान्त सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, भागलपुर

संपादकीय सम्पर्कः
448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916
e-mail : editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोटः पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मानसिक स्वास्थ्य में संगीत चिकित्सा की भूमिका–डॉ॰ दीप्ति वाजपेयी 946
वर्तमान साहित्य की दशा और दिशा–डॉ॰ अनिल कुमार सिंह 949
अलवर और अजमेर जिले की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका–डॉ. अंजू बाला; सुशील कुमार मीणा 953
डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दर्शन: एक विश्लेषण–डॉ॰ अरूण कान्त गौतम 956
कृष्णा सोबती की कहानियों में मूल्यबोध–डॉ॰ रेणु गुप्ता 959
प्राथमिक स्तर पर हिंदी सुलेखन कौशल के प्रोत्साहन की आवश्यकता एवं महत्व–अश्विनी कुमार पाठक 963
धार्मिक पाखंड के संदर्भ में भारतीय मनोविज्ञान की भूमिका–डॉ. रंजीत कुमार पाण्डेय 968
उपभोक्तावाद, पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की पहचान करती कहानियां–डॉ॰ कृष्ण प्रताप सिंह 971
जिला बिलासपुर के माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं अनुसुचित जनजाति के विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि के संबध मे तुलनात्मक अध्ययन–डॉ॰ विभा मिश्रा 974
बीसवीं सदी की पत्रकारिता का हिंदी भाषा विकास में योगदान–प्रा. अशोक मुरलीधर घोरपडे 978
समसामयिक राजनैतिक पुनुरुत्थान के संदर्भ में नरेश मेहता का काव्य–डॉ॰ संजीव श्रीवास्तव 982
भारत में पर्यटन स्थल का रोजगार व जीडीपी पर प्रभाव–किरण कुमारी 987
गांधी जी के अहिंसा का दर्शन एवं सत्याग्रह की परिकल्पना–प्रमिला यादव 991
ज्ञान और कर्मव्यवहार–डॉ॰ दिनेश कुमार 995
बिहार में किसानों की स्थिति एवं समस्याएँ–डॉ॰ सीमा पटेल; मनोज कुमार यादव 1000
बिटिशि काल में परम्परागत अर्थव्यवस्था का पतन–राहुल पाण्डेय; डॉ॰ सीमा पटेल 1003
जौनसार-बावर में प्रचलित परम्परागत खत की न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन–धीरपाल सिंह; सत्येन्द्र धर्माण 1006
आंचलिकता की अवधारणा और 'मैला आँचल' का रूपगठन–अरविन्द कुमार अवस्थी 1014
पं॰ दीनदयाल उपाध्याय का शिक्षा दर्शन–डॉ॰ के॰डी॰ तिवारी 1019
जेंडर और शिक्षा–डॉ॰ बृजेश कुमार पाण्डेय 1022
थारू जनजातीय स्वशासन परम्परा एवं सामाजिक संरचना के विविध आयाम–डॉ॰ नरेश सिंह 1025
माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् एवं विद्यालय त्याज्य विद्यार्थियों के अभिभावक सम्बन्ध का तुलनात्मक अध्ययन–राकेश कुमार 1030
स्त्री अर्न्तमन की अप्रतिम यात्रा–डॉ॰ सुमित्रा महरौल 1037
स्मृतियों के वर्णित प्राचीन भारतीय समाज में दासियां–प्रो॰ प्रभात कुमार; अनीता देवी 1040

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्मृतियों के वर्णित प्राचीन भारतीय समाज में दासियां

प्रो० प्रभात कुमार

प्रोफेसर, प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरातत्त्व विभाग, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

अनीता देवी

शोधछात्रा, प्रा.भा.इ.सं. एवं पुरातत्त्व विभाग, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

मौर्योत्तर काल में तद्युगीन धर्मग्रन्थों में दासों की तरह दासियों के भी विभिन्न प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल की दासियों में कंभदासी[1] गृहदासी[2] धात्री[3] आदि प्रमुख हैं। पूर्व की भांति इस काल में भी भोग्या दासियां समाज में विद्यमान थीं।[4] डॉ. अग्निहोत्री के अनुसार इस काल में दासियों की स्थिति अच्छी न थी। वे मालिकों की कामक्षुधा की तृप्ति का ही साधन बनती रहती थीं। ऐसी दास-भार्याओं की संख्या बहुत थी। इनकी संतान को दासेर कहा जाता था। जो कि स्वामी के घर में ही पलती रहती थीं एवं वहीं सेवा कार्य करने लगती थीं। ये दासियां प्रायः रखेल के समान जीवन व्यतीत करती थीं। इनके अतिरिक्त यदा-कदा इस प्रकार के ऐसे अपमान उन्हें झेलने पड़ते थे, जिनमें मालिक किसी प्रकार का दायित्व लेने को तैयार नहीं होते थे। समाज स्वामियों के ऐसे आचरण को गर्हित मानता था। पतंजलि ने इसे अशिष्ट व्यवहार कहा है। कुमारत्वादि में इस प्रकार की अवांछित घटनाओं की आशंका के कारण ही समाज स्वस्थ वैवाहिक जीवन को श्रेष्ठ मानता था। विवाह के लिए मनाव सम्पूर्ण साधन एकत्र करता था एवं इसके लिए वह पूर्ण परिश्रम भी करता था।[5]

मनु ने अपने ग्रन्थ में शूद्रों को दास ही बताया है। वे अपने स्वामियों के अधीन थे। दासों की स्थिति का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि

'शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रतमेव वा।
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा।।'[6]

एवं

'न स्वामिना निसृष्टोपि शूद्रो दास्यद्विमुच्यते।
निसर्गजं हितत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति।।'[7]

राजा का यह कर्तव्य है कि उसे वैश्यों से व्यापार, ब्याज, खेती और पशुरक्षा का उद्यम कराना चाहिए और शूद्रों से द्विजों की सेवा का कार्य ही करवाना चाहिए। जीविका से रहित क्षत्रि और वैश्यों से ब्राह्मणों को अपने कार्य कराने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यदि धनी ब्राह्मण लोभ के कारण उत्तम गुणों से युक्त द्विजों से सेवा कार्य करवाता है तो उस पर राजा को छह सौ पण का दण्ड लगाना चाहिए। खरीदे हुए तथा बिना खरीदे हुए शूद्रों से केवल सेवा का ही कार्य करवाना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्रों को दासकर्म के लिए ही पैदा किया है। स्वामी को धन देकर छुड़ाया गया शूद्र भी दास कर्म को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है। मनु के इस विवरण के अनुसार प्रतीत होता है कि इस काल में शूद्रों की स्थिति मौर्य कालीन शूद्रों से निम्नतर हो गयी थी। उनका कार्य केवल दासकर्म ही निष्चित कर दिया गया था। दासत्व से मुक्ति का कोई मार्ग इस समय पर सम्भवतः शूद्रों को नहीं दिया गया था।

मनुस्मृति में सात प्रकार के दासों का वर्णन दिया गया है[8]-

1. ध्वजाहृतो - युद्ध में जीतकर लाया हुआ दास
2. भक्र - भक्त दास
3. गृहजः - दासीपुत्र
4. क्रीत - खरीदा हुआ दास
5. दत्रिमौ - किसी के द्वारा दिया हुआ दास
6. पैत्रिको - परम्परागत दासकर्म करने वाला
7. दण्डदास - दण्ड-शुद्धि के लिए दासकर्म करने वाला

इस प्रकार मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है। प्रतीत होता है कि जिस प्रकार अषोक ने अपने राज्यकाल में कलिंग के युद्ध में बन्दी बनाये गये लोगों को दास बनाकर विभिन्न कार्यों में संलग्न किया था, उसी प्रकार मौर्योत्तर काल में भी युद्धबन्दियों को दासकर्म हेतु प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकारों से यह भी प्रतीत होता है कि राजा के आदेश पर अथवा किसी अपराध के दण्ड स्वरूप भी व्यक्तियों को दासकर्म करने हेतु विवष किया जाता था। मनु ने अपने विवरणों में भाया, पुत्र और दास इन तीनों को ही निर्धन कहा गया है, क्योंकि ये जो धन पाते हैं, वह उसका होता है जिसके ये होते हैं। अर्थात् मनु ने इन तीनों को अपने-अपने स्वामियों के अधीन माना है और इनकी सम्पति पर इनके स्वामियों के अधिकार का समर्थन किया है।[9] मनु ने आदेश किया है कि किसी भी ब्राह्मण को अपने दास से धन ले लेना चाहिए। ब्राह्मण को यह कार्य बिना किसी विचार के पूर्ण अधिकार के साथ करना चाहिए, क्योंकि दास के धन का वास्तविक मालिक तो उसका स्वामी ही होता है।

यद्यपि मनु ने अपने विवरणों में सभी दिशा-निर्देष एवं वर्णन दासों के सम्बन्ध में किये हैं जिन्हें प्रायः पुल्लिंग से सम्बन्धित माना जाता है तथापि यह कहा जा सकता है कि समाज में दासियों की स्थिति भी इनसे पृथक नहीं रही होगी। स्त्री दासियों का कार्य भी पूर्णतः सेवा का ही रहा होगा। वे अपने स्वामियों के अधीन ही जीवन-यापन करती थीं। परन्तु इनके चरित्र एवं शील की रक्षा करने पर बहुत कम ही ध्यान दिया जाता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार दासी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध गमन करने पर 10 पण का दण्ड लिया जाना चाहिए। भुगिया अर्थात् भोग करने के लिए रोकी हुई दासी एवं अवरुद्धा अर्थात् अपनी सेवा के लिए रोकी हुई दासी के साथ संसर्ग करने पर पचास पण का आर्थिक दण्ड निश्चित था। स्मृतिकारों ने दूसरे पुरुष की दासियों के साथ अनैतिक सम्बन्ध बनाने को भी अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया है। परन्तु वास्तव में दासियों से सम्बन्ध बनाये जाने पर दिये जाने वाले दण्ड इसलिए नहीं थे कि उनका शील भंग किया गया है अपितु इसलिए लगाये गये थे कि वे दूसरे की सम्पति होती थीं। उस सम्पति को हानि पहुंचाना किसी भी स्वामी को मान्य नहीं था अथवा बिना स्वामी की आज्ञा के दासी का उपभोग नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने पर कम से कम पांच पण का दण्ड आरोपित किया जाता था। वहीं नारद स्मृति की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की दासी को भगाकर ले जाता है तो दण्डस्वरूप उसका आधा पांव काट देना चाहिए।

याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, क्योंकि कालान्तर में यही ग्रन्थ उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला ग्रन्थ बन गया था। इस स्मृति में गुप्तकाल में हुए सामाजिक विकासक्रम जिस वास्तविकता के साथ इसके प्रावधानों में प्रतिफलित हुए हैं, वह शायद ही किसी अन्य स्मृति में देखने को मिलते हैं।

याज्ञवल्क्य के अनुसार दासी का कार्य है सेवा-शुश्रूषा करना। आज्ञा का पालन करने को ही शुश्रूषा कहा जाता है। शुश्रूषा करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच बताई गयी है, जिनमें शिष्य, अन्तेवासी, भृतक, अधिकर्मकृत और दास शामिल हैं। इनमें से पहले चारों को कर्मकर कहा गया है और ये शुभ कार्य करने वाले होते हैं। इनमें से वेदविद्या पढ़ने वाले शिष्य और शिल्पविद्या पढ़ने वाले को अन्तेवासी कहा जाता है। मोल लेकर जो कर्म करे उसे भृतक कहा जाता है और जो कर्म करने वालों का अधिष्ठाता होता है उसे अधिकर्मकृत कहा जाता है। गृहजात आदि दास पन्द्रह प्रकार के होते हैं और वे घर के कार्यों में संलिप्त होते हैं। ये निम्नलिखित हैं[10]-

1. गृहजात - वह दास जो घर की दासी से जो पैदा हो।
2. क्रीत - वह दास जिसे खरीदा गया हो।
3. लब्ध - वह दास जो प्रतिग्रह से मिला हो।
4. दायागत - पिता आदि के दास को दायागत कहते हैं।
5. अनाकालमृत - दुर्भिक्ष के दौरान प्राणरक्षा के लिए जो दास बना हो।
6. आहित - स्वामी ने धन देकर जिस पर अधिकार कर लिया हो।
7. ऋणदास - ऋण देकर जो दास भाव को प्राप्त करे।
8. युद्धप्राप्त - युद्ध में जिसे जीतकर दासत्व स्वीकार करवाया जाय।
9. पणेजीत - जुए में जीता हुआ दास।
10. उपगत - जो यह कहे कि 'मैं तेरा हूं' और दासत्व ग्रहण कर ले।
11. प्रव्रज्यावसित - वह जो संन्यास से जो पतित हो जाय।
12. कृत - वह जो यह स्वीकार कर ले कि मैं इतने समय तक दास रहूंगा।
13. भक्तदास - जो भोजन के लिए दास बन जाये।
14. वडवाहृत - वडवा गृहदासी को कहा जाता है तथा जो व्यक्ति लोभ से उससे विवाह कर स्वयं दास बन जाये उसे वडवाहृत दास कहा जाता है।
15. आत्मविक्रेता - अपनी आत्मा बेचकर जो आत्मविक्रेता हो जाये।

मनु ने इन्हीं दासों की संख्या सात बताई है जिसमें ध्वाहृत, भक्तदास, गृहजात, क्रीत, दत्रिम, पैत्रिक, दण्डदास सम्मिलित हैं। विद्वानों ने दासों को सभी प्रकार से परतन्त्र ही माना है। कर्मों का विभाजन दो भागों में किया गया है, शुभ एवं अशुभ। दास का कार्य अशुभ है जिसमें उसे गृह का द्वार, अशुद्धस्थान, रथ्या, अवस्कर का शोधन, गुप्त अंगों का स्पर्ष, उच्छिष्ट, विष्ठा, मूत्र इनका एकत्रण एवं फेंकना और स्वामी की इच्छानुसार अंगों की मल लगाकर सेवा करना सम्मिलित है। उच्छिष्ट फेंकने के गढ्ढे को अशुचिस्थान कहा जाता है ओर गृह मार्जन आदि की धूल जहां फेंकी जाये उसे अवस्कर कहा जाता है।

याज्ञवल्य के अनुसार ऐसी दासियां जिनकी आजीविका का साधन मात्र परपुरुषों के साथ भोग करना ही है, उन्हें स्वैरिणी कहा जाता है। स्वैरिणी दासी को भोग का मूल्य दिये बिना ही संसर्ग करने वाले पुरुष को दण्ड आवश्यक है। इसके लिए उस व्यक्ति को 10 पण और सामूहिक संसर्ग करने वाले पुरुषों में से प्रत्येक को 24 पण के दण्ड का देना चाहिए।[11] इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरुष अवरुद्धा दासी से संसर्ग करता है तो उसे अर्थदण्ड के रूप में 50 पण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देने पड़ते थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि कोई स्वामी अपनी सेवा में उपस्थित किसी दासी को अपने ही घर में अन्य पुरुषों के साथ भोगनिवृति करने के लिए रोककर रखे तो ऐसी दासी को अवरुद्धा दासी कहा जाता है। भुजिष्या दासी वह दासी कहलाती है जो पुरुष की स्त्री बनकर ही घर में रहे। जो दासी अवरुद्धा और भुजिष्या हो तो उनमें वैश्या और स्वैरिणी साधारण स्त्री जो भुजिष्या हैं उन सब साधारण मनुष्यों के गमन करने योग्य स्त्रियों में गमन करता हुआ मनुष्य पचास पण दंड देने योग्य है क्योंकि वे अन्य का परिग्रह होने से पराई स्त्री के तुल्य हैं। यही नारद ने भी स्पष्ट रूप से कही है कि ब्राह्मणी से भिन्न स्वैरिणी, वैश्या, दासी, निष्कासिनी जो स्त्री हैं वे गमन करने योग्य हैं। यदि वे भुजिष्या हैं जो पराई स्त्री के समान हैं। गमन करने योग्य भी हों तो उनमें गमन न करें, क्योंकि इससे वही दोष लगेगा जो कि पराई स्त्री के साथ होता है। वह दासी जो स्वामी के द्वारा रोके जाने पर भी नहीं माने वह निष्कासिनी कहलाती है। कदाचित कोई यह शंका भी कर सकता है कि स्वैरिणी आदि को साधारण रूप से गमन योग्य कहना अयोग्य है क्योंकि जाति व शास्त्र कोई भी स्त्री जगत में साधारण नहीं मिल सकती है। मनु के अनुसार भी जो स्वैरिणी पति को छोड़कर अपने सवर्ण के पुरुष का कामना से आश्रय लेती है ऐसे वर्णों के अनुलोम कम से दास भाव होता है, प्रतिलोम वर्ण से नही।[12]

इस समय के सभी शूद्र दास नहीं थे, किन्तु समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुप्तकाल में कुछ शूद्र दास अवश्य थे। दास-दासियों से युक्त राज्य का भोग करना उत्कृष्ट साधना का फल माना जाता था। शांतिपर्व में कहा गया है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य तीनों 'वर्गों' के दास के रूप में की, इसीलिए उसे दास धर्म के पालन का उपदेश दिया गया है। नारद के दास के 15 प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं- (1) प्राप्त किया हुआ दास, (2) स्वामी द्वारा प्रदत्त दास, (3) ऋण न चुका सकने के कारण बना दास, (4) दाँव पर हार जाने वाला दास, (5) स्वयं दासत्व ग्रहण करने वाला, (6) अपने को एक निर्धारित समय के लिए दास बनाने वाला, (7) दासी के प्रेमपाश में पड़कर बनने वाला, और (8) आत्मविक्रयी दास। नारद और बृहस्पति दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि दास केवल अपवित्र कार्यों में लगाए जाते थे। अतः इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो यद्यपि मौर्यकाल और उससे पूर्व इसके प्रमाण मिलते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासों की अवस्था पूर्वकाल से अधिक दयनीय थी। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन ने यह कहा है कि दास स्वामी के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना चाहिए। कात्यायन के अनुसार दासता ब्राह्मण के लिए नहीं है और वह ब्राह्मण का दास भी नहीं बन सकता। यदि किसी आपत्ति के समय उसे ब्राह्मण का दास बनना भी पड़ जाए तो वह वैदिक अध्ययन जैसे स्वच्छ कर्म को ही अपनाए। परंतु इन नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि दासता शूद्रों तक ही सीमित नहीं थी। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि किसी मनुष्य को बेचना नहीं चाहिए। नारद और बृहस्पति ने भी अपने को बेचने वाले की निंदा की है। दासियों के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है जो धनी लोगों के घरों में चेरियों का कार्य करती थीं। अमरकोश में 'दासीसभम्' (दासियों का दल) शब्द आया है। जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आदिम जातियों से भी दासियाँ और चेरियाँ ली जाती थीं। कोई दासी अपने स्वामी के पुत्र को जन्म देती थी तो वह स्वतंत्र हो जाती थी। गुप्त काल में दासों की सामान्य दशा अपरिवर्तित रही। उन्हें पीटा जा सकता था और बेडिघ्यों में बाँधा जा सकता था। परन्तु इस बात के अनेकानेक प्रमाण मिले हैं कि गुप्तकाल में दास प्रथा कमजोर हो गई थी। दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। दासों में संगठन होने से भी दास-व्यवस्था कमजोर हुई होगी। भारत में दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, अतः विदेशी यात्री इसके अस्तित्व का पता भी नहीं लगा सके। इस काल में ऐसी अनेक बातें दिखाई पड़ती हैं, जिनसे दास प्रथा के शिथिल होने का प्रमाण मिलता है। रामशरण शर्मा के अनुसार, "ऐसा लगता है कि वर्ण-व्यवस्था ही कमजोर पड़ गई थी और इस कारण दास-प्रथा में भी कमजोरी आई। वर्ण-प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास बनाना चाहिए, पर गुप्तकालीन पुराणों के वर्णन से पता चलता है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण-धर्म का पालन नहीं करते थे-अर्थात् किसान के रूप में अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र द्विजों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर वर्ण संकट की स्थिति पैदा हो गई थी।" बँटवारे और धार्मिक भूमिदानों के फस्वरूप भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गई थी, अतः छोटे कृषि-क्षेत्रों में स्थायी रूप से अधिक शूद्र, दास और मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं थी। इससे अधिकांश दासों को छाँट दिया गया। यह दास प्रथा कमजोर होने का मुख्य कारण था। गुप्तयुगीन अनेक पुराणों, महाभारत के अंशों, बौद्ध जातक साहित्य एवं कतिपय जैन ग्रंथों में ऐसे विवरण मिलते हैं जिनका संबंध तथाकथित कलियुग से है। इसका सम्बन्ध भारतीय समाज के उस पारम्परिक युग से है जबकि अवनति के पर्याप्त चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। हाल ही में इन कलियुग विवरणों का प्रयोग भारत में प्राचीनकाल के मध्ययुग की ओर होने वाले संक्रमण की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इन्हीं विशिष्टाताओं में दास प्रथा पर आधारित उत्पादन-पद्धति में आए परिवर्तनों पर विशेष बल दिया गया है। एक ओर अंत्यों का मध्यों में रूपांतरण देखने को मिलता है, तो दूसरी ओर कृषि और व्यापार में लगे वैश्यों को शूद्रों के निकट लाने की चर्चा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वैश्य कृषि एवं व्यापार का परित्याग कर शूद्रों के व्यवसायों को अपनाएँगे और तुच्छ शिल्पी (कारूकर्मोपेपजीविनः) बन जाएँगे। कुछ तो भूमिगत सम्पत्ति के विभाजन से और कुछ विदेशी आक्रमणों द्वारा उत्पन्न राजनीतिक बलवों के कारण दासों एवं सेवकों के विशाल समूहों को आश्रय देने वाले पुराने परिवार कम होते गये। सारांश यह है कि ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के मध्य तक दास प्रथा के क्षीणतर होने की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही थी-यहाँ तक कि लगभग 600 ई0 में रचित मनुस्मृति पर भारूचि की टीका में दासों के संपत्ति विषयक अधिकारों की भी पर्याप्त चर्चा है। गुप्तयुगीन समाज में वर्ण-व्यवस्था पूर्णरूप से प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज के परम्परागत चार वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियाँ भी अस्तित्व में आ चुकी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में विभेद किया जाता था। पर एक मान्यता का ज्ञान दास बनाने के सम्बन्ध में हमें मिलता है। नारद तथा याज्ञवल्क्य ने समान रूप से कहा है कि अनुलोम क्रम में ही दास बनाया जा सकता था प्रतिलोम में नहीं। अर्थात् कोई भी उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न वर्ण वाले व्यक्ति को दास बना सकता है। पर निम्नवर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण को नहीं, ब्राह्मण एक क्षत्रिय को अपना दास बना सकता है। इस प्रकार क्षत्रिय और वैश्यों के सम्बन्ध में भी विधान था। पर क्षत्रिय ब्राह्मण को तथा वैश्य क्षत्रिय को अपना दास नहीं बना सकता था। इसी सन्दर्भ में कात्यायन की भी यह मान्यता अनुचित नहीं है कि सवर्ण में दास नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात् एक ब्राह्मण, ब्राह्मण को अथवा क्षत्रिय, क्षत्रिय को अपना दास नहीं बना सकता।

मनु द्वारा शूद्रों की दासता के बारे में की गई चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि वे अब उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मौर्यपूर्व और मौर्य काल में थे। हमें किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है, जिसमें दास या भाड़े के मजदूर काम करते

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हों। प्रायः मौर्यों के राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करने वाले दास और भाड़े के मजदूर कर चुकाने वाले कृषक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शूद्र को बटाईदार माना है[13], और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकाला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बटाईदार (अर्द्धसीतिक) को उत्पादन का केवल 1/5 या 1/4 हिस्सा दिया गया है, किन्तु मनु ने उसके लिए उत्पादन का आधा भाग (अर्द्धिकः) रखा है।[14] मालूम होता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढ़ा दिया गया था, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ी थी। अर्थशास्त्र में वेतनभोगी अधिकारियों की व्यवस्था है, किन्तु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की है, जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी।[15] कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूखण्ड बटाईदारों और भाड़े के मजदूरों द्वारा जोते जाते थे। प्रायः किसी दूसरे काल में शूद्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी। वहुतेरी आदिम जातियों और वाह्य तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसंकर की कल्पना से अपने पूर्ववर्ती ग्रंथकारों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। अधिकांश संकर जातियों कोशूद्र जाति में मिला दिया गया, जिसके लिए उनके आनुवंशिक कर्तव्य आधार माने गये। किंतु ऐसा नहीं मालूम होता कि जिस प्रकार पुराने शूद्र दासों और भाड़े के मजदूरों के रूप में बहाल किए जाते थे, उस प्रकार इन नए शूद्रों की बहाली होती थी। उन्होंने अपने पुराने व्यवसायों को अपनाया और संभवतया उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए, जिससे वे क्रमशः करदाता किसान बने। हो सकता है, मनु का दसवाँ अध्याय जिसमें वर्णसंकर का विशद वर्णन है, चौथी-पाँचवी शताब्दी का हो।

वास्तव में दासी परिवार का अभिन्न अंग मानी जाती थी तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य से दासवर्ग के प्रति सद्व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। कन्याओं को यह षिक्षा बाल्यावस्था से ही प्राप्त होती थी। सखी के रूप में उसकी जो दासियां हाती थीं उनके साथ बालिका का व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहता था तथा उनके साथ हास-परिहास चलता था। उन्हें परिवार की स्त्रियों के साथ आमोद-प्रमोद के भी पर्याप्त अवसर मिलते थे। यद्यपि कुल स्त्री अधना तथा अस्वतन्त्र थी, उसके लिए बाल्यावस्था में पिता, यौवन में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षक के रूप में स्वामित्व के स्थान पर विहित थे तथापि घर में तथा समाज में कुलीन स्त्री का गौरव विषिष्टि होता था, किन्तु दासी की पराधीनता इसके विपरीत थी। दासियों को ये समस्त कार्य करने पड़ते थे जो उसके स्वामी करवाते थे। परिवार के समस्त कार्य जैसे झाडू, साफ-सफाई तथा पानी भरने का कार्य दासियों द्वारा किया जाता था। फलस्वरूप उनके साथ सद्व्यवहार किया जाता होगा, जिसका प्रधान कारण दया भाव था। अपेक्षाएं यद्यपि इन दासियों से शील सदाचार की थी, किन्तु इनके प्रति लोगों में वह आदर भाव नहीं होता था जो कुलीन स्त्रियों के सम्बन्ध में होता था।

सन्दर्भ

1. विनयपिटक, 2/15, 3/180
2. सौन्दरानन्द, 4/26-27
3. बुद्धचरित, 1/59
4. उत्तराध्ययन, 3/17
5. अग्निहोत्री, डॉ0 प्रभुदयाल, पतंजलि कालीन भारत, विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1963, पृ0 174
6. मनुस्मृति, 8/413
7. मनुस्मृति, 8/414
8. ध्वजाहतो भक्रदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ।
   पैत्रिका दण्डदासञ्च सप्तैते दासयोनयः।। मनुस्मृति, 8/415
9. भार्या पुत्रञ्च दासञ्च त्रय एवाधमाः समृता।
   यत्ते समधिगच्दन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्। मनुस्मृति, 8/416
   विस्त्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रा द्रव्योपादानमाचरेत।
   न हि तस्यास्ति किंचित्वं भर्तृहार्यधनोहिसः।। मनुस्मृति, 8/417
10. याज्ञवल्क्य स्मृति, अभ्युपेत्याषुश्रूषाप्रकरण, पृ0 332-333
11. याज्ञवल्क्य स्मृति, 2/291
    प्रसह्य दास्यभिगमें दण्डो दशपणः स्मृतः।
    बहूनां मधकामाऽसौ चतुर्विषतिकः पृथक।।
12. याज्ञवल्क्य स्मृति, 2/290
    अवरुद्धासु दासीपु भुजिष्यासु तथैव च।
    गम्यास्वपि पुमान्दात्यः पंचाशत्पणिकं दमम्।।
13. मनुस्मृति, 4/253
14. अर्थषास्त्र, 2/23
15. मनुस्मृति, 7/119

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ३म् OM

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(यू.जी.सी. एक्ट १९५६ के सेक्शन ३ के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

अंक विवरणिका Statement of Marks

Pre Ph.D. Course Work Examination - 2015

Subject : Ancient Indian History, Culture and Archaiology

छात्र/छात्रा का नाम Name of student	ANITA DEVI	अंक पत्र संख्या Marksheet No.	S154779
पिता का नाम Father's Name	BHOORI SINGH	अनुक्रमांक Roll No.	4814
माता का नाम Mother's Name	SHARMILA DEVI	नामांकन संख्या Enrolment No.	15052
संकाय/परिसर Faculty / Campus	Faculty of Oriental Studies	संवर्ग Category	Regular

प्रश्न पत्र Paper (s)		अधिकतम अंक Max. Marks	प्राप्तांक Marks Obtained			कृपांक Grace
			लिखित/प्रयो. Theory/ Practical	सत्रीय Sessional	योग Total	
PHS-101	Research Methodology	100	46	24	70	
PHS-102	Research Methodology and Computer Application	100	45	21	66	

	प्रथम सेमेस्टर First Semester	द्वितीय सेमेस्टर Second Semester	तृतीय सेमेस्टर Third Semester	चतुर्थ सेमेस्टर Fourth Semester	पंचम सेमेस्टर Fifth Semester	षष्ठ सेमेस्टर Sixth Semester	सप्तम सेमेस्टर Seventh Semester	अष्टम सेमेस्टर Eighth Semester	सर्व योग Grand Total	परिणाम Result	श्रेणी Division
कुल प्राप्तांक Total marks obtained	***	***	***	***	***	***	***	***	136	Pass	***
कुल अधिकतम अंक Total maximum marks	***	***	***	***	***	***	***	***	200		

नोट / Note : छात्र/छात्रा को प्रत्येक लिखित एवं प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण करने हेतु अलग-अलग 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है।
Students shall be required to secure at least 40% marks in each theory & practical papers separately

दिनांक Date : 18-05-2016

बनाने वाला Prepared by

जाँचकर्ता Checked by

परीक्षा नियंत्रक Controller of Examinations

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

JUGAL
BOOK BINDING
97 59 66 67 71
ANAND NIWAS, NEAR HOTEL GANG TARANG,
BY PASS HARIDWAR ROAD, SINGHDWAR, KANKHAL

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar